भारतीय प्रेस परिषद्

वार्षिक रिपोर्ट

(1 अप्रैल, 2007-31 मार्च, 2008)

नई दिल्ली

मुद्रक : बंगाल ऑफसेट वर्क्स, 335, खजूर रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005

भारतीय प्रेस परिषद्

सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003

अध्यक्षः न्यायमूर्ति श्री गनेन्द्र नारायण रॉय

दसवां सत्र (7-1-2008 - 6-1-2011)

भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के सम्पादक (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

श्री विष्णु नागर	एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया न्यूज़पेपर्स एडीटर्स कान्फ्रैंस, हिन्दी समाचारपत्र सम्मेलन/कादम्बिनी, नई दिल्ली ।
श्री उत्तम चन्द शर्मा	ऑल इंडिया न्यूजपेपर्स एडीटर्स कान्फ्रैंस, एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हिन्दी समाचारपत्र सम्मेलन/मुजफ्फरनगर बुलेटिन, उत्तर प्रदेश ।
श्री विजय कुमार चोपड़ा	ऑल इंडिया न्यूजपेपर्स एडीटर्स कान्फ्रैंस, एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हिन्दी समाचारपत्र सम्मेलन/फिल्मी दुनिया, दिल्ली ।
श्री शीतला सिंह	हिन्दी समाचारपत्र सम्मेलन, ऑल इंडिया न्यूजपेपर्स एडीटर्स कान्फ्रैंस, एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया/जनमोर्चा, उत्तर प्रदेश ।
सुश्री सुमन गुप्ता	हिन्दी समाचारपत्र सम्मेलन ऑल इंडिया न्यूजपेपर्स एडीटर्स कान्फ्रैंस, एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया/सरयू तट से, उत्तर प्रदेश ।

अंग्रेजी समाचारपत्रों के सम्पादक (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

श्री योगेश चन्द्र हलन	एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया न्यूजपेपर्स एडीटर्स कान्फ्रैंस, हिन्दी समाचारपत्र सम्मेलन/एशियन डिफैंस न्यूज़ ।

सम्पादकों के अतिरिक्त श्रमजीवी पत्रकार (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट

श्री के. श्रीनिवास रेड्डी	इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैनस एसोसिएशन, प्रेस एसोसिएशन/विशाल आंध्रा, आंध्र प्रदेश ।
श्री मिहिर गंगोपाध्याय(गाँगुली)	इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन, प्रेस एसोसिएशन, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैनस एसोसिएशन/स्वतंत्र पत्रकार, बर्तमान, पश्चिम बंगाल ।
श्री एम.के अजीत कुमार	प्रेस एसोसिएशन, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैनस एसोसिएशन, इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन/मातृभूमि, नई दिल्ली ।
श्री जोगिन्दर चावला	वर्किंग न्यूज़ कैमरामैनस एसोसिएशन, प्रेस सोसिएशन, इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन/स्वतंत्र पत्रकार ।
श्री जी. प्रभाकरण	इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैनस एसोसिएशन, प्रेस एसोसिएशन/दी हिन्दू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन
श्री कल्याण बरुआ	प्रेस एसोसिएशन, इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैनस एसोसिएशन/असम ट्रिब्यून, गुवाहाटी ।
श्री एस.एन. सिन्हा	वर्किंग न्यूज़ कैमरामैनस एसोसिएशन, इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन प्रेस एसोसिएशन/स्वतंत्र पत्रकार ।

बड़े,मध्यम और लघु समाचारपत्रों के स्वामी और प्रबंधक (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

श्री होरमुसजी नुस्सेवांजी कामा	इंडियन न्यूज़पेपर्स सोसायटी, बाम्बे समाचार, महाराष्ट्र ।
श्री टी. वेंकटराम रेड्डी	इंडियन न्यूज़पेपर्स सोसायटी, आन्ध्र भूमि, आन्ध्र प्रदेश ।
श्री अनिल जुगल किशोर अग्रवाल	इंडियन न्यूज़पेपर्स सोसायटी, अमरावती मंडल, महाराष्ट्र ।

श्री कुंदन रमन लाल व्यास	इंडियन न्यूज़पेपर्स सोसायटी, जन्मभूमि प्रवासी, महाराष्ट्र ।
श्री रमेश गुप्ता	इंडियन न्यूज़पेपर्स सोसायटी, तेज वीकली, नई दिल्ली ।
श्री सुशील झलानी	इंडियन फेडरेशन ऑफ स्माल और मीडियम न्यूज़पेपर्स, अरुण प्रभा, राजस्थान ।

समाचार-एजेंसियों के प्रबंधक (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

श्री वी.एस. चन्द्रशेखर	प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, साहित्य अकादमी और भारतीय विधिज्ञ परिषद् में नामित व्यक्ति (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

डा. प्रांजय गुहा ठाकुर्ता	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ।
श्री मिलन कुमार डे	भारतीय विधिज्ञ परिषद् ।
डा. ललित मंगोत्रा	साहित्य अकादमी

लोकसभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति द्वारा नामित सांसद (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (ड.) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

डा. सेबेस्टियन पाल	लोक सभा
श्री भरतसिंह माधव सिंह सोलंकी	लोक सभा
श्री एम.ए. खाराबेला स्वेन	लोक सभा
श्री यशवंत सिन्हा	राज्य सभा
डा. प्रभा ठाकुर	राज्य सभा

सचिव : श्रीमती विभा भार्गव

भारतीय प्रेस परिषद्

सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003

अध्यक्षः न्यायमूर्ति श्री गनेन्द्र नारायण रॉय

नौंवा सत्र (12-10-2004 - 11-10-2007)

भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के सम्पादक (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

श्री के.एस. सच्चिदानन्द मूर्ति	एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया न्यूज़पेपर्स एडीटर्स कान्फ्रैंस, हिन्दी समाचारपत्र सम्मेलन/ **मलयाला मनोरमा, केरल ।**
श्री कुन्दन आर. व्यास	एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया न्यूज़पेपर्स एडीटर्स कान्फ्रैंस, हिन्दी समाचारपत्र सम्मेलन/ **जन्मभूमि, गुजरात ।**
श्री जगजीत सिंह दर्दी	एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया न्यूज़पेपर्स एडीटर्स कान्फ्रैंस, हिन्दी समाचारपत्र सम्मेलन/ **चढदी कलां, (पंजाब)।**
श्री उत्तम चन्द्र शर्मा	एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया न्यूज़पेपर्स एडीटर्स कान्फ्रैंस, हिन्दी समाचारपत्र सम्मेलन/ **मुजफ्फरनगर बुलेटिन, उत्तर प्रदेश ।**
श्री राजीव कुमार अरोड़ा	एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया न्यूज़पेपर्स एडीटर्स कान्फ्रैंस, हिन्दी समाचारपत्र सम्मेलन/ **गांडीव, उत्तर प्रदेश ।**

अंग्रेजी समाचारपत्रों के सम्पादक(धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

श्री हिरनमय कर्लेकर	एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया न्यूज़पेपर्स एडीटर्स कान्फ्रैंस, हिन्दी समाचारपत्र सम्मेलन/ **दि पायनियर, नई दिल्ली ।**

सम्पादकों के अतिरिक्त श्रमजीवी पत्रकार (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

श्री के. श्रीनिवास रेड्डी	इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन, प्रेस एसोसिएशन, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैन्स एसोसिएशन/ **विशालआन्ध्रा, आन्ध्र प्रदेश ।**
श्री गीतार्थ पाठक	इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन, प्रेस एसोसिएशन, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैन्स एसोसिएशन/ **असम बानी, असम ।**
श्री अनन्त बागेटकर	इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन, प्रेस एसोसिएशन, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैन्स एसोसिएशन/ **सकल महाराष्ट्र ।**
श्री जोगिन्दर चावला	इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन, प्रेस एसोसिएशन, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैन्स एसोसिएशन/ **फ्रीलांसर ।**
श्री देवेन्द्र चिन्तन	इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन, प्रेस एसोसिएशन, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैन्स एसोसिएशन/ **इंडियन प्रेस एजेंसी ।**
श्री विनय कुमार	इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन, प्रेस एसोसिएशन, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैन्स एसोसिएशन/ **दि हिन्दू, नई दिल्ली ।**
श्री एस.एन.सिन्हा	इंडियन जर्नलिस्टस यूनियन, प्रेस एसोसिएशन, वर्किंग न्यूज़ कैमरामैन्स एसोसिएशन/ **दि हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली ।**

बड़े, मध्यम और लघु समाचारपत्रों के स्वामी और प्रबंधक (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

श्री अभय छजलानी	इंडियन न्यूज़पेपर्स सोसायटी, इंडियन लैंगुएजिज़ न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन/ **नई दुनिया, मध्य प्रदेश ।**
श्री होरमुसजी नुस्सेरवांजी कामा	इंडियन न्यूज़पेपर्स सोसायटी, इंडियन लैंगुएजिज़ न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन/ **बाम्बे समाचार, महाराष्ट्र ।**
श्री विजय कुमार चोपड़ा	इंडियन न्यूज़पेपर्स सोसायटी, इंडियन लैंगुएजिज़ न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन/ **हिन्द समाचार, पंजाब ।**

श्री प्रताप टी. शाह	इंडियन न्यूज़पेपर्स सोसायटी, इंडियन लैंगुएजिज़ न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन/**सौराष्ट्र समाचार, गुजरात ।**
श्री रमेश गुप्ता	इंडियन न्यूज़पेपर्स सोसायटी, इंडियन लैंगुएजिज़ न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ स्मॉल न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया/ **तेज साप्ताहिक, नई दिल्ली ।**
श्री केशव दत्त चन्दोला	इंडियन न्यूज़पेपर्स सोसायटी, इंडियन लैंगुएजिज़ न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ स्माल न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया/ **नागराज दर्पण, उत्तर प्रदेश ।**

समाचार एजेंसियों के प्रबंधक (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

श्री एम.के. लाल	यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, नई दिल्ली ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, साहित्य अकादमी और भारतीय विधिज्ञ परिषद् में नामित व्यक्ति (धारा 5 की उप धारा(3) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

श्री प्रताप पवार	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ।
श्री के.के. थामस	भारतीय विधिज्ञ परिषद् ।
डा0 ललित मंगोत्रा	साहित्य अकादमी ।

लोकसभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति द्वारा नामित सांसद (धारा 5 की उप धारा (3) के खंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)

श्री गुरूदास कामत, संसद सदस्य	लोक सभा
श्री सेबेस्टियन पाल, संसद सदस्य	लोक सभा
श्री लक्ष्मण सिंह, संसद सदस्य	लोक सभा
श्री यशवन्त सिन्हा, संसद सदस्य	राज्य सभा
डा0 प्रभा ठाकुर, संसद सदस्य	राज्य सभा

सचिव : श्रीमती विभा भार्गव

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

प्राक्कथन

अध्याय I	सामान्य समीक्षा	...	...	1
अध्याय II	प्रेस की स्वतंत्रता पर धमकी के सम्बन्ध में शिकायतों पर निर्णय	...	...	84
अध्याय III	प्रेस के विरुद्ध दाखिल शिकायतों में परिषद् द्वारा दिये गये निर्णय	...	...	94
अध्याय IV	अध्ययन रिपोर्ट-श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम बनाम संविदा के आधार पर पत्रकारों की नियुक्ति	...	...	106
अध्याय V	लघु और मध्यम समाचारपत्रों की समस्याओं पर रिपोर्ट	...	...	109
अध्याय VI	उत्तर-पूर्व में प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन पर मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट	...	...	116
अध्याय VII	परिषद् का वित्त वर्ष 2007-2008	...	...	125

संलग्नक :

(क)	मामलों का विवरण 1 अप्रैल 2007-31 मार्च, 2008	...	...	148
(ख)	अधिसूचना दिनांक 2 अगस्त, 2007	...	...	149
(ग)	अधिसूचना दिनांक 7 जनवरी, 2008	...	...	151
(घ)	निर्णयों का आलेख 2007-2008	...	...	157
(ड.)	नौंवे सत्र 1 अप्रैल 2004-31 मार्च, 2007 तक के मामलों का विवरण	...	...	158
(च)	नौंवे सत्र 1 अप्रैल 2004-31 मार्च, 2007 तक के मामलों के विवरण का आलेख	...	...	159
(छ)	परिषद् की बैठकों में उपस्थिति का विवरण नौंवा सत्र (12.10.2004-11.10.2007)	...	...	160

(ज)	जाँच समिति की बैठकों में उपस्थिति का विवरण नौंवा सत्र (12.10.2004-11.10.2007)	...	...	162
(झ)	प्रेस की स्वतंत्रता पर धमकी के सम्बन्ध में शिकायतों पर निर्णयों की विषयगत सारिणी (2007-2008)	...	...	164
(ञ)	प्रेस के विरुद्ध शिकायतों में निर्णयों की विषयगत सारणी (2007-2008)	...	...	169
(ट)	प्रेस की स्वतंत्रता में धमकी सम्बन्धी शिकायतों के निर्णयों में रिकार्ड किये गये सिद्धांतों की सारिणी	...	...	180
(ठ)	प्रेस के विरुद्ध शिकायतों में निर्णयों में रिकार्ड किये गये सिद्धांतों की सारणी	...	...	181
(ड)	प्रेस और पंजीकरण अपील बोर्ड द्वारा पास किये गये आदेशों की विषयगत सारिणी	...	...	183

प्राक्कथन

वर्ष 2007-2008 की 29 वीं वार्षिक रिपोर्ट अपने पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए, मैं अत्यधिक प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ ।

रिपोर्ट में मुख्य रूप से परिषद् के उद्देश्यों, कार्य-कलापों और उसके क्षेत्राधिकार का विवरण दिया गया है और समीक्षात्मक अवधि के दौरान दिये गये निर्णयों सहित परिषद् द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है । परिषद् के निर्णय विस्तार से परिषद् की हिन्दी व अंग्रेजी की त्रैमासिक पत्रिकाओं और निर्णयों के सार-संग्रह में प्रकाशित किये जाते हैं । देश की प्रेस से सम्बद्ध मामलों की एक विहंगम दृष्टि और साथ-ही-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस की रुप रेखा और प्रेस के नये रूख और विकास को भी प्रमुखता से लिया गया है ।

यह रिपोर्ट नौवीं परिषद् की अंतिम रिपोर्ट है, जिसका तीन वर्ष का कार्यकाल 11 अक्टूबर 2007 को पूरा हो गया । मैं, परिषद् के सब सदस्यों को उनके पूरे सहयोग और परिषद् को अपने विश्वसनीय कार्य-निष्पादन के लिए धन्यवाद देता हूँ ।

मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि पाठक इस रिपोर्ट को भी पिछले वर्ष की रिपोर्ट की ही तरह उपयोगी और सूचनाप्रद पायेंगे ।

(जी.एन.रॉय)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद्

नई दिल्ली
31 मार्च 2008

अध्याय- I
सामान्य समीक्षा

मीडिया उद्योग ने समीक्षाधीन अवधि, अर्थात् 2007–2008 के दौरान आर्थिक और प्रौद्योगिकी में तेजी बनाए रखी है। विश्वभर में समाचारपत्रों का परिचालन बढ़ा है, जिसमें भारतीय बिक्री भी काफी अधिक हुई है और समाचारपत्र उद्योग एशिया, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में फैल रहा है। इस प्रकार, इस प्रवृत्ति ने इंटरनेट की वृद्धि को परिभाषित किया है, जो पहले समाचारपत्र उद्योग के लिए एक खतरा बन गई थी। जिन देशों में राजनीतिक हलचल हो रही है, वे प्रेस के मुखापेक्षी हैं। पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान और श्रीलंका इससे काफी परेशान रहे है। विश्वभर में मीडिया में गिरावट की प्रवृत्ति छाई रही है, जिसका कारण ड्यूटी में कई पत्रकारों के मारे जाने में हुई वृद्धि है।

इस अवधि में भारतीय मीडिया के परिदृश्य की समीक्षा करते समय यह बात ध्यान में आई है कि जहाँ एक ओर विभिन्न मुद्दों पर अपने स्थायी अभियान के जरिए सामाजिक क्रियाकलापों में इसने स्थान पाया है, वहीं दूसरी ओर इसकी बहुत जोरदार और बार–बार संवीक्षा की गई है और ऐसे झूठे स्टिंग आपरेशनों के कारण आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया, जो निहित स्वार्थ के कारण किया गया और जिसके कारण इसकी छवि में गिरावट आई है। इस अध्याय में वर्ष के दौरान, परिषद् के क्रियाकलापों में एक अंतर्दृष्टि का उल्लेख किया गया है और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रेस की समीक्षाधीन अवधि में स्थिति का उल्लेख किया गया है।

प्रस्तावना

भारतीय प्रेस परिषद् एक सरकारी संस्था है और प्रेस का आंतरिक स्वविनियामक तंत्र है। यह प्रेस पर नजर रखती है। इस विशेष संस्था के विकास का मुख्य कारण इस बात की संकल्पना है कि एक लोकतांत्रिक समाज में प्रेस को भी स्वतंत्र और जिम्मेदार होने की आवश्यकता है। स्वीडन पहला देश था, जिस ने 1916 में प्रेस परिषद् की स्थापना की थी, जो एक सांविधिक निकाय था और जिसकी वित्त व्यवस्था समाचारपत्र उद्योग द्वारा ही की जाती थी।

भारतीय प्रेस परिषद् उच्च नैतिक मूल्यों और मानकों पर कार्य करती है। इसके गठन के बाद इसने उच्च व्यावसायिक मानकों के अनुसार, समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिए आचरण संहिता तैयार की है। इसका उद्देश्य केवल प्रेस पर नजर रखना ही नहीं है अपितु पत्रकारिता के क्षेत्र में नई–नई संभावनाओं का पता लगाना भी है। यह अनैतिक लेखन की बुराइयों से भी प्रेस को स्वच्छ रखने का प्रयास करती है। परिषद् अपने नैतिक प्राधिकार का

प्रयोग कानून से नहीं अपितु नैतिकता से करती है। कभी–कभी नैतिकता कानून से परे चली जाती है।

भारतीय प्रेस परिषद् एक कानूनी अर्द्ध–न्यायिक निकाय है, जिसे संसद के अधिनियम द्वारा गठित किया गया है। पहले इसकी स्थापना प्रेस परिषद् अधिनियम, 1965 के अधीन पहले प्रेस आयोग की सिफारिश पर 1966 में की गई थी। उस समय इसके दो उद्देश्य थेः "प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना" और "भारत में समाचारपत्रों और न्यूज एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना तथा उनमें सुधार करना"। लेकिन 1965 के अधिनियम को प्रेस परिषद् को समाप्त करने के लिए 1975 में निरस्त कर दिया गया था। लगभग 1965 के अधिनियम की पंक्तियों पर ही 1978 में नया अधिनियम बनाया गया और इसके अधीन 1979 में प्रेस परिषद् की पुनःस्थापना की गई।

यह परिषद् एक ऐसा कारपोरेट निकाय है, जिसका उत्तरदयित्व शाश्वत है। इसका एक अध्यक्ष और 28 अन्य सदस्य होते हैं। परंपरा से अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय का सेवा–निवृत्त न्यायाधीश होता है, जिसे एक समिति नामित करती है। इस समिति में राज्य सभा का सभापति, लोक सभा अध्यक्ष और परिषद् के 28 सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया एक व्यक्ति होता है। इन 28 सदस्यों में से 13 सदस्य कार्यरत पत्रकारों के प्रतिनिधि होते हैं, जिनमें से 6 समाचारपत्रों के संपादक होते हैं और शेष 7 संपादकों से भिन्न कार्यरत पत्रकार होते हैं। 6 सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होते हैं, जो समाचारपत्रों के प्रबंधन करने के मालिक हैं या करते हैं। इनमें से दो बड़े, मध्यम और छोटे समाचारपत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ऐसे व्यक्तियों में से होता है, जो न्यूज एजेंसी का प्रबंधन करता है। हालांकि, इसमें ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो सिद्धांततः प्रेस से जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ सदस्य शिक्षा, साहित्य, विधि और संस्कृति में रुचि रखने वालों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके तीन सदस्य ऐसे होते हैं, जो ऐसी श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, जिन्हें शिक्षा, विज्ञान, विधि, साहित्य और संस्कृति में विशेष ज्ञान या वैयक्तिक अनुभव होता है। इनमें से एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा और एक साहित्य अकादमी द्वारा नामित किया जाता है। पांच सदस्य होते हैं, जिनमें से दो राज्य सभा के सभापति द्वारा और तीन लोक सभा अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। वे जनमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है।

भारतीय प्रेस परिषद् की बहुत ही स्वस्थ विशेषता, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के नामांकन की पद्धति और प्रक्रिया है। कानूनी निकाय होते हुए भी सरकार और इसके प्राधिकरणों को नामांकन प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है। एक पूर्णतः गैर–विषयक प्रक्रिया निष्पक्षता के साथ विकसित हुई है, जिसमें सरकार या किसी अन्य एजेंसी द्वारा हस्तक्षेप या प्रभावित करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

वर्ष 1978 में प्रेस अधिनियम, बनाए जाने से संसद की राय रही है कि प्रेस परिषद् को सरकार और इसके प्राधिकार के नियंत्रण या हस्तक्षेप से स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करना

चाहिए। उसने यह प्रावधान किया कि इस अधिनियम के अधीन अपने कार्य–निष्पादन के प्रयोजन के लिए परिषद् पंजीकृत समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों से निर्धारित दर पर शुल्क ले सकती है। इसके अलावा, केंद्र सरकार उतनी धनराशि परिषद् को एकमुश्त अनुदान देती है जितनी धनराशि केंद्र सरकार इस अधिनियम के अधीन इसके कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझती है। इस प्रकार, प्रेस परिषद् एक स्वतः विनियामक आंतरिक तंत्र की स्वतंत्रता बनाए रखते हुए सभी समाचारपत्रों को अपने क्षेत्राधिकार में अनिवार्यतः रखती है।

1978 के अधिनियम की धारा 13 में किए गए प्रावधानों के अनुसार, भारतीय प्रेस परिषद् के उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना, भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के मानक को बनाए रखना और उसमें सुधार करना है। इस अधिनियम के अधीन परिषद को सलाहकार की भूमिका भी सौंपी गई है, जिसका प्रयोग वह अपने विवेक से या इस अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन सरकार द्वारा इसे भेजे गए मामलों के संबंध में करती है। यह किसी भी विधेयक, कानून, विधि या ऐसे मामलों में अध्ययन करती है और अपनी राय व्यक्त करती है, जो प्रेस से संबंधित हों और अपनी राय की सूचना सरकार या संबंधित व्यक्ति को देती है। जनहित के महत्व के मामलों में अपनी कानूनी जिम्मेदारी को निभाते हुए परिषद् स्वविवेक से संज्ञान ले सकती है और स्थल विशेष की जाँच के लिए विशेष समिति गठित कर सकती है।

अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण कार्य, जो प्रेस परिषद् को करने होते हैं, वे हैं, समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने, व्यावसायिक मानदंडों के अनुसार समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिए आचार संहिता बनाना, लोक रुचि के उच्च मानक बनाए रखना और अधिकार तथा उत्तरदायित्व, दोनों के बीच उचित सोच बनाए रखना, पत्रकारिता के व्यवसाय में लगे सभी लोगों में जन सेवा बनाए रखना, जनहित और महत्व के समाचारपत्रों की आपूर्ति और प्रसारण को संयत करने की संभावना विकसित करना, समाचारपत्रों अथवा समाचार एजेंसियों के उत्पादन और प्रकाशन में लगे सभी श्रेणियों के व्यक्तियों में उचित कार्य संबंधी संबंधों को बढ़ावा देना और समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के केंद्रीकरण या स्वामित्व के अन्य पहलुओं जैसे विकास से अपने आपको सम्बद्ध रखना जिससे प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता हो।

विश्व की अन्य समानांतर संस्थाओं के अलावा भारतीय प्रेस परिषद् यह स्थापित करती है कि हालांकि यह संसद के अधीन स्थापित की गई है और इस तथ्य के बावजूद कि इसकी निधियों का काफी बड़ा भाग सरकार से अनुदान के रूप में आता है, इसे कार्य करने की अपने कानूनी दायित्वों का निर्वहन करने में सरकार के नियंत्रण से पूरी कार्यात्मक स्वायत्तता और स्वतंत्रता प्राप्त है।

परिषद् के कार्यकलापों की समीक्षा को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से एक है नौवीं अवधि के कार्य–निष्पादन की समीक्षा और दूसरी है वार्षिक समीक्षा 2007–08।

परिषद् के नौवें कार्यकाल का सार
(12 अक्तूबर 2004 – 11 अक्तूबर 2007)

समीक्षाधीन वर्ष में परिषद् के तीन वर्षों का नौवां कार्यकाल 11 अक्तूबर 2007 को पूरा हो रहा है। इन तीन वर्षों में जाँच समितियों की सिफारिशों के आधार पर दिए गए न्यायनिर्णय के अलावा परिषद् ने सात अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। दो जाँच समितियों ने 26 बैठकें आयोजित कीं और उनकी सिफारिशों के आधार पर आयोग ने अंतिम न्यायनिर्णय दिया।

नौवें कार्यकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता और इसके मानकों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए पूरी परिषद् की 12 बैठकें आयोजित की गईं (जिनमें एक विशेष बैठक भी शामिल है)।

परिषद् के समक्ष शिकायतें

पिछले तीन वर्षों के दौरान (अप्रैल, 2004 से 31 अक्तूबर, 2007 तक) परिषद् ने कुल 2768 (2740+28) शिकायतें दर्ज कीं। इनमें से 603 शिकायतें प्रेस द्वारा सरकार के प्राधिकारियों के खिलाफ की गई थीं, जिनमें प्रेस की स्वतंत्रता और 2165 (2137+28) शिकायतें प्रेस के खिलाफ पत्रकारिता की नैतिकता को तोड़ने के कारण थीं। वित्त वर्ष (2003–04) से लंबित पड़े 587 मामलों सहित कुल 3355 (3327+28) मामले परिषद् के निपटान के लिए पड़े हैं। इनमें से 2867 मामले इस कार्यकाल के दौरान न्यायनिर्णय देकर अथवा अध्यक्ष द्वारा तत्काल निपटान करके निपटा दिए गए हैं। ये मामले अध्यक्ष की मध्यस्थता से या ऐसी जाँच आयोजित करने के लिए पर्याप्त न होने के कारण निपटाए गए जिससे अधिनियम की धारा 14(1) या 15(4) या गैर–अभियोजन के अधीन कार्रवाई की जा सकती थी। कुछ मामले वापस लेने या न्याय–निर्णयाधीन लंबित होने के कारण निपटाए गए। परिषद् द्वारा एक मामले की फिर से जांच की गई।

स्व–प्रेरण से संज्ञान

परिषद् ने मीडिया कर्मियों के खिलाफ उल्लंघन के मामलों का स्वप्रेरण से संज्ञान लिया और निम्नलिखित मामलों में प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा मानाः

1. मणिपुर में उग्रवादी संगठनों से व्यावसायिक पत्रकारों को लगातार धमकियाँ मिलना।
2. चंडीगढ स्थित इंडियन एक्सप्रेस के प्रधान संवाद्दाता की गिरफ्तारी, जो पंजाब राज्य मानव संसाधन आयोग के समक्ष पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत संबंधी उसकी न्यूज रिपोर्ट के कारण की गई।
3. मध्य प्रदेश राज्य के कुछ पत्रकारों की गिरफ्तारी, जिसे राज्य के शिक्षा मंत्री के निर्देश पर किया गया।

4. स्टेट्समैन और दैनिक स्टेट्समैन (बंगाली) की प्रतियाँ भेजने में अवरोध के कारण सीटू से सम्बद्ध फेरीवालों द्वारा स्टेट्समैन हाउस की घेराबंदी।

5. जहानाबाद (बिहार) में नक्सलवादियों के हमले के बाद 15 नवम्बर, 2005 को प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों पर लाठी–चार्ज की घटना।

6. आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में प्रेस के क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में जारी किया गया आदेश।

7. उल्फा द्वारा पूर्वोत्तर में मीडिया को धमकियाँ।

रिपोर्टें

परिषद् ने ऐसे महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में अध्ययन किया और रिपोर्ट दी, जो प्रेस को अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और अपने मानकों को बनाए रखने में गठजोड़ से संबंधित है। ऐसे अध्ययन को करने के लिए विभिन्न उप–समितियों का गठन किया गया, जिन्होंने अपनी रिपार्टें दी हैं:

- संविदा पर पत्रकारों की नियुक्ति की तुलना में कार्यरत पत्रकारों के कार्यों के संबंध में समिति की दिनांक 27 जुलाई, 2007 की रिपोर्ट।
- छोटे और मध्यम समाचार–पत्रों की समस्याओं के संबंध में उप–समिति की 4–5 अक्तूबर, 2007 की रिपोर्ट।
- उत्तर–पूर्व में प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन पर मूल्यांकन समिति की 4–5 अक्तूबर की रिपोर्ट।

इन रिपोर्टों का पाठ अध्याय IV, V और VI में उद्धृत किया गया है।

परिषद् ने अपनी सलाहकारी भूमिका से सरकार और अन्य प्राधिकारियों को कई मुद्दों पर अपनी राय दी है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण राय इस प्रकार हैं:

1. तांत्रिक और अलौकिक शक्तियों को जादुई तरीके से साधारण लोगों को धोखा देने संबंधी बातों को रेडियो, समाचारपत्रों के माध्यम से प्रचारित करने पर रोक।

2. प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया विधेयक, 2004 के द्वारा अशिष्ट, अश्लील, सरोगेट का विज्ञापन और रीमिक्स गानों के प्रकाशन या प्रसारण का निषेध: सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संदर्भ।

3. प्रकाशन गृहों द्वारा कुछ प्रतिष्ठित लेखकों पर से रोक हटाने की आवश्यकता के बारे में श्रीमती सरला माहेश्वरी, संसद सदस्य द्वारा 16 जुलाई, 2004 को राज्य सभा में विशेष उल्लेख।

4. प्रिंट मीडिया पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव।

5. तंबाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 के अधीन तंबाकू के विज्ञापन पर नियंत्रण संबंधी नियम में संशोधन के बारे में केंद्र सरकार से संदर्भ।

6. अश्लीलता के बारे में नई दिल्ली उच्च न्यायालय में श्री जसवंत सिंह बनाम स्टार न्यूज और अन्यों द्वारा दाखिल 2005 की सिविल रिट याचिका संख्या 7654।

7. न्यायालय की अवमानना (संशोधन) विधेयक, 2004 के संबंध में माननीय अध्यक्ष की राय के बारे में राज्य सभा सचिवालय से संदर्भ।

8. लोक हित में और क्षेत्र हितों की उपेक्षा संबंधी समाचारों के ब्लॉक आउट के बारे में संदर्भ।

9. समाचार–विषय–वस्तु–विज्ञापन का अनुपात।

10. अजय गोस्वामी बनाम भारत संघ के मामले में 2005 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 384 पर भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय।

    (टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में अश्लीलता के बारे में जनहित याचिका का अवयस्कों पर प्रभाव और अवयस्कों के हितों की रक्षा करने में प्रेस परिषद् के नियमों में अपर्याप्तता।)

11. प्रिंट मीडिया में अश्लीलता को कम करना।

12. प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा विचार व्यक्त करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग करने के बारे में याचिका और संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अधीन प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता।

प्रेस के मानकों को सुरक्षित रखने के परिषद् के उद्देश्य के अनुसरण में परिषद् ने आदर्श प्रेस प्रत्यायन (एक्रिडिटेशन) नियम भी तैयार किए हैं और उन्हें संबंधित नियमावली में शामिल करने के लिए जाँच करने हेतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेज दिया है।

मीडिया के विषय–वस्तु विनियम और इसकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक सामान्य प्राधिकरण स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी परिषद् ने विचार किया है, जिसके द्वारा इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया तक बढ़ाया जा सकता है और इसका नाम भारत का 'मीडिया मानीटरिंग कमीशन' रखा जा सकता है। विस्तृत चर्चा और परिचर्चा के बाद परिषद् का विचार था कि प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की स्वतंत्रता और मानक, मीडिया की एक स्वतंत्र सर्वोच्च निकाय द्वारा ही देखा जाना चाहिए और परिषद् का इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी अधिकार होने और इसके पिछले 40 वर्षों के अनुभव के कारण यह इस कार्य को करने के लिए एक सर्वोत्तम संस्था है।

परिषद् ने भारत के मीडिया मानीटरिंग आयोग के रूप में निकाय को बदलने के प्रस्ताव पर पुनः बल दिया है।

परिषद् के न्यायनिर्णय को लागू करना और इसे सशक्त बनाना

प्रेस परिषद् अधिनियम की धारा 14(1) के अधीन परिषद् के निदेशों की प्रेस के एक वर्ग द्वारा अवज्ञा की गई और यह सुनिश्चित करने के लिए शक्तियों की आवश्यकता पर बल दिया गया कि परिषद् के निदेशों और टिप्पणियों का प्रेस द्वारा पालन किया जाए। चूँकि, वि.दृ.प्र.नि. द्वारा तैयार केंद्रीय विज्ञापन नीति में समाचारपत्रों को विज्ञापन देने से मना करने संबंधी प्रावधान में प्रेस परिषद् द्वारा नीति का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया गया है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि परिषद् का न्यायनिर्णय वस्तुतः ऐसे मामलों में, जहाँ परिषद् द्वारा समाचारपत्रों पर रोक लगाई गई हो, उक्त खंड के अधीन कार्रवाई करने के लिए वि.दृ.प्र.नि. को भेजा जाना चाहिए। परिषद् ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य सरकारों को भी अपनी–अपनी नीतियों में इसी प्रकार के प्रावधान को शामिल करने की सलाह दी जाए। परिषद् द्वारा दिए गए निदेशों को लागू करने के लिए प्राधिकार देने हेतु एक प्रस्ताव भी बाद में दिया गया है और उसके बाद केंद्र ने उक्त खंड को लागू करने की कार्रवाई की है और कुछ राज्य सरकारों ने परिषद् द्वारा नीति के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराए गए समाचारपत्रों के संबंध में अपनी विज्ञापन नीतियों के अधीन कार्रवाई करने हेतु प्रावधान किया है।

मीडिया से अपीलें

7 मार्च, 2006 की सांय वाराणसी में बम विस्फोट होने के प्रसंग में माननीय न्यायमूर्ति जी.एन. रॉय अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद् ने मीडिया से पुरजोर अपील की है कि इसकी रिपोर्टिंग करने में काफी संयम बरतें। परिषद् ने मीडिया को भी सलाह दी कि वह देश में तनाव पैदा करने वाली और समाज में अविश्वास पैदा करने वाली विघटनकारी ताकतों का मोहरा न बने। इलैक्ट्रॉनिक मीडिया से यह विशेष रूप से अनुरोध किया गया कि वह अपने पास उपलब्ध दुखद फुटेज का बार–बार प्रसारण न करे।

परिषद् ने सरकारी प्राधिकारियों को यह भी सलाह दी है कि सही और प्रामाणिक सूचना प्रकाशित करना स्थिति को नियंत्रित करने में काफी महत्वपूर्ण होता है। इस संदर्भ में, अंतिम बात यह है कि केंद्र/राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि मीडिया को सभी स्तरों पर प्रामाणिक स्रोतों से अद्यतन सूचना लेने दी जाए।

परिषद् ने अपनी इस अपेक्षा को भी जाहिर किया कि सरकार और मीडिया एक–दूसरे के विरूद्ध कार्य न करें अपितु शान्ति और सामान्य वातावरण कायम करने के प्रयास के भागीदार बनें। मीडिया को चाहिए कि वह साम्प्रदायिक मुद्दों पर सावधानी और संयम से लिखें ताकि साम्प्रदायिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अनुकूल वातावरण बनाया जा सके।

पाठकों के विचारों का सम्मान करने के लिए समाचारपत्रों को पाठक संपादक नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

संगोष्ठियाँ / कार्यशालायें

मीडिया से संबंधित मामलों के बारे में जागरुकता पैदा करने के अपने दायित्व के भाग के रूप में परिषद् देश के विभिन्न भागों में संगोष्ठियाँ और कार्यशालाएँ आयोजित कर रही है। परिषद् के नौवें कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित गोष्ठियाँ और कार्यशालाऐं आयोजित की गईं:

- राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2004: "लोकतंत्रः जन कल्याण के चौथे स्तंभ की भूमिका" पर कार्यशाला।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से आपदा प्रबंधन के संबंध में मीडिया का संवेदीकरण, विषय पर 4 अगस्त, 2005 को कार्यशाला।
- राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2005: "मीडिया की नैतिकताः परतंत्रता या स्वतंत्रता" संबंधी संगोष्ठी।
- सकल पेपर्स लिमिटेड और पुणे श्रमिक पत्रकार संघ के सहयोग से पूना में 10 फरवरी, 2006 को "मीडिया में विषय–वस्तु में हल्कापन" संबंधी संगोष्ठी।
- हिन्दी समाचारपत्र सम्मेलन के सहयोग से अयोध्या में 25 मार्च, 2006 को "सामुदायिक दंगों के दौरान मीडिया की भूमिका" संबंधी संगोष्ठी।
- 15 से 18 नवंबर, 2006 को फोटो पत्रकारिता पर प्रदर्शनी और "सार्वभौमीकरण पत्रकारिता, नैतिकता और समाज" विषय पर 16 से 17 नवम्बर, 2006 को अंतर्राष्ट्रीय दो–दिवसीय संगोष्ठी।
- 'हिक्कीज गजट' नामक पहले भारतीय समाचारपत्र के प्रकाशन की स्मृति में आईआईएमसी, ढेनकनाल के सहयोग से संगोष्ठी। 'हिक्कीज़ गजट' का प्रकाशन 29 जनवरी, 1780 से आरंभ किया गया था और ढेनकनाल, भुवनेश्वर में 18 जनवरी, 2007 को "मीडिया की नैतिकता" पर संगोष्ठी।

विश्व प्रेस निकायों के साथ चर्चा

भारतीय प्रेस परिषद् ने विश्व की प्रेस परिषदों और इसी प्रकार के निकायों तथा अन्य संगठनों के साथ भी चर्चा की है, जो प्रेस की स्वतंत्रता और इसके मानकों को बढ़ावा देने में लगी हुई हैं।

भारतीय प्रेस परिषद् के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति जी.एन. रॉय ने, जो डब्ल्यूएपीसी के उपाध्यक्ष भी हैं, ब्रिटिश प्रेस कम्पलेंटस कमीशन के साथ दिनांक 28.06.2006 को लंदन में उपयोगी चर्चा की और आशा व्यक्त की, कि भविष्य में हमारी निकटता बढ़ेगी।

माननीय अध्यक्ष ने **'क्या मीडिया स्वयं विनियमित होगा'** विषय पर कीनिया टी.वी. द्वारा आयोजित विचार-गोष्ठी में भी भाग लिया था। इसमें श्री कोनीबियरे, महासचिव, डब्ल्यूएपीसी, श्री मिच ओडेरो, नैतिकता और शिकायत समिति, एम.सी.के., श्री कार्ल एर्कग्रिमस्टाड, वरिष्ठ सलाहकार, नार्वे पत्रकारिता संस्थान और श्री अलोंसो अज़ार, क्षेत्रीय सलाहकार, यूनेस्को ने भी भाग लिया था। इस कार्यक्रम का परिसमापन प्रेस परिषद के भारतीय आदर्श के समर्थन से हुआ।

परिषद् की कार्यप्रणाली

1 अप्रैल, 2007 – 31 मार्च, 2008

भारतीय प्रेस परिषद् का गठन

प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 में प्रत्येक तीन वर्ष में परिषद् के पुनर्गठन का प्रावधान है। परिषद् का नौवां तीन–वर्षीय कार्यकाल 11 अक्तूबर, 2007 को समाप्त हो गया।

परिषद् के 10वें कार्यकाल के लिए इसके पुनर्गठन की प्रक्रिया परिषद् की दिनांक 16 अक्तूबर, 2006 को हुई बैठक में प्रस्ताव पेश करके तय की गई है। उसके पश्चात दिसंबर, 2006 के प्रथम सप्ताह में प्रेस नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें प्रेस अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (3) के खंड (क), (ख), (ग) में उल्लिखित श्रेणियों के व्यक्तियों/समाचार एजेंसियों की संस्थाओं से दावे आमंत्रित किए गए हैं। इस नोटिस के उत्तर में प्राप्त दावों की संवीक्षा करने के लिए एक उप–समिति का गठन किया गया था।

उप–समिति ने अपनी दिनांक 15.06.2007 को आयोजित बैठक में दावाकर्ता संगठन द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड की सावधानी से संवीक्षा करने और उस पर विचार करने के बाद परिषद् को अपनी सिफारिशें दी हैं, जिसमें प्रेस परिषद् के सदस्य के रूप में अनुमोदित किए जाने वाले व्यक्तियों के नामों का पैनल तैयार करने के लिए व्यक्तियों/समाचार एजेंसियों की संस्थाओं को सूचित किया जा रहा है। परिषद् ने दिनांक 27.07.2007 को आयोजित अपनी बैठक में मान्यता प्रदान की जाने वाली संस्थाओं के नामों को अंतिम रूप दिया है। इसके पश्चात, दिनांक 02.08.2007 को सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई, जिसमें परिषद् में सदस्य नामित करने के लिए नामों का पैनल दाखिल करने के लिए संस्थाओं और समाचार एजेंसियों को सूचना दी गई है **(संलनक–ख)।**

प्रेस परिषद् (सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया) नियमावली, 1979 में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात संस्थाओं/एजेंसियों द्वारा दाखिल पैनल में से प्रेस के प्रतिनिधियों के रूप

में 20 सदस्यों के नामों का चयन किया गया है, जिसकी सूचना, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेज दी गई है ताकि वह इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट श्रेणी (घ) और (ड.) से 8 सदस्यों के शेष नामों के साथ इसकी राजपत्र में अधिसूचना जारी करे। सरकार ने 7 जनवरी, 2008 को राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए परिषद् के सदस्यों के नामों को अधिसूचित किया गया है। यह अधिसूचना **संलग्नक-ग** पर देखी जा सकती है।

परिषद् और इसकी समितियों की बैठक

परिषद् लगभग तीन माह से कार्य कर रही थी, क्योंकि परिषद् का 9वां कार्यकाल 11 अक्तूबर, 2007 को समाप्त हो गया था और 10वां कार्यकाल 7 जनवरी, 2008 से शुरू हुआ। पूर्ण परिषद् की इस समीज्ञात्मक वर्ष के दौरान तीन बैठकें हुईं, जिनमें प्रेस की स्वतंत्रता और इसके मानकों के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की गई। इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया जा रहा है:

1978 के प्रेस परिषद् अधिनियम की धारा 13 में यथानिर्धारित परिषद् के कानूनी दायित्व इसकी समितियों के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। ये समितियाँ अपने अथक प्रयासों से और समन्वय से इस संस्था के सुचारु कार्य–निष्पादन को सुनिश्चित करती हैं।

सामान्यतया सभी समितियों के प्रधान, परिषद् के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन विशेष तदर्थ समितियों के लिए संयोजक नियुक्त किए जाते हैं।

समीक्षा अवधि में दो समितियों ने कार्य किया है, जिन्होंने 12 अक्तूबर, 2004 से 11 अक्तूबर, 2007 तक और 7 जनवरी, 2008 से आगे कार्य किया है, जब परिषद् के Xवें कार्यकाल का पुनर्गठन किया गया था।

दो जाँच समितियों का गठन इस प्रकार है:

12 अक्तूबर, 2004 – 11 अक्तूबर, 2007

जाँच समिति (I)	**जाँच समिति (II)**
1. श्री कुंदन आर. व्यास	1. श्री के.एस. सच्चिदानंद मूर्ति
2. श्री हिरण्मय कार्लेकर	2. श्री विनय कुमार
3. श्री अनंत बगैतकर	3. श्री उत्तम चंद्र शर्मा
4. श्री अभय छजलानी	4. श्री राजीव कुमार अरोड़ा
5. श्री रमेश गुप्ता	5. श्री होरमुसजी नुस्सेरवांजी कामा

6.	श्री के.के. थॉमस	6.	श्री प्रताप टी शाह
7.	श्री जगजीत सिंह दर्दी	7.	श्री जोगिन्दर चावला
8.	श्री के. श्रीनिवास रेड्डी	8.	श्री एम.के. लॉल
9.	श्री देवेन्द्र चिंतन	9.	श्री प्रताप पवार
10.	श्री एस.एन. सिन्हा	10.	श्री गीतार्थ पाठक
11.	श्री विजय कुमार चोपड़ा	11.	श्री केशव दत्त चंदोला
12.	डॉ. प्रभा ठाकुर, संसद सदस्य	12.	डॉ. ललित मंगोत्रा
13.	श्री लक्ष्मण सिंह, संसद सदस्य	13.	श्री यशवंत सिन्हा, संसद सदस्य
14.	श्री गुरूदास कामत, संसद सदस्य	14.	डॉ. सैबैस्टियन पॉल, संसद सदस्य

7 जनवरी, 2008 से 10वें कार्यकाल के लिए गठित दो जाँच समितियों का गठन इस प्रकार है:

जाँच समिति (**I**)		जाँच समिति (**II**)	
1.	श्री विष्णु नागर	1.	श्री उत्तम चंद्र शर्मा
2.	सुश्री सुमन गुप्ता	2.	श्री विजय कुमार चोपड़ा
3.	श्री के. श्रीनिवास रेड्डी	3.	श्री शीतला सिंह
4.	श्री एम.के. अजीत कुमार	4.	श्री योगेश चन्द्र हालन
5.	श्री जी. प्रभाकरण	5.	श्री मिहिर गंगोपाध्याय (गांगुली)
6.	श्री एस.एन. सिन्हा	6.	श्री जोगिंदर चावला
7.	श्री टी. वेंकटराम रेड्डी	7.	श्री कल्याण बरुआ
8.	श्री कुंदन रमन लाल व्यास	8.	श्री होरमुसजी नुस्सेरवांजी कामा
9.	श्री रमेश गुप्ता	9.	श्री अनिल जुगल किशोर अग्रवाल
10.	श्री सुशील झलानी	10.	श्री वी.एस. चंद्रशेखर
11.	श्री मिलन कुमार डे, अधिवक्ता	11.	डॉ. ललित मंगोत्रा
12.	डॉ. सैबैस्टियन पॉल, संसद सदस्य	12.	श्री प्रांजय गुहा ठाकुर्ता

13. श्री भरतसिंह माधवसिंह सोलंकी, संसद सदस्य

13. री एम.ए. खरबेला स्वैन, संसद सदस्य

14. डॉ. प्रभा ठाकुर, संसद सदस्य

14. श्री यशवंत सिन्हा, संसद सदस्य

जाँच समितियाँ, जिनके प्रधान परिषद् के अध्यक्ष होते हैं, परिषद् द्वारा प्राप्त शिकायतों के संबंध में जांच आरंभ कर के परिषद् के कार्यभार की बढ़ी मात्रा का निर्वहन करेंगी। समितियों की कार्यवाही आम जनता के लिए खुली थी। इन मालों के पक्षकारों को संगत साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेजी के माध्यम से अपने पक्ष को रखने की अनुमति दी गई थी। उन्हें वकील के द्वारा प्रतिनिधित्व करने की भी अनुमति दी गई थी। जाँच समिति (नौवां कार्यकाल) ने अपनी जांचों को बंद करते समय पक्षकारों द्वारा दिए गए रिकार्ड और मौखिक साक्ष्यों पर विचार किया और जिन मामलों में उन्होंने जांच की, उनके संबंध में अपनी सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए परिषद् को प्रस्तुत कीं। इस वित्त वर्ष के दौरान आयोजित पाँच बैठकों में समितियों ने कुल 158 मामलों पर विचार किया, जिनमें स्थगित मामले भी शामिल हैं और 129 मामलों में अपनी सिफारिशें कीं ताकि उक्त मामलों में परिषद् अंतिम न्यायनिर्णय दे सके।

हाल ही में गठित जाँच समिति (10वां कार्यकाल) की एक बैठक 10–11 मार्च, 2008 को आयोजित की गई, जिसमें 15 शिकायतों पर विचार किया गया और अंतिम न्यायनिर्णय देने के लिए परिषद के पास अपनी सिफारिशें भेजी गईं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, जिन महत्वपूर्ण उप–समितियों ने कार्य किया, वे इस प्रकार थीं:

(1) श्री समीयुद्दीन नीलू, स्टाफ रिपोर्टर/संवाद्दाता, अमर उजाला, लखीमपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश) के विरुद्ध शिकायत पर तथ्यान्वेषण समिति।

(2) आदर्श प्रेस प्रत्यायन नीति तैयार करने वाली उप–समिति।

(3) छोटे और मध्यम समाचारपत्रों की समस्याओं को देखने वाली उप–समिति।

(4) असम में उल्फा द्वारा मीडिया को दी गई धमकियों के मामले में स्थानिक अध्ययन करने के संबंध में मूल्यांकन समिति।

अपनी सलाहकारी हैसियत से परिषद् ने निम्नलिखित में सरकार और अन्य प्राधिकारियों को अपनी राय दी है:

1. पुनर्गठित भारत–पोलिश संयुक्त आयोग के प्रथम सत्र के संदर्भ में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संदर्भ।

2. समाचारपत्रों में बच्चों की रिपोर्ट या फोटोग्राफ प्रकाशित करना।

3. प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अश्लीलता।

4. शराब कंपनियों द्वारा समाचारपत्रों में उत्पादों का अभियान।

5. भारत–जापान संयुक्त अध्ययन समूह।

6. शासन में नैतिकता नामक दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संदर्भ।

7. प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा विचार व्यक्त करने और अभिव्यक्ति संबंधी अधिकार का दुरुपयोग करने के बारे में संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अधीन प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता।

8. महिला सशक्तिकरण पर समिति के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त संदर्भ– वर्ष 2007–2008 के दौरान आयोजित परीक्षाओं के लिए विषय का चयन– प्रिंट मीडिया में महिलाओं की स्थिति।

9. गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संदर्भित – सांप्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005 पर सुझाव।

परिषद् के समक्ष शिकायतें

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, परिषद् ने कुल 678 (650+28) शिकायतें दर्ज कीं। इनमें से 120 शिकायतें प्रेस द्वारा सरकार के प्राधिकारियों के खिलाफ प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के कारण की गई थी और 558 (530+28) शिकायतें प्रेस के खिलाफ पत्रकारिता की नैतिकता को तोड़ने के कारण की गई थीं। पिछले वर्ष से लंबित 665 मामलों सहित कुल 1343 मामले परिषद् द्वारा निपटाए गए। इनमें से 584 मामले इस कार्यकाल के दौरान न्यायनिर्णय देकर अथवा अध्यक्ष द्वारा तत्काल निपटान करके निपटा दिए गए हैं। ये मामले अध्यक्ष की मध्यस्थता से या ऐसी जांच आयोजित करने के पर्याप्त न होने के कारण निपटाए गए जिससे अधिनियम के अन्तर्गत गैर–अभियोजन के अधीन कार्रवाई की जा सकती थी। वर्ष के अंत तक सभी 759 मामलों पर कार्रवाई की गई थी। मामलों पर शुरू की गई कार्रवाई और निपटाए गए मामलों का विवरण **संलग्नक–क** के रूप में संलग्न है।

प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड

प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 8ग के अधीन भारतीय प्रेस परिषद् की धारा 6 के अधीन घोषणा के गैर–अधिप्रमाणन के संबंध में मजिस्ट्रेट के आदेशों के बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार दिया गया अथवा उक्त अधिनियम की धारा 8(ख) के अधीन बाद में इसे रद्द करने का अधिकार दिया गया है। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष और प्रेस परिषद् के सदस्यों में

से नामित किया जाने वाला एक अन्य सदस्य होता हैं। इस वर्ष के दौरान, श्री रमेश गुप्ता ने बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य किया।

समीक्षाधीन अवधि के आरंभ होने पर इस बोर्ड के समक्ष 5 अपीलें लंबित थीं और 16 अन्य अपीलें दाखिल की गईं। बोर्ड की इस वर्ष के दौरान 4 बैठकें आयोजित की गईं। इन 21 अपीलों में से 9 अपीलों का निपटान कर दिया गया और 12 अपीलें बोर्ड के समक्ष विचारार्थ पड़ी हुई हैं।

सतर्कता संबंधी क्रियाकलाप

भारतीय प्रेस परिषद् के सचिव इस कार्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। परिषद् के सतर्कता संबंधी ढांचे में एक उप सचिव और एक अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) शामिल हैं, जो सचिव (मुख्य सतर्कता अधिकारी) और परिषद् के अध्यक्ष के सीधे पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं। यह सतर्कता संबंधी ढांचा नियमित रूप से अचानक निरीक्षण करता है ताकि सचिवालय में भ्रष्ट क्रियाकलापों को रोका जा सके।

पत्रकारिता संबंधी आचरण के मापदंडों को अद्यतन बनाना

परिषद्, प्रिंट मीडिया द्वारा पालन किए जाने के लिए "पत्रकारिता संबंधी आचरण के मापदंडों" के 2005 के संस्करण को भी अद्यतन कर रही है। इसका अगला संस्करण शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय चर्चा

परिषद् ने परामर्श की प्रक्रिया और प्रेस/मीडिया परिषद् और विश्व के विभिन्न भागों के इसी प्रकार के निकायों के साथ परामर्श और बातचीत की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है ताकि प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षा को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जा सके और इसके मानकों और विश्वव्यापी नैतिकता को बढ़ावा दिया जा सके। इन प्रयासों के भाग के रूप में, परिषद् के माननीय अध्यक्ष ने **'क्या मीडिया स्वयं विनियमित होगा'** विषय पर कीनिया टी.वी. द्वारा आयोजित विचार–गोष्ठी में भी भाग लिया था। इसमें श्री क्रिस कोनीबियरे, महासचिव, डब्ल्यूएपीसी, श्री मिच ओडेरो, नैतिकता और शिकायत समिति, एम.सी.के., श्री कार्ल एर्कग्रिमस्टाड, वरिष्ठ सलाहकार, नार्वे पत्रकारिता संस्थान और श्री अलोंसो अजार, क्षेत्रीय सलाहकार, यूनेस्को ने भी भाग लिया था। इस कार्यक्रम का परिसमापन प्रेस परिषद् के भारतीय मॉडल के समर्थन से हुआ।

संगोष्ठियाँ और कार्यशालाएँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारतीय प्रेस परिषद् ने विभिन्न संगोष्ठियों/सम्मेलनों/बैठकों के माध्यम से मीडिया संबंधी मामलों में चर्चा/परिचर्चा को बढ़ावा दिया है।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह, 2007

16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, जिसमें **"जनवाणी के रूप में मीडिया–स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद"** विषय पर चर्चा की गई। माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी ने इस समारोह का उदघाटन किया, जिसमें माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रिय रंजन दासमुंशी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर एक स्मारिका भी प्रकाशित की गई, जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्तियों के इस अवसर पर बहुमूल्य लेख प्रकाशित किए गए। राज्यों ने भी इस दिवस की स्मृति में इस विषय पर विभिन्न स्तरों पर चर्चा–परिचर्चाएं कीं।

परिषद् ने समीक्षाधीन अवधि में दो कार्यशालाएँ आयोजित कीं। 3 मार्च, 2008 को आयोजित कार्यशाला का आयोजन माखनलाल चतुवर्तेदी पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के सहयोग से नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय था **"संबंधित लोगों के परामर्श से मीडिया शिक्षा का मानकीकरण"। "मीडिया द्वारा न्यायालय की कार्रवाई की रिपोर्टिंग करना और न्याय प्रशासन"** विषय पर उच्चतम न्यायालय की विधिक सेवा समिति, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, भारतीय विधि संस्थान के सहयोग से परिषद् द्वारा दो–दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और राजधानी में 29–30 मार्च को भारत के संपादकों का सम्मेलन आयोजित किया गया।

हिन्दी दिवस–2007

प्रत्येक वर्ष की भांति परिषद् के सचिवालय में 14.09.2007 से 28.09.2007 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। संविधान के अनुसार, 14 सिंतबर को हिंदी दिवस घोषित किया गया। "हिंदी पखवाड़े" के भाग के रूप में भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के सहयोग से 18 सितंबर, 2007 को 'राष्ट्र की प्रगति में हिन्दी पत्रकारिता का महत्व' विषय पर उक्त विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए वाद–विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा छात्रों को तीन पुरस्कार प्रदान किए गए। हिंदी दिवस की स्मृति में परिषद् के सचिवालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यशाला के क्रियाकलापों और प्रक्रिया में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में भाग लेने और सहयोग देने के लिए प्रोत्साहन योजना के अधीन भारतीय प्रेस परिषद् के कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित किए गए।

श्रद्धांजलियाँ

परिषद् ने पूर्व अध्यक्ष न्यायाधीश श्री आर.एस. सरकारिया के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। न्यायमूर्ति सरकारिया का निधन दिनांक 12.10.2007 को हुआ। श्री सरकारिया भारतीय न्यायिक प्रणाली के पुरोधा और संविधान विशेषज्ञ थे उन्होंने केंद्र–राज्य संबंधों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। न्यायमूर्ति श्री आर.एस. सरकारिया 1989 से 1995 तक इस परिषद् के अध्यक्ष रहे। उनकी कुशाग्र बुद्धि और नैतिकता की

स्वाभाविकता के कारण परिषद् ने नई ऊंचाइयों को छूआ है। 'पत्रकारिता नैतिकता संदर्शिका' नामक उनकी पुस्तक पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका एक बहुमूल्य योगदान है। उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि देते हुए परिषद् ने एक प्रस्ताव पारित किया और दिवंगत आत्मा की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया।

प्रेस परिषद् ने श्री आर.के. करंजिया, संसद सदस्य, राज्य सभा और 1992 से 1994 तक परिषद् के सदस्य के आकस्मिक निधन पर भी शोक व्यक्त किया। परिषद् ने भारतीय प्रेस परिषद् के लिए उनके बहुमूल्य योगदान और स्वतंत्र प्रेस के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा का उल्लेख करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।

श्री नारायणन त्यागराजन, प्रख्यात फोटो पत्रकार का भी 23 फरवरी, 2008 को स्वर्गवास हो गया। श्री त्यागराजन 2001 से 2004 तक इस परिषद् के सदस्य रहे और परिषद् के कार्य–निष्पादन में उनकी सक्रिय भूमिका रही है।

श्री रामू पटेल, मुख्य संपादक, वेस्टर्न टाइम्स, अहमदाबाद का गुजरात सरकार की विज्ञापन नीति और प्रेस की स्वतंत्रता के खतरे के बारे में दिनांक 27.03.2007 को प्राप्त पत्र

परिषद् ने श्री रामू पटेल, पूर्व सदस्य द्वारा ध्यान में लाए गए इस मामले को गंभीरता से लिया कि गुजरात सरकार ने जनवरी, 2007 से प्रिंट मीडिया को वर्गीकृत टेंडर नोटिस न देने का निर्णय लिया है। प्रेस को यह भी कहा गया कि वह मानक दरों पर विज्ञापन नीति को स्वीकार करने के प्रतीक के रूप में एक फार्म पर हस्ताक्षर करे, जिसमें कि पुलिस द्वारा प्रमाणित करने का भी प्रावधान था। परिषद् ने यह भी नोट किया कि क्योंकि इस विज्ञापन नीति को चुनौती देने वाली सिविल याचिका गुजरात उच्च न्यायालय में लंबित थी, अतः वह इस अवस्था में इस मामले में अपनी राय व्यक्त नहीं करेगी।

लेकिन परिषद् ने यह महसूस किया कि विद्यमान किसी भी प्राधिकारी को लोक धन का उपयोग करने में निष्पक्ष और उचित नीति का पालन करना होगा और ऐसी नीति को किसी असंगत कारक द्वारा विकृत नहीं किया जाना चाहिए अथवा सांविधानिक ढांचे में दी गई प्रेस की स्वतंत्रता की मूल गारंटी का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। अतः यह निर्णय लिया गया कि "आदर्श समाचार मीडिया प्रत्यायन (एक्रीडिटेशन) नियम" इस सलाह के साथ गुजरात राज्य सरकार को भेजे जाएं कि वह व्यापक रूप से आधारित प्रत्यायन (एक्रीडिटेशन) समिति का तत्काल गठन करे।

मध्याह्न (मिड–डे) मुद्दों पर प्रेस परिषद् का रुख

परिषद् ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मिड–डे और पत्रकारों को दोषसिद्ध किए जाने के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की ओर ध्यान दिया और इस पर चर्चा की। परिषद् ने पाया कि हालांकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विचार किए गए संपूर्ण तथ्य परिषद् के समक्ष नहीं

हैं और मिड–डे का विशिष्ट मुद्दा भी भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है और इस प्रकार न्यायनिर्णयाधीन है। इसलिए मामले के गुणावगुणों को जाने बिना यह महसूस किया गया कि न्यायालय, प्रेस के दायित्वों और कर्त्तव्यों के प्रति और अधिक संवेदनशील होंगे और ऐसी अपेक्षा की जाती है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले न्यायालय इस बात पर विचार करेगा कि क्या आलोचना करना उत्पीड़न की श्रेणी में आता है या नहीं या न्यायालय में अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश द्वारा गलत अर्थ लगाने से लोगों की कल्पना, न्यायालय के क्रियाकलापों में आती है या नहीं। यह भी पाया गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी संस्थाओं के कार्य–निष्पादन की सदाशय से आलोचना करके मूल्यांकन किया जा सकता है और लोकहित में की गई ऐसी सदाशयतापूर्ण आलोचना इसके कार्य–निष्पादन की गुणवत्ता को मजबूत ही करेगी। प्रख्यात न्यायाधीश और निर्णायक मंडल ने यह बताया है कि न्यायालय की गरिमा की बाध्यकारिता और उदारता द्वारा और रक्षा की जा सकती है। परिषद् ने याद दिलाया कि संसदीय समिति के समक्ष हाल ही में इसका समर्थन किया गया कि सत्य को स्वीकार करने का प्रस्ताव, मीडिया और मीडिया की सूचना के आधार पर सत्यता का निर्धारण करने के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की अब न्यायालय की अवमानना के अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करके रक्षा की गई है। अतः सत्यता पर आधारित मीडिया की सूचना और लोक हित में प्रकाशित सूचना अवमानना की कार्यवाही में सुरक्षा प्रदान करेगी। लेकिन यह महसूस किया गया कि ऐसा प्रकाशन व्यापक रूप से प्रचार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में यह परिषद् चौथे स्तंभ का नेतृत्व कर रही है, तो इस व्यवस्था में लोक विश्वास को मजबूत करने के लिए इसके कार्यों के आलोचनात्मक मूल्यांकन का सहयोग किया जाना चाहिए। यह भी पाया गया कि इसके साथ ही प्रेस को चाहिए कि वह स्व–विनियमन और लोक दायित्व की प्रभावी प्रणाली में अपने आपको ढाले ताकि उसके आचरण की निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।

परिषद् ने यह विश्वास व्यक्त किया कि भारत का माननीय उच्चतम न्यायालय, जिसने अब यह मामला अपने पास रखा है, सभी पहलुओं पर समुचित विचार करेगा और इसका निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) की पवित्रता की गारंटी देगा।

वि.दृ.प्र.नि. की विज्ञापन नीति के प्रारूप पर चिंता

परिषद् के सदस्यों ने वि.दृ.प्र.नि. द्वारा दिनांक 02.10.2007 को जारी विज्ञापन नीति के संशोधित प्रारूप पर विचार किया। उन्होंने खंड 18(घ) पर विशेष ध्यान दिया, जिसमें लिखा गया है किः–

खंड 18

निलंबन और निलंबन वापस लेनाः महानिदेशक, वि.दृ.प्र.नि. द्वारा किसी भी समाचारपत्र को सूची से तत्काल निलंबित किया जा सकता है, बशर्ते कि–

घ) भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा उसे अनैतिक क्रियाकलापों या राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त पाया जाए, लेकिन वि.दृ.प्र.नि. इस मामले को समुचित निर्णय लेने के लिए मंत्रालय को भेजेगा।

परिषद् ने इस ओर ध्यान दिलाया कि संशोधन से पूर्व उक्त खंड 18(घ) को इस प्रकार पढ़ा जाएः "भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा अनैतिक क्रियाकलापों और राष्ट्र–विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त पाए जाने पर"।

परिषद् के प्रभाव में सुधार लाने के उसके सशक्तिकरण के अपने प्रस्ताव के संदर्भ में केंद्रीय विज्ञापन नीति में प्रस्तावित प्रतिवेदन पर परिषद् ने विचार किया, वस्तुतः इस प्रस्ताव पर कि परिषद् प्राधिकारी से सीधे बातचीत कर सकती है बशर्ते कि वह ऐसा करना आवश्यक समझे। सरकार प्रेस नीति के उल्लंघन का दोषी ठहराए गए समाचारपत्रों के विज्ञापनों को निलंबित कर सकती है। यह भी नोट किया गया कि संशोधित खंड सं.18(घ) में वि.दृ.प्र.नि. से अपेक्षा की गई है कि वह इस संबंध में समुचित निर्णय लेने के लिए मामले को मंत्रालय को भेजे। यह भी नोट किया गया कि इससे परिषद् के क्षेत्राधिकार में न्यायनिर्णय करने के लिए एक प्राधिकरण को अप्रत्यक्ष रूप से गठित करना है ताकि विधि द्वारा परिषद् में निहित प्राधिकारी को रेखांकित किया जा सके। विधि में धारा 14(4) में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि परिषद् का निर्णय अंतिम नहीं होगा अपितु किसी भी न्यायालय में उस पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। वास्तव में, इस अधिनियम की धारा 15(4) के अनुसार, केंद्र सरकार स्वयं परिषद् की अर्द्ध–न्यायिक प्राधिकारी है और इस प्रकार परिषद् के न्यायनिर्णय में कोई निर्णय लेने के लिए वह सक्षम नहीं है। यह वह स्थिति है, जिसे सरकार ने वर्ष 2007–08 के बजट को जारी करते समय संसद में स्वीकार किया था।

अतः परिषद् यह रिकार्ड करती है कि केंद्रीय विज्ञापन नीति संबंधी खंड 18(घ) में प्रस्तावित परिवर्तन इस प्राधिकरण के समक्ष लाया जाए, जो कानूनी संस्था के रूप में एक स्वतंत्र इकाई है। अतः यह परिवर्तन परिषद् को स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार के प्रस्ताव लाने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए परिषद् ने सामूहिक पंजीकरण का विरोध किया है। लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि परिषद् का नौवां कार्यकाल एक सप्ताह के अंदर समाप्त होने वाला था, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि परिषद् के अध्यक्ष द्वारा इस मामले पर माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री के साथ विचार–विमर्श करना चाहिए ताकि प्रस्तावित संशोधन को वापस लिया जा सके और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि इस नीति का मूल खंड 18(घ) सभी श्रेणियों के समाचारपत्रों पर समान रूप से लागू होगा।

इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रेस परिषद् का क्षेत्राधिकार

परिषद् के समक्ष लगातार इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं कि परिषद् द्वारा निर्धारित

दिशानिर्देशों से इलैक्ट्रॉनिक मीडिया को अलग रखने के लिए क्यों न कार्रवाई की जाए। लोग यह महसूस करते हैं कि इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा अपनाई जाने वाला प्रतियोगी रुख प्रिंट मीडिया में चिंता का कारण बना हुआ है। परिषद् ने विस्तार से इस मामले पर चर्चा की। परिषद् महसूस करती है कि कुल मिलाकर देश का प्रिंट मीडिया इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के कई चैनलों की अपेक्षा अधिक जिम्मेदार है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इलैक्ट्रॉनिक मीडिया को एक विनियामक की जरूरत है। भारतीय प्रेस परिषद् अपने अनिवार्य कानूनों के अधीन कार्य कर रही है और यह नैतिक आचरण को बढ़ावा देने में देश के प्रिंट मीडिया का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन कर रही है। हालांकि, अभी कई मामलों पर कार्रवाई की जानी है। परिषद् ने इस बात पर बल दिया कि प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 13(2) के अधीन बनाई गई लचीली संहिता इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी लागू होनी चाहिए, जैसीकि प्रिंट मीडिया पर लागू होती है और यह कि नैतिकता प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए अलग–अलग नहीं हो सकती। अतः परिषद् ने प्रस्ताव पारित किया कि प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के विनियामक को लागू करने के लिए एक समन्वित निकाय होना चाहिए। यह समन्वित निकाय भारतीय प्रेस परिषद् के स्थान पर भारत का मीडिया मॉनीटरिंग आयोग हो सकता है। यह तंत्र अधिक प्रभावी होगा और मीडिया को भी स्वीकार्य होगा। परिषद् ने निर्णय लिया कि वह अपने प्रस्ताव के संबंध में सरकार से अनुरोध करेगी।

प्रेस परिषद् का सशक्तिकरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपना ध्यान दिनांक 19.01.2007 के पत्र के जरिए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2006 को दिए गए निर्णय की ओर आकर्षित किया। इसमें अजय गोस्वामी बनाम भारत सरकार और अन्य के द्वारा दाखिल रिट याचिका संख्या 384/05 में टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स में अश्लीलता के बारे में निर्णय दिया गया, जिसका प्रभाव अवयस्कों पर पड़ेगा और अवयस्कों के हितों की रक्षा करने में भारतीय प्रेस परिषद् के मापदंडों की अपर्याप्तता पर पड़ेगा। भारतीय प्रेस परिषद् एकमात्र प्रतिवादी थी। माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी दी कि "भारतीय प्रेस परिषद द्वारा प्रेस परिषद् अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव को सरकार द्वारा गंभीरता से लिया जाना चाहिए और लोक हित में समुचित संशोधन किया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय के दिशानिर्देशों में मंत्रालय ने परिषद् से अनुरोध किया कि वह प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 में संशोधन के लिए उचित संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निवेदन किया कि प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 के संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद यह महसूस किया गया है कि संशोधित प्रेस परिषद् अधिनियम में उन पंक्तियों के अनुसार विषय–वस्तु को मानीटर करने से संबंधित प्रावधान किया जाए, जो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया/प्रसारण क्षेत्र में लागू हैं। यह भी महसूस किया गया कि संशोधन अधिनियम में सामर्थ्यकारी प्रावधान हों, जिससे भारतीय प्रेस परिषद् माननीय उच्चतम

न्यायालय के दिनांक 12.12.2006 के आदेश के अनुसार अश्लीलता संबंधी मुद्दे पर संहिता बना सके।

परिषद् ने दिनांक 27 जुलाई, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में केंद्र सरकार द्वारा पहले ही प्रस्तावित इस संशोधन में पाई गई कमियों के अनुसार विचार किया और अपने विचारों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया। उन पर पुनः बल देते हुए परिषद् ने यह प्रस्ताव पारित किया कि आंतरिक विनियामक तंत्र के रूप में परिषद् का विकेंद्रीकरण आवश्यक है ताकि वह इस प्राधिकरण के गठन में संसद की इच्छा का अनुपालन कर सके। हालांकि, परिषद् इसे दांडिक फोरम के रूप में परिवर्तित करने के पक्ष में नहीं है, फिर भी इसे पर्याप्त प्राधिकार देना आवश्यक है ताकि इसके निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित कार्रवाई करना आवश्यक थाः

(1) परिषद् के न्यायनिर्णय के कानूनी प्रकाशन का प्रतिवादी समाचारपत्र द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर निर्दिष्ट तरीके और स्थान पर पालन किया जाए।

(2) जब तक न्यायनिर्णय प्रकाशित नहीं हो जाता, तब तक इसकी अवधि की समाप्ति के बाद समाचारपत्रों को राज्य विज्ञापन जारी न किए जाएं।

(3) यदि इसका अनुपालन किया जाता है तो यथास्थिति निर्धारित अवधि तक समाचारपत्रों के विज्ञापनों को निलंबित किया जाए या पत्रकार के प्रत्यायन को वापस लिया जाए।

(4) यदि लगातार इसका अनुपालन नहीं किया जाता तो लाइसेंस को निलंबित करने/रद्द करने के निर्देश दिए जाएं।

(5) परिषद् की सिफारिशें प्राधिकरणों पर अवश्य लागू होनी चाहिए।

राज्य सभा में लाया गया उपभोक्ता माल (विज्ञापन के साथ कीमत का प्रकाशन) संबंधी निजी सदस्य विधेयक, 2007 संबंधी पत्राचार

परिषद् ने राज्य में सभा में लाया गया उपभोक्ता माल (विज्ञापन के साथ कीमतों का प्रकाशन) संबंधी श्री एस.एस. अहलूवालिया द्वारा लाए गए निजी सदस्य विधेयक (प्रस्तावित) पर विचार किया, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसे टिप्पणी के लिए भेजा गया था।

परिषद् ने नोट किया कि उद्देश्य और कारणों के विवरण के अनुसार, उपभोक्ता आंदोलन ने सरकार पर इस बात का दबाव डाला कि वह उपभोक्ताओं की रक्षा संबंधी कानून लाए और तदनुसार, संसद ने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 बनाया। इसके साथ ही, उपभोक्ताओं के हितों से संबंधित अन्य कई अधिनियमों में संशोधन किया गया ताकि उपभोक्ताओं के अधिकारों

और हितों की रक्षा की जा सके। लेकिन अभी भी उपभोक्ता संरक्षण कानूनों में कुछ कमियाँ रह गई हैं। उन कमियों में से एक कमी यह है कि विभिन्न उपभोक्ता माल पर उसके विज्ञापन के साथ उसकी खुदरा बिक्री कीमत प्रकाशित नहीं की जाती है। यह एक सुसंगत व्यापक परिपाटी है कि उत्पाद का बाजार बढ़ाने और उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए उत्पाद का प्रचार किया जाए। उपभोक्ता प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में दिए गए विज्ञापनों से प्रभावित हो जाते हैं और उस उत्पाद विशेष को खरीदते हैं लेकिन जब उपभोक्ता बाजार में जाता है, तो वह देखता है कि अलग–अलग दुकानों या एजेंसियों में उत्पाद की अलग–अलग दरें हैं।

प्रस्तावित विधेयक की धारा 3 में यह अपेक्षा की गई है कि उपभोक्ता वस्तुओं के विज्ञापन के साथ उसकी खुदरा बिक्री मूल्य अनिवार्यतः प्रकाशित की जाए और उससे सम्बद्ध मामलों और धारा 4 के अनुसार दण्ड की व्यवस्था की जाए।

परिषद् ने सदस्यों से प्राप्त मामले में अपनी लिखित राय देते समय यह नोट किया और विस्तार से इस मामले पर चर्चा भी की। यह महसूस किया गया कि प्रस्तावित विधेयक का हालांकि, उद्देश्य बहुत ही अच्छा है, लेकिन लागू करने में वह अव्यावहारिक भी है चूंकि, यह उस माध्यम पर अत्यधिक जिम्मेदारी डालता है, जो इस संदेश को आगे पहुँचाता है। उपभोक्ताओं द्वारा कुछ सावधानी और सतर्कता बरतने पर उस उत्पाद की खरीद की जाती है, जो एक प्रकार का व्यापक कदाचार है। यदि यह बहुत गंभीर है तो स्पष्ट रूप से एक धोखाधड़ी है, जिसके लिए उपभोक्ता न्यायालय सबसे उत्तम स्थान है, जहाँ वह उनकी शिकायत का निवारण कर सकता है।

अतः विस्तार से इस पर चर्चा करने के बाद परिषद् ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इस विधेयक का समर्थन न किया जाए।

दांडिक न्याय संबंधी नीति के प्रारूप के बारे में संदर्भ

दांडिक न्याय पर राष्ट्रीय नीति के प्रारूप के खंड 9.4 "दांडिक न्याय प्रशासन में मीडिया की भूमिका" पर केंद्र सरकार द्वारा मांगे गए विचारों के संदर्भ में नीति के प्रारूप के साथ–साथ मीडिया बनाम जाँच पत्रकारिता विनियम संबंधी प्रावधान किया गया है, जिसमें निर्णयों और स्टिंग आपरेशन की आलोचना की गई है।

इस संबंध में परिषद् की राय को नीचे उद्धृत किया जा रहा हैः

मीडिया आपराधिक घटना की रिपोर्ट करने/उसे कवर करने के लिए स्वतंत्र है, जिसे प्रेस परिषद् और अन्य विशिष्ट कानून द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के द्वारा विनियमित किया जाता है, इसमें न्यायालय की अवमानना भी शामिल है। जब तक न्यायालय की प्रक्रिया पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना न हो, तब तक आपराधिक कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट

देने पर प्रतिबंध लगाना या रोकने की आवश्यकता नहीं होती है। मीडिया द्वारा परीक्षण करना एक तरीका है, जिसे न्यायालय द्वारा सुपरिभाषित किया गया है और न्यायालय ऐसी स्थिति पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। लेकिन मीडिया को निजी जीवन और अधिकारों के संबंध में समुचित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

नवंबर, 2005 में वर्तमान अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति जी.एन. रॉय ने इस संबंध में अपनी राय दी कि "क्या हमें अन्य लोगों के जीवन की गोपनीयता की जानकारी रखनी चाहिए?" एच.टी. होराइज़न के लाभ के लिए "मनुष्य (जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं) एक सामाजिक प्राणी है और यह उसकी प्रकृति है कि वह अपने आसपास के बारे में पूछताछ करे और जानकारी रखे। लेकिन जब यह सामाजिक व्यवहार रोगग्रस्त हो जाए और सामान्य शिष्टाचार के लिए एक अश्लीलता बन जाए, तो अन्य लोगों के व्यक्तिगत जीवन और क्रियाकलापों को झांकना अनुचित है और यह किसी और पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है अपितु संबंधित व्यक्ति को प्रभावित करता है जिससे यह एक चिंता का विषय बन जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हाल ही में मीडिया के व्यवहार ने इस प्रकार की सूचनाओं से अपनी जिज्ञासा शांत की है और इसने जनहित में न होते हुए भी लोगों के व्यक्तिगत जीवन में झांका है। तथापि, यह भी एक तथ्य है कि जब यह जिज्ञासा 'लोकहित' को पार कर जाती है तो इसमें कोई भी बात बड़ी नहीं होती है।"

स्टेट ऑफ दि प्रेस – भारत

प्रत्येक लोकतंत्र में प्रेस बहुत महत्त्वपूर्ण होती है। भारत में देश के लोकतांत्रिक विकास में प्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कोई भी भारत को प्रेस के बिना नहीं देख सकता है, भले ही इलैक्ट्रॉनिक मीडिया भी आज विद्यमान है।

समाचारपत्र उच्च प्रतियोगी वातावरण में कार्य करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और प्रिंटिंग में क्रांतिकारी परिवर्तन और प्रकाशनों के निवेश में बढ़ती हुई लागत ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं, जिन से समाचारपत्रों के परिचालन, गुणवत्ता और वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। उचित दरों में वृद्धि की संभावना सहित वर्तमान स्तर पर उनके आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखने के लिए समाचारपत्र संप्रेषण और प्रिंटिंग में अति आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए बाध्य हैं, जिसमें बहुत बड़े निवेश की आवश्यकता है।

'सूचना और प्रसारण क्षेत्र' में कार्य करने वाले समूहों के सुनियोजित पैनल ने सिफारिश की है कि न्यूजप्रिंट पर से आयात शुल्क, मूल्य कर, मूल्य वर्द्धित कर और छोटे–मोटे लाभ कर को हटा दिया जाए। इस सिफारिश का उद्देश्य देश में प्रिंट उद्योग को बढ़ावा देना है। इस समूह की अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि 'छोटे और मध्यम समाचारपत्रों को समाचार संवर्द्धन केंद्रों के रूप में विकसित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, विशेषतः क्षेत्रीय भाषाओं में'। यह कार्य 11वीं पंचवर्षीय योजना में किया जाए और मीडिया केंद्र तथा समाचार संग्रहालय को स्थापित करने के उद्देश्य से इन सभी संभावित सेवाओं को एकल बिंदु अनापत्ति दी जाए ताकि विदेशी

प्रकाशन–गृह, भारतीय संस्करणों और भारतीय प्रकाशकों द्वारा अपने प्रकाशनों का निर्यात कर सकें और एशिया में भविष्य में भारत को प्रकाशन केन्द्र बनाने के लिए विदेशी प्रकाशनों की बाहरी सेवाएं उपलब्ध की जाएं।

वर्ष के दौरान, मीडिया, वस्तुतः इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रौद्योगिकी के उन्नयन का काफी दबाव पड़ा है जिससे इसके कार्यों की स्वतंत्रता और आलोचना के लिए खतरा पैदा हो गया है।

नीचे ऐसी संकलित रिपोर्टें दी जा रही हैं, जिनमें समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारतीय प्रेस के विश्व में महत्वपूर्ण विकासों का उल्लेख किया गया है।

पाठक संबंधी सर्वेक्षण

टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली में ही एक ऐसा समाचारपत्र है, जिसे अधिक पढ़ा जाता है। इसके पाठकों की संख्या कुल चार प्रतियोगियों की तुलना में बहुत अधिक है। ये प्रतियोगी हैं: *हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन* । इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि इसके पाठकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है।

17 अक्तूबर, 2007 को जारी भारतीय पाठक सर्वेक्षण, 2007 के द्वितीय संस्करण, में यह निष्कर्ष दिया गया है। 21.34 लाख पाठकों के साथ पिछले वर्ष इसमें 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। *टाइम्स ऑफ इंडिया* के *हिंदुस्तान टाइम्स* के मुकाबले दिल्ली में 2.3 लाख पाठक अधिक हैं, जो केवल 1 प्रतिशत की वृद्धि होने से 19.07 लाख हो जाएगी। दिल्ली में *टाइम्स ऑफ इंडिया* के पाठकों की इतनी बड़ी संख्या *टाइम्स ऑफ इंडिया* को नेतृत्व प्रदान करती है।

सर्वेक्षण से पता चलता है कि *टाइम्स ऑफ इंडिया* के *नवभारत टाइम्स* के हिंदी पाठक सबसे अधिक हैं। दिल्ली में इसके पाठकों की संख्या *पंजाब केसरी* और *हिंदुस्तान* नामक दोनों निकटतम प्रतियोगियों के लगभग बराबर हैं। वित्तीय दैनिक समाचारपत्रों में *इकनॉमिक टाइम्स* के पाठकों की संख्या अधिक है, जो *फाइनैंशियल एक्सप्रेस* और *बिजनेस* नामक दो अन्य समाचारपत्रों, दोनों के पाठकों की संख्या से अधिक है। **(टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्तूबर, 2007)।**

हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, हिंदी प्रेस सबसे अधिक बिकने वाले अंग्रेजी समाचारपत्रों की तुलना में आम जनता में अधिक लोकप्रिय है।

हिंदी ही नहीं क्षेत्रीय भाषा के समाचारपत्र अंग्रेजी समाचारपत्रों की तुलना में अधिक बिकते हैं, जिनमें तमिल का *दैनिक थांथी* भी शामिल है, जिसके 209 लाख पाठक हैं। उसके बाद मराठी का *लोकमत (207 लाख),* आनंद बाजार पत्रिका (158 लाख) और तेलुगू के *ईनाडु* (142 लाख) पाठक हैं।

अंग्रेजी प्रेस के प्रमुख दस पाठकों की स्थिति में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि गैर–समाचार पत्रिकाओं के पाठकों की संख्या समाचारपत्रों के पाठकों से अधिक है। यह बात मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल द्वारा किए गए पाठक सर्वेक्षण के अनुसार है। यह परिषद् स्रोतों और पाठकों पर अनुसंधान करने वाला एक निकाय है।

अंग्रेजी समाचारपत्रों में यह स्थान *टाइम्स ऑफ इंडिया* का है, जिसके 135 लाख पाठक हैं, लेकिन दैनिक जागरण के हिंदी समाचारपत्र की तुलना में इसका स्थान पांचवां है, क्योंकि इसके हिंदी दैनिक जागरण के पाठकों की संख्या 536 लाख है। इसी प्रकार, दैनिक भास्कर के पाठकों की संख्या 309 लाख है, अमर उजाला के पाठकों की संख्या 282 लाख है और हिंदुस्तान के पाठकों की संख्या 235 लाख है।

टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद *इंडिया टुडे का* नाम आता है, जिसके पाठकों की संख्या 71 लाख है। इसके बाद *हिंदुस्तान टाइम्स* (61 लाख) और *हिंदू* (49 लाख) आते हैं।

चौंकाने वाली बात यह है कि पहले 10 अंग्रेजी के समाचारपत्रों में गैर–समाचार पत्रिकाएं इनमें से चार हैं। इनमें *रीडर्स डाइजेस्ट* की स्थिति 5वीं है, जिसके पाठकों की संख्या 49 लाख है। इसके बाद *जनरल नॉलेज टुडे* आती है, जिसके पाठकों की संख्या 44 लाख है। उसके पश्चात, *फिल्मफेयर* का नाम आता है, जिसके पाठकों की संख्या 37 लाख है और फिर *कंपीटिशन सक्सेस रिव्यू* आती है, जिसके पाठकों की संख्या 33 लाख है। हालांकि, कलकत्ता से निकलने वाले *दि टेलीग्राफ*, हैदराबाद से निकलने वाली *डेकन क्रॉनिकल* का परिचालन बहुत कम है, फिर भी इनमें से प्रत्येक के 30 लाख पाठक हैं।

भारत के समाचारपत्र पंजीयक द्वारा रखे गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, दैनिक समाचारपत्रों में *हिंदुस्तान टाइम्स* का परिचालन सबसे अधिक है। इसके छठे संस्करण की 25,42,075 प्रतियाँ परिचालन में हैं। दूसरा बड़ा संस्करण दैनिक समाचारपत्र *दैनिक जागरण* है, जिसके हिन्दी में 15 संस्करण हैं और इसकी 21,11,316 प्रतियों का परिचालन होता है।

एकल संस्करण वाले समाचारपत्रों में सबसे अधिक परिचालन बंगाली की *आनंद बाजार पत्रिका* का है, जिसका परिचालन 12,34,122 प्रतियाँ हैं। इसके बाद *दि हिन्दू* (11,68,042) और *हिंदुस्तान टाइम्स* (11,36,644) प्रतियों का परिचालन है। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्तूबर, 2007)।**

यह एक समाचार के रूप में है कि भारत का मीडिया पूर्णतः स्वतंत्र है और यहाँ की अधिकांश भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को सामाजिक स्थायित्व मानती है और वे "शांति तथा स्थायित्व" को सुनिश्चित करने के लिए इसके "नियंत्रण" का समर्थन करेंगे। यह निष्कर्ष बी.बी.सी. वर्ल्ड सर्विस के द्वारा विश्व के 14 देशों में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में लोगों के रवैये पर सर्वेक्षण करने के बाद दिया गया है।

भारत, रूस और सिंगापुर के बाद उन तीन देशों में आता है, जहाँ अधिकांश लोगों का विश्वास है कि प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व से अधिक स्थायित्व का महत्व होता है।

48 प्रतिशत भारतीयों ने स्थायित्व को प्राथमिकता दी है जबकि 41 प्रतिशत लोगों ने प्रेस की स्वतंत्रता को महत्व दिया है।

लेकिन सुखद समाचार यह है कि भारतीयों का अपनी प्रेस पर काफी विश्वास है। अन्य देशों के लोगों की तुलना में भारत में अधिक लोगों का सर्वेक्षण किया गया, जिन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि उनकी प्रेस स्वतंत्र है और वह समाचारों को "यथार्थता तथा पूर्वाग्रह के बिना" देती है।

57 प्रतिशत भारतीयों ने सरकारी/सरकारी निधि से सहायता प्राप्त समाचार संगठनों की वित्त व्यवस्था करने पर बल दिया है जबकि विश्व में 39 प्रतिशत लोगों ने इस प्रकार का विचार व्यक्त किया है। लेकिन भारत में अधिकांश लोग (64 प्रतिशत) प्राइवेट न्यूज संगठनों पर "सरकारी" मीडिया की तुलना में अधिक विश्वास करते हैं। इसके साथ ही अधिकांश भारतीयों (57 प्रतिशत) ने प्राइवेट मीडिया के स्वामित्व को एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना है, "क्योंकि आप प्रायः समाचारों में उसके स्वामी के राजनीतिक विचारों को देखते हैं"।

"हालांकि, भारतीय मीडिया की स्वतंत्रता के अधिक पक्षधर नहीं हैं और सामान्यतः अपने देश की समाचार रिपोर्टिंग की यथार्थता से संतुष्ट है, फिर भी वे समाचार रिपोर्टिंग के निर्णय के पक्ष में हैं", ऐसा सर्वेक्षण से पता चलता है **(दि हिंदु, नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर, 2007)।**

भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग, जो 2006 में लगभग 11 बिलियन डालर मूल्य का था, उसमें अगले पांच वर्षों में 18 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि होने की संभावना है।

भारत की संवृद्धि 2011 में विश्व मीडिया और मनोरंजन उद्योग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जो बढ़कर 2 ट्रिलियन डालर हो जाएगी। 2006 में फिल्म उद्योग का अनुमान 1.8 बिलियन डालर का था, जो 2011 में बढ़कर 4.4–5.1 बिलियन डालर तक हो जाएगा। टेलीविजन – भारत में इस समय 350 चैनल उपलब्ध हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा टेलीविजन बाजार है। लगभग 200 मिलियन में से लगभग 60 प्रतिशत घरों में टेलीविजन हैं, अर्थात 1200 लाख घरों में टेलीविजन हैं। 60,000 पंजीकृत समाचारपत्रों में से लगभग 29 प्रतिशत मीडिया और मनोरंजन उद्योग के चौथे स्तंभ हैं।

प्रिंट मीडिया की पहुंच लगभग 2200 लाख लोगों तक है, जिसमें जनसंख्या का 30 प्रतिशत साक्षर लोग हैं, जिसमें भारत की 65 प्रतिशत जनसंख्या शामिल है। **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 23 नवंबर, 2007)।**

'धार्मिक विवादों की रिपोर्टिंग' करने वाले भारतीय मीडिया को अभी बहुत कुछ करना है क्योंकि अभी यह अज्ञानता और पूर्वाग्रहों के अनुसार रिपोर्टिंग करता है।

'धार्मिक विवादों की रिपोर्टिंग' विषय पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लेने वाले वरिष्ठ पत्रकारों के समूह ने बताया है कि भारतीय मीडिया को धार्मिक विवादों की रिपोर्टिंग करते समय बहुत सतर्कता अपनानी होगी।

"कई मीडिया कर्मी, जो 'फतवा' के बारे में रिपोर्टिंग करते हैं, यह नहीं जानते कि प्रत्येक व्यक्ति फतवा जारी नहीं कर सकता है। यह कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है अपितु एक राय है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए आबद्धकर नहीं है।" यह विचार ओबिड सिद्दीकी ने व्यक्त किया था, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रवक्ता हैं।

भारत में धार्मिक विवादों पर रिपोर्टिंग करने संबंधी चुनौती पर बोलते हुए आर प्रसन्नन, जो *दि वीकली* (पत्रिका) के ब्यूरो चीफ हैं, ने कहा कि मीडिया को इस संबंध में सावधानी बरतनी चाहिए कि वह अपनी रिपोर्टिंग में धार्मिक भावनाओं को न भड़काए। "लेकिन हमें सच्ची रिपोर्टिंग भी करनी होगी। गुजरात का जनसंहार मीडिया के कारण ही विश्व में जाना गया था", राज्यों में सांप्रदायिक हत्यों पर 2001 की रिपोर्ट के संबंध में उन्होंने ऐसा कहा था। **(दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़, दिनांक 18 अक्तूबर, 2007)।**

मीडिया की वर्तमान प्रवृत्ति, जिसमें संपादकीय की गहन बातें भी शामिल हैं और विज्ञापन की विषय–वस्तु तथा स्टिंग पत्रकारिता भी शामिल है, इस समारोह में उस पर चर्चा की गई है, जिसमें उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने साप्ताहिक समाचार पत्रिका *आउटलुक* की उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान पुरस्कार दिया था।

अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान के भारतीय अध्याय में आउटलुक को 2007 के पुरस्कार के लिए चुना गया, जो उसे नेवी वार रूम लीक और स्कारपियन पनडुब्बी सौदे में सच्चाई उजागर करने के लिए दिया गया था। इसके संपादक विनोद मेहता ने यह पुरस्कार प्राप्त किया था। **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसंबर, 2007)।**

आंखों से देखी गई बात का हमारे मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है, वस्तुतः उनके जो पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए टेलीविजन संचार का एक प्रभावी उपकरण है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के राबर्ट जेन्सन और शिकागो विश्वविद्यालय के ऐमिली ओस्टर के नए अध्ययनों से पता चला है कि भारत के गांवों में महिलाओं पर केबल टी.वी. का काफी प्रभाव पड़ा है। पांच राज्यों (बिहार, गोवा, हरियाणा, तमिलनाडु और दिल्ली) में तीन वर्ष से भी अधिक समय तक किए गए अध्ययन से उनके निष्कर्षों में यह भी कहा गया है कि महिला और पुरुष के रवैये पर भी अवश्य प्रभाव पड़ता है। कोई भी महिला अब यह स्वीकार नहीं करेगी कि उनका पति उसे पीटे, बेटे की चाहत अब कम हो गई है, लड़कियाँ भी स्कूल जाने लग गई हैं और बच्चों के जन्म में भी काफी अंतर

बढ़ गया है। निस्संदेह, अब इन परिवर्तनों के लिए अन्य कारक भी हो सकते हैं, लेकिन यह बात भी सुनिश्चित है। महिलाओं के प्रति आम लोगों की धारणा से समाज और परिवारों में महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन आ रहा है और टेलीविजन ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अपेक्षाओं में परिवर्तन वास्तविकताओं में परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त, 2007)।**

2007 में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि जैसे–जैसे लोग शिक्षा पर खर्च को बढ़ा रहे हैं, भारतीय टेलीविजन के समाचार चैनलों में इसका कवरेज कम हो रहा है।

राजनीतिक रिपोर्टिंग, जो पहले प्रमुख समाचार होता था, उसके स्थान पर लोग खेलों, मनोरंजन, अपराध और मानव रुचियों की कहानियों और हल्की–फुल्की बातों और हास्यपूर्ण बातों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं।

यह बात मीडिया अध्ययन केंद्र द्वारा किए गए अध्ययन से पता चली है। केंद्र के एक विश्लेषण में कहा गया है कि "समाचार चैनल कम हो गए हैं और उनमें काफी परिवर्तन आ गया है"। यह "परिवर्तन परिभाषा या अंतर्वस्तु में नहीं आया है अपितु, उस तरीके में आया है, जिसके अनुसार उसे प्रस्तुत किया जाता है।"

केंद्र ने देखा है कि इसमें ग्रामीण भारत नहीं दिखाई देता है, परंतु दिल्ली और मुंबई के साथ–साथ कुछ छोटे शहरों को दिखाया जाता है। इनके संबंध में अभी भी 50 प्रतिशत समाचार होते हैं। **(दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़, दिनांक 15 जनवरी, 2008)।**

प्रिंट मीडिया का अभी भी इसमें 8,591 करोड़ रुपए का बड़ा हिस्सा है, जो 2007 में कुल मीडिया खर्च का 50 प्रतिशत है। भारत में साक्षरता का स्तर 5510 लाख लोगों तक होने के कारण गांव और शहरों के अधिकांश लोग समाचारपत्र और पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि 3160 लाख भारतीयों तक प्रिंट मीडिया की पहुंच बढ़ी है। विश्व बाजार में निवेशकर्ताओं के लिए भी प्रिंट मीडिया के प्रति आकर्षण बढ़ा है, जिसके कारण इस क्षेत्र में अधिकतम विदेशी निवेश हुआ है। 2007 में कई नई पत्रिकाएं आरंभ की गईं, जिनमें *वोग* और *इकनॉमिस्ट* शामिल हैं। प्रिंट मीडिया उद्योग में अभी भी बढ़ने की काफी संभावना है क्योंकि अभी भी भारत में 2360 लाख साक्षर लोगों तक प्रकाशन नहीं पहुँच पाता है। **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी, 2008)।**

दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की जेंडर परिषद् ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि कई महिलाओं को मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है और मांग की है कि श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन किया जाए ताकि श्रव्य–दृश्य और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया से सभी लोगों को उसमें शामिल किया जा सके। जेंडर परिषद् ने संसद सदस्यों को मीडिया में महिलाओं की गिरती हुई छवि के बारे में बताया है।

उन्होंने पहले प्रेस आयोग की तरह मीडिया आयोग का गठन करने की मांग की है, जिसमें महिलाओं और अन्य कमजोर समूहों का समान प्रतिनिधित्व हो **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च, 2008)।**

प्रेस – एक विहंगम दृष्टि

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सैटेलाइट टेलीविजन चैनल पर अब प्रतिबंध लगा दिया है और एक अन्य चैनल पर दंड लगा दिया है, जो लोक नैतिकता के कुछ कार्यक्रम दिखा रहे थे। इससे ऐसा पता चलता है कि कुछ गंभीर भूल है, जो भारत में टेलीविजन से संबंधित प्रसारण कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। मंत्रालय का हाल का शिकार हुआ एफटीवी, जिसके दो माह तक 'मिडनाइट हॉट' नामक कार्यक्रम प्रसारित करने पर रोक लगा दी गई है। इस कार्यक्रम में कुछ कम कपड़े पहने मॉडल रैंप पर चल रही थीं। बेतुके और मनमाने व्यवहार की यह पहली घटना नहीं है, अभी हाल ही में ए.एक्स.एन टी.वी. को 'बिकनी डेस्टिनेशन' दिखाने को गैर–कानूनी माना गया है। एक तीसरा चैनल, जो गंभीर विषय–वस्तु के लिए जाना जाता है, जिसने कई लोकप्रिय चैनलों को जीवनशैली के छिछोरेपन में पछाड़ दिया है, वह है सी.एन.एन.–आवाज, जिसे वैश्विक विज्ञापन की प्रवृत्ति पर आयोजित नए कार्यक्रम में फब्तियां कसने और अल्कोहल के विज्ञापन की झलकियां दिखाने के लिए दंडित किया गया है। अनावश्यक नैतिक आधार पर टेलीविजन चैनलों को बंद करना एक खतरनाक बात है क्योंकि यह उन लोगों तक भी पहुँच सकता है, जो राजनीतिक विचारधारा का विरोध करते हों या अधिकारियों के कहने पर नहीं चलते हों।

यह किसी भी व्यक्ति का मामला नहीं हो सकता है कि टेलीविजन के विनियमों की विषय–वस्तु कुछ नहीं होनी चाहिए। विषय–वस्तु विनियम वास्तव में जीवन का तथ्य है, यह किसी न किसी रूप में, यहां तक कि पश्चिमी की उदार लोकतांत्रिकता में भी यह विद्यमान है, जबकि वहां प्रसारण की स्वतंत्रता इतनी नहीं है। भारत में श्रोताओं की सामाजिक विविधता को देखते हुए विषय–वस्तु विनियामक निकाय की अपेक्षाएं क्या हैं, किस प्रकार के संगठन सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए और इसमें ऐसे विशेषज्ञ शामिल किए जाने चाहिए जो टेलीविजन के कार्यक्रमों की सूक्ष्म बारीकियों को समझें । **(दि पायनियर, नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल, 2007)।**

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के प्रकाशन के दिशानिर्देशों में चुपचाप से एक ऐसा परिवर्तन कर दिया है, लेकिन वह महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अनुसार, विदेशियों और अनिवासी भारतीयों को पूर्व अनुमति के बिना नियुक्त करने की अनुमति होगी।

इसी प्रकार का परिवर्तन विदेशियों और अनिवासी भारतीयों की नियुक्ति करने संबंधी दिशानिर्देशों में भी किया गया है, जो कंपनी अधिनियम की धारा 4क के अधीन पंजीकृत भारतीय

प्रकाशनों में किया गया है और जो विदेशी समाचारपत्रों के जैसे संस्करणों के प्रकाशनों पर भी लागू होगा।

आधारभूत स्रोतों में संशोधन मंत्रालय द्वारा इसलिए लाया गया है कि विदेशियों को भारतीय प्रकाशनों में "परामर्शदाताओं या अन्य हैसियत से" नियुक्त करने या काम पर लगाया जा सके ताकि प्रकाशनों में कम से कम 51 प्रतिशत लोग भारतीय संस्थाओं से या भारतीय हों।

प्रिंट मीडिया विदेशी निवेश पर, जिसमें एफडीआई भी शामिल है, 26 प्रतिशत की अधिकतम सीमा को बढ़ाने का इंतजार कर रहा है। यह निवेश मान्यताप्राप्त एफआईआई या अनिवासी भारतीयों/या भारतीय मूल के लोगों से किया जा सकता है ताकि इसे प्रसारण उद्योग के बराबर लाया जा सके। लेकिन इसमें संसद का राजनीतिक दृष्टिकोण आगे नहीं आ रहा है। **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 18 अप्रैल, 2007)।**

सूचना और प्रसारण मंत्री श्री पी.आर. दासमुंशी ने 27 नवंबर, 2007 को लोक सभा में कहा कि सरकार ने प्रसारण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मानदंडों की समीक्षा की प्रक्रिया आरंभ कर दी है और यह संबंधित मंत्रालयों से इस मुद्दे पर परामर्श कर रहा है । **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 28 नवंबर, 2007)।**

मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मजदूरी बोर्ड की रिपोर्ट लागू करने पर राज्य सरकार विचार करेगी। इसके अलावा, राज्य में एक प्रेस अकादमी स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य ने पत्रकारों के लिए एक प्रत्यायन और निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ पत्रकार कल्याण निधि की स्थापना भी की है। **(दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़, दिनांक 11 जुलाई, 2007)।**

सरकार महिलाओं के "अभद्र प्रदर्शन", विशेषतः नए मीडिया में, पर रोक लगाने के लिए कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है।

सरकार ने स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिशेध) अधिनियम, 1986 में संशोधन की आवश्यकता महसूस की है ताकि नई और अति आधुनिक प्रौद्योगिकी में कामुक वस्तुओं के रूप में महिला के बढ़ते हुए प्रदर्शन पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जा सके।

शीघ्र लाए जाने वाला प्रस्तावित संशोधन के अंदर नए मीडिया को भी लाया जा रहा है, जिसमें अशिष्ट प्रदर्शन की परिभाषा का विस्तार किया जाएगा और इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दण्ड भी बढ़ाया जाएगा।

महिला और बाल विकास मंत्रालय के सूत्रों से पता चला है कि कानूनी नए इलैक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के साथ, जो पहले इसके कार्यक्षेत्र से बाहर था, अधिकांशतः प्रिंट मीडिया

को भी ध्यान में रखेगा। इन संशोधनों से "प्रकाशित" परिभाषा में श्रव्य और दृश्य मीडिया के जरिए वितरित इलैक्ट्रॉनिक/डिजिटल मीडिया से प्राप्त या लिए गए चित्रों को भी लाया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट से लिए गए चित्र भी शामिल होंगे। इसी प्रकार, विज्ञापन की संशोधित परिभाषा में किसी भी प्रकाशन के माध्यम से दिखाए जाने वाला प्रदर्शन भी शामिल होगा। इन प्रकाशनों में "लेजर लाइट", "फाइबर आप्टिक", "इलैक्ट्रॉनिक या अन्य मीडिया भी शामिल है।

इन संशोधनों से नेट से ली गई विषय–वस्तु को निर्धारित करने में सहायता मिलेगी और इस कानून का उल्लंघन करने वाले प्रकाशकों तथा विज्ञापनदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

इस विधेयक के माध्यम से कानून का उल्लंघन करने वाले पर लगाए जाने वाले आर्थिक दंड का भी लगभग पांच गुना बढ़ा दिया जाएगा। **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर, 2007)।**

सरकार ने 2 अक्तूबर, 2007 को श्रव्य और दृश्य प्रचार निदेशालय के लिए नई विज्ञापन नीति घोषित की है, जिसमें छोटे और मध्यम आकार के समाचारपत्रों के लिए अधिक विज्ञापन देने के लिए कहा गया है।

सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने कहा है कि समाचारपत्रों को दिए जाने वाले विज्ञापनों की मात्रा में 60 से 50 प्रतिशत तक कटौती की जाएगी, जबकि छोटे और मध्यम आकार के समाचारपत्रों को दिए जाने वाले विज्ञापनों में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। अब मध्यम आकार के समाचारपत्र 35 प्रतिशत विज्ञापन प्राप्त करेंगे जबकि छोटे समाचारपत्र 15 प्रतिशत विज्ञापन प्राप्त करेंगे।

श्री दासमुंशी ने बोडो, कश्मीरी, खासी, नेपाली, संस्कृत, संथाली, सिंधी, उर्दू और जनजातीय अंग्रेजी जैसी भाषाओं के छोटे समाचारपत्रों के लिए उन्हें सूची में सक्रिय करने के मानदंडों में भी ढील देने की घोषणा की है। **(हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्तूबर, 2007)।**

गुवाहाटी नगर के भागों में टेलीविजन केबल आपरेटरों ने 27 नवंबर, 2007 को एनडीटीवी और सीएनएन–आईबीएन के दो प्रसारणों को रोक दिया, जिसमें उन्होंने इन चैनलों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जनजातीय आदिवासी और नगर के निवासियों में पिछले सप्ताह सामूहिक हिंसा को असम में उपद्रव को बढ़ाने में सांप्रदायिक तनाव पैदा किया है।

लेकिन यह रोक केवल उन्हीं क्षेत्रों तक ही सीमित रही जबकि केबल आपरेटर इन दो चैनलों को दिखाते रहे।

"एनडीटीवी और सीएनएन–आईबीएन द्वारा दिखाई गई सामूहिक हिंसा की कुछ रिपोर्टें अच्छी नहीं थीं", केबल आपरेटरों का कहना था कि राज्य में इसे गलत ढंग से पेश किया गया।

इन दो चैनलों ने यह कहते हुए इस आरोप से इनकार किया कि घटनाओं की रिपोर्ट किसी पूर्वाग्रह के कारण नहीं की गई थी **(दि पायनियर, नई दिल्ली, दिनांक 28 नवंबर, 2007)।**

ऐसी कंपनियों पर लगाम कसी जाएगी, जो हर हाल में अपने उत्पाद को बेच रही हैं। योजना आयोग ने ऐसी परिपाटी के खिलाफ गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए ऐसे भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव दिया **(दैनिक जागरण, नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर, 2007)।**

"मीडिया की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए सरकार या मंत्रालय द्वारा मीडिया हाउस या चैनलों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप या रुकावट नहीं डाली, लेकिन जिस प्रकार प्रतिष्ठित संपादकों के साथ व्यवहार किया गया और मीडिया कार्मिकों के अधिकारों में अड़चन पैदा की गई, वह देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए गंभीर चिंता का विषय है। मंत्री महोदय को चैनल के वित्त व्यवस्था के स्रोतों सहित गंभीर आरोपों से अवगत कराया गया, जिस पर मंत्री महोदय कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं कर पाए और तदनुसार, यह मामला वित्त मंत्रालय के संबंधित डेस्क को भेज दिया गया ताकि वह अपनी जांच विंग के द्वारा तथ्यों का पता लगाए।

मंत्री महोदय ने सभी मीडिया कर्मियों से अपील की, कि जब कभी कोई मीडिया कर्मी कुछ संविदा में लग जाता है तो उसकी संविदा की अवधि का मूल्य और समान होता है, जिसमें वित्तीय खंड भी शामिल हैं अन्यथा अस्त–व्यस्त तंत्र देश में कार्यरत मीडिया कर्मियों को सम्मान नहीं देगा और विश्वास नहीं करेगा, भले ही वे कहीं भी हों। **(फरवरी, 2008 में दिया गया पीआईबी का बयान)।**

किंतु अभी हाल ही में प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों बाह्य विज्ञापन के माध्यम से अपने उत्पादों का प्रचार करने के लिए तंबाकू और शराब कंपनियों पर रोक लगाने संबंधी अधिसूचना हाल ही में जारी कर दी है।

25 फरवरी को जारी की गई अधिसूचना और केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली, 1994 में बाद में किया गया संशोधन यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी विज्ञापन जो सिगरेट, तंबाकू उत्पाद अल्कोहल, मद्यपान या अन्य नशीले पेयों का उत्पादन, बिक्री या खपत को प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देते हों, की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने यह भी कहा है कि इन नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी **(दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च, 2007)।**

मीडिया के विनियामक निकाय

कुछ समय तक प्रसारण विधेयक के संबंध में यह बात की गई कि उसमें विषय–वस्तु परिभाषित की जाएगी। हाल ही में विधेयक से यह पहलू हटा लिया गया है और एक अलग विषय–वस्तु संहिता पर चर्चा की जा रही है, लेकिन इसमें कुछ नहीं हो पाया है।

ऐसी अपेक्षा है कि विषय–वस्तु संहिता में कौन–कौन सी बातों की अनुमति है और कौन–कौन सी बातें बहुत स्पष्ट नहीं हैं। इसके अलावा, संहिता में वाटरशेड टाइमिंग के दौरान वयस्कों की अंतर्वस्तु की अनुमति दिए जाने की संभावना है, जो वर्तमान चर्चा के अनुसार, रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 4.00 बजे तक के बीच दी जा रही है। मीडिया के विशेषज्ञों ने इस ओर ध्यान दिलाया कि ए.एक्स.एन या एफ.टीवी पर दिखाया जाने वाला "आपराधिक" कार्यक्रम आधी रात में दिखाया जाता था और जिसे उन्हें बंद करने से उस भावना के खिलाफ जाना होगा, जो समाज को आगे ले जाने की दिशा में देखा जाता है। **(दि टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल, 2007)।**

समाचार चैनलों में स्टिंग आपरेशनों की बढ़ती हुई संख्या को गंभीरता से लेते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने व्यक्ति की वैयक्तिकता से संबंधित कठोर दिशानिर्देश तय किए हैं ताकि टेलीविजन चैनलों पर यह जिम्मेदारी डाली जा सके कि वे यह साबित करें कि जनता के लिए तैयार किए जाने वाले कोई "क्रियाकलाप या सामग्री" बहुसंख्यक जनता के हित में होनी चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय संहिता के मसौदे के अनुसार "किसी व्यक्ति के निजी या प्राइवेट जीवन या जो किसी व्यक्ति के निजी जीवन में झांकती हो, यह बात स्वीकार्य नहीं होगी कि जब तक वह निर्धारित लोकहित में दिखाना आवश्यक न हो, तब तक उससे संबंधित सामग्री को ऐसी रिपोर्टिंग या टिप्पणी में नहीं दिखाना चाहिए जो सार्वजनिक हो। ऐसी स्थिति में चैनलों पर अपमान, निंदा या मानहानि का आरोप लगाया जा सकता है, यदि वे ऐसी सामग्री का प्रयोग करते हैं, जो अप्रमाणिक या असत्य या अर्द्ध–सत्य हो या जो व्यंग्यपूर्ण हो।

हालांकि, इस संहिता के मसौदे में 'स्टिंग आपरेशनों' का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। तथापि, इन दिशानिर्देशों में ऐसे स्टिंग ऑपरेशनों पर स्पष्ट उद्देश्य साधा गया है, जो 'लोकहित' में किए गए हों और जिनसे किसी व्यक्ति या समूहों की मानहानि या अहित होता हो। स्टेकहोल्डरों से कहा गया है कि वे 15 दिन के अंदर संहिता के प्रारूप पर अपनी विस्तृत टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर दें, जो मंत्रालय द्वारा विषय–वस्तु संहिता को अंतिम रूप देने से पहले उन्हें प्रारूप के रूप में भेजा गया है **(दि टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 2 जून, 2007)।**

भारत के संपादकों के संघ ने 7 सितंबर, 2007 को कहा कि वे विद्यमान रूप में प्रस्तावित प्रसार सेवा विनियमन विधेयक को स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि इससे समान और वर्तमान गतिविधियों वाले चैनलों पर सरकार का काफी नियंत्रण हो जाएगा।

प्रस्तावित कानून के अधीन विषय–वस्तु या गैर–विषय वस्तु मुद्दे, दोनों पर जब चाहेंगे, तब अदला–बदली करने के लिए सरकार को बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के गैर–वसूल पहलुओं से संबंधित धाराओं का भी सरकार ऐसे चैनलों को पुरस्कृत करने या दंडित करने के लिए दुरुपयोग करेगी, जिनकी विषय–वस्तु सरकार को प्रसन्न करेगी या अप्रसन्न। संघ का कहना था कि इस प्रकार यह विधेयक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने में सहायक नहीं होगा।

सभी स्टॉकहोल्डरों को शामिल करते हुए विनियम के मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी चर्चा की आवश्यकता है।

संघ ने यह भी कहा है कि इस कानून के प्रारूप के अधीन भारत का प्रस्तावित प्रसारण विनियामक प्राधिकरण और कुछ नहीं है, केवल एक सरकारी निकाय होगा क्योंकि सरकार को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह इसके बोर्ड के सभी अधिकारियों को अनुमोदित कर सकती है या हटा सकती है। सरकार द्वारा नियंत्रित यह प्राधिकरण चैनलों के लाइसेंस को निलंबित या रद्द भी कर सकता है।

ऐसा कहा गया कि यह संस्कृति भारत की समाचार प्रसारण संस्था और इस संघ तथा सिविल सोसायटी के और जनता के प्रतिनिधियों द्वारा तैयार की जानी चाहिए।

सरकार भी इसमें अपने विचार रख सकती है। यह भी कहा गया कि यह संहिता स्वतः विनियामक और प्रत्येक चैनल को चाहिए कि वह अपना स्वतंत्र लोकपाल नियुक्त करे।

भारतीय प्रेस परिषद्, जिसे स्वतंत्र निकाय को स्थापित कर के इलैक्ट्रॉनिक मीडिया से या उसके खिलाफ प्राप्त शिकायतों की सुनवाई पर सभी स्टॉकहोल्डरों द्वारा विचार किया जाना चाहिए। **(दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़, दिनांक 8 सितंबर, 2007)।**

सूचना और प्रसारण मंत्री श्री पी.आर. दासमुंशी के अनुसार, राज्य सरकारें टेलीविजन चैनलों के लिए कोई विनियम बनाने के पक्ष में हैं। मंत्री महोदय ने यह बात राज्य में सिमकॉन के दो–दिवसीय सम्मेलन में विस्तृत चर्चा में भाग लेते हुए 19 सितंबर, 2007 को कही।

मंत्री महोदय ने कहा कि वह विनियम पर राज्य के मुख्य मंत्रियों के विचार मांगेंगे और तब इस मामले को प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

श्री मुंशी ने ने यह भी आशा व्यक्त की, कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 के अनुसार, टी.वी. चैनलों द्वारा दिए जाने वाले कार्यक्रमों और विज्ञापनों पर नजर रखने के लिए बनाई गई मानीटरिंग समिति के "वांछित परिणामों की आशा है।"

संसद के हाल ही के समाप्त मानसून सत्र के दौरान बिल लाया जाना था, लेकिन मीडिया द्वारा इसका विरोध किए जाने के कारण इसे रोक दिया गया जिन्होंने सरकार पर आरोप लगाया

कि वह मीडिया का मुंह बंद करना चाहती है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करना चाहती है। **(दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 20 सितंबर, 2007)।**

सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रसारण उद्योग के सख्त विरोध को देखते हुए विवादास्पद प्रसार विधेयक को दोबारा तैयार कर रहा है और केबल के क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ाने की योजना पर सक्रिय रूप से विचार भी कर रहा है। नए प्रारूप में इस बिल के 'विनियामक' स्वरूप को कम किया जाएगा, जिसके संबंध में उद्योग ने आपत्ति उठाई है। यह बात सूचना और प्रसारण सचिव आशा स्वरूप ने दिनांक 17 अक्तूबर, 2007 को राजधानी में आयोजित भारतीय डिजिटल सम्मेलन में अन्य बातों के साथ कही।

मंत्रालय, प्रसारण उद्योग से परामर्श करने की प्रक्रिया में है, जो स्वतः विनियामक विषय–वस्तु संहिता पर भी कार्य कर रहा है। श्रीमती स्वरूप ने कहा कि स्टेकहोल्डरों से परामर्श करने के बाद हम प्रसारण विधेयक का प्रारूप पुनः तैयार कर रहे हैं ..... हम विनियमों को कम करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं और अधिकांश विवादास्पद मुद्दों को उससे हटा दिया गया है।

हालांकि, मंत्रालय 'विनियामक' खंड विषय–वस्तु संहिता को समाप्त करने की योजना पर विचार कर सकता है, तथापि विषय–वस्तु संहिता के विनियामक प्राधिकरण के मुद्दे पर यह अभी भी दृढ़ है । **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्तूबर, 2007)।**

सूचना और प्रसारण मंत्री श्री पी.आर. दासमुंशी ने दिनांक 19 दिसंबर, 2007 को स्वीकार किया कि बड़े कॉरपोरेट घरानों के विरोध के कारण प्रसारण विधेयक लाने में विलंब हुआ है।

एसोचैम के अवसर पर अन्य बातों के साथ–साथ मंत्री महोदय ने कहा कि "हमने बिल लाने की प्रक्रिया में इसलिए विलंब किया कि बड़े कारपोरेट घराने इसका विरोध कर रहे हैं। वे सरकार की बात सुनने की बजाए न्यायालय के निर्देश चाहते हैं।"

इस उद्योग के साथ कई बार की बातचीत के बावजूद सरकार इस विधेयक पर प्रसारकों में सहमति नहीं बना पाई है। **(दि पायनियर, नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसंबर, 2007)।**

प्रसारक सामान्यतः स्वतः तैयार की गई विषय–वस्तु संहिता पर ही तैयार हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा विषय–वस्तु तैयार करने के लिए निर्धारित तारीख 31 जनवरी के लिए अब केवल 15 दिन शेष रह गए हैं। सामान्य मनोरंजन चैनल और समाचार चैनलों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो संगठनों ने कहा कि वे अपनी–अपनी प्रारूप संहिता के साथ तैयार हैं।

जब सरकार 2007 में प्रसारण बिल और विषय–वस्तु संहिता लाई, तो प्रसारकों ने अपनी विषय–वस्तु संहिता बनानी शुरू कर दी। **(दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी, 2008)।**

सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्राइवेट टेलीविजन चैनलों को कसना चाहता है। 20 फरवरी, 2008 को उन्होंने ऐसे दिशानिर्देश जारी किए, जिनसे निचले स्तर के स्थानीय तंत्र को अधिकार दिए जा सकें कि वे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम के कार्यक्रम संहिता को मानीटर करें और उसे लागू करें।

इस बात को समाप्त करने की दिशा में यह तय किया गया कि जिला स्तर की समितियाँ टेलीविजन की विषय–वस्तु पर जनता की शिकायतों को प्राप्त करने के लिए एक लोकपाल मुहैया कराएंगी, यदि सार्वजनिक व्यवस्था में किसी खतरे के समाचार का पता चलता है तो वे इसकी सूचना राज्य और केंद्र सरकार को देंगी। वह स्थानीय चैनलों की विषय–वस्तु को मानीटर करेंगे और केवल अधिनियम को लागू करने के लिए की गई कार्रवाई की समीक्षा करेंगे।

जिला स्तर पर नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में एक शिकायत सेल स्थापित किया जाएगा। मानीटरिंग समिति का गठन इसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का व्यापक रूप से प्रचार किया जाएगा और इसे राज्य की सरकारी वेबसाइट पर भी प्रस्तुत किया जाएगा।

यह बताया गया कि "यदि राष्ट्रीय/क्षेत्रीय सैटेलाइट चैनलों से संबंधित शिकायतें हों, तो यह समिति अपनी सिफारिशों सहित इसे राज्य स्तर की मानीटरिंग समिति के माध्यम से भारत सरकार को भेजेगी ताकि इस मुद्दे पर कार्रवाई की जा सके।"

राज्य समिति यह देखेगी कि जिला समितियों का गठन कर दिया गया है और उनकी बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं। यह जिला समितियों को सुझाव/मार्गदर्शन भी देगी और जिला समितियों द्वारा भेजे गए मामलों पर निर्णय भी लेगी। **(दि टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी, 2008)।**

भारत के छोटे परदे पर हिंसा और अश्लीलता की बढ़ती हुई स्थिति को कम करने के प्रयास में मंत्रालय (सूचना और प्रसारण) विषय–वस्तु प्रमाणीकरण नियमावली लाया है, जिसके अधीन उचित प्रमाणीकरण के बाद ही किसी विषय–वस्तु को दिखाया जा सकता है।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी कार्यक्रमों को यूनिवर्सल (यू) के रूप में प्रमाणीकृत करना होगा, जो किसी भी समय दिखाए जा सकते हैं। यूनिवर्सल वयस्क (यू/ए) कार्यक्रम केवल रात 8.00 बजे से प्रातः 4.00 बजे तक ही दिखाए जा सकते हैं और वयस्क (ए) कार्यक्रम रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 4.00 बजे के बीच ही दिखाए जा सकते हैं।

डॉक्टरों और इंजीनियरों जैसे विशेषज्ञों के लिए विशेष कार्यक्रम 'एस' (विशेष) श्रेणी में रखे जाएंगे और केंद्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा प्रमाणीकरण करने पर ही दिखाए जाएंगे। सेंसर

बोर्ड विदेशी फिल्मों, म्यूजिक वीडियो और टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली फिल्म प्रोमोस सहित भी फिल्मों को प्रमाणित भी करेगा।

धारावाहिकों, विज्ञापन, चैट शो और कंटेस्ट जैसे विशेष कार्यक्रम नए नियमों के अनुसार स्वयं प्रसारक द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक दृश्य को प्रमाणीकरण के लिए परदे पर दिखाया जाएगा। उचित विद्यमानता के बिना कार्यक्रम दिखाने से केबल नेटवर्क अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

इन नियमों को लागू करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय चाहता है कि प्रसारक विषय–वस्तु लेखापरीक्षक नियुक्त करें ताकि वे उपभोक्ताओं की सभी शिकायतों को देखें, प्रमाणीकरण नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करें और इन विनियमों का उल्लंघन किए जाने की सूचना ध्यान में लाएं।

मंत्रालय ने समाचार चैनलों से यह भी कहा है कि विकृत संवेदनशीलता को न दिखाया जाए या दुखद घटना का विवरण वास्तविक रिपोर्ट में आवश्यक नहीं है। किसी भी व्यक्ति का मीडिया परीक्षण तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कानून द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। अपराध, हिंसा, दैवी आपदा, निराशाजनक, अलौकिक क्रियाकलापों के प्रदर्शन में पूर्ण लक्ष्य और संवेदनशीलता और राज्य के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च, 2008)।**

प्रेस पर आक्रमण

भारतीय पत्रकार संघ ने रूढ़िवादी संगठनों द्वारा मुंबई में *स्टार टी.वी.* पर किए गए आक्रमण की निंदा की। भारतीय पत्रकार संघ ने मांग की, कि संबंधित राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और दोशियों को तत्काल न्यायिक हिरासत में लिया जाना चाहिए।

रिपोर्टों के अनुसार, शिव सैनिकों की गुस्साई भीड़ ने बालीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के मुंबई स्टूडियो में उसके द्वारा संबोधित प्रेस कान्फ्रेंस में तोड़–फोड़ की। एक अलग घटना में स्टार टी.वी. के कार्यालय में एक मुस्लिम व्यक्ति और हिंदू नाबालिग लड़की कथित संबंधों को दिखाने वाले कार्यक्रम के कारण हिंदू राष्ट्र सेना ने आक्रमण कर दिया। **(भारतीय पत्रकार संघ द्वारा जारी संकलन से)।**

मणिपुर के संपूर्ण मीडिया को गंभीर खतरा बना हुआ है और राज्य की वर्तमान स्थिति स्वतंत्र और निश्पक्ष मीडिया के अनुकूल नहीं है। राज्य के उग्रवादी संगठनों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों की कोई परवाह नहीं की और इस राज्य के मीडिया के खिलाफ आक्रमण किया। सरकार प्रेस की स्वतंत्रता और मणिपुर के मीडिया कर्मियों के जीवन की रक्षा करने में असफल रही है।

विरोध तब सामने आया जब स्थानीय समाचारपत्र के एक संपादक को हाल ही में उसकी डाक में एक ग्रेनेड शैल मिला। यह शैल एक पार्सल में था, जो फटा नहीं। यह पार्सल कांगलीपाक (प्रीपैक) की अलगाववादी पीपुल्स रिवोल्यूशनरी आर्मी के गुट द्वारा डाक से भेजा गया था।

"2 अगस्त, 2007 से अंग्रेजी या स्थानीय भाषा के किसी समाचारपत्र की एक भी प्रति वहां उपलब्ध नहीं थी। शंघाई एक्सप्रेस समाचारपत्र के अंग्रेजी भाषा के संपादक ने कहा, जिन्हें यह पार्सल प्राप्त हुआ था, कि उन्हें अभी भी धमकियाँ मिल रही हैं। उसे पार्सल में हमें एक धमकी भी दी गई थी कि यदि हम प्रीपैक के प्रतिद्वंद्वी दल के प्रेस बयान को छापेंगे तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।"

मणिपुर के पत्रकार पिछले कुछ वर्षों से गंभीर खतरे और दबाव में कार्य कर रहे हैं। **(भारतीय पत्रकार संघ द्वारा जारी संकलन से)।**

कांगलीपाक पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी के एक गुट द्वारा समाचारपत्र के कर्मचारियों की हत्या की धमकी दिए जाने के विरोध में चार दिन के निलंबन के बाद 15 अक्तूबर, 2007 को स्थानीय समाचारपत्र पुनः प्रकाशित किया गया।

इस दल के एक गुट ने अपने उदय के संबंध में और इसका सम्मान न करने पर समाचारपत्रों को चेतावनी देते हुए एक प्रेस रिलीज जारी की।

अन्य गुट ने धमकी दी कि यदि यह प्रेस रिलीज प्रकाशित की जाएगी तो संपादक और रिपोर्टर की हत्या कर दी जाएगी। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्तूबर, 2007)।**

शिलांग प्रेस क्लब के सदस्यों ने दिनांक 12 सितंबर, 2007 को *वॉयस ऑफ गारो हिल्स* के संपादक उत्पल चंद्रा की गिरफ्तारी की निंदा की और पुलिस कार्रवाई को अनुचित और मनमाना बताया। उन्होंने चंद्रा की तत्काल रिहाई की मांग की और उस समाचारपत्र के प्रकाशन की भी मांग की, जिसे जिला प्रशासन ने बंद कर दिया था।

चंद्रा को "गाय, पुलिस और प्रशासन" शीर्षक से संपादकीय स्तंभ में एक पत्र प्रकाशित करने के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जिले के उच्च अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाया गया था कि बंगला देश को पशुओं की तस्करी में वे तथाकथित रूप से संलिप्त हैं। चंद्रा ने लेखक का नाम नहीं छापा और उसे पुलिस को बताने से भी इनकार कर दिया। जब जिला प्रशासन ने माफी मांगने के लिए कहा तो उन्होंने माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 13 सितंबर, 2007)।**

इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी ने अहमदाबाद स्थित एनडीटीवी के कार्यालय पर आक्रमण की निंदा की और मीडिया को बंधक बनाने के लिए शक्ति का प्रयोग करने पर खेद व्यक्त किया।

कुछ लोग जो अपने आपको "हिंदी साम्राज्य सेना" के सदस्य बता रहे थे, उन्होंने 19 जनवरी, 2008 को चैनल के कार्यालय पर आक्रमण कर दिया और इसके एसएमएस पोल के खिलाफ दो कर्मचारियों पर हमला कर दिया। इस पोल में प्रतिष्ठित पेंटर एम.एफ. हुसैन को भारत रत्न के लिए उम्मीदवार बनाने की बात कही गई थी । **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी, 2008)।**

एक असमी समाचारपत्र *असोमिया प्रतिदिन* को बोडो–बहुत कोकराझार में प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, 20 फरवरी, 2008 से इसे तीन अन्य जिलों में भी बंद कर दिया गया। इसके बंद करने का कारण बोडोलैंड उग्रवादी परिषद् के मुख्य कार्यपालक सदस्य हैगरामा मोहिलरी के बहुत खर्चीले विवाह के बारे में रिपोर्ट छापना था। इस समाचारपत्र के संपादक अजीत कुमार भुयान ने कहा कि मोहिलरी के समर्थकों और उसके बोडो पीपल्स फ्रंट, जो राज्य सरकार में कांग्रेस का सहयोगी दल है, ने इस समाचारपत्र के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें इस समारोह के बारे में यह लिखा गया है कि उस पर अनुमानतः 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।

भुयान ने कहा "यह प्रेस की स्वतंत्रता पर अलोकतांत्रिक आक्रमण ही नहीं है अपितु एक गंभीर प्रवृत्ति भी है। यह एक प्रकार का फासीवाद है", । उनके समाचारपत्र प्रबंधक वर्ग ने 20 फरवरी, 2008 को कोकराझार और बोंगईगांव जिलों के 5 थानों में एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस समाचारपत्र ने भारतीय प्रेस परिषद् के पास भी शिकायत दर्ज की है **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी, 2008)।**

स्टिंग आपरेशन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने *लाइव इंडिया* के टी.वी. चैनल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस चैनल ने गणित की अध्यापिका उमा खुराना के संबंध में किए गए झूठे स्टिंग आपरेशन को दिखाया था। मंत्रालय ने चैनल से यह भी पूछा कि यह बताएं कि उन्होंने अर्द्ध–सत्य मिथ्यापवाद के आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में कार्यक्रम क्यों दिखाया और हिंसा को क्यों भड़काया?

यह बात 12 सितंबर, 2007 को सरकार के परामर्शदाता ने उस समय बताई जब दिल्ली उच्च न्यायालय में सरकार से पूछा गया कि उस चैनल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है जिसने झूठा स्टिंग आपरेशन दिखाया था।

उच्च न्यायालय द्वारा इस चैनल पर ध्यान केंद्रित करने के परिणामतः दिल्ली पुलिस ने स्थिति की रिपोर्ट देते हुए बताया कि "उमा खुराना को स्कूली छात्राओं के वेश्यावृत्ति के संगठित रैकेट में लिप्त नहीं पाया गया है, जैसाकि स्टिंग आपरेशन में दिखाया गया है और यह कि स्टिंग आपरेशन एक सुनियोजित नाटक था।"

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने नोटिस में कहा है कि चैनल ने केबल टी.वी. नेटवर्क (विनियम) अधिनियम की कार्यक्रम संहिता का उल्लेख किया है। स्टिंग आपरेशन में ऐसी बातें दी गई हैं जिनसे "मानहानि" होती है और इसे "अर्द्ध–सत्य" के रूप में माना जा सकता है और इससे हिंसा भड़कने की संभावना है या इसमें ऐसी बाते हैं जिनसे कानून और व्यवस्था बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है और "आलोचकों ने इस बात की आलोचना की, कि एक व्यक्ति का अपमान किया गया है या उस पर मिथ्या आरोप लगाया गया है"। **(टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 13 सितंबर, 2007)।**

जनता के कड़े विरोध के बाद सरकार ने 20 सितंबर, 2007 को *लाइव इंडिया* के समाचार चैनल को बंद कर दिया और यह निदेश दिया कि राज्य में एक विद्यालय की शिक्षिका को एक रैकेट में फंसाने का झूठा स्टिंग आपरेशन किया गया था।

यह प्रतिबंध 20 सितंबर, 2007 से लागू हो गया, जिस पर *लाइव इंडिया* के प्रसारण पर रोक लगाई गई है और 20 अक्तूबर से पूरे देश में सभी मंचों से *लाइव इंडिया* को (*जनमत टी. वी.* के नाम से) चालू किया गया। **(दि स्टेट्समैन, नई दिल्ली, दिनांक 21 सितंबर, 2007)।**

दिल्ली की अध्यापिका उमा खुराना पर झूठे स्टिंग आपरेशन के कारण टी.वी. चैनल *लाइव इंडिया* पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक महीने की लगाई गई रोक को टी.वी. चैनल द्वारा बाद में अपील करने पर हटा दिया गया। यह चैनल 12 अक्तूबर, 2007 की मध्य रात्रि से प्रसारण करेगा। *लाइव इंडिया* पहला समाचार चैनल है, जिस पर मंत्रालय द्वारा रोक लगाई गई है।

20 अक्तूबर, 2007 तक रोक जारी रहने के समय से चैनल ने 21 सितंबर और पुनः 4 अक्तूबर को मंत्रालय के समक्ष अपील की और अनुरोध किया कि इस मामले पर दोबारा विचार किया जाए। यह बताया गया कि हमारा प्रयास किसी व्यक्ति को जानबूझकर बदनाम करना नहीं था। चैनल ने कहा कि हमने काफी परिश्रम किया था, जैसा कि इस उद्योग में करना पड़ता है और यह कि प्रसारण पर एक महीने की रोक लगाने से चैनल की वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर प्रश्नचिह्न लग गया **(इंडिया एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 13 अक्तूबर, 2007)।**

राज्य सरकार ने 26 अक्तूबर, 2007 को *आज तक* और *हेडलाइन्स टुडे* के केबल टी.वी. आपरेटरों पर कई हिस्सों में रोक लगा दी। ये चैनल स्टिंग आपरेशन के अंशों को 25 अक्तूबर, 2007 से दिखा रहे थे। इसमें यह दावा किया गया कि यह सब कुछ फरवरी, 2002 में दंगाइयों की मिली–भगत से नरेंद्र मोदी, मुख्य मंत्री की हत्या के बारे में बताया गया था।

अहमदाबाद में जिला अधिकारी धनंजय द्विवेदी से केबल आपरेटरों को एक लिखित आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें इन चैनलों को बंद करने का आदेश दिया गया था। इस आदेश में कहा गया था कि ये चैनल ऐसे "दृश्य और विवरणों" का प्रदर्शन कर रहे थे, जो "कार्यक्रम संहिता" के अनुरूप

नहीं थे और इस प्रकार केबल टी.वी. नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 का उल्लेख कर रहे थे । **(हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्तूबर, 2007)।**

प्रमुख समाचार टेलीविजनों के केबल वितरण को बंद करने की कार्रवाई से राज्य सरकार की निंदा की गई। भारत के संपादक संघ ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जो समाचार चैनल को रोकने के लिए जिम्मेदार थे।

एक बयान में संघ के अध्यक्ष अलोक मेहता और महासचिव के.एस. सच्चिदानंद मूर्ति ने यह बात कही कि सरकार की कार्रवाई प्रेस की स्वतंत्रता पर स्पष्ट हमला है। "यह सेंसर की व्यवस्था है और संघ महसूस करता है कि अन्य राज्यों के अधिकारी भी शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं और उन पर सेंसर लगा सकते हैं **(दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़, दिनांक 30 अक्तूबर, 2007)।**

सूचना और प्रसारण मंत्री श्री पी.आर. दासमुंशी ने दिनांक 26 दिसंबर, 2007 को कहा कि "विधान सभा के चुनावों से ठीक पहले गुजरात के 2002 के दंगों का प्रदर्शन करना तहलका की एक साजिश है।"

"इस मामले की जांच के लिए एक समूह का गठन किया गया है और इस जाँच के परिणामों की सूचना शीघ्र सदन को दी जाएगी।"

संसद द्वारा पारित केबल नेटवर्क (विनियम) अधिनियम के अधीन जिला अधिकारियों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे शान्ति और सौहार्द को बिगाड़ने वाली सामग्री के प्रसारण पर रोक लगा सकते हैं।

"श्री द्विवेदी के सिवाय गुजरात में अन्य किसी जिला अधिकारी ने इस प्रकार के प्रदर्शन को रोकने का एहसास नहीं दिखाया। मंत्रालय ने कहा कि बाद में निर्वाचन आयोग ने भी उसकी कार्रवाई को अनुमोदित किया है। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसंबर, 2007)।**

न्यायिक मामले

उच्चतम न्यायालय ने 2 अप्रैल, 2007 को समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह और अन्य बड़े नेताओं के कुछ विवादास्पद निजी बयानों को प्रकाशित करने से मीडिया पर लगाई गई अंतरिम रोक को रद्द कर दिया। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 3 अप्रैल, 2007)।**

उच्चतम न्यायालय ने 7 फरवरी, 2008 को समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव को एक याचिका के आधार पर नोटिस जारी किया, जिसमें एक टेप की गई बातचीत में न्यायपालिका के खिलाफ कुछ आरोप लगाने के कारण अवमानना की कार्रवाई शुरू की गई थी।

नई गतिविधियों के कारण सदन श्री सिंह के खिलाफ हो गया, जिन्होंने 2006 में याचिका दायर की, कि उनकी बातचीत के किसी अंश को प्रकशित करने से मीडिया को रोका जाए, क्योंकि यह उसके टेलीफोन को टेप करके गैर–कानूनी तरीके से तैयार किया गया था।

न्यायालय द्वारा उनकी बातचीत के अंश को प्रदर्शित करने या उसकी रिपोर्ट करने से प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया को रोका गया था। इसके साथ ही रोक को हटाने के संबंध में न्यायालय में दो आवेदन–पत्र दाखिल किए गए। पहला आवेदन–पत्र जनहित याचिका के संबंध में केंद्र द्वारा दाखिल किया गया था, जिसमें न्यायालय से कहा गया था कि उक्त बातचीत की रिपोर्टिंग पर विचार किया जाए ताकि जनतांत्रिक तरीके से लोक सेवक के क्रियाकलापों का पता लग सके। दूसरे आवेदन–पत्र में एक श्री देवेंद्र मंडावावाला ने न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए मुलायम सिंह और अमर सिंह, दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा। **(दि पायनियर, नई दिल्ली, दिनांक 8 फरवरी, 2008)।**

उच्चतम न्यायालय ने मेधा पाटकर के इस तर्क को खारिज कर दिया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के क्रियाकलापों के खिलाफ रिपोर्ट करने से प्रेस को रोका गया।

उच्चतम न्यायालय ने 9 अप्रैल, 2007 को एनबीए के तर्क पर पाटकर के अनुसार, कोई आदेश पारित करने से इनकार किया है, जिसमें एक गैर–सरकारी संस्था को इस बात से रोका गया था कि उसने इस मामले से संबंधित मुद्दे पर मीडिया को पहुँचने से विदेशी निधि प्राप्त करने के दोषी एन.बी.ए. के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी।

एन.बी.ए. ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष मध्य प्रदेश और गुजरात सरकारों के शपथपत्रों के आधार पर मीडिया की हाल की रिपोर्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज की। **(दि पायनियर, नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल, 2007)।**

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अरुण पुरी, मुख्य संपादक, *इंडिया टुडे,* प्रभु चावला, संपादक, और मोहिनी भुल्लर, प्रकाशन संपादक के खिलाफ की गई मानहानि की शिकायत को अस्वीकार कर दिया, जिसमें इन प्रकाशन संपादकों ने 'गांधीजी की हत्या करने वाले नाथू राम गौडसे को आरएसएस का कार्यकर्ता बताने के बारे में एक समाचार प्रकाशित किया था।

मुकेश गर्ग द्वारा दायर शिकायत पर कार्रवाई करते हुए परीक्षण न्यायालय ने अपने 13 अक्तूबर, 2004 के आदेश के द्वारा याचिकाकर्ताओं को (शिकायत के प्रतिवादियों को) इस मामले में आने के लिए समन तामील किया था। याचिकाकर्ता इस शिकायत और समन को रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय में गए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ परामर्शदाता आर.एस. चीमा ने तर्क दिया कि इस लेख को अपमानजनक नहीं माना जा सकता है। इसमें आरएसएस को किसी संगठन के साथ नहीं जोड़ा गया है, जैसा कि शिकायत में बताया गया है।

परामर्शदाता के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर सहमति व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति महेश ग्रोवर ने अपने आदेश में कहा कि "संबंधित लेख को देखने से ऐसा पता चलता है कि नाथू राम गोडसे को आरएसएस का कार्यकर्ता बताया गया है और आरएसएस को एक अलग संगठन बताया गया है, जो 'हिंदु स्वयंभू राष्ट्रीय हैं।"

न्यायाधीश महोदय ने निर्णय दिया कि गोडसे को आर.एस.एस. का सदस्य बताना अपमानजनक या मानहानि नहीं माना जा सकता है।

यह कहना कि कोई व्यक्ति विशेष किसी संगठन विशेष से जुड़ा हुआ है, इस संगठन के बारे में ठीक से पता करने और ठीक से तय करने को एक भूल माना जाएगा।

"निस्संदेह किसी भी रूप में बाद के मुद्दों में इसके स्पष्टीकरण को शामिल करने से इनकार किया गया है।"

शिकायत और समन को रद्द करते हुए न्यायाधीश महोदय ने कहा कि इस लेख को समग्र रूप से पढ़ना होगा और किसी प्रसंग में एक अलग अनुच्छेद को नहीं पढ़ा जा सकता है। न्यायालय पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि इस प्रसंग में यदि कोई पाठक इसे पढ़ता है तो उस पाठक की पूर्व धारणाओं के बिना उस लेख को पढ़ने से उस पर क्या असर पड़ता है। इस प्रकार के लेख को तब तक अपमानजनक नहीं माना जा सकता जब तक कोई ढोंगी समाज इसे वास्तविकता में न बदलना चाहे। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 25 मई, 2007)।**

उच्चतम न्यायालय ने 8 सितंबर, 2007 को अरुण पुरी, मुख्य संपादक, *इंडिया टुडे,* प्रभु चावला, सम्पादक, और मोहिनी भुल्लर, प्रकाशन संपादक को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायनिर्णय को रद्द करते हुए विशेष अनुमति याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया, जिसमें उनके खिलाफ गांधीजी के हत्यारों से संबंधित समाचार को छापने के बारे में मानहानि याचिका दायर की गई थी, जिसमें हत्यारे नाथू राम गोडसे को आर.एस.एस. का कार्यकर्ता बताया गया था।

वरिष्ठ परामर्शदाता अरुण जेटली, सी गर्ग की ओर से न्यायालय में उपस्थित हुए, जो एक विधिव्यवसायी वकील हैं और आर.एस.एस. के पदाधिकारी भी हैं उन्होंने बैंच के समक्ष यह शिकायत दाखिल की, कि न्यायमूर्ति जी.पी. माथुर और डी.के. जैन वाली बैंच के समक्ष यह शिकायत दर्ज की, कि उच्च न्यायालय ने इस आधार पर शिकायत को रद्द कर के उचित नहीं किया कि नाथू राम गोडसे आर.एस.एस. का कार्यकर्ता है या नहीं, यह चर्चा का मुद्दा है।

इस लेख में किस बात पर बल दिया गया है इस बारे में उच्च न्यायालय को पूरी गलतफहमी हुई है। इस लेख में इस बात पर बल दिया गया था कि आर.एस.एस. ने नाथू राम गौडसे नामक व्यक्ति के जरिए महात्मा गांधी की हत्या की थी। लेखक ने इस बात पर भी खेद व्यक्त किया था कि दुर्भाग्य से यह बात आज भी मानी जाती है। यह और कुछ नहीं था बल्कि

आरएसएस और उसके सदस्यों और उसके अनुयायियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना था।" **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 9 सितंबर, 2007)।**

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 3 जुलाई, 2007 को उर्दू साप्ताहिक के प्रकाशक और संपादक को राहत दी, जिसे 23 वर्ष पहले एक समाचार लेख में राजद्रोह का दोषी पाया गया था।

1999 में परीक्षण न्यायालय द्वारा राजद्रोह के लिए 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा पाए *हजूम* साप्ताहिक के जावेद हबीब ने उच्च न्यायालय से अपील की थी, जिसमें यह कहा गया था कि यह सरकार की एक निष्पक्ष आलोचना थी और अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार की नीतियों की आलोचना थी।

न्यायनिर्णय देते समय सत्र न्यायालय ने यह टिप्पणी की, कि यह लेख सांप्रदायिक घृणा पैदा करने के लिए जानबूझकर और कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए लिखा गया था।

लेकिन न्यायमूर्ति एस.एन. धींगड़ा ने इस आधार पर प्रकाशक के सिद्धदोश को निरस्त कर दिया कि "प्रधान मंत्री या उसके कार्यों या सरकार के कार्यों की आलोचना करना, सरकार के किसी अंश के भाषण या कार्यों से कोई अंश लेना, जो कि किसी समुदाय विशेष के खिलाफ उसने कही हो और कुछ अन्य राजनीतिक नेताओं के साथ मिल–बैठकर की हो, उसे देशद्रोह नहीं माना जा सकता **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई, 2007)।**

उच्चतम न्यायालय ने 24 जुलाई, 2008 को पत्रकारों को गुजरात परीक्षण न्यायालय में 2007 को स्टिंग आपरेशन करके संपूर्ण न्यायपालिका का अपमान किया है, जिसमें उनकी झूठी शिकायत करने से राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की बात कही गई है।

इन तर्कों को निरस्त करते हुए, अधीनस्थ न्यायपालिका, न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन और न्यायमूर्ति आर.वी. रवींद्रन और दलवीर भंडारी की बेंच ने कहा कि एक छोटी सी गलती के कारण पूरे तंत्र की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया था।

न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इस मुद्दे पर शपथपत्र दाखिल करने के लिए कहा और पत्रकारों को भी यह शपथपत्र देने के लिए कहा कि वे स्टिंग आपरेशन में शपथ की झूठी शिकायत दायर करने के लिए बिना शर्त माफी मांगें । **(टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई, 2007)।**

चार वर्ष बाद जी टी.वी. ने निचली न्यायपालिका में पहले भ्रष्टाचार पर जानबूझकर एक स्टिंग आपरेशन किया, जिसमें एक झूठा वारंट दिखाने की व्यवस्था की गई। उच्चतम न्यायालय ने 20 फरवरी, 2008 को इस बात को पुनः दोहराया कि यह प्रदर्शन और रिपोर्ट बेनामी थी,

जिसमें उनसे "बिना शर्त माफी मांगने" पर बल दिया गया। इसके लिए उच्चतम न्यायालय के अनुसार यह प्रदर्शन घटिया था और न्यायपालिका को अपमानित करने का प्रयास था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में एक बेंच ने विजय शेखर से माफी मांगने पर बल दिया इस रिपोर्टर ने यह स्टिंग आपरेशन किया था। वरिष्ठ काउंसेल अरुण जेटली ने रिपोर्टर के पक्ष में यह तर्क दिया कि इस स्टिंग आपरेशन का उद्देश्य निचली न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का प्रदर्शन करना कैसे था। उन्होंने बेंच को, जिसमें न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन और जे.एम. पांचाल भी थे, यह अवगत कराया कि उस चैनल और रिपोर्टर ने उक्त आपरेशन को प्रकाशित करने से पहले उच्चतम न्यायालय की अनुमति मांगी थी। इस तर्क से सहमत न होते हुए बेंच ने टिप्पणी की, कि "लेकिन यह आपराधिक कार्य है, आपको अवश्य माफी मांगनी चाहिए"। **(हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्तूबर, 2007)।**

जेलों को रहने लायक बनाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक दर्जन न्यायनिर्णय दिए हैं। इन सभी में 'कैदियों के जीवन के अधिकार की रक्षा' की बात कही गई है।

विधि शास्त्र के अधिकार के विकास के साथ–साथ प्रदर्शन के दौरान जीवन की रक्षा बच्चों के शिक्षा के अधिकार की भांति अनुशंगी अधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे हाल ही में यह जुड़ा है कि यह व्यक्तिगत अधिकार के अंतर्गत आता है। अभिनेत्री मोनिका बेदी की लज्जाजनक घटना, जो गोपनीय तरीके से भोपाल जेल में फिल्माई गई थी, उसमें केवल एक बात दिखाई देती है कि अधिकारी जेलों में सुधार, कैदियों के जीवन की रक्षा करने और परीक्षणाधीन कैदियों की रक्षा करने में अनभिज्ञ हैं।

यदि इस प्रक्रिया में वैयक्तिक अधिकार या उच्चतम न्यायालय के न्यायनिर्णय की शृंखला को नहीं माना जाता है तो टी.वी. चैनल पर इसका सबसे कम असर पड़ेगा। पिछले वर्ष 1975 में उच्चतम न्यायालय ने गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य में वैयक्तिक अधिकार को जीवन के अधिकार के रूप में माना है। इसे तैयार करने के शुरू के वर्ष होने के कारण उसने कहा कि व्यक्तिगत अधिकार को केवल लोक हित तक सीमित रखा जा सकता है, लेकिन यदि कोई कानून इस अधिकार का उल्लंघन करता है तो यह राज्य की जिम्मेदारी होगी कि लोकहित में उस व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा की जाए। **(दि टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त, 2007)।**

एक अभूतपूर्व न्यायनिर्णय में लखनऊ की एक निचली अदालत ने तीन पत्रकारों और दो प्रकाशक–मुद्रकों को तीन साल की जेल की सजा सुनाई। यह सजा अपमानजनक लेख और साक्षात्कार के कारण दी गई थी। विशेष मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट (कस्टम) सुरेश चंद्र ने मुज़फ्फर नगर के तत्कालीन वरिष्ठ आईएएस, जिला अधिकारी श्री अनंत कुमार सिंह की शिकायत पर आदेश जारी किया। एक प्रमुख समाचारपत्र (*पायनियर*) ने अक्तूबर, 1994 में अपने दिल्ली

संस्करण में एक अपमानजनक लेख और साक्षात्कार छापा था, जिसमें श्री सिंह के रामपुर तिराहा के बदनाम मामले से जोड़ा गया था।

यह लेख उसके सहायक समाचारपत्र में भी प्रकाशित किया गया था, जो लखनऊ से प्रकाशित होने वाला एक दैनिक हिंदी समाचारपत्र है।

इस साक्षात्कार में उस अधिकारी को यह कहते हुए बताया गया था कि एकांत में कोई भी व्यक्ति किसी महिला का बलात्कार कर सकता है। यह बयान रामपुर तिराहा चौराहे पर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर पुलिस फायरिंग के दौरान तथाकथित रूप से कहा गया था, जिसमें कुछ महिलाओं के साथ पुलिस वालों ने छेड़छाड़ की थी। श्री सिंह ने यह साक्षात्कार या बयान देने से पूर्णतः इनकार किया और उस समाचारपत्र से माफी मांगने के लिए कहा, जिस ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। **(दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 5 सितंबर, 2007)।**

इस लक्ष्मण रेखा को पार करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 सितंबर, 2007 को नगर के दैनिक पत्र *मिड–डे* के चार वरिष्ठ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाई.के. सभरवाल के खिलाफ लेख प्रकाशित करने के लिए न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया गया था।

न्यायमूर्ति आर.एस. सोढ़ी और न्यायमूर्ति बी.एन. चतुर्वेदी की एक डिवीजन बैंच ने यह टिप्पणी की, कि इन लेखों में उच्चतम न्यायालय की एक संस्था के रूप में छवि खराब की गई थी और एम.के. तायल, संपादक (शहर), एस.के. अख्तर, तत्कालीन प्रकाशन, वितुशा ओबराय, निवासी संपादक, और इरफान खान, कार्टूनिस्ट को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया गया था। उच्च न्यायालय ने 21 सितंबर को दंड की मात्रा का उल्लेख करते हुए उन पर दंड लगाया था।

"इस प्रकाशन में भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक घोटाले में फंसाया गया था, जिससे इस संस्था पर प्रहार किया गया था, जो हमारे अनुसार अवमानना नहीं है।"

यह आदेश उस समाचारपत्र में लिखित लेख के संबंध में दिया गया था, जिसमें न्यायमूर्ति सभरवाल की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा राज्य में सीलिंग के मुद्दे पर दिए गए न्यायनिर्णय की बात कही गई थी। इस समाचारपत्र ने आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने पुत्र के कारोबार को लाभ पहुंचाने के इरादे से ऐसा किया था।

न्यायालय ने इस दैनिक समाचारपत्र की बातों को अस्वीकार कर दिया, जिसमें यह कहा गया कि सेवा–निवृत्ति के बाद कोई भी न्यायाधीश न्यायपालिका प्रणाली का भाग नहीं रहता है। इसलिए, उसके बारे में कुछ लिखना न्यायालय की अवमानना नहीं है। **(टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 12 सितंबर, 2007)।**

मिड–डे दैनिक के प्रिंटर और प्रकाशन और तीन पत्रकार दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में गए, जिसमें उन्हें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाई. के. सभरवाल के बारे में कुछ लेख प्रकाशित करने पर "उच्चतम न्यायालय की छवि को खराब करने" के लिए न्यायालय का दोषी पाया गया था।

19 मई, 2007 को *मिड–डे* में यह खबर छपी थी कि सीलिंग आदेश भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वाई.के. सभरवाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने जारी किए थे, जिनका आशय अपने पुत्रों के हितों को लाभ पहुंचाना था, जो माल डेवलपर्स से सम्बद्ध हैं। उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि समाचारपत्र ने उच्चतम न्यायालय द्वारा तय की गई 'लक्ष्मण रेखा' को पार किया है।

मिड–डे के संपादक वितुशा ओबराय, नगर संपादक, एम.के. तायल, प्रिंटर और प्रकाशन एस.के. अख्तर और कार्टूनिस्ट इरफान खान ने 11 सितंबर को उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी, जिसमें उन्हें 21 सितंबर को दंड की मात्रा की घोषणा के लिए उपस्थित रहने के लिए कहा गया। उन्होंने अपनी अपील के निलंबित रहने की अवधि में उच्च न्यायालय के आदेशों को निलंबित करने के लिए उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया। **(दि टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 18 सितंबर, 2007)।**

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 सितंबर, 2007 को तीन पत्रकारों और एक प्रकाशक को चार महीने के कारावास का दंड सुनाया, जिसमें उन पर यह आरोप था कि उन्होंने *मिड–डे* दैनिक में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाई.के. सभरवाल के खिलाफ आरोप लगाए। पत्रकार अपनी इस बात पर अड़े रहे कि कानून अवमानना के खिलाफ अपनी रक्षा के रूप में सत्य की अनुमति देता है।

हालांकि, यह दंड दो दिन पहले उच्चतम न्यायालय के अनुसार स्थगित रखा गया था, जिसमें उच्च न्यायालय को निर्देश दिया गया था कि मिड–डे के कर्मचारियों को जमानत दे दी जाए, बशर्ते कि उन्हें जेल भेजने की सजा दी गई हो। **(दि टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 22 सितंबर, 2007)।**

इस बात का उल्लेख करते हुए कि *मिड–डे* में प्रकाशित लेखों की शृंखला के जरिए प्रस्तुत किए गए अनुसार भारत के पूर्व न्यायाधीश वाई.के. सभरवाल के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जाँच नहीं की जाएगी, परंतु उच्च न्यायालय के न्यायनिर्णय की "यथार्थता" की जांच की जाएगी। इसके बावजूद उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में न्यायालय की अवमानना के संबंध में चार पत्रकारों को दी गई सजा पर रोक लगा दी।

28 सितंबर, 2007 को न्यायमूर्ति अरिजित पसायत की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय की बेंच ने उच्च न्यायालय के 21 सितंबर के निर्णय को चुनौती देते हुए पत्रकारों द्वारा दायर

अपील की सुनवाई की, जिस ने सभी चारों को "न्यायपालिका की छवि खराब करने का दोषी" पाया।

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ तथाकथित अवमानना की रिपोर्ट छापने के लिए दी गई चार माह की सजा पर अंतरिम रोक लगाई गई थी। यह मामला जनवरी, 2008 में चौथी सुनवाई के लिए दर्ज किया गया। **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 29 सितंबर, 2007)।**

भारत के संपादक संघ ने संसद से संपर्क किया कि वह न्यायालय अवमानना अधिनियम में परिवर्तन करे क्योंकि मीडिया और पत्रकारों के खिलाफ स्व–कार्रवाई से किया जाने वाला अभियोजन प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाता है।

इस संघ द्वारा नई दिल्ली में 3 दिसम्बर को आयोजित वार्षिक साधारण सभा में जारी प्रेस रिलीज में इस अधिनियम में परिवर्तन के लिए मजबूत अभियोजन चलाने का निर्णय लिया गया ताकि "न्यायालयों और न्यायाधीशों के बारे में रिपोर्टिंग करने के लिए मीडिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करने हेतु सामान्य नियमों को लागू किया जा सके"। **(दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़, दिनांक 6 दिसंबर, 2007)।**

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रश्न पूछने के लिए पैसा लेने के घोटाले की जाँच करने के आदेश दिए, जिसमें 11 संसद सदस्यों को संसद से निष्कासित किया गया था और स्टिंग आपरेशन की चेतावनी भी दी गई थी।

न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि पत्रकार और मीडिया संगठनों, जो स्टिंग आपरेशन में लिप्त होते हैं, वे जन जीवन में भ्रष्टाचार का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन रिश्वत देने के लिए अभियोजन से उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिलती है।

न्यायमूर्ति एस.एन. धींगड़ा ने कोबरा पोस्ट, इसके मुख्य संपादक अनिरुद्ध बहन और कर्मचारी सुहासिनी राज के खिलाफ एफ.आई.आर. को रद्द करने से इनकार कर दिया। *आज तक* और *चैनल–7* (अब *आईबीएन–7*) नामक दो टी.वी. चैनलों का भी इस रिपोर्ट में नाम लिया गया।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वे लोक हित में कार्य करने को भली भांति समझते हैं और छद्म जाँच का सहारा लिए बिना वे ऐसा नहीं कर सकते हैं।

उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी किसी बात का पता लगाने पर कोई रोक नहीं है जिससे कि अपराधी के आपराधिक क्रियाकलापों का पता लगे। उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों के अधीन अभियोजन से छूट भी मिली हुई है।

लेकिन न्यायालय ने कहा "इस मुद्दे का दावा केवल परीक्षण के दौरान किया जा सकता है न कि एफआईआर दर्ज करने की अवस्था में।" **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 28 नवंबर, 2007)।**

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 14 दिसंबर, 2007 को इस बात से सहमति व्यक्त करते हुए कि "सत्य को सामने लाने के लिए" स्टिंग आपरेशन पत्रकारों का एक हथियार है और सुझाव दिया कि लोकहित के सिवाय इस उद्देश्य से किए जाने वाले जांच कार्यों को करने के लिए मीडिया के लिए एक आचार संहिता तैयार की जाए।

न्यायमूर्ति एम.के. शर्मा और संजीव खन्ना वाली डिवीजन बेंच ने संघ सरकार को सुझाव दिया कि उमा खुराना के झूठे स्टिंग आपरेशन के मामले में न्यायमित्र द्वारा तैयार किए गए कुछ दिशानिर्देशों पर विचार किया जाए। इससे एक याचिका का निपटान हो गया।

इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ यह कहा गया कि स्टिंग आपरेशन को प्रसारित करने वाले चैनल, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नियुक्त तीन–सदस्यीय समिति से सलाह लेंगे, जिसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवा–निवृत्त न्यायाधीश होगा और एक सदस्य कम से कम अपर सचिव स्तर का अधिकारी होगा और एक अन्य सदस्य कोई पुलिस आयुक्त के स्तर का होगा।

स्वतः विनियमन और यह सुनिश्चित करने के लिए चैनल के मुख्य संपादक को जिम्मेदार बनाया जाएगा कि कार्यक्रम नियमानुसार हैं और सभी अन्य कानून और प्रशासनिक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

इन दिशानिर्देशों पर संबंधित मंत्रालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए और यदि ये उपयुक्त पाए जाते हैं तो उन्हें किसी अधिनियम या आचार संहिता में शामिल किया जा सकता है। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसंबर, 2007)।**

प्रसारण सेवाओं को विनियमित करने लिए भारत के दूरसंचार विनियामक आयोग की अनुमति देने के लिए (हितों में कोई टकराव नहीं था) और उच्चतम न्यायालय ने 3 जनवरी, 2008 को इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को बनाए रखा। अब भारत का दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अब दूरसंचार के साथ प्रसारण सेवा के लिए भी विनियम बना सकता है। यह कार्य वह तब तक कर सकता है जब तक सरकार प्रसारण अधिनियम बनाती है या टेलीग्राफ और प्रसारण क्षेत्र के लिए संपरिवर्तन विधेयक लाती है। **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी, 2008)।**

कंपनी ला बोर्ड ने 21 जनवरी, 2008 को दो प्रमुख समाचार एजेंसियों में से एक यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया को भारत के अधिकांश शेयर बेचने की घोषणा की है। यह न्यूज एजेंसी सुभाष चंद्र प्राइवेट इनवेस्टमेंट कंपनी के अधीन बनी, जो अब समाप्त हो गई है।

आदेश में कंपनी ला बोर्ड के अध्यक्ष एस. बाला सुब्रहमण्यम ने मीडिया वेस्ट के चार नामितों की नियुक्ति भी रद्द कर दी है, जिसमें स्वयं सुभाष चंद्र, जो यूएनआई बोर्ड के अपर निदेशक हैं, का नाम भी शामिल है।

कंपनी लॉ बोर्ड के आदेश में कहा गया है कि यूएनआई के 60 प्रतिशत शेयरों को मीडिया वेस्ट को बेचने की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई है और यू.एन.आई. के संघ के अंतरनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, जिनकी कंपनी लॉ की धारा 25 के अधीन विशेष स्थिति है। **(दि डेक्कन हेराल्ड, बेंगलुरु, दिनांक 22 जनवरी, 2007)।**

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 27 फरवरी, 2008 को एच.के. दुआ, मुख्य संपादक, ट्रिब्यून समूह के खिलाफ मानहानि की कार्रवाई को रद्द कर दिया है। एक खुले न्यायालय में दुआ की याचिका पर आदेश देते हुए राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एच.एस. भल्ला ने विशेष रूप से यह निर्णय लिया कि "यदि इस मामले में याचिकाकर्ता को बिना किसी आधार के परीक्षण का सामना करना पड़े, तो यह बहुत ही निराशाजनक होगा।"

हरियाणा के उप–मुख्य मंत्री चंद्र मोहन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500, 501 और 502 के अधीन शिकायत दाखिल करके यह मानहानि की कार्रवाई आरंभ की थी।

दिनांक 23 जुलाई, 2007 को दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित "क्रॉस वोटिंग" की समाचार मद के बाद यह दाखिल की गई थी। उनकी दिनांक 25 जुलाई, 2007 की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 4 अगस्त, 2007 को दुआ को आपराधिक परीक्षण झेलने के लिए सम्मन किया था।

इस आदेश के खिलाफ दुआ द्वारा दाखिल याचिका पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति भल्ला ने पाया कि "शुरू में यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इस शिकायत में याचिकाकर्ता के हाथ में यह बिल्कुल भी नहीं था कि वह दैनिक ट्रिब्यून में 23 जुलाई, 2007 को प्रकाशित मामले के चयन को नियंत्रित कर सके।"

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि "अन्य पक्षकार द्वारा प्रस्तुत तर्कों को अपने ध्यान में रखते हुए जटिल प्रश्न, जिस पर इस याचिका में विचार किया गया है, उसमें याचिकाकर्ता मुख्य संपादक के रूप में इस समाचार की मद को अनुमोदित करने के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है या नहीं। कानूनी स्थिति यह है कि दैनिक ट्रिब्यून के मुख्य संपादक के रूप में याचिकाकर्ता प्रेस अधिनियम में संपादक शब्दावली के अंतर्गत नहीं आता है और प्रेस अधिनियम की धारा 7 के अधीन यह नहीं माना जा सकता कि वह इस समाचार मद के प्रकाशन के चयन के मामले में नियंत्रण रखने के लिए जिम्मेदार था।" **(दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़, दिनांक 28 फरवरी, 2008)।**

इगमोर में मजिस्ट्रेट की अदालत में *दिनामलार* के संपादक आर. कृष्णामूर्ति और इसके प्रकाशक आर. लक्ष्मीपति को एक सरकारी विद्यालय के सेवानिवृत्त मुख्य अध्यापक द्वारा दाखिल मानहानि के मामले में तीन महीने की साधारण सजा दी गई थी।

ए. सेतुरमन एक सरकारी बाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (गर्वनमैंट बयॉज़ हायर सेकेंडरी स्कूल), उट्टूकोटई में मुख्य अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे थे उन्होंने *दिनामलार* के खिलाफ शिकायत दायर की थी कि उसने 16 मार्च, 2001 को एक समाचार प्रकाशित किया था, जिसमें यह कहा गया था कि उसने सेतुरमन आम परीक्षा में विद्यार्थियों को नकल करवाई थी।

इस रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। उसका मानना था कि यह समाचार गलत, दुर्भावनापूर्ण और निराधार था। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च, 2008)।**

संसदीय/विधायी विशेषाधिकार और मीडिया

दिल्ली विधान सभा ने 27 दिसंबर, 2007 को यह निर्णय लिया कि प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित नगर के विधायकों के बारे में रिपोर्ट सदन की अवमानना थी और इसके विशेषाधिकारों का हनन था।

अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह ने उन समाचारपत्रों के संपादक के खिलाफ निर्णय दिया, जिन्होंने यह रिपोर्ट लिखी थी, उन्होंने कहा कि इस संबंध में सदन के नियमों और सांविधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सदस्यों के यह कहने के बाद कि इस रिपोर्ट में "विधायकों की मानहानि की गई और उन्हें घोटालों में शामिल बताया गया, अध्यक्ष ने यह निर्णय दिया था।"

श्री चौहान के इस प्रस्ताव का सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी, दोनों के विधायकों ने समर्थन दिया। मुख्य मंत्री शीला दीक्षित ने आश्चर्य व्यक्त किया कि ऐसी रिपोर्टें समाचारपत्र में कैसे आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रत्येक विधायक के संबंध में गर्व से कह सकती हूँ कि उसने अपने निर्वाचन क्षेत्र और नगर की जनता के प्रति अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार के लेखन को बर्दाशत नहीं किया जा सकता है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि "हमें वह सब कार्रवाई और ऐसी समुचित कार्रवाई करनी चाहिए जो हम कर सकते हों। उन्होंने कहा कि दिल्ली की विधान सभा देश की सर्वोतम विधान सभाओं में से एक है और इसे "आदर्श विधान सभा" के रूप में जाना जाता है। पत्रकारों के संबंध में श्रीमती दीक्षित ने कहा कि उन्हें अपनी सीमा में रहना चाहिए क्योंकि राजनीतिज्ञों की भी अपनी सीमा होती है।" **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसंबर, 2007)।**

अध्यक्ष, प्रेम सिंह चौधरी ने दिनांक 28.12..2007 को दिल्ली विधान सभा को बताया कि उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को 27 दिसंबर, 2007 को सम्मन भेज कर उत्तर दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय दिया है। इसके पश्चात विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का प्रस्ताव लाया जाएगा।

अध्यक्ष ने कहा कि समाचारपत्रों के जिन कर्मचारियों को सम्मन भेजा गया था, वे पूर्वाह्न 11.00 बजे उनके समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने उत्तर देने के लिए 3 दिन का समय मांगा। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसंबर, 2007)।**

झारखंड विधान सभा में 18 मार्च, 2008 को "विशेषाधिकार प्रस्ताव" लाने के मुद्दे पर, जो हंगामें का दृश्य देखा गया, यह 26 मार्च को होने वाले राज्य सभा के मतदान में सदस्यों की खरीद–फरोख्त से संबंधित था।

अध्यक्ष आलमगीर आलम ने बीजेपी के विधायकों को विश्वास दिलाया कि यदि विपक्ष ऐसा प्रस्ताव लाता है, जो वे विशेषाधिकार प्रस्ताव को लाएंगे। आलमगीर ने इस ओर भी इशारा किया कि विधान सभा के सदस्यों को एक दैनिक समाचारपत्र में छपे समाचार को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें विधान सभा सदस्यों को "कुत्ता" कहा गया है। आलम ने कहा कि ऐसे प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

जैसे ही सदन की बैठक आरंभ हुई, रांची के बीजेपी के विधायक सी.पी. सिंह और सदन के अन्य सदस्यों ने दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित भ्रष्टाचार के मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया। विपक्ष के सदस्यों ने सदन में भारी शोर–शराबा किया और अध्यक्ष से विशेषाधिकार लाने की मांग की।

विपक्ष के नेता अर्जुन मुंडा ने कहा कि विधान सभा के सदस्य विशेषाधिकार के हकदार हैं क्योंकि उन्हें जनता द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया है।

मुंडा ने कहा कि "यदि मीडिया लोक सभा के चुनावों के संबंध में खरीद–फरोख्त या रिश्वत से संबंधित कोई समाचार प्रकाशित करता है, तो यह एक गंभीर मामला है। **(दि पायनियर, नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च, 2008)।**

जब शिव सेना प्रमुख बाल ठाकरे द्वारा आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव सहित बिहार के कुछ संसद सदस्यों पर *सामना* के मुखपत्र पर पार्टी के संपादकीय में निशाना साधा गया है तब लोक सभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने 5 फरवरी, 2008 को कहा कि इस प्रकार की टिप्पणियाँ सदन की अवमानना हैं।

आरजेडी के देवेन्द्र प्रसाद यादव ने लोक सभा में प्रश्नकाल के दौरान यह मामला उठाया है, जिसके संबंध में चटर्जी ने सदस्यों से कहा कि पहले प्रक्रिया का पालन करें, उसके बाद कार्रवाई की जा सकती है।

इसके पश्चात यादव ने ठाकरे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, जिसमें उन पर सदस्यों और संसद की गरिमा को घटाने का आरोप लगाया गया। **(दि पायनियर, दिनांक 6 मार्च, 2008)।**

लोक सभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने शिव सेना प्रमुख बाल ठाकरे और सामना के कार्यपालक संपादक संजय राउत को नोटिस भेजे, जिसमें सदन के कई सदस्यों से उनके खिलाफ उन्हें प्राप्त शिकायतों के संबंध में उनकी टिप्पणियाँ मांगी गई थीं। इन शिकायतों में सदस्यों ने उनके श्री ठाकरे और श्री राउत के खिलाफ विशेषाधिकार के प्रस्ताव को लाने की मांग की थी। **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च, 2008)।**

भारतीय प्रेस में विश्व मीडिया

संयुक्त राष्ट्र अमरीका

विश्व प्रेस संस्थान, जो पिछले 46 वर्षों से मीडिया की भूमिका और जिम्मेदारी के बारे में पूरे विश्व को प्रशिक्षण दे रहा है, पत्रकारों को निःशुल्क यू.एस. न्यूज आर्गेनाइजेशन से वित्तीय सहायता न मिलने के कारण बंद हो रहा है।

"इसके बंद होने से न्यूज़ संगठन और उन्हें सहायता देने वाली संस्थाओं में छंटाई की प्रवृत्ति आती है" यह बात डाउग मैकगिल ने कही थी, जिन्होंने कार्यपालक निदेशक के रूप में तीन महीने से भी कम सेवा करने के बाद 17 मार्च को त्याग पत्र दे दिया है। **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल, 2007)।**

वार्षिक पुलित्जर पुरस्कार की पत्रकार श्रेणी के 13 न्यूज संगठनों को सम्मान प्राप्त हुआ है, जिन्होंने वर्ष में विभिन्न विषयों पर समाचार प्रकाशित किए, जब कि कोई भी घटना मुख पृष्ठों पर नहीं छापी गई थी।

दि वॉल स्ट्रीट जनरल काफी पुरस्कारों के विजेता थे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समाचार और चीन और स्टॉक–आपशन्स स्कैंडल की कवरेज के लिए लोक सेवक पुरस्कार प्राप्त किया, जिससे कारपोरेट अमरीका अप्रसन्न हुआ।

एसोसिएटेड प्रेस ने जेरुसलम में ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार जीता, जो ओडेड बैलिलटी के उस स्टाफ फोटोग्राफर को मिला, जिसने इजरायल के सुरक्षा अधिकारियों को रोकने के लिए यहूदी सेटलर के प्रयासों के नाटकीय चित्र खींचे थे।

कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 16 अप्रैल, 2007 को अमरीकी पत्रकारों की उपलब्धियों के सम्मान में पुलित्ज़र की घोषणा की।

संपादकीय लेखन का पुरस्कार स्वास्थ्य संबंधी "कंपैसनेट एंड कंपैलिंग" लेख के लिए *न्यू यार्क डेली न्यूज* को दिया गया, जो ग्राउंड जीरो कामगारों से संबंधित था। पुलित्ज़र की स्थापना जोसेफ पुलित्ज़र नामक समाचारपत्र प्रकाशक की वसीयत के अनुसार 1911 में की गई। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 18 अप्रैल, 2007)।**

इंटरनैट सर्च लीडर गूगल दिनांक 31.8.2007 से शुरू किया गया। इसमें अन्य स्थानों से पाठकों को समाचार भेजने की बजाए इसकी अपनी वेबसाइट पर विश्व की बड़ी–बड़ी न्यूज की एजेंसियों द्वारा सामग्री डाली गई। ए.पी., ए.एफ.पी. यू.के. और कनाडा की प्रेस एसोसिएशन द्वारा प्रतिदिन इसमें हजारों लेख और फोटोग्राफ डाले गए। इससे ऐसे अन्य मीडिया साइट पर इंटरनेट ट्रैफिक कम किया जा सका, जहां ये लेख और फोटोग्राफ पाए भी जाते हैं, यह एक ऐसी घटना है जिससे समाचारपत्रों और प्रसारकों का ऑन–लाइन विज्ञापन राजस्व कम किया जा सका।

गूगल ने अपनी सेवा शुरू करने के बाद पिछले दो वर्ष के दौरान ए.पी. और फ्रांस की एजेंसी के साथ लाइसेंस के व्यापार का समझौता किया, यह समझौता तब किया गया जब इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि इस सर्च इंजन से उनके कापीराइट का उल्लंघन होता है या नहीं। माउनटेन व्यू–आधारित कंपनी ने भी प्रेस एसोसिएशन और कनाडा की प्रेस के साथ उसी अवधि में लाइसैंस का करार किया **(टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 2 सितंबर, 2007)।**

इराक की उन 6 महिला पत्रकारों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, जिन्होंने साहसी पत्रकारिता के लिए अपने जीवन को खतरे में डाला और जो अमरीकी न्यूज आर्गेनाइजेशन के लिए कार्य कर रही हैं, पुरस्कार विजेता महिला पत्रकारों में से एक मेक्सिको की थी और एक इथोपिया की भी थी। **(जनसत्ता, नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्तूबर, 2007)।**

पिछले कुछ महीनों में रूपर्ट मुर्डोक, डाउ जॉन्स एंड कंपनी के कार्यालय में गए, जो *दि वाल स्ट्रीट जर्नल* के प्रकाशक हैं। उन्होंने एक छोटे से लेख और कुछ कठोर समाचारों के लिए समाचारपत्र के संपादकों की खिंचाई की। उन्होंने उन रिपोर्टरों से व्यक्तिगत अनुरोध किया, जिसके बारे में वे चाहते थे कि वे उनके प्रतिद्वंद्वी के हाथ की कठपुतली न बनें। उन्होंने पिछले सप्ताह उच्च कार्यपालकों की बदली पर नजर रखी। जिनमें *दि जर्नल* के प्रकाशक उनके सहायक भी शामिल थे। उन्होंने अभी तक कंपनी को खरीदा नहीं है।

यह परिवर्तन 13 सितंबर, 2007 को किया जाएगा, जब एक जैसी विचारधारा के शेयरहोल्डर, डाऊ जोंन्स की बिक्री मुर्डोक की कंपनी को, जो कि एक न्यूज कारपोरेशन है, करने का अनुमोदन करने के लिए मतदान करेंगे। लेकिन मुर्डोक ने डाऊ जोंन्स और *दि जर्नल* की बागडोर पहले ही संभाल ली है। यह विश्व के सबसे अधिक पुरस्कृत समाचारपत्रों में से एक समाचारपत्र के आकार–प्रकार, विषय वस्तु और कर्मचारियों को पूर्णतः बदलने की प्रक्रिया है।

मुर्डोक ने कहा कि वे चाहते हैं कि *दि जर्नल* राजनीतिक और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में सूचना देने के लिए आगे कार्रवाई करे और यह *दि न्यूयार्क टाइम्स* के साथ और अधिक सीधी प्रतियोगिता करे। **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 13 दिसंबर, 2007)।**

पत्रकार परियोजना समिति के अनुसार, वर्ष 1994 से अब तक की तुलना में वर्ष 2007 में विश्व में अधिक पत्रकार मारे गये। यह समिति जो एक स्वतंत्र समूह है, प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है तथा पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करती है।

इस समिति की वार्षिक रिपोर्ट 18 दिसंबर, 2007 को जारी की जाएगी। इसमें इस बात का उल्लेख है कि वर्ष 2007 में अपने कार्य के संबंध में 64 पत्रकारों की मृत्यु हुई है। इनमें से लगभग आधे पत्रकार, अर्थात 31 पत्रकारों की मृत्यु इराक में हुई है, जो लगातार पांच वर्ष तक पत्रकारों के लिए मृत्युकारक देश रहा है। समिति के अनुसार, इस वर्ष की अधिकांश हत्याएं सीधे आक्रमण करके ही की गई थीं। दोनों ओर से गोली–बारी किए जाने के कारण ये हत्याएं हुई हैं।

इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार, अफ्रीका में वर्ष 2006 में जो दो मौते हुए थीं, जबकि इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 10 हो गई है। सोमालिया, जो दूसरा मृत्युकारक देश है, उसमें 2007 में 7 पत्रकार मारे गये।

समिति की वार्षिक रिपोर्ट में पत्रकारों की मौतों का कारण सीधे मुठभेड़, हिंसा या पत्रकारों के कार्य का सीधा बदला रहा है, जैसा तुर्की–अमेरनियन संपादक हरांट डिंक की हत्या, जो इस्तांबुल, तुर्की की एक गली में जनवरी में की गई।

समिति के अनुसार, मेक्सिको के तीन पत्रकार 2007 में मारे गए। वे सभी नशीले पदार्थों के कारोबार और देश के पुलिस बल तथा सरकार के बीच मिली–भगत की रिपोर्टिंग कर रहे थे। **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसंबर, 2007)।**

अमेरिकी रेग्युलेटरों ने मीडिया के स्वामित्व के संबंध में प्रतिबंध को ढीला करने के लिए 18 दिसंबर, 2007 को अपना मत दिया। उन्होंने यह मत कुछ कानून निर्माताओं के सख्त विरोध के बावजूद दिया, जिन्होंने इस आधार पर इस योजना को बंद करने की धमकी दी कि इससे प्रतियोगिता को नुकसान पहुंचेगा।

फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने यू.एस. के उच्च बाजारों में समाचारपत्र और टेलीविजन स्टेशन, दोनों की कंपनियों को अनुमति देने के संबंध में अपना मत व्यक्त किया, जिससे मीडिया के समूह को 20 शहरों में अपनी पकड़ को मजबूत करने में बल मिला।

कमीशन के अध्यक्ष केविन मार्टिन ने कहा, "आज की क्रमिक हड़ताल उन मूल्यों की सुरक्षा का संतुलन है, जो हमारी मीडिया विनियमों की नींव तैयार करता हैं। ऐसे विनियमों को सुनिश्चित करने से बाज़ार को तेज गति मिलती है।"

कमीशन के तीन के मुकाबले दो मतों से समाचारपत्र और प्रसारण उद्योग के क्रॉस–आनरशिप पर रोक लगाने के 32 वर्ष पुराने आदेश में संशोधन किया गया। श्री मार्टिन ने अपने एक बयान में कहा, "कि क्रॉस–आनरशिप की अनुमति देने से स्थानीय समाचारपत्रों में ऐसी वृद्धि हो सकती

है जिससे इन कंपनियों को एकत्र करने की लागत के लिए बहु–मीडिया प्लेटफार्म से इन स्थानीय समाचारों को प्राप्त करने की लागत में हिस्सेदारी मिलेगी।"

इस निर्णय से अमेरिका में 20 बड़े–बड़े शहरों में प्रसार स्टेशन खरीदने के लिए समाचारपत्रों को अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि ये बड़े–बड़े चार टेलीविजन स्टेशन न हों और 8 स्वतंत्र समाचार निकास के क्षेत्र बने रहें।

उन्होंने कहा कि, "इससे समाचारपत्र/प्रसारण के 'क्रॉस–ओनरशिप' पर रोक में थोड़ी ढील होगी, जबकि कई आवाजें और पर्याप्त प्रतियोगिता स्थानीय समाचार एकत्र करने को सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाएगी और इससे बहुत अधिक केंद्रीकरण भी नहीं होगा।" **(दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसंबर, 2007)।**

पत्रकारिता न्यूज़ियम के नए 4500 लाख रुपये के घर, 11 अप्रैल को खुल जाएंगे, जिन्हें न्यूज़ियम कहते हैं। उदघाटन के दिन प्रवेश निःशुल्क होगा, लेकिन बाद में इसके लिए 20 डालर (लगभग 800 रुपए) की कीमत अदा करनी होगी।

अर्लिंगटन में स्थित न्यूज़ियम का पिछला स्वरूप 2002 में बंद कर दिया गया था। पेनसिलवेनिया एवेन्यू में स्थित नया भवन 2,50,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है, जिसमें 15 थियेटर, 14 गैलरियाँ और 2 प्रसारण स्टूडियो हैं। यहां चर्चा के लिए कियॉस्क भी बने हुए हैं, जहाँ अतिथि, फोटोग्राफर, संपादक, रिपोर्टर या एंकर के रूप में विभिन्न भूमिकाएं अदा कर सकते हैं। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 8 फरवरी, 2008)।**

यूएसए टुडे के पूर्व रिपोर्टर को आदेश दिया गया कि वह तब तक 5,000 रुपए प्रति दिन के हिसाब से अलग–अलग समय का जुर्माना अदा करे जब तक वह लगभग 2001 एन्थ्रेक्स आक्रमणों से संबंधित अपने लेखों के स्रोत का पता न बताए। न्यायालय के आदेशों के अनुसार, टोनी लोसी को एक सप्ताह तक 500 डालर प्रतिदिन, दूसरे सप्ताह 1000 डालर प्रतिदिन और उसके बाद तब तक 5000 डालर प्रतिदिन का जुर्माना अदा करेगी जब तक वह उन एक दर्जन नामों का खुलासा न करे जिनका प्रयोग उसने उन लेखों में किया, जो स्टीवन हैटफिल नामक सेना के पूर्व वैज्ञानिक को संदेह के घेरे में लाने से संबंधित थीं। **(दि स्टेट्समैन, नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च, 2008)।**

न्यूयार्क के तीन सबसे बड़े मुगलों को ट्रिब्यून कंपनी से लांग आइलैंड न्यूजपेपर *न्यूज़े* खरीदने के संबंध में चर्चा की गई। ऐसा पता चला कि 20 मार्च, 2008 को कुछ लोग इसकी बिक्री की प्रक्रिया में शामिल थे।

कंपनी का समाचारपत्र, जिसमें *शिकागो ट्रिब्यून, दि लॉस एंजलस टाइम्स और दि ओरलैंडो सेंटिनल* भी शामिल हैं, विज्ञापन राजस्व को लगातार काफी गति से गंवा रहे हैं, जैसा कि इस उद्योग ने अब तक नहीं गंवाया होगा। इसका कारण केलिफोर्निया और फ्लोरिडा के

रियल एस्टेट बाजार में संघर्ष का उनके द्वारा भारी निराश किया जाना है। श्री ज़ेल ने पिछले वर्ष कहा कि वह ट्रिब्यून कंपनी के समाचारपत्र के साथ भागीदारी नहीं करना चाहता। **(दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च, 2008)।**

यूनाइटेड किंगडम

राइट रॉयल रो ने प्रसारण चैनल 4 और राजकुमार विलियम एवं हैरी के बीच इस बात के लिए फूट डाली कि टेलीविजन स्टेशन से डायना के अंतिम क्षणों के विवादास्पद फोटोग्राफ को प्रसारित करने के लिए जो अनुरोध किया था, स्टेशन ने उससे इनकार कर दिया, जिसमें डायना 10 वर्ष पहले पेरिस के एक अंडरपास में क्षतिग्रस्त मर्सीडीज में अंतिम सांसें ले रही थी।

चैनल 4 ने शाही अनुरोध के सामने घुटने टेकने से बिल्कुल इनकार कर दिया और कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह 6 जुलाई, 2007 को डायना के बारे में *दि विटनेसिज़ इन दि टनल* नाम से इसका प्रसारण करेगा।

उत्तेजित शाही सहायक ने विलियम और हैरी की ओर से पिछले 1 जून, 2007 को एक पत्र जारी किया, जिसमें बड़े दुखी मन से चैनल 4 के अधिकारियों से कहा कि वे ध्वस्त होती कार के कई फोटोग्राफ प्रसारित करने के बारे में पुनर्विचार करे, जिसमें डायना उस समय एक टूटी–फूटी कार में थी।

पत्र में यह भी कहा गया कि चैनल 4 की योजना विश्व को यह दिखाने की है कि जीवन (डायना के) के अंतरंग क्षणों के वातावरण और त्रासदी की लोगों को जानकारी मिलेगी। इस पत्र में यह कहा गया कि इससे राजकुमारों को "बहुत दुःख" होगा और "अंतिम क्षणों में डायना की प्रतिष्ठा और उनके निजी जीवन में झाँकने का लोगों को अवसर मिलेगा।"

लेकिन इस *चैनल 4* ने राजकुमारों के पत्र को लोगों की राय जानने के लिए सार्वजनिक कर दिया। जबकि, इस चैनल के प्रधान जुलियन बेलामी ने यह प्रसारित किया कि हमारा आशय विलियम और हैरी को दुःखी करना नहीं था।

बेलामी ने कहा, "हम राजकुमार विलियम और हैरी द्वारा इस वृत्तचित्र के बारे में व्यक्त की गई चिंता को स्वीकार करते हैं। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम के द्वारा उन्हें दुःखी करना नहीं था और हम यह नहीं मानते हैं कि राजकुमारी डायना की याद के प्रति यह कोई अनादर है। हमने विधिमान्य लोकहित के प्रति राजकुमारों की चिंता को महत्त्व दिया और हमारा विश्वास है कि यही बात वृत्तचित्र और इसमें शामिल किए गए फोटो में भी है।"

संस्कृति मंत्री हुगो, स्वायर्स जैसे कंजरवेटिव राजनेताओं ने चैनल 4 से प्रश्न किया कि क्या डायना के अंतिम क्षणों की छवि "लोकहित" में थी ? **(दि टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 6 जून, 2007)।**

10 साल पहले पेरिस में एक कार दुर्घटना में डायना की मृत्यु के एक दशक बाद ब्रिटिश समाचारपत्रों ने अंततः स्वीकार किया कि यह ऐसा समय था जबकि वेल्स के राजकुमारों को सांत्वना दी जानी चाहिए थी।

31 अगस्त, 2007 के बाद 1 सितंबर, 2007 को प्रकाशित अपने संपादकीय में *डेली मेल, दि डेली टेलीग्राफ, दि गार्जियन* और *संडे तथा डेली मिरर* जैसे समाचारपत्रों ने लंदन के बिशप की अपील के प्रति सहमति व्यक्त करते हुए राजकुमारी डायना की यादगार सेवा शुरू की।

लंदन के बिशप रिचर्ड चार्टर्स ने 2 अगस्त, 2007 को कहा कि "यह बात यहीं समाप्त होनी चाहिए" – यह एक ऐसा तर्क है, जिसमें राजकुमार विलियम और राजकुमार हैरी की भावना सुनाई देती है, जिन्होंने उस कटुता और षडयंत्र को यहीं समाप्त करने की बात कही, जो राजकुमारी डायना को याद करने में है। **(दि डेकन हेराल्ड, बेंगलुरु, दिनांक 2 सितंबर, 2007)।**

ब्रिटेन के लोकप्रिय टीवी चैनल *जी.एम.टी.वी.* पर मीडिया वाचडॉग 'ऑफ कॉम' द्वारा उनकी गंभीर लापरवाही के लिए 20 लाख पाउंड का भारी दंड लगाया गया। इस चैनल पर यह आरोप लगाया गया कि वह फोन लाइन बंद होने के बाद भी टेलीफोन से जुड़े शो से संबंधित काल प्राप्त करता रहा। किसी विनियामक निकाय द्वारा लगाया गया यह सबसे बड़ा दंड था। चैनल से यह भी कहा गया कि वह ऑफ काम की जांच को अपने चैनल पर तीन बार दिखाए । **(दैनिक जागरण, नई दिल्ली, दिनांक 28 सितंबर, 2007)।**

मीडिया मैगनेट रूपर्ट मुर्डोक ने, जो इस न्यूज कारपोरेशन के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक हैं, *दि वाल स्ट्रीट जर्नल, दि टाइम्स, संडे टाइम्स, सन और न्यूज ऑफ दि वर्ल्ड* जैसे अपने सहायक समाचारपत्रों के माध्यम से ब्रिटेन में उसके स्वामित्व के समाचारपत्रों पर उनके संपादकीय नियंत्रण के बारे में विस्तार से बताया।

यू.के. में श्री मुर्डोक के स्वामित्व के समाचारपत्र हैं: *दि टाइम्स, संडे टाइम्स, सन और न्यूज ऑफ दि वर्ल्ड* । उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की संचार समिति से कहा कि इन चार समाचारपत्रों के संबंध में उनकी अलग–अलग नीति है।

समिति को पता चला कि "*सन* और *न्यूज ऑफ दि वर्ल्ड*, के संबंध में उसने बताया कि वह इसका पारंपरिक स्वामी है। समिति को पता चला कि वह "आम चुनाव में किसी पार्टी को समर्थन देने या यूरोप की नीति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित संपादकीय पर नियंत्रण रखते हैं।" श्री मुर्डोक ने इस बात से इनकार नहीं किया कि वे आर्थिक और संपादकीय दोनों दृष्टियों से उसके अधीन हैं। उसने कहा कि *दि टाइम्स* और *दि संडे टाइम्स* के संपादकों को अनुदेश देने से "कानून" उसे रोकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए उनका अपना एक स्वतंत्र बोर्ड है, जिसमें वह हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और वह यह कभी नहीं कहते हैं कि "यह करो या वह करो," हालांकि, वे प्रायः पूछते रहते हैं कि "आप क्या कर रहे हो" **(दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 25 नवंबर, 2007)।**

प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में विश्व एकमत नहीं है और सभी यह नहीं मानते हैं कि स्वतंत्र समाज के लिए यह एक जटिल कार्य है।

9 दिसम्बर, 2007 को एक नए बीबीसी जनमत संग्रह से यह पता चला है कि मीडिया में विश्वास के बारे में यद्यपि भिन्न–भिन्न विचार हैं। भारतीय मीडिया के संबंध में लोग सबसे अधिक विचार व्यक्त करते हैं, जबकि रूस, ब्रिटेन और अमरीकी प्रेस के बारे में लोग बहुत कम विश्वास करते हैं।

लगभग 61 प्रतिशत भारतीयों को विश्वास है कि देश में समाचारों की रिपोर्ट ईमानदारी से दी जा रही है और 72 प्रतिशत लोग सोचते हैं कि भारत में प्रेस और मीडिया स्वतंत्र है, जबकि यू.के. में इस प्रकार की बात केवल 56 प्रतिशत लोग अनुभव करते हैं। 35 प्रतिशत भारतीय यह मानते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, और 2 प्रतिशत सोचते है कि वह स्वतंत्र नहीं हैं।

14 देशों में करवाई गए 11,344 लोगों के जनमत संग्रह से यह पता चला है कि सभी देशों में औसतन 56 प्रतिशत लोग यह सोचते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां का समाज स्वतंत्र है। जबकि, विश्व में 40 प्रतिशत लोग यह सोचते हैं कि सामाजिक सौहार्द्ध और शांति अधिक महत्वपूर्ण हैं, हालांकि, समाचारों की कहानियों के द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है।

70 प्रतिशत अमरीकियों द्वारा स्वतंत्र समाज के लिए स्वतंत्र प्रेस महत्वपूर्ण समझी जाती है। इसके पश्चात, यू.के. और जर्मनी में 67 प्रतिशत लोगों द्वारा ऐसा माना जाता है। हालांकि, भारतीय राय एकमत नहीं है, क्योंकि 48 प्रतिशत सामाजिक सौहार्द को मानते हैं, जबकि 41 प्रतिशत प्रेस की स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। लगभग 43 प्रतिशत लोग यह मानते हैं कि प्राइवेट समाचार संगठन ईमानदार होते हैं और सही समाचार देते हैं, जबकि 39 प्रतिशत पब्लिक द्वारा वित्त व्यवस्था किए जाने वाले संगठनों के बारे में ऐसा मानते हैं। भारत ऐसे देशों में सबसे ऊपर है, जो यह मानते हैं कि सरकारी न्यूज वाले समाचार संगठनों का कार्य–निष्पादन अच्छा है।

14 देशों के 56 प्रतिशत लोग, जिन्होंने इस सर्वेक्षण में अपनी राय व्यक्त की, यह सोचते हैं कि उनके देशों की प्रेस और मीडिया बिना पक्षपात के सही समाचार देते हैं। केवल 19 प्रतिशत कहते हैं कि उनके देश में मीडिया कम स्वतंत्र है या स्वतंत्र नहीं है।

कुछ देशों में प्राइवेट मीडिया के स्वामित्व के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। ब्राजील, मेक्सिको, यू.एस.ए. और ग्रेट ब्रिटेन में अधिकांश लोगों का यह विश्वास है कि कुछ हाथों में मीडिया का स्वामित्व केंद्रित होना एक चिंता का विषय है, क्योंकि स्वामी के राजनीतिक विचार रिपोर्टिंग में दिखाई देते हैं।

इस जनमत संग्रह में यह सुझाव दिया गया है कि जहाँ एक ओर ब्रिटेन में मीडिया की स्वतंत्रता पर काफी विश्वास किया जाता है, वहीं वे सरकारी या प्राइवेट वित्त व्यवस्था वाले दोनों प्रकार के संगठनों द्वारा समाचार देने की यथार्थता को बहुत जटिल मानते हैं।

प्राइवेट समाचार संगठनों के कार्य–निष्पादन के बारे में ब्रिटिश लोगों का विचार सकारात्मक नहीं है। विश्व में जहाँ 43 प्रतिशत लोगों ने इसे अच्छा कार्य–निष्पादन बताया है, वहीं ब्रिटेन में 28 प्रतिशत लोगों ने इसे अच्छा कार्य–निष्पादन बताया है।

उत्तरदाताओं के एक बहुत बड़े समूह के 44 प्रतिशत लोगों ने समाचार की रिपोर्टिंग में ईमानदारी है और यथार्थता को औसत माना है।

यह सर्वेक्षण ग्लोबल स्कैन एंड साइनोवेट नामक अंतर्राष्ट्रीय जनमत फर्म द्वारा भारत, ब्राजील, मिस्र, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, कीनिया, मेक्सिको, नाइजीरिया, रूस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, यूएई, अमेरिका और वेनेजुएला में किया गया था। **(दि पायनियर, नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसंबर, 2007)।**

इस क्षेत्र में रेडियो प्रसारण के 70 वर्ष से अधिक के संबंध में एक प्रतिष्ठा व्यक्त की गई है, जैसा कि मत व्यक्त करने वालों में से एक लाख लोगों ने मत व्यक्त किया।बीबीसी, विश्व सेवा मध्य एशिया के सबसे प्रतियोगी स्वामी में विश्व की प्रमुख समाचार एजेंसियों में इसे पुनः स्थापित करने के लिए विवादास्पद नया सैटेलाइट चैनल प्रसारित कर रहा है।

चूँकि, इसने अपने विरोधी के रूप में *अल–जजीरा* को माना है, अतः *बीबीसी अरेबिक* को इस आरोप का सामना करना पड़ा कि यह ब्रिटिश विदेश नीति यंत्र की एक हत्या की भांति है और इस में शंका व्यक्त की गई कि बेहद विस्तृत क्षेत्र में यह इसे स्थापित कर भी पाएगा या नहीं।

बीबीसी अरेबिक टी.वी. उस समय चालू किया जा रहा है जबकि अरब की सरकार विद्यमान सैटेलाइट टी.वी. चैनल पर इस बात के लिए रोक लगाना चाहती है कि इससे "सामाजिक शांति, राष्ट्रीय एकता, लोक व्यवस्था और लोक नैतिकता पर प्रतिकूल प्रभाव" पड़ रहा है अथवा "इससे नेताओं, राष्ट्र या धार्मिक प्रतीकों का अपमान हो रहा है।" *अल–जजीरा* और लेबनान का *अल–मनार टी.वी.* 22 सदस्यों वाले अरब लीग द्वारा पिछले माह जारी किए गए "चार्टर ऑफ प्रिंसिपल्स" को मुख्य लक्ष्य के रूप में देखा गया है।

इसकी शुरुआत पश्चिमी सउदी अरब और मिस्र के पक्षधरों द्वारा की गई है, जिनका मध्य पूर्व के मीडिया पर प्रभाव है। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च, 2008)।**

ब्रिटेन के दो समाचारपत्रों ने 19 मार्च, 2008 को अपने मुख्य पृष्ठ पर उन माता–पिताओं से अभूतपूर्व माफी मांगी है, जिनके बारे में उन्होंने लिखा था कि मैडेलिन मैककेन में खोई लड़कियों की हत्या संभवतः उनके मां–बाप ने की है और इस बात को छिपाने के लिए उनके खोने का नाटक रचा गया है।

डेली एक्सप्रेस और *डेजी स्टार* ने कहा कि केट और ग्रे मैककेन के खिलाफ लगाए गए इन आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं है, जिनकी बेटियाँ पिछली मई में अवकाश के दिनों में पुर्तगाल में खो गई थीं और कहा कि वे "पर्याप्त" हर्जाना देने के लिए सहमत हैं।

मैडेलीन में खोने की घटना अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काफी छा गई।

डेली एक्सप्रेस ने कहा कि "हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि समाचारपत्रों में छपे कई लेखों में यह सुझाव दिया गया कि यह जोड़े मैडेलीन में खोई हुई अपनी बेटियों की मृत्यु का कारण स्वयं थे और बाद में, इस बात को छुपाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था।"

हम यह स्वीकार करते हैं कि "इस सिद्धांत के समर्थन में किसी भी प्रकार का साक्ष्य नहीं है और केट तथा गैरी अपनी पुत्रियों के खोने में पूर्णतः निर्दोष थे।"

लंदन के उच्च न्यायालय ने 19 मार्च, 2008 को अंततः इस मामले का निपटान किया और *संडे एक्सप्रेस* और *डेली स्टार संडे* से अपेक्षा की गई कि वे इस सप्ताह के अंत में अपने समाचारपत्रों में इसके संबंध में पुनः माफी मांगें।

मेडिलीन मैककेन अपने चौथे जन्म दिन से थोड़ा पहले ही गायब हो गया जबकि वह अलग्रेव रिसोर्ट ऑफ *प्रेरिया डा लुज़* में परिवार सहित छुट्टी बिताने गए था। इस संबंध में तत्काल बड़ी पुलिस जाँच की गई। **(टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च, 2008)।**

फ्रांस

फ्रांस के एक बहुत प्रभावशाली दैनिक *ली मोंडे,* ने कहा कि फ्रांस के समाचारपत्र उद्योग ने एक बहुत ही उथल–पुथल वाला कठिनाई का दौर देखा है। इसमें एक बोली में एक मास के अंत में लागत में कटौती का पता चला, जिससे अगले वर्ष तक अकेले फ्रांस में कम से कम 10 एम. यूरो हो जायेगा। स्टाफ को खतरा है कि इस योजना के अधीन उनके जॉब ही समाप्त हो जाएंगे, जिसकी संभावना 19 दिसंबर को व्यक्त की गई है। **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसंबर, 2007)।**

पैरिस स्थित मीडिया के वाचडॉग रिपोर्टर सेन फ्रंटियर ने कहा है कि पिछले वर्ष मरे 86 पत्रकारों में से आधे से अधिक इराक में मरे। वर्ष 2007 में पूरे विश्व में 25 पत्रकार मरे थे और उसके बाद ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। **(जनसत्ता, नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी, 2008)।**

स्वीडन

स्वीडन के एक समाचारपत्र ने 29 अगस्त, 2007 को अपने प्रकाशनों का बचाव किया, जिसमें एक कुत्ते के शरीर पर मुस्लिम पैगम्बर मोहम्मद का सिर चित्रित किया गया था, जिसका ईरान द्वारा सरकारी स्तर पर विद्रोह किया गया।

डेली *नेरिक्स अलेहांडा* ने पिछले सप्ताह एक चित्र प्रकाशित किया, जिसमें 27 अगस्त, 2007 को तेहरान में स्वीडन के प्रभारी अधिकारी को सम्मन करने के लिए ईरान की सरकार तत्काल जो कदम उठा रही थी। इसे उन्होंने अपमानजनक चित्र बताया था।

यह चित्र स्वीडन के चित्रकार लार्स विल्किस द्वारा बनाया गया था और उस शृंखला का भाग था, जिसे स्वीडन की आर्ट गैलरी में प्रदर्शित करने से मना कर दिया गया था। समाचारपत्र के प्रकाशक ने इस चित्र को बोलने की स्वतंत्रता की रक्षा बताया था।

समाचार पत्र ने 29 अगस्त, 2007 को अपनी वेबसाइट में एक संपादकीय में लिखा कि "यह एक अप्रत्याशित सेल्फ–सेंसरशिप है।" उसने यह बात गैलरी द्वारा विल्किस के चित्रों को प्रदर्शित न करने के अड़ियल रवैये के संदर्भ में कही। उसने लिखा कि "धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और ईश–निंदा संबंधी धर्म का अधिकार साथ–साथ चलते हैं।"

पिछले वर्ष डैनिस के समाचारपत्र द्वारा प्रकाशित पैगम्बर मोहम्मद के कार्टून के बाद पूरे विश्व में मुसलमानों ने आग उगली। इस कार्टून को अन्य यूरोपीय समाचारपत्रों ने भी बाद में प्रकाशित किया।

स्वीडन की मुस्लिम परिषद् ने, देश में इस्लाम समूहों को संरक्षण प्रदान करने वाले संगठन ने, इस मामले पर *नेरिक्स अलेहांडा* के साथ चर्चा की। बेनौडा ने कहा कि "मैं समझता हूँ कि उन्होंने शायद हमारे इस दृष्टिकोण को ऐसा समझा है कि आप ऐसे चित्रों को नहीं छाप सकते हैं, जो जातिवादी, विदेशी–द्वेष अथवा समानता विरोधी हों।"

उल्फ जोहनसन, *नेरिक्स अलेहांडा* के मुख्य संपादक ने कहा कि उसका समाचारपत्र इस मुद्दे को किस प्रकार ले रहा है और डैनिश किस प्रकार – इसमें अंतर है। **(दि स्टेट्समैन, नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त, 2007)।**

कुत्ते के शरीर पर हजरत मोहम्मद चित्र प्रकाशित करने वाले एक समाचारपत्र के खिलाफ स्वीडन के मुस्लिमों ने 31 अगस्त, 2007 को एक प्रदर्शन किया और इसके मुख्य संपादक से माफी मांगने को कहा। अफगानिस्तान ने भी 30 अगस्त, 2007 को इस रेखाचित्र की निंदा की और कहा कि यह मुस्लिम जगत के प्रति एक विरोधी भावना है।

ओरेब्रो में *नेरिक्स अलेहांडा* समाचारपत्र के बाहर किए गए प्रदर्शन से स्वीडन के चित्रकार लार्स विल्किस द्वारा कार्टून पर बाद में ईरान और पाकिस्तान की सरकारों ने भी औपचारिक विरोध किया। स्वीडन के प्रधान मंत्री ने कहा कि मुसलमान, ईसाई और गैर–धार्मिक समूहों के बीच परस्पर सम्मान होना चाहिए अन्यथा एक व्यापक टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। डैनिश ने समाचारपत्र द्वारा हजरत मोहम्मद के 12 कार्टून प्रकाशित करने के बाद मुस्लिम देशों में इसका भारी विरोध किया गया।

समाचारपत्र के मुख्य संपादक उल्फ जोहनसन ने लमहांडी से भेंट की, लेकिन कार्टून के संबंध में माफी मांगने से इनकार कर दिया, जो 19 अगस्त की संपादकीय का भाग था। इस संपादकीय में उस चित्र को स्वीडन की आर्ट गैलरी में प्रदर्शित नहीं किए जाने की आलोचना की गई थी, जिसमें विल्किस ने मोहम्मद को दर्शाया था। **(दि टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 2 सितंबर, 2007)।**

स्वीडन के *डेजंस निहेटर (डीएन)* समाचारपत्र ने कहा कि उसने पहला टेलीफोन समाचारपत्र जारी किया है। इसमें एक मोबाइल फोन के जरिए अभिदाता को सीधे जोड़ा जाता है और इसकी वेबसाइट की पहुंच भी निःशुल्क है। "हम चाहते हैं कि हमारे पाठक समाचारों से उस समय भी अवश्य अवगत हो सकें जब वे ऐसे स्थान पर हों, जहां उनके हाथ में समाचारपत्र नहीं पहुंच सके या कम्प्यूटर तक (इंटरनेट के जरिए भी) उनकी पहुंच न हो। समाचारपत्र के मुख्य संपादक और प्रकाशक थोर्बजोर्न लार्सन ने कहा कि उन्होंने यह भी कहा कि "यह समाचारों के वितरण का एक दूसरा तरीका है।" *डीएन* के पाठक इस समाचारपत्र की वेबसाइट पर नोकिया का 6120 थर्ड जनरेशन फोन खरीद सकते हैं और 199 करोनोर (31 पाउंड) मासिक के लिए हस्ताक्षर कर के विशेष 'डीएन' बटन को हल्के से दबाकर दैनिक वेबसाइट से निःशुल्क समाचार प्राप्त कर सकते हैं। **(दि टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 14 दिसंबर, 2007)।**

डेनमार्क

डेनमार्क के प्रमुख समाचारपत्रों ने 13 फरवरी, 2008 को हजरत मोहम्मद को एक कार्टून में पुनः दिखाया, जिसमें उन्होंने बम के आकार की पगड़ी पहन रखी थी। समाचारपत्रों ने कहा कि 12 फरवरी, 2008 को पश्चिमी डेनमार्क में ऐसे तीन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद वे बोलने की स्वतंत्रता के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाना चाहते हैं। इन तीन लोगों पर आरोप था कि वे उस व्यक्ति को मारने की योजना बना रहे थे, जिसने यह कार्टून बनाया था।

कुर्त वेस्टरगार्ड और 11 अन्य कार्टूनिस्टों द्वारा मोहम्मद का चित्र बनाए जाने के कारण दो वर्ष पूर्व मुसलमान उस समय भड़क गए थे, जब पश्चिमी समाचारपत्रों में ये चित्र छापे गए थे।

इस्लाम धर्म के अनुसार, पैगम्बर के चित्र को बनाने का विरोध किया जाता है, भले ही यह उनके सम्मान में बनाया गया हो, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें लगता है कि इससे बुतपरस्ती को बढ़ावा मिल सकता है। **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी, 2008)।**

बेल्जियम

अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार परिसंघ ने अपने वक्तव्य में कहा कि समाचार कारोबार उस समय बहुत ही खतरनाक व्यवसाय हो गया जब पिछले वर्ष अपना कार्य करते हुए 171 पत्रकारों की हत्या कर दी गई जो 2006 में 177 मौतें दर्ज करने के आस–पास था।

ब्रसेल्स के एक संगठन ने कहा कि 65 पत्रकारों और मीडिया कर्मचारियों के मारे जाने के कारण इराक में हुई हत्याएं विश्व की ऐसी एकल हत्याओं का एक–तिहाई थीं।

समूह ने यह भी कहा कि सोमालिया और पाकिस्तान भी पत्रकारों के लिए बहुत खतरनाक स्थानों की सूची में हैं, क्योंकि सोमालिया में 8 पत्रकारों की और पाकिस्तान में 7 पत्रकारों की

हत्या की गई। उसमें यह भी बताया गया कि मेक्सिको में 6 पत्रकारों की मृत्यु हुई है, जहाँ नशीली दवा के अवैध व्यापार के बारे में लिखना बहुत खतरनाक हो गया है। **(दि स्टेट्समैन, नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी, 2008)।**

मिस्र

न्यायालय के स्रोतों से पता चला है कि मिस्र के न्यायालय ने 13 सितंबर, 2007 को 4 बड़बोले समाचारपत्रों के संपादकों को एक वर्ष की कैद की सजा दी। यह सजा उन्हें राष्ट्रपति हुसने मुबारक और उसके राजनीतिज्ञ पुत्र गैंबल को बदनाम करने के लिए दी गई।

न्यायालय ने इब्राहिम इस्सा, अडेल हम्माउडा, वेइल एल–एब्राशी और अब्दल हालिम कांडिल में इस प्रकार प्रत्येक पर 3,540 डालर का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि वे अपील करना चाहते हैं तो अपील पर निर्णय लेने तक जेल से बाहर रहने के लिए प्रत्येक को 10,000 डालर की जमानत राशि अदा करनी होगी।

संपादकों के खिलाफ मुकदमे में एक वर्ष पहले सत्ताधारी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के दो सदस्यों द्वारा संपादकों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। 13 सितंबर, 2007 को स्टेट सेक्युरिटी प्रोसिक्यूटर्स ने *अल–दस्तूर* दैनिक समाचारपत्र के संपादक इस्सा पर इसी प्रकार के एक मानहानि के आरोप में एक अलग मुकदमा चलाया गया **(दि टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 14 सितंबर, 2007)।**

20 से अधिक स्वतंत्र और मिस्र–विरोधी समाचारपत्रों ने 7 अक्तूबर, 2007 को विरोध जताने के रूप में अपने समाचारपत्र प्रकाशित करने बंद कर दिए। उनका मानना था कि सरकार प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म करना चाहती है।

मिस्र के न्यायालय ने पिछले माह राष्ट्रपति हुसने मुबारक और उसके एक राजनीतिज्ञ पुत्र को बदनाम करने के लिए चार समाचारपत्रों के संपादकों को एक वर्ष की कैद की सजा दी, जिसकी मानव अधिकार समूह ने निंदा की। *अल–मैसरी अली योउम* और अंग्रेजी भाषा के *कैरो टाइम्स* नामक स्वतंत्र समाचारपत्र के पूर्व प्रकाशक हिसाम कसीम, ने कहा कि "स्वतंत्र समाचारपत्रों को पिछले कुछ वर्षों में कुछ स्थान प्राप्त हुआ है, लेकिन मुबारक उसे फिर पुरानी स्थिति में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि स्वतंत्र समाचारपत्रों में कोई स्पष्ट बात कही जाए, तो इसे अस्वीकार नहीं किया जाएगा।" **(इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्तूबर, 2007)।**

केप टाउन

4 जून, 2007 को यहाँ विश्व समाचारपत्र संघ ने कहा कि विश्व में समाचारपत्रों का परिचालन 2006 में 2.3 प्रतिशत बढ़ा, जिसमें भारत में हुई बिक्री में 12.93 प्रतिशत की सबसे अधिक वृद्धि हुई। समाचारपत्रों की बिक्री एशिया, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में बढ़ी

है, जबकि, उत्तरी अमेरिका ही केवल एक ऐसा देश है, जहाँ इसमें गिरावट दर्ज की गई है। विश्व समाचारपत्र संघ का कहना है कि दैनिक समाचारपत्रों का अदा किया गया विज्ञापन राजस्व पिछले वर्ष 3.77 प्रतिशत था।

दैनिक समाचारपत्रों की बिक्री में 100 सर्वोत्तम देशों में से 60 प्रतिशत में चीन, जापान और भारत की गिनती होती है, जबकि, समाचारपत्रों का सबसे बड़ा बाजार चीन, भारत, जापान, अमरीका और जर्मनी है।

यदि समूल्य समाचारपत्रों के परिचालन में निःशुल्क दैनिक समाचारपत्रों को जोड़ दिया जाता है, तो इसका वैश्विक परिचालन बढ़कर 4.61 प्रतिशत हो जाता है। सभी वैश्विक समाचारपत्रों के परिचालनों का लगभग 8 प्रतिशत अब निःशुल्क है। विश्व प्रेस की प्रवृत्ति के विश्व समाचारपत्र संघ के वार्षिक सर्वेक्षण के आंकड़ों में 1,600 से अधिक प्रकाशक, संपादक और अन्य वरिष्ठ समाचारपत्र कार्यपालक गिनाए गए हैं, जो 60वीं विश्व समाचारपत्र कांग्रेस में आयोजित 14वें वर्ल्ड एडिटर्स फोरम में 109 देशों से आए थे।

इस प्रवृत्ति में इंटरनेट की बढ़ोतरी भी शामिल है। पैरिस के विश्व समाचारपत्र संघ के सीईओ तिमोथी बालडिंग ने कहा कि "क्योंकि डिजिटल के मिलने से कुछ मजबूती आई है, इसलिए यह उल्लेखनीय है कि मुद्रित प्रेस अधिकतर पाठकों के लिए पसंदीदा मीडिया बना हुआ है।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि "समाचारपत्र अपने पाठकों को बढ़ाने के लिए डिजिटल डिस्ट्रिब्यूशन चैनलों के जरिए सभी नए अवसरों का लाभ उठा रहा है।" **(दि टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 5 जून, 2007)।**

पूर्वी तिमोर

पूर्वी तिमोर के प्रधानमंत्री एक्सानन गुसमाओ ने स्थानीय पत्रकारों को गिरफ्तार करने की धमकी दी। इसका कारण उन्होंने यह बताया कि वे अशांत क्षेत्र में सही न्यूज रिपोर्टिंग न कर के राष्ट्रीय अस्थिरता को बढ़ावा दे रहे हैं।

गोसमाओ ने रिपोर्टरों से कहा कि यदि वे झूठी रिपोर्टिंग करते रहे या बिना किसी स्रोत की रिपोर्टिंग करते रहे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

गोसमाओ ने कहा कि वर्ष 2008 पूर्वी तिमोर का सुधारवादी युग है और यह बात स्थानीय मीडिया में भी बताई जाए। **(आस्ट्रेलियाई न्यूज का वेबसाइट संकलन दिनांक 18 जनवरी, 2008)।**

एशिया

साउथ एशिया कमीशन ने, जिसका औपचारिक गठन 1 अप्रैल, 2007 को हुआ, ने प्रभावी

मानीटरिंग और तत्काल उत्तर के लिए एक तंत्र का विकास करने में अपनी भूमिका अदा की ताकि साउथ एशिया में पत्रकारों और मीडिया संगठनों पर आक्रमण न हो।

कमीशन मीडिया के अधिकारों का उल्लंघन करने के बारे में सूचना एकत्र करेगा और दक्षिण एशिया के आठ देशों में प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडिया या इंटरनेट नेटवर्क के जरिए इसका प्रसारण करेगा। "यह पत्रकारों पर किए गए मामलों के संबंध में कार्रवाई के बारे में आवधिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करेगा। *दि हिंदू* के संपादक एन. राम ने कहा कि पत्रकारों, संपादकों और उनके मालिकों के कार्य–निष्पादन की समीक्षा करते समय वह प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाए गए उचित और अनुचित प्रतिबंध के बारे में व्यापक और वस्तुपरक ध्यान देगा। श्री एन राम इस कमीशन के पहले अध्यक्ष चुने गए हैं। पाकिस्तान के दैनिक *डेली टाइम्स* के संपादक नजाम सेठी को इसका महासचिव तथा हुसैन नकी को संयोजक चुना गया है।

यह कमीशन, जिसे साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन (एसएएफएमए) केंद्रीय सचिवालय का सहयोग प्राप्त है और इसके नेशनल चेप्टर में सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष तय किया गया है, जिसे नवीकृत किया जा सकता है, परंतु यह लगातार दो कार्यकाल से अधिक नहीं होगा। इस कमीशन का राष्ट्रीय अध्याय सभी दक्षिण एशियाई देशों में होगा। ये नेशनल अध्याय एपेक्स कमीशन के सात सदस्यों को नामित करेंगे। **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल, 2007)।**

चीन

विकास के नाम पर चीन का सबसे अधिक सम्मानजनक प्रकाशन बंद कर दिया गया है। यह बहु–पक्षीय, सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा जाता था। 12 जुलाई, 2007 को इसके ब्रिटिश संपादक निक यंग ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत सुधारवादी मानसिकता के नेता इस अलाभकारी पत्रिका को बचाने का प्रयास करेंगे।

इस पत्रिका का चीनी भाषा का संस्करण, *चाइना डेवलपमैंट ब्रीफ (सीडीबी)* बंद कर दिया गया है क्योंकि उसे लोगों का साक्षात्कार छापने से रोका गया है ताकि वे अंग्रेजी संस्करण के लिए लेख न लिख सकें। अंग्रेजी संस्करण इंटरनेट पर है। इसका समर्थन चीन से बाहर कई लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिसकी वजह से बीजिंग द्वारा इसे बंद करना कठिन है।

यंग और उसके साथियों को सांख्यिकीय कानून का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है, जिनके अनुसार चीन के नागरिकों का विदेशियों द्वारा साक्षात्कार नहीं लिया जा सकता है। यंग ने कहा कि वह सरकारी या अर्द्ध–सरकारी संगठनों के साथ हाथ मिलाने को प्राथमिकता देंगे ताकि वे सीडीबी को बंद किए जाने की बजाए इसे आगे प्रकाशित करते रहें।

यंग ने कहा कि वह इस संबंध में कोई बात स्पष्ट नहीं बता सकता है। 12 वर्ष बाद यह प्रकाशन बंद क्यों किया गया। "क्या हम अपनी सफलता के शिकार हुए हैं या हम आवश्यकता

से अधिक देखने लग गए हैं या हमें इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है।" **(दि टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई, 2007)।**

अमेरिका के ह्यूमन राइट वॉच ने कहा है कि ह्यूमन राइट रिकार्ड में सुधार लाने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में आश्वासन दिए जाने के बावजूद और मीडिया की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किए जाने के बावजूद चीनी पत्रकारों के अधिकारों को लगातार कम कर रहा है।

वाच एजेंसी ने कहा कि बीजिंग में 2008 में होने वाले ओलंपिक शीघ्र ही शुरू होंगे, लेकिन पुलिस प्राधिकारियों द्वारा चीन के पत्रकारों को लगातार परेशान किया जा रहा है।

ह्यूमन राइटस वॉच के सोफी रिचर्डसन ने प्रश्न उठाया कि चीन की सरकार मीडिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। **(जनसत्ता, नई दिल्ली, दिनांक 9 सितंबर, 2007)।**

चीन की मजल्ड प्रेस और बरगियोनिंग इंटरनेट ने नागरिक रिपोर्टरों की बात सुनी और उन्हें इस बात का अवसर दिया कि समाचार को जल्दी फैलाने के लिए सरकार को सैंसर कैसे नियंत्रित कर सकता है।

लेकिन सैंसर लगाने के लिए और चीन के गरीब लोगों को बल प्रदान करने के लिए बीजिंग के समाचार की घटनाओं द्वारा उसके अहित के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी और चीन के सैंसर न किए गए समाचार में वह एक दुर्लभ वस्तु के रूप में लुप्त हो जाएगी।

झोऊ मुगुअंग, जो ज़ोला नाम से लिखता है, ऐसे नागरिक रिपोर्टर हैं, जिन्होंने यह पाया कि पिछड़े लोगों का प्रमुख इंटरनेट सफर जल्दी ही उनसे धन लेने में जुट गया है। **(दि टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 13 नवंबर, 2007)।**

ओलंपिक से संबंधित नियमों के बावजूद चीन में रिपोर्टिंग करते समय विदेशी पत्रकारों को भी सरकारी हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है। इंटरनेट मीडिया समूह का कहना है कि ओलंपिक से संबंधित नियमों के अनुसार प्रेस को इससे अधिक स्वतंत्रता देना इसका लक्ष्य है।

चीन के विदेश संवाद्दाता क्लब ने कहा कि वह उस नियम का स्वागत करते हैं, जो आज के दिन एक वर्ष पहले लागू किया गया था, लेकिन उसने वर्ष 2007 में ऐसी 180 घटनाओं को दर्ज किया है, जिनमें पत्रकारों के कार्य में हस्तक्षेप किया गया है। **(दि स्टेट्समैन, नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी, 2008)।**

मलेशिया

संयुक्त राज्य ने 12 दिसंबर, 2007 को मलेशिया की सरकार के प्रधान मंत्री अब्दुल्ला अहमद बदावी से कहा है कि वे विचार अभिव्यक्ति और एकत्र होने की स्वतंत्रता प्रदान करें, जो उनके विरोध के कारण दम तोड़ रहा है।

विभाग के प्रवक्ता नैन्सी बेक ने कहा कि "हमने मलेशिया के प्राधिकारियों के सामने बार–बार यह प्रश्न उठाया है कि किसी भी देश के नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने और अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।" उसने यह भी कहा कि "अपनी वार्षिक मानव अधिकार रिपोर्ट में हमने यह भी बताया है कि मलेशिया की सरकार ने शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने के अधिकार पर भारी प्रतिबंध लगाया है।"

कुआलालाम्पुर में भारी जोड़–तोड़ के बाद 10 दिसंबर, 2007 को बैक्स ने टिप्पणी की, कि दक्षिणपंथी समूह और विपक्ष के नेताओं ने लोकतंत्र विरोधी के रूप में इसकी निंदा की है। कुआलालाम्पुर में पिछले दो माह में दो जन प्रदर्शन हुए थे, जिनमें 10 दिसंबर, 2007 को तीन कानूनी कार्रवाइयाँ की गई थीं। **(दि टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसंबर, 2007)।**

31 दिसंबर, 2007 को एक रोमन कैथोलिक समाचारपत्र ने कहा कि सरकार ने "अल्लाह" शब्द का प्रयोग करने पर रोक लगाने का अपना निर्णय बदल दिया है, जिससे इस बहु–धार्मिक देश में जातीय सौहार्द का तनाव कम हुआ है। रेव लारेंस एन्ड्रयू नामक इसके संपादक ने बताया कि एक सप्ताह बीत जाने के बाद एक आश्चर्यजनक घटना में सरकार ने "दि हेराल्ड" साप्ताहिक, 2008 को बिना किसी शर्त के प्रकाशित करते रहने की अनुमति दी है। उन्होंने "एसोसिएटिड प्रेस" से यह भी कहा कि ऐसी कोई शर्त नहीं है, जिसमें "अल्लाह" शब्द पर रोक लगाई गई हो।

दि हेराल्ड, जिसकी 12,000 प्रतियाँ परिचालित की गई हैं, ने अंग्रेजी के मलय, मंडारिन और तमिल नामक चार भाषाओं में देश के 900,000 कैथोलिकों के लिए रिपोर्टें प्रकाशित की हैं। लेकिन *"दि हेराल्ड"* के एन्ड्रयू ने कहा कि वह कानूनी पृष्ठांकन की न्यायिक कार्रवाई करने का अनुसरण करेगा, जिसमें उसने कहा कि "अल्लाह" शब्द का प्रयोग करना उसका सांविधिक अधिकार है। **(इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 1 जनवरी, 2008)।**

मलेशिया की सरकार ने यह कहते हुए इस बात पर जोर दिया कि कोई भी गैर–इस्लामिक प्रकाशन "अल्लाह" शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि इससे देश के मुसलमानों में "संवेदनशीलता और भ्रम की स्थिति" पैदा हो सकती है।

उसने कहा कि 'सोलत' (मुसलमानों की धार्मिक इबारत), 'काबाह' (वह दिशा, जिसमें मुसलमान इबारत करते हैं) और 'बैतुल्लाह' (खुदा का घर) नामक तीन अन्य शब्द भी अन्य धर्मों के प्रकाशनों में प्रयोग में नहीं लाए जा सकते हैं।

कैथोलिक साप्ताहिक *दि हेराल्ड* के दृढ़ कथन के बाद सरकार ने बयान दिया कि यह इसके 'बहासा मलेशिया' खंड के मुद्रण को जारी रखने की अनुमति देती है और ईश्वर के लिए "अल्लाह" शब्द का प्रयोग करने पर प्रतिबंध नहीं लगाती है। लेकिन प्रधान मंत्री के विभाग में मंत्री अब्दुल्लाह मोहम्मद जिन को 'स्टार' समाचारपत्र ने यह कहते हुए कोट किया कि 'अल्लाह'

शब्द पर प्रतिबंध लगाने का मंत्रिमंडल का निर्णय अभी भी लागू है। **(दि स्टेट्समैन, नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी, 2008)।**

फिलीपींस

फिलीपीन के जस्टिस सैक्रेटरी राउल गोंजालेज़ ने समाचार संगठनों को चेतावदी दी कि यदि उन्होंने सरकारी अधिकारियों के आदेशों का अपने तरीके से उल्लेख किया तो उन्हें कानून के अधीन आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

"कृपया ध्यान रखें कि आपकी संबंधित कंपनी, नेटवर्क या संगठन को कानून के अधीन आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, यदि आपके किसी फील्ड रिपोर्टर, समाचार एकत्र करने वाले, फोटोग्राफर, कैमरामैन और अन्य मीडिया व्यवसायी ने विधिवत प्राधिकृत सरकारी अधिकारियों और आपातकाल के दौरान कार्मिकों द्वारा जारी किए गए कानूनी आदेशों का उल्लंघन किया।"

नवंबर के अंत में उस समय मीडिया और सरकार में टकराव की स्थिति पैदा हो गई जब कनिष्ठ अधिकारियों ने मैगडालो समूह के सदस्यों द्वारा एक आंदोलन को शांति करने के लिए माकाती सिटी में मनीला पेनिनसुला होटल में आंदोलन करने के बाद पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। **(दि स्टेट्समैन, नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी, 2007)।**

पाकिस्तान

राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ द्वारा बढ़ते हुए राजनीतिक संकट में इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर नई रोक लगाने को पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई।

वरिष्ठ वकील जफरूल्ला खान ने यह कहते हुए 5 जून, 2007 को उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की, कि टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट पर नियंत्रण करने संबंधी उपाय से पाकिस्तान के लोग "स्तब्ध" रह गए हैं।

9 मार्च को मुख्य न्यायाधीश इफ्तिख़ार मौहम्मद चौधरी के निलंबन की अलोकतांत्रिक घटना प्रकाशित करने के बाद 4 जून, 2007 को पाकिस्तान इलैक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथारिटी (पेमरा) को मुशर्रफ ने अतिरिक्त शक्तियाँ दे दीं।

रेगुलेटर अब टेलीविजन और रेडियो चैनल के सभी परिसरों को सील कर सकता है और उनके उपकरणों को जब्त कर सकता है और नियम का उल्लंघन करने वाले मीडिया को निलंबित कर सकता है। इस नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माने की रकम भी काफी बढ़ा दी गई।

ये नियम उस समय लागू किए गए जब तीन निजी टेलीविजन स्टेशनों ने कहा कि सरकार ने उनका प्रसारण बंद कर दिया है।

4 जून, 2007 को इस्लामाबाद में मुशर्रफ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के कारण पुलिस ने लगभग 200 पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए और 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया। **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 7 जून, 2007)।**

पाकिस्तान सरकार ने कहा कि "मीडिया की स्वतंत्रता सरकार की उच्च प्राथमिकता है और उसकी स्वतंत्रता को कम करने का कोई प्रयास नहीं है।"

संघ के सूचना मंत्री, मोहम्मद अली दुर्रानी ने एक न्यूज कान्फ्रेंस में कहा कि पेमरा (पाकिस्तान इलैक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथारिटी) अध्यादेश जारी करने से यह मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ जाएगा।

इस बीच, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शौकत अजीज ने आदेश दिया कि 6 जून, 2007 को सरकार ने बताया था कि मीडिया पर रोक के खिलाफ की गई कार्रवाई पर रोक लगाने के बाद लगभग 200 पत्रकारों के खिलाफ आरंभ की गई शिकायत को तत्काल वापस लेने का आदेश दे दिया गया।

4 जून, 2007 को राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसमें ऐसे टी.वी. चैनलों के खिलाफ अपने विवेक से कार्रवाई करने के लिए 'पमेरा' को पूरी शक्तियाँ दी गईं, जिसके संबंध में उन्हें पता चले कि उसने 'पेमरा' नियमों का उल्लंघन किया है। कई प्राइवेट टी.वी. चैनलों, विशेषतः जियो न्यूज चैनल का प्रसारण 3 जून, 2007 से 5 जून, 2007 तक सरकार द्वारा उल्लंघन बताए जाने के कारण देश के कई हिस्सों में बंद कर दिया गया। 6 जून, 2007 को प्राइवेट टी.वी. चैनलों के सुचारु प्रसारण पर गड़बड़ होने की अभी कुछ सूचना प्राप्त हुई। मीडिया ने मुख्य न्यायाधीश इफ्तिख़ार मौहम्मद चौधरी के निलंबन के मामले को खूब बढ़–चढ़कर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिन्हें 9 मार्च को राष्ट्रपति मुशर्रफ द्वारा पद से हटा दिया गया था। श्री दुर्रानी ने कहा कि "सरकार ने पेमरा अध्यादेश से संबंधित बोर्ड के समक्ष इलैक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों को भी रखा और बातचीत के द्वारा यह मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया जाएगा।" **(दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 7 जून, 2007)।**

राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने 9 जून, 2007 को राजनीतिक संकट के बढ़ने के संबंध में पाकिस्तान का समाचार देने वाले मीडिया पर लगाई गई नई रोक को हटा दिया, जो पत्रकारों और विरोधी दलों द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन के एक सप्ताह बाद किया गया। मुशर्रफ ने पाकिस्तान समाचार चैनलों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 9.6.2007 को हुई बातचीत के दौरान यह प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया।

पाकिस्तान प्रसारण संघ के महासचिव ने कहा कि मुशर्रफ ने यह अध्यादेश तभी वापस लिया जब प्रसारकों ने यह आश्वासन दिया कि वे मीडिया की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के संबंध में एक आचरण संहिता तैयार करेंगे। एक अधिकारी ने कहा कि "राष्ट्रपति मुशर्रफ ने उनके

सुझाव का स्वागत किया और प्रसारकों से कहा कि वे प्रेस की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं।" मुशर्रफ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इफ्तिख़ार मौहम्मद चौधरी का निलंबन करने के उसके 9 मास के निर्णय की कई समाचारपत्रों में पूर्वाग्रह से आलोचना की गई और उसका निर्णय प्राधिकार को प्रयोग में लाना था। चौधरी द्वारा आयोजित रैली में उनके भाग लेने को रोकने के लिए टी.वी. स्टेशनों पर अधिकारियों पर दबाव डाला गया और कई पत्रकारों को धमकाया गया या पीटा गया। इससे हजारों वकीलों और आंदोलनकारियों में तनाव बढ़ गया। **(दि टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 10 जून, 2007)।**

पाकिस्तान के मीडिया समुदाय ने 29 सितंबर, 2007 की घटना के खिलाफ 30 सितंबर, 2007 को काला दिवस मनाया था। इस घटना में पुलिस की कार्रवाई से कई पत्रकार घायल हो गए थे।

मुख्य न्यायाधीश इफ्तिख़ार चौधरी ने पुलिस के कहर का स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया, जिसमें कई वकील भी घायल हो गए थे और पुलिस के कई उच्चाधिकारियों और प्रशासन के अधिकारियों को आदेश दिया कि 1 अक्तूबर, 2007 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।

राज्य में सैंकड़ों पत्रकार राष्ट्रपति मुशर्रफ के ऐवान–ए–सदर कार्यालय में एक जुलूस के रूप में विरोधस्वरूप गए, जो उस स्थान से कुछ ही मीटर की दूरी पर था, जहाँ पर वकीलों के विरोध को दर्ज करने के कारण कई पत्रकारों को बुरी तरह पीटा गया था।

राजनीतिक दलों और सिविल सोसाइटी तथा विधिक समुदाय के प्रतिनिधि भी पत्रकारों की स्वायत्तता के पक्ष में बोलने लगे। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्तूबर, 2007)।**

पाकिस्तान प्रेस परिषद्

भंग उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जावेद इकबाल ने पाकिस्तान की प्रेस परिषद् के अध्यक्ष का पद स्वीकार किया जबकि, पाकिस्तान उन्होंने आपात विनियमों के अधीन शपथ लेने से इनकार कर दिया।

15 नवंबर, 2007 को दि न्यूज़ रिपोर्ट में कहा गया कि न्यायाधीश इकबाल अपने नए पद की हैसियत से मीडिया के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई करेंगे। हालांकि, न्यायाधीश इकबाल अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं हैं, तथापि, अपने नए पद पर उनकी वही हैसियत बनी रहेगी। न्यायाधीश इकबाल उच्चतम न्यायालय के सात सदस्यों वाली उस बैंच के सदस्य थे, जिसने राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ द्वारा लगाई गई आपात स्थिति को असंवैधानिक बताया था। **(दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 16 नवंबर, 2007)।**

पाकिस्तानी मीडिया ने उस स्थिति में 17 नवंबर, 2007 को एक नए निकाय का गठन किया, जब देश के प्रमुख प्राइवेट चैनल *जी ई ओ, टी.वी.* का प्रसारण बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान टाइम जी ई ओ, न्यूज का प्रसारण पाकिस्तानी घरों में दोपहर 1.00 बजे बंद कर दिया गया था।

प्रबंधक वर्ग ने कहा कि वह इसे बंद करने के लिए मजबूर है क्योंकि सरकार ने उस पर कई प्रकार के दबाव डाले हैं, लेकिन यह झुका नहीं।

जी ई ओ, टी.वी. का स्वामी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया घराना जंग समूह है। जंग समूह घोर अंग्रेजी भाषा के दैनिक दि न्यूज का भी स्वामी है । **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 18 नवंबर, 2007)।**

मुशर्रफ के शासनकाल में जी ई ओ, टी.वी., आज और एआरवाई डिजिटल नामक तीन प्राइवेट समाचार चैनल आरंभ किए गए थे। बाद में उन पर रोक लगाई गई। उनकी 6 बेहतर लोकप्रिय समाचार वार्ताओं को नहीं दिखाने दिया गया।

इसलिए वे अब घबराने लग गए। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के समर्थन में वे स्टूडियो से बाहर काम करने लग गए। इनके शो, में टी.वी. के वही दृश्य दिखाए जाने लगे, जो आपातकाल से पहले दिखाए जाते थे। अंतर केवल यह है कि अब उनका प्रसारण नहीं होता है। **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 23 नवंबर, 2007)।**

पत्रकारों के लिए इराक और सोमालिया के बाद विश्व का तीसरा सबसे खतरनाक देश पाकिस्तान है। इसलिए उनके लिए वहाँ आज़ादी से अपना कार्य करना आसान नहीं होता है। अभी तक पाकिस्तान में 6 पत्रकार मारे गए हैं। पत्रकार संगठन ने कहा है कि पाकिस्तान पत्रकारों का बचाव करने में असफल रहा है। **(हिंदुस्तान, नई दिल्ली, दिनांक 29 नवंबर, 2007)।**

पाकिस्तान के पत्रकार समाज ने देश में मीडिया की स्वतंत्रता पर चर्चा करने के लिए दिनांक 30 नवंबर, 2007 को आयोजित एक बड़े सम्मेलन में एक मांग पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने की मांग की गई। इसमें दमनकारी अध्यादेश को वापस लेने और 3 नवंबर से कोड लागू करने की बात भी कही गई है।

पत्रकारों ने हाल ही में संशोधित पाकिस्तान इलैक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथारिटी अध्यादेश को वापस लेने के लिए संघर्ष करने की कसम खाई और मीडिया पर लगाई गई आचरण संहिता, बिना किसी प्रतिबंध के सभी समाचार चैनल पुनः प्रसारित करने या कार्यक्रम विशेष पर रोक, किसी मीडिया की प्रताड़ना या उसका शोषण, पत्रकारों और डिश एंटीना के आयात पर रोक को हटाने के बारे में भी चर्चा की। **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसंबर, 2007)।**

राष्ट्रपति मुशर्रफ ने आपातकाल के कारण नवंबर में लगभग सभी प्राइवेट टी.वी. चैनलों का प्रसारण बंद कर दिया था। लेकिन देश का एक सौभाग्यशाली टी.वी. समाचार मीडिया अपना कार्य करता रहा, जिसने समाचारों पर प्रतिबंध को न मानते हुए पत्रकारों और पश्चिमी राजनयिकों द्वारा की गई सरकार की आलोचना का प्रसारण किया।

प्रमुख चैनलों को बंद करने के बाद उन सबके मालिकों को विज्ञापन राजस्व की लाखों डालरों की हानि हुई। लेकिन एक चैनल ने देश की सर्वोच्च राजनीतिक चर्चा का प्रसारण बंद करने के लिए सहमति व्यक्त की और सरकार द्वारा आदेशित (आचरण संहिता) पर हस्ताक्षर किए।

और नए अध्यादेश के अधीन मुशर्रफ द्वारा बनाए गए एकपक्षीय कानून में ऐसे चैनलों के प्रसारण करने पर तीन वर्ष की जेल की सजा टी.वी. पत्रकारों को भुगतने की बात कही गई, जो राज्य के प्रमुख को बदनाम करने या उसकी स्थिति को कमजोर करने से संबंधित प्रसारण करेगा या अन्य प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगा। मुशर्रफ द्वारा राज्य में आपातकाल समाप्त करने के बाद भी यह कानून लागू रहा, जिसे बनाने के लिए वह प्रतिबद्ध है। **(दि टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसंबर, 2007)।**

पाकिस्तान के प्रसारक रेगुलेटर ने 24 दिसंबर, 2007 को टी.वी. चैनलों द्वारा चुनाव की रैलियों और बैठकों के "सीधे और एक्सटेंसिव प्रसारण" पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि इस प्रकार के प्रसारणों से आगामी 8 जनवरी को होने वाले संसदीय चुनावों का वातावरण बिगड़ सकता है।

पाकिस्तान इलैक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथारिटी के अध्यक्ष इफ्तिख़ार रशीद ने कहा कि "ऐसी बैठकों में उम्मीदवारों द्वारा एक–दूसरे के खिलाफ कुछ भी कहा जा सकता है। इसलिए हमने राजनीतिक रैलियों और सीधे विस्तृत प्रसारण की अनुमति नहीं दी है।" **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 25 दिसंबर, 2007)।**

पाकिस्तान के इलैक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटर ने राजनीतिज्ञों के साक्षात्कारों, उनके भड़काने पर किसी की रिपोर्टिंग करने या उसका प्रसारण करने से टी.वी. चैनलों और रेडियो स्टेशनों पर रोक लगा दी।

सभी प्रसारणकर्ताओं को भेजे गए नोटिस में पाकिस्तान इलैक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथारिटी ने कहा कि उन्हें राजनीतिक क्रियाकलापों की रिपोर्टिंग करने और साक्षात्कारों को प्रसारित करने तथा नेताओं और दलों के कार्यकर्ताओं की टिप्पणियों को प्रसारित करने पर रोक लगा दी है। **(दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 18 नवंबर, 2008)।**

अफगानिस्तान

अफगानिस्तान के एक न्यायालय द्वारा एक युवा पत्रकार को मृत्य दंड दिए जाने के बाद 23 जनवरी, 2008 को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से मीडिया अधिकार समूह मिला और उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा। उस पत्रकार पर यह आरोप था कि उसने तथाकथित रूप से इस्लाम का अपमान करने संबंधी लेख बांटा था। बल्ख के उत्तरी प्रांत की निचली अदालत ने परवेज कमबख्श (23) को सजा सुनाई।

22 जनवरी, 2008 को अपने विश्वविद्यालय में तीन महीने पहले इस प्रकार की सामग्री को इंटरनैट से डाउनलोड करने के बाद वितरित करने पर उसे लगभग तीन महीने पूर्व गिरफ्तार किया गया था। परवेज कमबख्श द्वारा किए गए अपराध के आधार पर निचली अदालत ने 22 जनवरी, 2008 को उसे बहुत गंभीर दंड दिया। **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी, 2008)।**

कोंडालिसा राइज, यूएस सैक्रेटरी ऑफ स्टेट ने 6 फरवरी, 2008 को आश्वासन दिया कि वह अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई के साथ व्यक्तिगत रूप से सैय्यद परवेज कमबख्श का मामला उठाएंगी जिससे उसकी मुक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा।

लगभग 69,000 लोगों ने श्री कमबख्श को बचाने के लिए *दि इंडीपेंडेंटस* की याचिका पर हस्ताक्षर किए। श्री कमबख्श को महिलाओं के अधिकारों के बारे में कोरानिक गीतों में इस प्रकार बताया गया था, जिसे इंटरनेट के माध्यम से तैयार करके उसने अपनी पत्रकारिता की कक्षा में वितरित करके अफगान के सख्त ईश–निंदा कानून के अधीन मृत्यु दंड दिया गया था। इस्लामिक न्यायालय द्वारा उसे दोषसिद्ध किए जाने से पूरे विश्व को बहुत आघात पहुंचा है जो पिछले सप्ताह *दि इंडीपेंडेंट* में पहली बार प्रकाशित कराया गया था। **(दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़, दिनांक 8 फरवरी, 2008)।**

ईरान

ईरान में 2 जुलाई, 2007 को 24–घंटे का अंग्रेजी भाषा का सैटेलाइट टेलीफोन चैनल संयुक्त राष्ट्र से बढ़ते हुए दबाव के कारण इस अवधि में इसका वास्तविक प्रसारण किया गया।

चैनल की वेबसाइट में कहा गया है कि "प्रेस टी.वी. नामक यह सैटेलाइट चैनल ईरान के स्टेट–रन टेलीविजन आपरेशन, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान द्वारा प्रसारित किया गया। चैनल की वेबसाइट में कहा गया है कि प्रेस टी.वी. को पश्चिमी देशों की वास्तविक मीडिया तक पहुँचने की आवश्यकता है।"

इस चैनल का उद्देश्य *बीबीसी, सीएनएन* और *अल जजीरा* अंतर्राष्ट्रीय, जो कातर में स्थित है, जैसे 24 घंटे के अंग्रेजी भाषा के सैटेलाइट चैनलों से प्रतियोगिता करना है। प्रेस टी.वी. के अधिकारियों ने पिछले माह कहा कि यह स्टेशन आधे–आधे घंटे में समाचार प्रस्तुत करेगा और मध्य पूर्व तथा संयुक्त राष्ट्र में हो रही प्रगति पर ध्यान केंद्रित करेगा। **(दि टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई, 2007)।**

ईरान के नारी आंदोलन के समर्थक पत्रकार परवीन अर्दालन ने 3 मार्च, 2008 को कहा कि उसे स्टॉकहोम में 2007 *ओलोफ पाल्मे* पुरस्कार प्राप्त करने के लिए देश से बाहर नहीं जाने दिया गया।

ओलोफ पाल्मे स्मारक निधि द्वारा घोषित किया गया कि "अर्दालन (36) को पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकारों की मांग करने के कारण पिछले महीने यह सम्मान दिया गया था। यह मांग ईरान के लोकतंत्र के लिए संघर्ष का एक मुख्य भाग है",

उसे अज्ञात कारणों से 24 फरवरी को अदालत में हाजिर होने का सम्मन भेजा गया।

अर्दालन को, जो ईरानी महिलाओं के आंदोलन के प्रमुख हैं, ईरान में महिलाओं के अधिकारों के लिए राज्य की आलोचना करने के कारण राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा घोषित करने के बाद अप्रैल, 2007 में तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी। **(दि हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च, 2008)।**

ईरान के संस्कृति मंत्रालय ने 3 मार्च, 2008 को नौ सिनेमा और लाइफस्टाइल मैगजीन को बंद करने की घोषणा की। इनमें विदेशी फिल्मों के सितारों के "भ्रष्ट" जीवन के बारे में तस्वीरें और कहानियाँ प्रकाशित करने का उसे दोषी पाया गया था और ऐसा पाया गया था कि वे "अंध विश्वास" को बढ़ावा दे रहे हैं। मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट में कहा है कि "प्रेस पर्यवेक्षण बोर्ड में, जो कट्टरपंथियों और पत्रकारों द्वारा नियंत्रित निकाय है, 13 अन्य प्रकाशकों और पत्रिकाओं को चेतावनी दी है"। **(दि इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च, 2008)।**

श्री लंका

अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार परिसंघ (आईएफजे) ने 28 जून, 2007 को महिंदा राजपक्ष सरकार के इरादे की गंभीर रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें उन्हें कानून की आपराधिक अवमानना को पुनः लागू करने का उल्लेख किया था और यह कहा गया कि इस प्रकार का कार्य श्री लंका में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक दूसरा गंभीर खतरा है।

एक वक्तव्य में आईएफजे एशिया–पेसिफिक डायरेक्टर जेक्लाइन पार्क ने कहा कि उसका संगठन इस सूचना से आश्चर्यचकित है कि श्री लंका की सरकार आपराधिक अवमानना कानून को दोबारा लागू करना चाहती है।

आईएफजे आपराधिक अवमानना कानून का घोर विरोध करता है, जिसका दुरुपयोग प्रायः पत्रकारों और असंतुष्टों को चुप कराने के लिए सत्तारूढ़ लोगों द्वारा किया जाता है।

श्री पार्क ने कहा कि "आपराधिक अवमानना कानूनों को दोबारा लागू करना श्री लंका में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक दूसरा गंभीर खतरा है। श्री लंका में मानव अधिकारों का दुरुपयोग भी पत्रकारों के खिलाफ और अनुचित सैंसर लगाने के लिए पहले ही किया जा रहा है।"

उन्होंने यह नोट किया कि इससे पहले आपराधिक अवमानना कानून का प्रयोग रिपोर्टरों को चुप कराने के लिए और भ्रष्ट तथा स्वतंत्र मीडिया संस्थाओं के पत्रकारों की जांच को दबाने के लिए किया जाता था। पार्क ने यह भी कहा कि आपराधिक अवमानना कानून को निरस्त किए

जाने से कुछ माह पूर्व विक्टर ईवान, *रवैय्या* समाचारपत्र के संपादक के खिलाफ कोलंबो के उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। चार अन्य प्रमुख समाचारपत्रों के संपादकों को भी उसी अवधि में अवमानना के आरोप का सामना करना पड़ा। श्री पार्क ने कहा कि "आईएफजे सरकार पर दबाव डालेगा कि वह मंत्रिमंडल से इस प्रस्ताव को हटा दे और प्रेस की स्वतंत्रता पर उनकी प्रतिबद्धता के बारे में किए गए वायदों को पूरा करे।" **(दि हिंदू, नई दिल्ली, दिनांक 29 जून, 2007)।**

पुलिस ने बताया कि 21 नवम्बर, 2007 को श्री लंका में विरोधी समर्थक समाचारपत्र के कार्यालय में एक अज्ञात बंदूकधारी ने धमकाया और उसने प्रिंटिंग प्रेस पर गोली चलाई।

इस समाचार के फैलने के बाद एक दर्जन से अधिक सशस्त्र युवकों ने आग भड़काई। पुलिस ने बताया कि *दि संडे लीडर* समाचारपत्र बिल्डिंग, जो कि राजधानी कोलंबों के एक सिरे पर उच्च सुरक्षा युक्त वायु सेना कम्पलेक्स है, स्टाफ को बाहर जाने को बाध्य किया गया।

इस समाचारपत्र के मुख्य संपादक लासंथा विक्रमातुंगा ने सरकार को इस आक्रमण के लिए दोषी ठहराया। उनका समाचारपत्र राष्ट्रपति महिंदा राजपाक्षे के प्रशासन का बहुत आलोचक रहा है।

दि संडे लीडर पर हमले के बारे में सरकार ने तत्काल कोई प्रक्रिया जाहिर नहीं की। **(दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 22 नवंबर, 2007)।**

म्यांमार

रिपोर्टरों का क्लैंडस्टाइन नेटवर्क, जो प्रेसमैन के पक्ष में शीत युद्ध के रूप में कार्य कर रहा है, वह लोंकतंत्र के पक्ष को सुनिश्चित कर रहा है और उसने कहा कि म्यांमार की सेना का प्रज्वलनशील प्रतिरोध मीडिया ब्लैक होल में समस्या उत्पन्न नहीं कर सकता है।

इंटरनेट की गिजमो टू सीक्रेट "ड्राप्स" की अद्यतन तकनीक और पुरानी सामान्य डाक सेवा, भूतपूर्व बर्मा में मीडिया पैक पृथ्वी पर विद्यमान देशों के चित्र और वीडियो निकट से दिखा रहे हैं।

लोकतांत्रिक भाषा ने बर्मा जैसे समाचार समूहों द्वारा सैटेलाइट टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से देश की खबरें प्रकाशित की हैं। लोकतांत्रिक भाषा में, जो म्यांमार का प्रमुख मीडिया है, द्वारा उसी देश के अंदर की घटनाओं के बारे में 530 लाख लोगों को जानकारी दी जाती है।

बाह्य *टी.वी. और रेडियो* के अलावा समाचारों का अन्य स्रोत चाय की दुकानों की गपशप, ऐसे प्राइवेट न्यूज पेपर जिन पर सेंसर लगाया गया या जनता के कठोर नियंत्रण वाला राज्य मीडिया है।

"सिटीजन जर्नेलिस्ट्स" द्वारा लिए गए फुटेज और डीवीबी को भेजे गए फुटेज देश में 100 अंशकालिक रिपोर्टर हैं या स्ट्रिंगर हैं। यदि वे गिरफ्तार हो जाते हैं तो कोई उनका बचाव नहीं कर सकता है क्योंकि कोई अपने साथियों का नाम नहीं जानता है और उनकी शकल नहीं पहचानता है। **(दि टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, दिनांक 13 सितंबर, 2007)।**

नेपाल

पूर्व कम्युनिस्ट के साथ सहयोजित ट्रेड यूनियन ने नेपाल के इस बड़े समाचारपत्र के कार्यालय पर बदले की भावना से धावा बोला। उन्होंने उनकी सम्पत्ति को नष्ट कर दिया और जारी किए जाने के लिए तैयार प्रकाशन को रोक दिया गया। यह बात उन्होंने 1 अक्तूबर, 2007 को बताई। कांतिपुर प्रकाशन, जो नेपाली भाषा का समाचारपत्र और अंग्रेजी संस्करण है, काठमांडू पोस्ट पर और समस्त नेपाल प्रिंटिंग और प्रकाशन कामगार यूनियन, जो पूर्व कम्युनिस्ट विरोधियों का विंग है, के समर्थकों ने आक्रमण किया। **(दि एशियन ऐज, नई दिल्ली, दिनांक 2 अक्तूबर, 2007)।**

प्रेस की स्थिति – एक वैश्विक परिदृश्य

श्री लंका

प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में श्री लंका की छवि 16 अक्तूबर को और भी गिर गई, जब सैन फ्रंटीयर के रिपोर्टर (आरएसएफ) ने मीडिया के इसमें काम करने के लिए कामनवैल्थ देशों में इसे सबसे खराब बताया गया है।

आरएसएफ द्वारा 2007 में किए गए 169 देशों के सर्वेक्षण में इस देश को 156वें स्थान पर रखा गया, जो इराक से एक स्थान ऊपर है।

कामनवेल्थ देशों में पाकिस्तान अकेला सबसे बेकार देश है, जिसे 152वें स्थान पर रखा गया है, हालांकि, आरएसएफ की 2006 की रिपोर्ट के अनुसार, इसकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।

न्यूजीलैंड और कनाडा, कामनवेल्थ देशों में सबसे अच्छे स्थान पर हैं, जो क्रमशः 15वें और 18वें स्थान पर हैं। **(सीपीक्यू समाचार, अक्तूबर, 2007)।**

श्री लंका के रक्षा सचिव ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे चाहते हैं कि उनके देश में मीडिया को सैंसर किया जाए और आपराधिक अवमानना कानून को कानून की पुस्तकों में दोबारा रखा जाए।

गोटाभाया राजपाक्षे ने भी दो मीडिया समूहों का नाम लिया है, जिनके बारे में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 27 जनवरी को उनके *संडे लंकादीप सिंहली* भाषा के समाचारपत्र में प्रकाशित साक्षात्कार में आवधिक रिपोर्टिंग करने के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

राजपाक्षे ने *संडे लंकाद्वीप* से कहा है कि "मैं सोचता हूँ कि सेना के संबंध में किसी प्रकार की रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। लोग यह जानना चाहते हैं कि हमारे पास कितने हथियार हैं और कितने प्रकार के हथियार हैं। यह मीडिया की स्वतंत्रता नहीं है। मैं बेधड़क कहता हूँ कि यदि मुझे यह शक्ति प्राप्त होगी तो मैं ऐसी बातों को नहीं लिखने दूंगा। मैं उनसे (राष्ट्रपति) कहता आ रहा हूँ कि हमें ऐसी रिपोर्टिंग के लिए एक कठोर दंड वाला कानून लाने की जरूरत है..... हम आपराधिक अवमानना कानून चाहते हैं..... यह मीडिया की स्वतंत्रता नहीं है। हालांकि बहुत कम लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं।"

आपराधिक अवमानना कानून, 2003 में श्री लंका में निरस्त कर दिया गया था। **(सीपीक्यू समाचार, जनवरी, 2008)।**

वाचडाग ऐमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि श्री लंका में पत्रकारों को खतरा पिछले दो वर्षों में नाटकीय रूप से बढ़ा है, क्योंकि देश धीरे–धीरे इस गृह युद्ध की स्थिति में चला गया है।

ऐमनेस्टी ने कहा कि पिछले दो वर्ष में कम से कम 10 मीडिया कर्मी मारे गए हैं, जबकि कई अन्य का अपहरण किया गया है, उन्हें रोका गया या उन्हें इधर–उधर कर दिया गया है।

देश के उत्तर और पूर्व में कार्य करने वाले तमिल पत्रकार सबसे अधिक लक्षित पत्रकार रहे हैं। इस क्षेत्र में विद्रोही तमिल टाइगर और सरकारी बलों के बीच टकराव रहा है। एमनेस्टी ने कहा कि इन क्षेत्रों में पत्रकारों को धमकियाँ सुरक्षा बलों से और सशस्त तमिल समूहों से मिल रही हैं, जिनके बारे में ऐसा पता चलता है कि वे उनकी सहमति से कार्य कर रहे हैं।

ऐमनेस्टी ने कहा कि दक्षिण में सिंहली पत्रकार भी खतरा और डर का सामना कर रहे हैं, विशेषतः वे पत्रकार जो भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट दे रहे हैं। **(सीपीक्यू समाचार, फरवरी, 2008)।**

कीनिया

कीनिया की सरकार ने एक विधेयक पारित किया है कि वे न्यायालय में पत्रकारों के स्रोत की पहचान करना चाहते हैं।

सरकारी पक्ष के संसद सदस्यों द्वारा मीडिया काउंसिल ने कीनिया बिल में अंतिम अवस्था में अंतिम समय में संशोधन किया है और उसे बहुमत वाले कीनिया संसद में (222 में से 27 द्वारा) 4 अगस्त को पारित कर दिया गया है।

कानून की स्थितिः "यदि कोई लेख अनाम दल द्वारा शामिल की जाती है, अर्थात जिनके बारे में बताया नहीं जाता और वह कानून की खींचतान का कारण बन जाता है कि वह किससे संबंधित है, तो संपादक पर उस स्थिति में दल या दलों की पहचान को बताने के लिए दबाव डाला जाएगा।"

कानून बनाने से पहले इस विधेयक को अब राष्ट्रपति की सहमति का इंतजार है।

सरकार ने तर्क दिया कि इस कानून से पत्रकारिता में नैतिकता लाई जा सकेगी, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता के विश्लेषक यह कहते हुए इसका विरोध करते हैं कि इससे प्रेस की स्वतंत्रता कम होगी, स्रोतों का पता लगेगा और इससे मीडिया को अनुचित रूप से मुकदमे में फंसाया जाएगा। **(सीपीक्यू समाचार, अगस्त, 2007)।**

सैंकड़ों पत्रकारों ने इस बिल के विरोध में 15 अगस्त को नैरोबी में शांतिपूर्ण ढंग से मार्च किया कि इस बिल से प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

यह कानून उस समय संपादकों को उसका स्रोत बताने के लिए बाध्य करेगा, जब यह मामला न्यायालय में जाएगा। यह कानून समीक्षा के लिए पिछले सप्ताह राष्ट्रपति मवई किबाकी को भेजा गया था।

कीनिया मीडिया स्वामी संघ के अध्यक्ष हैनिंगटन गया ने कहा कि यह विरोध तब हुआ जब कीनिया के मीडिया बिल को 29 संसद सदस्यों ने अनुमोदित कर दिया कि अपेक्षित संपादकों को उस स्थिति में गोपनीय स्रोत बताना होगा जब वह लेख मुकदमे का मामला बन जाए। कीनिया में आवश्यक संसदीय कोरम के लिए 30 मतों की आवश्यकता होती है।

इस संशोधन के प्रायोजक शासी दल के कानून निर्माता मुरियुकी करुई ने कहा कि यह उपाय पत्रकारों को लोक व्यक्तित्व के "चरित्र हनन" से रोकने के लिए बनाया गया है। करुई ने 2003 में तथाकथित आरोप में दो प्रमुख समाचारपत्रों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। पत्रकारों की रक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये दोनों मुकदमे बाद में खारिज कर दिए गए थे। **(सीपीक्यू समाचार, अगस्त, 2007)।**

कीनिया सरकार ने 4 फरवरी को राजनीतिक घटनाक्रम के सीधे प्रसारण पर एक माह पुरानी रोक हटा ली है। यह रोक इस प्रतिबंध के खिलाफ कानूनी चुनौती की सुनवाई के एक दिन पहले हटाई गई।

सरकारी वकील और मीडिया संस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले मीडिया इंस्टीटूयूट और कीनिया एडिटर्स गिल्ड, जिस ने मिलकर न्यायालय में दिसंबर के अंत में चुनौती दाखिल की थी, 5 फरवरी को यह बात मान गए कि यह मुकदमा निपट गया हे।

कीनिया के प्रसारकों ने इस रोक को हटाने का स्वागत किया है, लेकिन वे एक दिन बाद प्रेस कान्फ्रेंस में की गई सूचना मंत्री सैम्युअल पोगहिसियो की टिप्पणी से निराश हुए।

पोगहिसियो ने कीनिया के मीडिया से अनुरोध किया कि वह भड़काने वाली विषय–वस्तु के प्रति सतर्क रहे। पोगहिसियो ने कहा कि सरकार अन्य बातों के साथ–साथ एक टास्क फोर्स का गठन करने जा रही है, जो विदेशी संवाददाताओं की सख्ती से संवीक्षा करेगा।

सरकार का विवादित चुनाव द्वारा राजनीतिक कठिनाई के बारे में रिपोर्टिंग करने के लिए विदेशी मीडिया के सदस्यों के साथ पिछले सप्ताह संघर्ष हुआ है। **(सीपीक्यू समाचार, फरवरी, 2008)।**

नाइजीरिया

दक्षिणी नाइजीरिया में स्वतंत्र रूप से स्वामित्व के समाचारपत्र के प्रकाशक स्थानीय राज्य गवर्नर की आलोचना की कहानी छापने के बाद राजद्रोह का आरोप झेल रहे हैं।

जेरोम इमेआइम अकवा इबोम राज्य में साप्ताहिक इवेंट न्यूजपेपर के प्रकाशक पर 16 अक्तूबर को राजद्रोह का आरोप लगाया गया। यह आरोप एक संदेहास्पद व्यक्ति को उसका एजेंट समझ जाने के कारण सुरक्षा सेवा के कार्मिक के द्वारा उसे गिरफ्तार किए जाने के एक सप्ताह बाद लगाया गया था।

पत्रकार रक्षा समिति ने कहा कि यूओ सिटी राज्य राजधानी सिटी में न्यायालय के मैजिस्ट्रेट द्वारा राजद्रोह के लिए उसे जिम्मेदार ठहराने के बाद एक पत्रकार को तत्काल जेल भेजा गया। उसकी जाँच 16 नवंबर को की जाएगी।

इमेआइम की गिरफ्तारी पिछले सप्ताह प्रकाशित इस लेख से जोड़ी गई कि तथाकथित राज्य ट्रेजरी फंड का सरकार द्वारा मनमाने तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। एफिआंग यूसोरो घटना के मीडिया परामर्शदाता के अनुसार गोड्सविल एकपाबियो को अपने चुनाव अभियान के दौरान खर्च किए गए व्यक्तिगत ऋण को अदा करना है। **(सीपीक्यू समाचार, अक्तूबर, 2007)।**

नाइजीरियाई साप्ताहिक समाचारपत्र के संपादकीय बोर्ड के अध्यक्ष को राज्य के गवर्नर के एक भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कथित लेख को अपने समाचारपत्र में प्रकाशित करने के बाद राजद्रोह के आरोप के कारण जेल हुई है।

सैम ऐसोवाटा, फ्रेश फ्रैक्टस के संपादक मंडल के अध्यक्ष को, जिनहें 26 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था, अक्वा आईबोम राज्य की राजधानी यूओ के न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने से इनकार किए जाने के बाद 28 जनवरी को जेल में डाल दिया गया। उन्हें लगभग दो वर्ष तक जेल में रहना पड़ सकता है।

सेन फ्रंटियर के रिपोर्टरों ने कहा कि एसोवाटा को अक्वा आईबोम राज्य के गवर्नर गोड्सविल एक्पाबिओ के आदेशों से गिरफ्तार किया गया था।

सीपीजे के एक रिपोर्टर ने कहा कि अक्तूबर, 2007 से यह तीसरी बार है कि एक्पाबियो ने आलोचनात्मक खबर छापने के लिए दंड देने हेतु नाइजीरिया के विवादास्पद उपनिवेश दौर में राजद्रोह कानून लागू किया है।

सीपीजे की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्पाबियो ने उन समाचारपत्रों को दंडित करने के लिए पिछले कई वर्षों से डांट–डपट, गिरतारी और राजद्रोह के आरोप का प्रयोग किया है, जिन्होंने राज्य पर भ्रष्टाचार का या अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए लेख प्रकाशित किए हैं।

प्राधिकारियों ने जून में इवेंट प्राइवेट साप्ताहिक की 5000 प्रतियां जब्त की और अक्तूबर में राजद्रोह के आरोप में इसके प्रकाशक जेरोम इमेइमे को तीन सप्ताह के लिए जेल भेज दिया।

नाइजीरिया का राजद्रोह कानून न्यायिक समीक्षा के लिए देश के उच्चतम न्यायालय में लंबित है। सीपीजे की रिपोर्ट में कहा गया है कि मानव अधिकारों के रक्षकों ने यह दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सांविधिक अधिकारों का उल्लंघन है। **(सीपीक्यू न्यूज, जनवरी, 2008)।**

कनाडा

मांट्रियल के फेडरल कोर्ट ने दो पत्रकारों को आदेश दिया है कि वे उस स्रोत को बताएं, जहाँ से उन्हें यह पता चला है कि संदेहास्पद व्यक्ति ने ही अनुरोध किया है कि उसके बारे में यह बताया जाए कि वह आतंकवादी गतिविधि में लिप्त है।

न्यायालय ने 18 जनवरी को फ्रैंच भाषा के दैनिक ला प्रेसी के लिए कार्य करने वाले दोनों पत्रकार – जोएल–डेनिस बेलावेन्स और गिल्ली टौपिन को आदेश दिया कि कनेडियन सिक्युरिटी इंटेलीजेंस सर्विस (सीएसआईएस) का वह वर्गीकृत दस्तावेज उन्हें कहाँ से मिला है, जिसमें आदिल चारकोई को अलकायदा का छिपा एजेंट बताया गया था।

इस दस्तावेज में, जिसकी विषय–वस्तु को इन दो पत्रकारों ने सन् 2007 में प्रकाशित किया था, चारकोई पर यह आरोप भी लगाया गया था कि उसने 1998 में सैनिक और धार्मिक प्रशिक्षण लिया था और जून, 2000 में दो अन्य लोगों के साथ मिलका मांट्रियल के एक हवाई जहाज के अपहरण की योजना पर बातचीत की थी।

मोरक्को के एक 34 वर्षीय नागरिक, चारकोई मई, 2003 में गिरफ्तार किया गया था, उसे सुरक्षा प्रमाण–पत्र के अधीन गिरफ्तार किया गया था, जिसके अधीन प्राधिकारियों को इस बात की अनुमति है कि वे कनाडा की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को किसी भी अवधि तक के लिए बंदी बना सकते हैं या देश से निर्वासित कर सकते हैं।

हालांकि, उसे 2005 में सशर्त छोड़ दिया गया, लेकिन उसके वकील ने कहा कि उसने कभी कोई वर्गीकृत दस्तावेज नहीं बताया है, जिसके लिए कनाडा के कानून के अधीन उसे सुरक्षा प्रमाण–पत्र जारी करना अपेक्षित हो। इसी बात के आधार पर उसके वकील ने फेडरल न्यायालय से कहा है कि पत्रकार को यह सूचना कहाँ से मिली है? इसका पता लगाया जाए।

बेलावेंस और टाउपिन ने कहा कि उन्होंने लेख लिखने से पहले चारकोई से टेलीफोन पर बात की थी, लेकिन इस बात से इनकार किया है कि सीएसआईएस के सेवा–निवृत्त कर्मचारी ने उन्हें कोई दस्तावेज दिया है।

कनेडियन प्रेस रिपोर्टों के अनुसार, सीएसआईएस के गोपनीय दस्तावेज, कई फेडरल मिनिस्टरों और फोरिन इंटेलीजेंसी एजेंसी को संबोधित थे।

इस मामले से कनेडियन मीडिया के कुछ क्षेत्रों में चिंता पैदा हो गई। आलोचकों ने कहा कि अपने स्रोत की रक्षा करना पत्रकारों का मूल आधार खतरे में है क्योंकि यह न्यायिक प्रक्रिया की भूल मानी जाता है। **(सीपीक्यू समाचार, जनवरी, 2008)।**

अफ्रीका

समाचारपत्रों के विश्व संस्थान ने कहा कि प्राधिकारी की आलोचना पर रोक लगाने वाला विधान अफ्रीका में प्रेस की स्वतंत्रता का "सबसे बड़ा चाबुक" है और यह समाप्त किया जाना चाहिए।

डब्ल्यूएएन ने अफ्रीकी देशों से अनुरोध किया है कि वे आपराधिक मानहानि और इसी प्रकार के अपमानजनक कानून को खत्म करके प्रेस की स्वतंत्रता को बचाएं, जो विशेष रूप से नेताओं की आलोचना को रोकता है या ऐसा करने पर डराता है।

डब्ल्यूएएन ने केप टाउन में आयोजित अपने वार्षिक सम्मेलन में कहा कि सरकार इस कानून का प्रयोग "उनके कार्य–निष्पादन के आलोचनात्मक मूल्यांकन को रोकने और उनके अपराधों के बारे में जनता तक इसकी सूचना न पहुँचने देने के लिए "निष्ठुरता से" करती है।

यह कानून इस महाद्वीप के 53 देशों में से 48 देशों में लागू है। केवल दक्षिण अफ्रीका, टोगो, घाना, केन्या और मोज़ाम्बिक ऐसे देश हैं, जहां ऐसा कानून नहीं है।

विश्व समाचारपत्र उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले निकाय ने कहा कि वर्ष 2007 के पहले पांच माह में, इस अपमानजनक कानून के कारण 26 अफ्रीकी देशों में 103 पत्रकारों का उत्पीड़न, गिरफ्तारी हुई है या उन्हें जेल में डाला गया है। **(सीपीक्यू न्यूज, जून, 2007)।**

पश्चिम अफ्रीका

मीडिया फाउंडेशन फॉर वेस्ट अफ्रीका ने कहा कि प्रेस की आजादी का उल्लंघन सहित बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला, वर्ष 2007 में इस क्षेत्र में कम हुआ है।

इस क्षेत्र में, जिसमें मौरीटानिया भी शामिल है, एमएफडब्ल्यूए द्वारा जिन 16 देशों का सर्वेक्षण किया गया, उनमें से 15 में एक सौ बयालीस हिंसा की घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि वर्ष 2006 में अड़सठ घटनाएं दर्ज की गई थीं।

इस सूची में जितने देश थे, उनमें से प्राथमिकता की सूची में आधे देश वे थे, जो कामनवेल्थ देश हैं। एमएफडब्ल्यूए के क्रम में नाइजीरिया दूसरे स्थान पर था, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के 18 मामले थे। सीरिया लेओन तीसरे स्थान पर था, जिसमें 14 मामले (लाइबेरिया से संबंधित थे) जबकि, घाना पांचवें स्थान पर था, जिसमें 13 मामले हुए थे। जाम्बिया, जहाँ के बारे में यह सर्वविदित है कि स्वतंत्र प्रेस का राज्य द्वारा दमन किया जाता है, छठे स्थान पर रहा (गुयाना, कोनाक्री सहित), जहाँ 11 मामले हुए। **(सीपीक्यू न्यूज, जनवरी, 2008)।**

भारत

हरमुसजी एन. कामा, निदेशक, बंबई समाचार और इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी के तत्काल पूर्व अध्यक्ष, कामनवैल्थ प्रेस यूनियन (सीपीयू) के भारतीय सेक्शन के नये अध्यक्ष का कार्यभार तत्काल प्रभाव से संभालने की सहमति दे दी है। उन्होंने के.एन. शांत कुमार, समाचारपत्रों के दक्कन हेराल्ड समूह, बंगलूर के निदेशक से इस पद का कार्यभार ग्रहण किया। बंबई समाचार एशिया में सबसे पुराना समाचारपत्र है और उसके सीपीयू से सुदीर्घ संबंध रहे हैं। **(सीपीक्यू समाचार, फरवरी, 2008)।**

पाकिस्तान

कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट (सीपीजे) ने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट (पीएफयूजे) के सेक्रेटरी जनरल मज़हर अब्बास को इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम पुरस्कार दिया है।

पीएफयूजे की एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सीपीजे यह पुरस्कार 20 नवंबर में न्यूयार्क वाल्डोर्फ – एस्टोरिया होटल में दिया जाएगा।

मज़हर अब्बास ने 18 जुलाई को कहा कि उन्होंने यह पुरस्कार पीएफयूजे, उसके संस्थान और देश के पत्रकार समुदाय को समर्पित करने का निर्णय लिया है। **(सीपीक्यू न्यूज, जुलाई, 2007)।**

लेसोथो

लेसोथो की सरकार ने प्राइवेट स्वामित्व के एक साप्ताहिक पत्र से सभी विज्ञापन प्रभारी तरीके से वापस ले लिए। इसका तत्काल भय यह है कि जब तक स्थिति में परिवर्तन नहीं हो जाता, तब तक यह समाचारपत्र फोल्ड करना पड़ेगा।

पब्लिक आई के संपादक बेथूल आई ने समाचारपत्र के 26 कर्मचारियों, 15 फ्रीलांसरों का वेतन और अदायगी रोक दी है। ऐसा सरकार द्वारा सभी राज्यों और पैरा–राज्य एजेंसियों को यह आदेश जारी किए जाने के बाद किया गया है कि पिछले जून से विज्ञापन के लिए अधिक स्थान न लें। समाचारपत्रों को पच्चासी प्रतिशत राजस्व विज्ञापनों से आता है।

सेन फ्रंटियर के रिपोर्टरों ने कहा कि जून के शुरू में ऐसे कई विज्ञापन प्रकाशकों ने थाई से कहा कि उन्हें आदेश प्राप्त हुआ है। लेकिन जब उन्होंने देखने के लिए उसकी प्रतिलिपि मांगी तो उन सबने कहा कि यह प्रति सरकार के सचिव लोहैंग सेखमने से प्राप्त की जा सकती है, जिन्होंने सरकारी निर्णय की पुष्टि की है, लेकिन यह भी कहा कि इसके लिखित आदेश विद्यमान नहीं हैं।

पब्लिक आई की स्थापना वर्ष 1997 में थाई द्वारा की गई थीं और शुरू–शुरू में यह फोटोकापी समाचारपत्र के रूप में निकाला गया था, जो सम्मानित और उच्च गुणवत्ता वाले साप्ताहिक के रूप में विकसित हुआ। आरएसएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह लेसोथो

साम्राज्य के कुछ गिने–चुने स्वतंत्र समाचारपत्रों में से एक है और इसी को वहां व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। **(सीपीक्यू न्यूज, जुलाई, 2007)।**

स्वाजिलैंड

स्वाजिलैंड की संसद, *टाइम्स ऑफ स्वाजिलैंड* द्वारा एक लेख में हाउस ऑफ एसेंबली के स्पीकर की सार्वजनिक रूप से आलोचना के बाद प्राइवेट स्वामित्व के इस समाचारपत्र पर रोक लगाना चाहती है।

संसद सदस्यों ने संपादक एमबोंगनी एमबिंगो के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें टाइम्स के 1 जुलाई के संस्करण में संपादक की टिपपणी की जांच करने को कहा गया है।

इस लेख में एमबिंगो ने हाउस ऑफ एसेंबली के स्पीकर के विवेक पर प्रश्न चिह्न लगाया है। यह बात उसने संसद सदस्य द्वारा हाल ही में पेश किए गए उस प्रस्ताव को रोकने के संबंध में कही, जिसमें वह मंत्रिमंडल और पारंपरिक प्राधिकारियों द्वारा कथित गुप्त प्रस्ताव पर प्रश्न उठाना चाहते थे। इस गुप्त प्रस्ताव में राष्ट्र की जानकारी के बिना संविधान के कुछ खंडों में संशोधन किया जाना था।

संसद की तथाकथित अवमानना के लिए संपादक और उसके समाचारपत्र की पांच सदस्यीय समिति जाँच करेगी ताकि उसके और उस प्रकाशन के खिलाफ दंडात्मक उपाय किए जा सकें। यदि एमबिंगो को दोषी पाया जाता है, तो एमबिंगो को अधिक से अधिक दो वर्ष के लिए जेल या जीबीपी के 270 डालर का जुर्माना लगाया जाएगा। **(सीपीक्यू न्यूज, जुलाई, 2007)।**

मलेशिया

मलेशिया के बोर्नियो का द्वीप पर सरवाक के सिबू जिले की पुलिस ने आपराधिक लेख प्रकाशित करने के लिए मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें पत्रकारों को धमकी दी गई है कि यदि वे इस नियम को तोड़ेंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

साउथईस्ट एशियन प्रेस एलाइंस की रिपोर्ट में बताया गया है कि पत्रकारों से कहा गया है कि अपराध संबंधी लेख प्रकाशित करने से पहले उन्हें पुलिस की अनुमति लेनी होगी। बोर्नियो पोस्ट न्यूजपेपर के 22 जून के राज्य संस्करण में रिपोर्ट दी है कि ऐसी सूचना और आपराधिक घटनाओं का एकमात्र स्रोत पुलिस होगी और जिला पुलिस स्टेशन का पत्रकारों पर संपूर्ण नियंत्रण होगा।

सुपरिन्टेंडेंट जमारी हमदान ने धमकी दी है कि जो इस नियम को तोड़ेगा, उसे आफिशियल सीक्रेट एक्ट (ओएसए) के अधीन गिरफ्तार किया जाएगा, जिसमें कम से कम एक वर्ष की जेल होना अनिवार्य है। **(सीपीक्यू समाचार, जून, 2007)।**

❐

अध्याय II

प्रेस की स्वतंत्रता पर धमकी के सम्बन्ध में शिकायतों पर निर्णय

परिषद् अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियाँ की स्वतंत्रता बनाए रखने में उनकी सहायता करती है और ऐसी कोई भी घटना जिससे लोकहित और लोकमहत्व के समाचारों के प्रचार-प्रसार में बाधा की संभावना हो, पर नजर रखती है । अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिये अथवा प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत अपने कार्यों में से किसी भी कार्य को करने के लिये, परिषद् को, अन्य बातों के साथ-साथ, सरकार सहित किसी प्राधिकारी के आचरण के बारे में अपने निर्णयों अथवा रिपोर्टों में से किसी में ऐसी टिप्पणियाँ, जैसाकि वह उचित समझे, करने का अधिकार दिया गया है । इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए, परिषद् प्राधिकारियों के विरुद्ध दर्ज़ की गयी शिकायतों पर विचार करती है और निर्णय देती है ।

समीक्षात्मक अवधि के दौरान, परिषद् को सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों पर मुद्रण मीडिया की स्वतंत्र कार्यप्रणाली पर अंकुश लगाने के प्रयासों सहित आरोपों की 120 शिकायतें प्राप्त हुईं । इसके अतिरिक्त 164 मामले गत वर्ष से विचाराधीन थे । अतः कुल 284 मामलों पर विचार करने की आवश्यकता थी, इनमें से 30 मामलों को निर्णय के माध्यम से निपटाया गया, जबकि 128 मामले शुरुआत में न्यायाधीन हो जाने अथवा परिषद् के क्षेत्राधिकार से बाहर होने की स्थिति में सारहीन होने के कारण खारिज कर दिये गये । 126 मामलों पर समीक्षात्मक अवधि के अंत में कार्यवाही चल रही थी ।

इस शीर्ष के अन्तर्गत शिकायतों पर निर्णयों का आलेख में विश्लेषण किया गया है । जबकि महत्वपूर्ण निर्णय परिषद् की ''पी.सी.आई.रिव्यू'', अंग्रेजी में तथा ''प्रेस परिषद् समीक्षा'' हिन्दी में त्रैमासिक पत्रिकाओं तथा 'निर्णयों के सार-संग्रह 2007-2008' में दिये गये हैं ।

शिकायतकर्ताओं की श्रेणियाँ

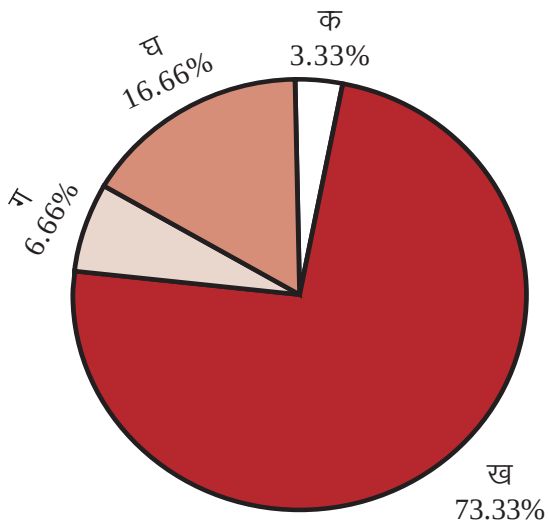

क. अंग्रेजी प्रेस
ख. देशी भाषा की प्रेस
ग. पत्रकार संगठन/ समाचार अभिकरण
घ. स्वतः कार्रवाई

प्रतिवादियों की श्रेणियाँ

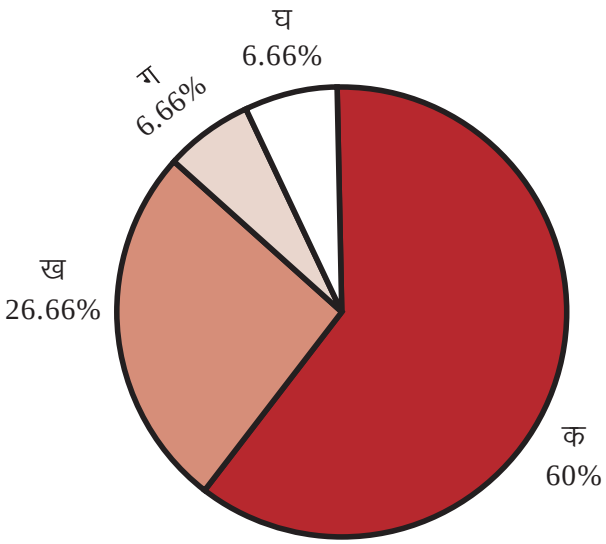

क. पुलिस/सरकारी अधिकारी
ख. सूचना विभाग
ग. संस्थान/निजी कम्पनियाँ समाचारपत्र प्रबंधक
घ. सार्वजनिक व्यक्ति

शिकायतकर्ताओं के प्रकाशन स्थान का राज्यस्तरीय विभाजन

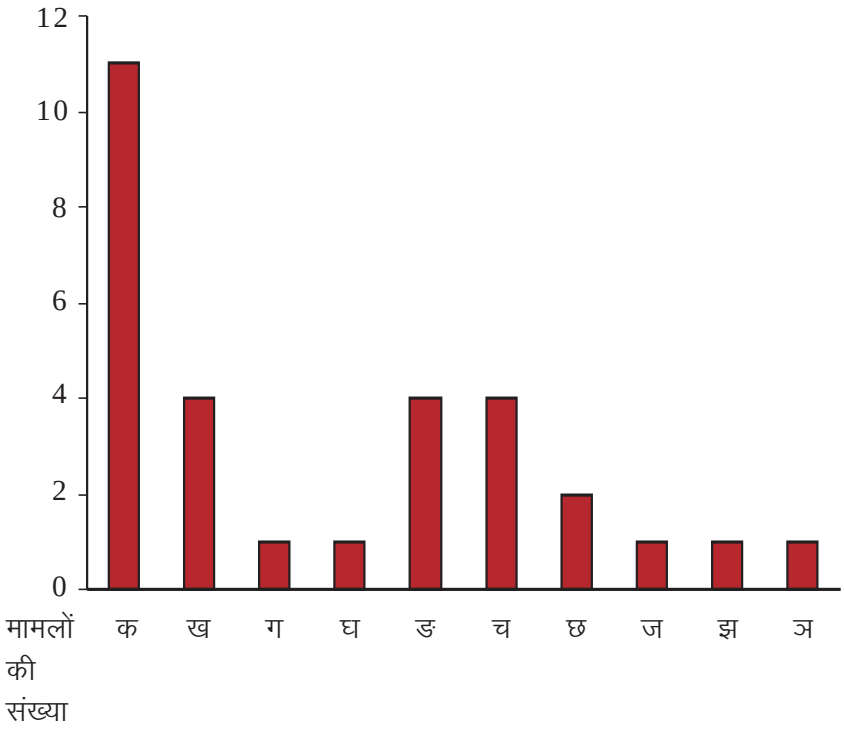

संक्षिप्तियों का विवरण

मामलों की कुल संख्या : 30

क.	उत्तर प्रदेश	11
ख.	पश्चिम बंगाल	4
ग.	सिक्किम	1
घ.	तमिलनाडु	1
ङ.	मध्य प्रदेश	4
च.	दिल्ली	4
छ.	उत्तराखंड	2
ज.	चंडीगढ़	1
झ.	महाराष्ट्र	1
ञ.	झारखंड	1

समाचारकर्मियों का उत्पीड़न

प्राधिकारियों के हाथों उत्पीड़न, प्रेस को अपने हिसाब से चलाने हेतु विवश करने के लिए अधिकारी वर्ग, द्वारा अपनाए गए गुप्त साधनों में से एक है, पुलिस की कार्रवाई अथवा निष्क्रियता की वैध आलोचना के लिए पुलिस द्वारा कई बार पत्रकारों के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार किया गया है और विधि के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें झूठे मामलों में फंसाया गया है । पत्रकारों का उत्पीड़न न केवल प्राधिकारियों के हाथों किया जाता है बल्कि यह आतंकवादियों, और उग्रवादियों अथवा असामाजिक तत्वों द्वारा भी किया जाता है ।

स्वतंत्र और आलोचनात्मक लेखन उन्हें कठिनाई में डाल देते हैं, जिनके विरूद्ध ऐसे लेख लिखे गए हों और अक्सर प्राधिकारियों ने ऐसे समाचारपत्रों को कम करने के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है । अक्सर यह छापों, उत्पीड़न अथवा धमकियों और कई बार शारीरिक हिंसा तक का रूप ले लेता है ।

परिषद् ने वर्ष में कुल ऐसे 14 मामलों पर अधिनिर्णय दिये । इनमें से एक मामले में आरोप सिद्ध पाए गए जबकि दो को गुण दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया। नौ अन्य में, परिषद् ने जाँच समाप्त कर दी अथवा सम्बद्ध प्रतिवादियों द्वारा पर्याप्त सुधार करने अथवा सुरक्षा का आश्वासन देने पर यह पाया कि किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी, जब प्रतिवादी ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया । शेष दो शिकायतें न्यायाधीन होने के कारण खारिज कर दी गईं अथवा परिषद् द्वारा इनमें किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पाई गई । निर्णयों के आलेख से और स्पष्ट हो जाएगा ।

समाचारकर्मियो का उत्पीड़न

मामलों की कुल संख्या : 14

क. अनुमोदित	1
ख. अस्वीकृत	2
ग. आश्वासन / समर्थित / संशोधित	9
घ. अनिष्पादन / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / सारहीनता के कारण समाप्त	2

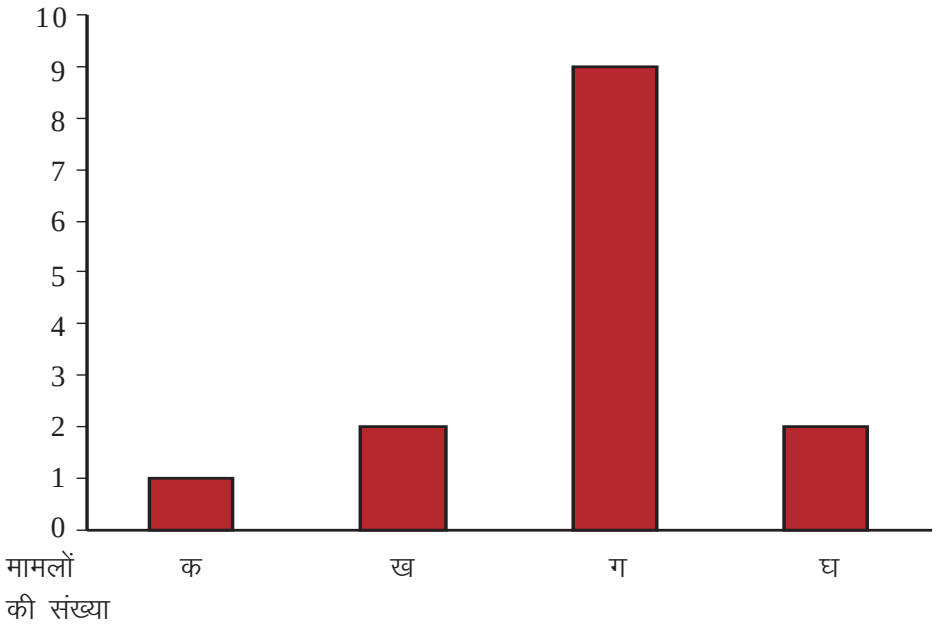

प्रेस को सुविधायें

प्रेस को कुछ सुविधाओं की आवश्यकता है ताकि वह अपनी व्यावसायिक ड्यूटी का पालन कर सके । मान्यता काफी हद तक पत्रकारों को अपने कार्य को सहजता से चलाने में सहायता करती है । इसी प्रकार जहाँ एक ओर विज्ञापन, प्राधिकारियों द्वारा अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के सम्मुख रखने में, उनकी सहायता करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे समाचारपत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने में भी सहायक होते हैं । तथापि, प्राधिकारियों द्वारा समाचारपत्र को इन सुविधाओं का वितरण अनिवार्य रूप से इस संबंध में स्पष्टतया निर्दिष्ट नीतियों और नियमों के अंतर्गत किया जाना चाहिए ताकि यह न केवल समाचारपत्रों की आवश्यकता को पूरा कर सके बल्कि पत्रकारिता संबंधी कर्त्तव्य निर्वाह में उनकी सहायता भी कर सके ।

विज्ञापनों और अन्य सुविधाओं पर लघु प्रेस की यह निर्भरता उनकी स्थिति को शोचनीय बना देती है जिससे उनपर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दबाव पड़ते हैं । यह देखा गया है कि कई बार इन सुविधाओं को देने अथवा उन्हें वापिस लेने अथवा उन्हें देने के वायदे का इस्तेमाल, लेखों को उन प्राधिकारियों के विचारों के अनुरूप लाने के लिए किया जाता है, जिन्हें यह सुविधाएँ देने का स्वेच्छा से निर्णय लेना होता है ।

इन सुविधाओं को पूर्वाग्रह के कारण वापिस लेने अथवा इन्हें देने से इंकार करने के विरूद्ध काफी शिकायतें हैं । तथापि, 14 निर्णयों में से जोकि इस श्रेणी के अंतर्गत हैं, केवल 2 का अनुमोदन किया गया जबकि दो को गुणदोष के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया । एक को अनभियोग के कारण खारिज कर दिया गया । 9 मामलों में, सम्बद्ध प्राधिकारियों ने शिकायतकर्ता पक्षों की शिकायतों का निवारण किया । अगले पृष्ठ पर दिए गए आलेख आगे की स्थिति को दर्शाते हैं ।

प्रेस को सुविधायें

मामलों की कुल संख्या : 14

क. अनुमोदित	2
ख. अस्वीकृत	2
ग. आश्वासन / समर्थित / संशोधित	9
घ. अनिष्पादन / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / सारहीनता पर समाप्त	1

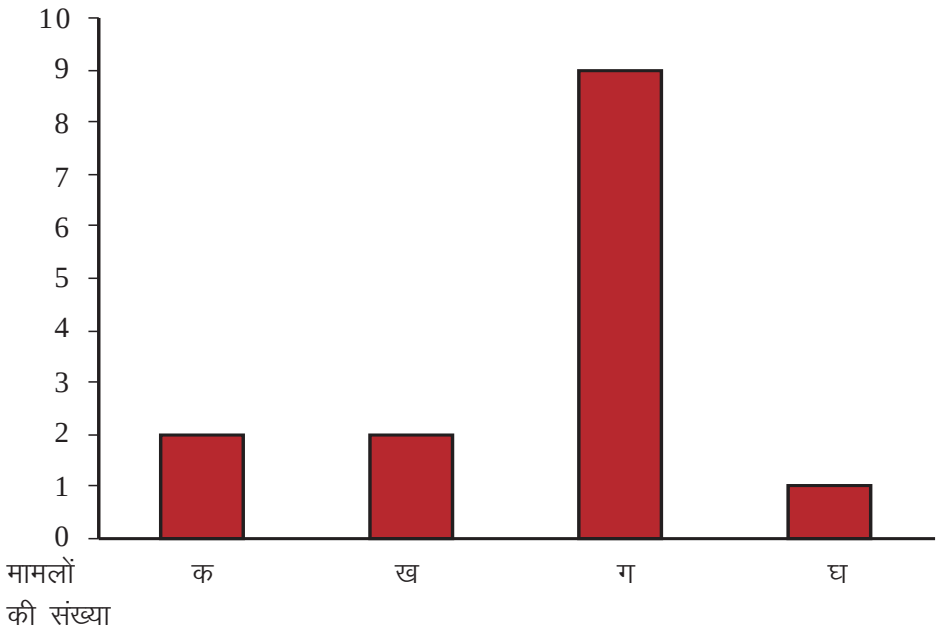

❐

प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती

प्रेस की स्वतंत्रता हर लोकतांत्रिक समाज की पोषित परिसंपत्ति है । यह मानवाधिकारों की आधारशिला और अन्य स्वतंत्रता की गारंटी भी है । प्राधिकारी, व्यापार संघ, राजनैतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक संगठन और कुछ अन्य दबाव डालने वाले ग्रुप अक्सर प्रेस को मूक करने अथवा उन्हें प्रभावित करने वाले मामलों पर अपने स्वतंत्र विचार न देने के लिए विवश करने हेतु दबाव डालने का प्रयास करते हैं । ऐसा वे प्रदर्शनों, हमलों और प्रेस स्टॉफ के साथ दुर्व्यवहार, समाचारपत्रों के अंकों के परिचालन को रोककर और प्रेस की निर्विघ्न कार्यप्रणाली में बाधा डालने के अन्य तरीकों से करते हैं ।

इस श्रेणी में आने वाले दो निर्णय विविध तरीके बताते हैं जोकि प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए इस्तेमाल किये जा सकते हैं । शिकायतों में से एक को न्यायाधीन होने के कारण खारिज कर दिया गया जबकि राज्य प्राधिकारियों द्वारा दिये गये आश्वासन पर गुण दोष के आधार पर एक मामला अस्वीकार कर दिया गया था ।

प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती

मामलों की कुल संख्या : 2

क. अनुमोदित	
ख. अस्वीकृत	
ग. आश्वासन / समर्थित / संशोधित	1
घ. अनिष्पादन / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / सारहीनता पर समाप्त	1

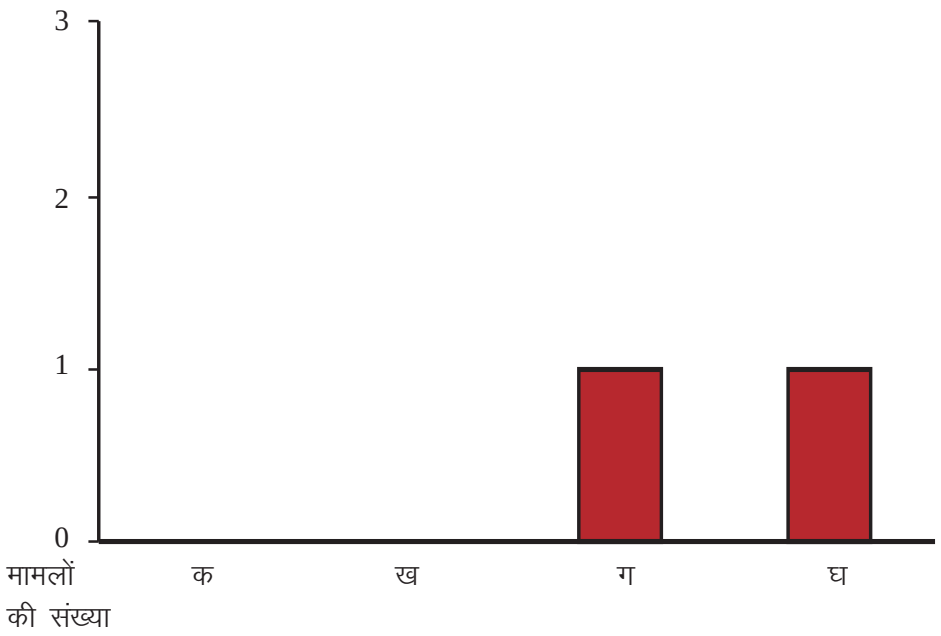

अध्याय III

प्रेस के विरूद्ध दर्ज़ शिकायतों में परिषद् द्वारा दिये गए निर्णय

भारतीय प्रेस परिषद् के मूल कार्यों में से एक आमतौर पर स्वीकृत पत्रकारिता के कानूनों को बनाये रखने और उन्हें बढ़ावा देने के अलावा प्रेस के स्तरों में गिरावट पर रोक लगाना तथा इसकी सकारात्मक वृद्धि को बढ़ाने के प्रयास करना है । इस सम्बन्ध में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए परिषद् ने शिकायतों, जिन पर विचार किया गया था, पर अपने निर्णयों के माध्यम से मानकों को विकसित किया है ।

आज देश में प्रेस का वाणिज्यीकरण हो गया है । आज के समाचारपत्रों का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा की दौड़ में आगे बढ़ना है और स्वतंत्रता से पूर्व के मिशनरी उत्साह के साथ जनहित की उपयोगिता पीछे रह गई है । हाल ही में कई प्रकार के अनाचार ने स्थान ले लिया है, जिन्होंने इस महान व्यवसाय की प्रतिष्ठा को कम किया है । परिषद् में प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि प्रेस के विरूद्ध दर्ज की गयी शिकायतें कुल शिकायतों का लगभग 60% हैं ।

समीक्षात्मक वर्ष के दौरान, परिषद् को प्रेस के विरूद्ध 530+28* नयी शिकायतें प्राप्त हुईं । इसके अतिरिक्त, 501 मामले पिछले वर्ष से लंबित थे । अतः समीक्षात्मक वर्ष के दौरान, प्रेस के विरूद्ध शिकायतों के कुल 1059 मामलों पर परिषद् को विचार करना था । इनमें से 99 मामलों का निर्णयों के बाद निपटान कर दिया गया और और 327 मामलों को प्रारंभिक स्तर पर खारिज कर दिया गया या दोनों पक्षों की संतुष्टि आदि के रूप में मामलों का निपटान कर दिया गया । इस प्रकार समीक्षात्मक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर इस श्रेणी में 633 मामले लंबित थे । निर्णयों का विस्तृत विवरण परिषद् की अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी त्रैमासिक पत्रिकाओं और निर्णयों के सार-संग्रह 2007-2008 में देखे जा सकते हैं ।

*2006-07 की 28 शिकायतें दक्षिण की है

शिकायतकर्ताओं की श्रेणियाँ

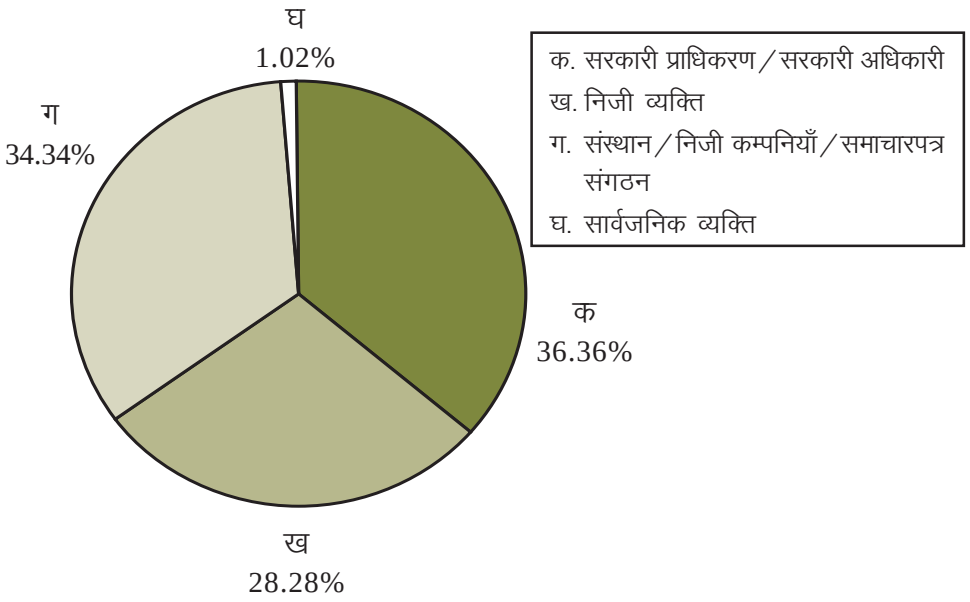

प्रतिवादियों की श्रेणियाँ

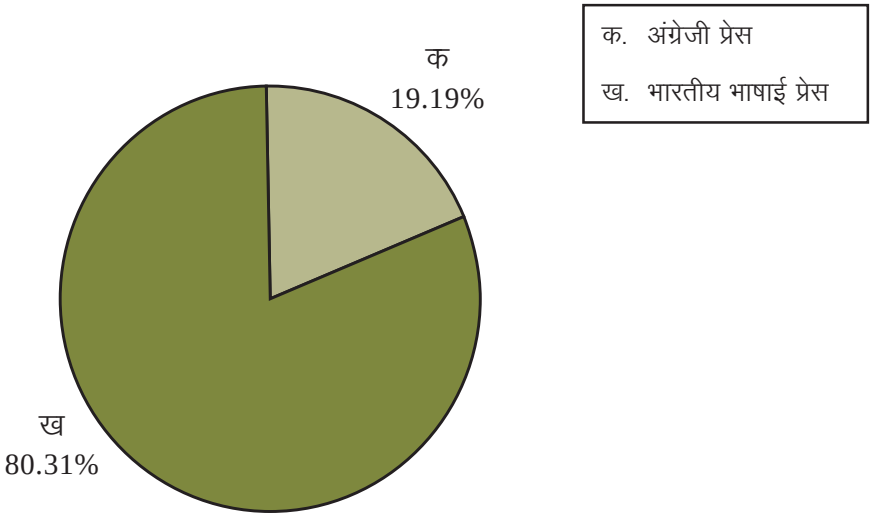

प्रतिवादी प्रकाशन का राज्यस्तरीय वितरण

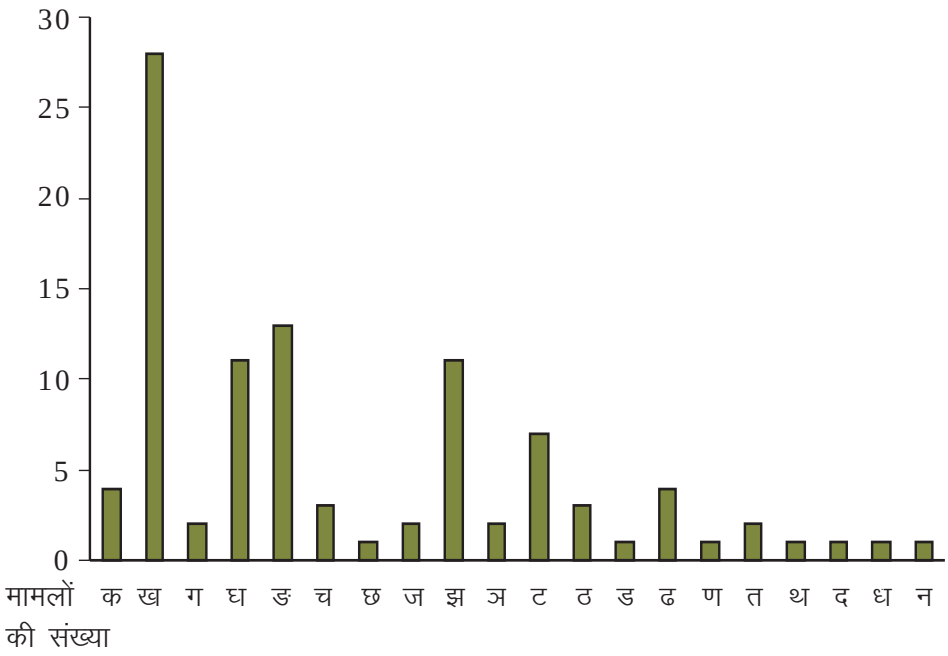

संक्षिप्तियों का विवरण

मामलों की कुल संख्या : 99

क.	गुजरात	4
ख.	उत्तर प्रदेश	28
ग.	त्रिपुरा	2
घ.	असम	11
ङ.	दिल्ली	13
च.	कर्नाटक	3
छ.	केरल	1
ज.	राजस्थान	2
झ.	मध्य प्रदेश	11
ञ.	चंडीगढ़	2
ट.	महाराष्ट्र	7
ठ.	हरियाणा	3
ङ	झारखंड	1
ढ.	बिहार	4
ण.	आंध्र प्रदेश	1
त.	पंजाब	2
थ.	पश्चिम बंगाल	1
द.	उत्तराखंड	1
ध.	जम्मू और कश्मीर	1
न.	छत्तीसगढ़	1

सिद्धांत और प्रकाशन

गलती करना मानव स्वभाव है और दूसरों की तरह प्रेस भी ऐसी गलत रिपोर्टे अथवा लेख प्रकाशित कर सकती है जोकि व्यक्तियों अथवा सार्वजनिक पदधारियों और संस्थाओं के लिए हानिकारक हो । तुरंत संशोधन सर्वोत्तम उपाय है । हालांकि, अक्सर ऐसा होता है कि जब व्यथित मामले में अपना पक्ष देते हुए प्रतिवाद अथवा प्रत्युत्तर भेजता है, तब उत्तर के अधिकार के स्वीकृत सिद्धांतों को अनदेखा करके तुरंत समुचित प्रमुखता के साथ उसे प्रकाशित करने के लिए सम्पादक इच्छुक नहीं होते ।

कई अन्य सामान्य नीतियाँ हैं जोकि प्रेस का, उसके कार्यों और पाठकों के प्रति रवैये में मार्गदर्शन करती हैं । इनके कथित उल्लंघन पर पाठक परिषद् से निवारण करने की माँग करते हैं। अपने इस सांविधिक दायित्व को निभाने के लिए, प्रेस परिषद् ने प्रत्येक मामले के आधार पर अपने अधिनिर्णयों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के माध्यम से पत्रकारिता आचार नियम बनाए हैं । इन अधिनिर्णयों के माध्यम से परिषद् का यही प्रयास रहा है कि वह विश्वास, सम्मान और गौरव जिसके वह (प्रेस) योग्य है, को बनाए रखने में प्रेस की सहायता करे ।

सामान्य रुप से स्वीकृत नियमों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए समाचारपत्रों के विरुद्ध परिषद् के सम्मुख 18 शिकायतें दर्ज़ की गयीं जिनमें इस वर्ष दिए गए सात अधिनिर्णयों में सामान्य सिद्धांतों के उल्लंघन के आरोप थे परंतु अधिकतर में शिकायतकर्ताओं ने प्रतिवादी समाचारपत्रों के स्तंभों में अपने प्रत्युत्तर/उत्तर/प्रतिवाद प्रकाशित करवाने के अधिकार का दावा किया। इनमें से उचित निदेशों सहित दो शिकायतों का समर्थन किया गया जबकि दो में आरोप प्रमाणित नहीं हो सके । तीन मामलों में समझौता हो गया । अगले पृष्ठ पर चार्ट स्थिति को अधिक स्पष्ट करता है ।

सिद्धांत और प्रकाशन

मामलों की कुल संख्या : 18

क.	अनुमोदित	4
ख.	अस्वीकृत	3
ग.	आश्वासन / समर्थित / संशोधित	8
घ.	अनिष्पादन / प्रत्याहृत / न्यायाधीन / सारहीनता पर समाप्त	3

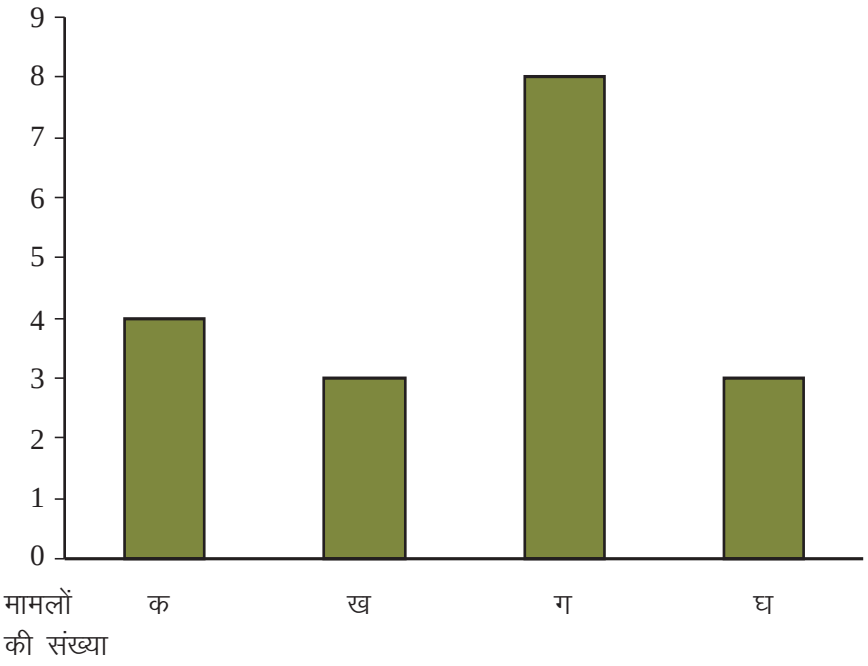

प्रेस और मानहानि

सभ्यता के आरंभ से ही, एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा, मान-सम्मान, जोकि समाज द्वारा उसे दिया जाता है, अन्य लोगों द्वारा उसकी बौद्धिक क्षमता और नैतिक अखंडता में जो विश्वास होता है, वे उसकी बहुमूल्य परिसम्पत्तियाँ समझी जाती हैं । व्यक्तियों की गरिमा बनाए रखने के लिए, उनकी स्वस्थ विचार प्रक्रिया में वृद्धि करने और सार्वजनिक हित के लिए उनकी क्षमता के संरक्षण हेतु इन मानव मूल्यों जोकि इस विषय से सम्बद्ध पत्रकारिता नीति नियमों के मूल आधार तत्व हैं, की सुरक्षा एवं उन्हें बढ़ावा देना आवश्यक है ।

जैसाकि परिषद् में प्राप्त शिकायतों के विश्लेषण से पता चलता है कि इस शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज़ की गयी शिकायतें कुल शिकायतों का लगभग 70% हैं । अत: कथित मानहानिजनक प्रकाशनों के कारण बहुधा शिकायतों का जन्म होता है ।

प्रेस ने इस वर्ष कथित मानहानिजनक प्रकाशनों से सम्बद्ध 74 शिकायतों पर अधिनिर्णय दिए । इनमें से 28 मामलों में प्रेस को नीति के उल्लंघन का दोषी पाया गया, जबकि केवल 7 मामलों में आरोपों को अस्वीकार किया गया । 19 मामलों में परिषद् ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करना पाया जबकि 20 शिकायतों को, अनभियोग अथवा मामलों के न्यायाधीन हो जाने के कारण अथवा जहाँ परिषद् द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् कोई कार्रवाई करना अपेक्षित नहीं पाया गया, समाप्त कर दिया गया । आलेख संबंधी प्रस्तुतीकरण निम्नानुसार है :

प्रेस और मानहानि

मामलों की कुल संख्या : 74

क.	अनुमोदित	28
ख.	अस्वीकृत	7
ग.	आश्वासन / समर्थित / संशोधित	19
घ.	अनिष्पादन / प्रत्याहृत / न्यायाधीन / सारहीनता पर समाप्त	20

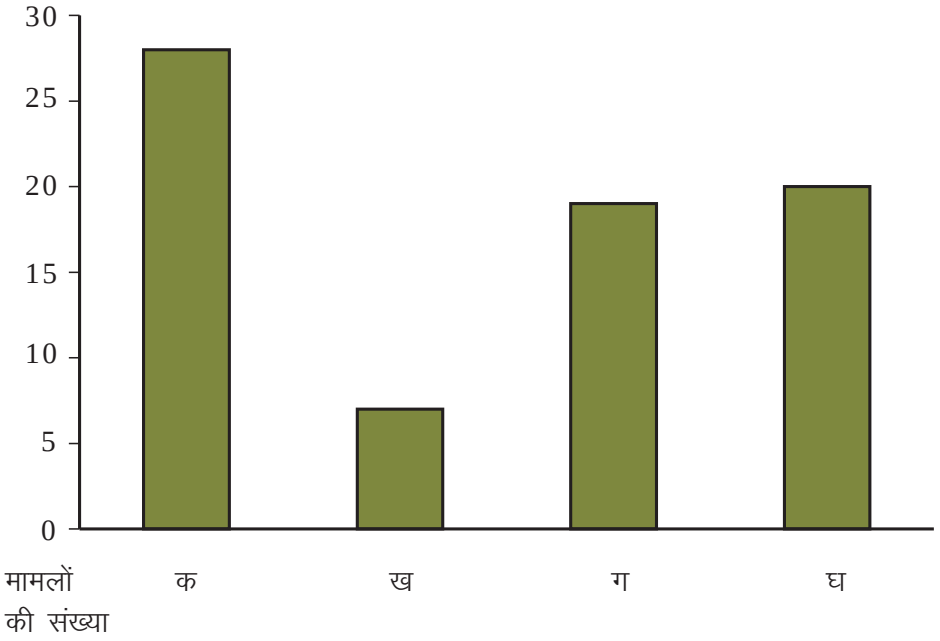

प्रेस और नैतिकता

सार्वभौमिकता और उदारीकरण मीडिया को समाज के मूल्यों को कम करने तथा अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के लिए लाइसेंस नहीं देते । मीडिया की अलग भूमिका है और अन्य उद्योगों तथा व्यवसायों के साथ इसमें कोई समानता नहीं है । जहाँ तक इस भूमिका का सम्बन्ध है, मीडिया के कर्त्तव्यों में से एक है– हमारी सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक मूल्यों का संरक्षण करना एवं उन्हें बढ़ावा देना । प्रेस के कुछ सैक्शन, अश्लील फोटोग्राफ और स्तंभ प्रकाशित करके, जोकि किसी भी तरह जनहित में नहीं है, पश्चिमी सभ्यता की नकल करते रहे हैं । इसके विपरीत, ऐसे प्रकाशन किशोरों को नकारात्मक रुप से प्रभावित करते हैं । जब कभी भी इन पर परिषद् की दृष्टि पड़ती है, वह मूल कार्यवाही करती है । इसके अतिरिक्त, यह ऐसे मामलों पर प्राप्त शिकायतों पर भी निर्णय देती हैं ।

5 मामलों में, परिषद् द्वारा अश्लीलता के प्रश्न पर निर्णय दिया गया, जिसमें से 2 पर मूल कार्यवाही की गई । मामलों में सम्बद्ध समाचारपत्रों के विरुद्ध नैतिकता और लोकरुचि के विरुद्ध अपराध के आरोप का समर्थन किया गया । आगे दिया गया चार्ट स्थिति को और अधिक स्पष्ट करता है ।

प्रेस और नैतिकता

मामलों की कुल संख्या : 5

क.	अनुमोदित	2
ख.	अस्वीकृत	2
ग.	आश्वासन / समर्थित / संशोधित	1
घ.	अनिष्पादन / प्रत्याहृत / न्यायाधीन / सारहीनता पर समाप्त	–

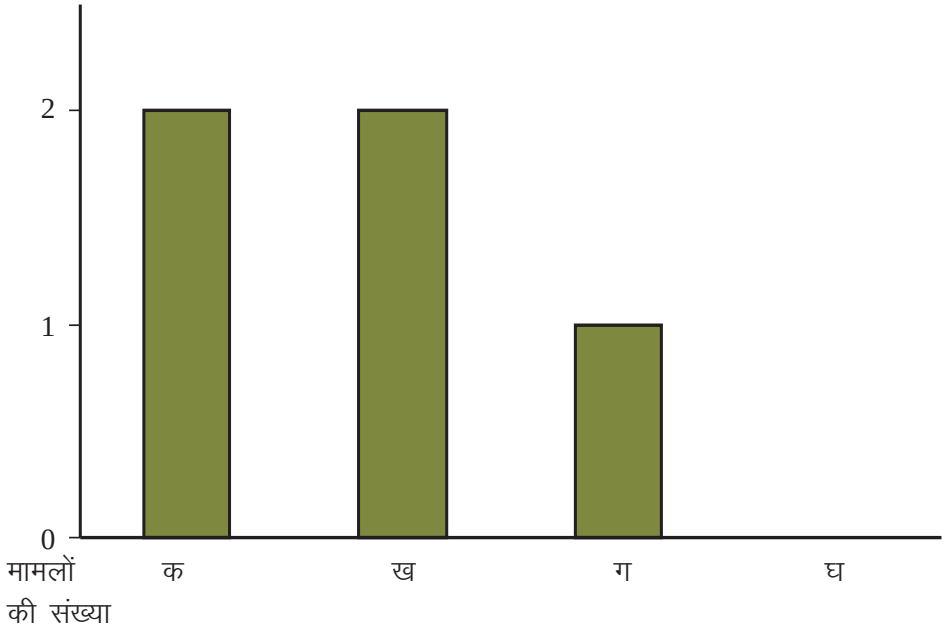

सांप्रदायिक, जातीय, और धर्म-विरोधी लेखन

राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में प्रत्येक समाचारपत्र और पत्रिका तथा उसके सम्पादक का महत्वपूर्ण योगदान होता है । भारत एक विशाल देश है । इस देश में अलग-अलग जातियों और सम्प्रदायों के अलग-अलग धर्मों के प्रति निष्ठा रखने वाले लोग रहते हैं, जोकि अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं और जिनकी अलग-अलग संस्कृति है । इन सभी विविधताओं के बावजूद, यहाँ मूल रुप से एकता है जोकि भारत की भव्य विरासत है । दुर्भाग्य से जब से फूट डालने वाली ताकतें सांप्रदायिकता, जातीयता, धार्मिक और सामाजिक पूर्वाग्रह तथा आर्थिक क्षेत्र में अमीर और गरीब के बीच व्यापक विषमता का प्रचार करते हुए, इस एकता में बाधा डालने की कोशिश करती हैं, तब ऐसी विघटनकारी ताकतों पर अंकुश लगाने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है ।

समीक्षात्मक वर्ष में इसने ऐसे दो मामलों में कोई कार्रवाई न करने का निर्णय किया जब सम्बद्ध समाचारपत्रों ने भविष्य में समुचित सावधानी का आश्वासन दिया । अनभियोग के कारण एक मामले में कार्रवाई समाप्त कर दी गई । अगले पृष्ठ पर चार्ट स्थिति को अधिक स्पष्ट करता है :

सांप्रदायिक, जातीय और धर्म-विरोधी लेखन

मामलों की कुल संख्या : 2

क. अनुमोदित	–
ख. अस्वीकृत	1
ग. आश्वासन / समर्थित / संशोधित	–
घ. अनिष्पादन / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / सारहीनता पर समाप्त	1

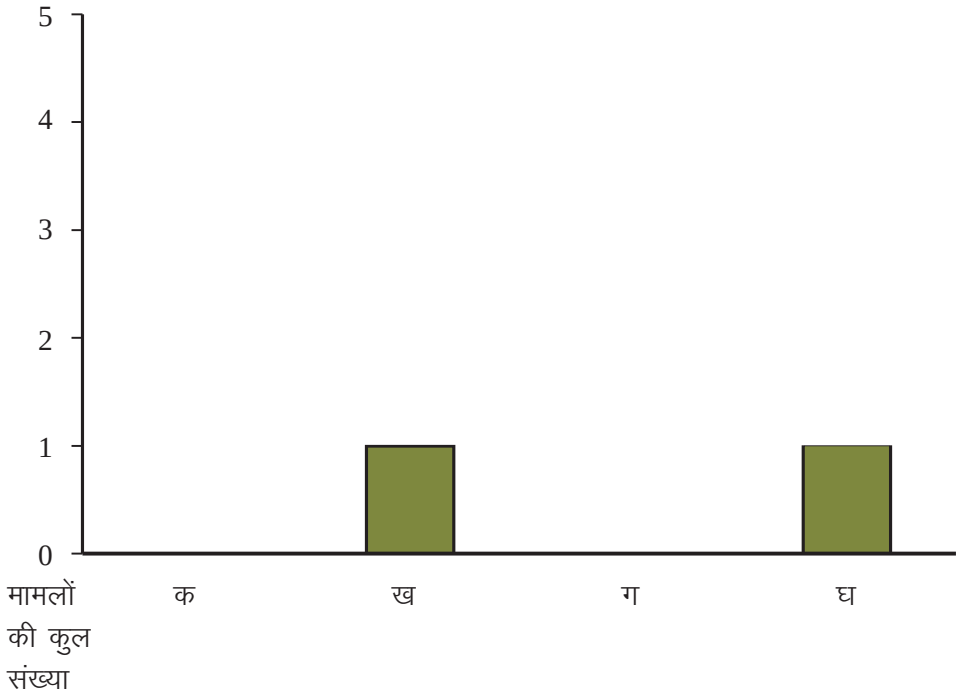

❐

अध्याय IV

अध्ययन रिपोर्ट

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम बनाम संविदा के आधार पर पत्रकारों की नियुक्ति 27 जुलाई, 2007

भारतीय प्रेस परिषद् की उप समिति की रिपोर्ट के आधार पर समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में संविदा के आधार पर पत्रकारों की नियुक्ति के मामले पर विचार करने के पश्चात् सर्वसम्मति से परिषद् की राय है कि ''श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की परिभाषा के भीतर आने वाले समाचारपत्र प्रतिष्ठान के सभी कर्मचारियों को अधिनियम के उपबंध का संरक्षण दिया जाना चाहिए ।''

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955 बनाम संविदा के आधार पर पत्रकारों की नियुक्ति का अध्ययन करने के लिए भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा दिनांक 9.2.2006 को पुणे में हुई बैठक के दौरान एक उप समिति गठित की गई । उप समिति ने अधिसूचित एसोसिएशनों के विचार और टिप्पणियाँ माँगी । भेजे गए 15 नोटिसों में से केवल दो अर्थात् इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन और इंडिया न्यूज़पेपर सोसायटी ने जवाब दिया और भारत से बाहर प्रेस परिषदों और समान निकायों से कुछ जवाब प्राप्त हुए यद्यपि, अधिकतर निकायों ने सूचित किया कि उनका संबंध प्रकाशित सामग्री के विरूद्ध विशिष्ट शिकायतों से ही है ।

दिल्ली में उप समिति द्वारा की गई लगभग छह बैठकों में जबरदस्त विचार सामने आये कि संविदात्मक रोज़गार श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के अंतर्गत कवर होना चाहिए और नियुक्ति-निबंधन पत्रकारों बनाम अधिनियम में विहित न्यूनतम मज़दूरी के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए । उप समिति का विचार यह भी था कि श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम औपचारिक रूप से लागू होना चाहिए ।

उप समिति को सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर स्वतंत्र और स्पष्ट तरीके से चर्चा करने और वे चाहे समाचारपत्र/संपादकों/स्वामियों के हों या पत्रकारों के, उनपर अलग-अलग परिप्रेक्ष्य में विस्तार से छानबीन करने का लाभ हुआ । उप समिति अपनी राय में एकमत थी कि व्यापक रूप से 5-6 सुझाव दिये जा सकते हैं ।

1. श्रमजीवी पत्रकारों के लिए हाल ही में गठित वेतन बोर्ड के विचारार्थ विषय में संदर्भ जोड़ा जा सकता है ।

2. संविदा के अंतर्गत नियुक्त पत्रकारों के कार्यकाल की सुरक्षा श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्ते) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 के तहत सुनिश्चित की जानी चाहिए ।

3. संविदा नियुक्ति ''आकर्षण अथवा प्रलोभन'' नहीं होना चाहिए ।

4. रखने - निकालने के साथ तुरंत उत्तराधिकार में रोज़गार में परिवर्तन की प्रवृत्ति हतोत्साहित की जानी चाहिए और संविदा रोज़गार किसी भी पक्ष की इच्छा पर नहीं होना चाहिए ।

5. संविदा पर दिया जा रहा वेतन, श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के अंतर्गत कुल वेतन से कम नहीं होना चाहिए ।

इसकी चर्चा में भी उप समिति ने मीडिया जगत में तेजी से बदलती स्थिति पर विस्तार से विचार किया जहाँ संविदात्मक रोज़गार श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के अंतर्गत पत्रकारों की नियमित नियुक्ति की जगह ले रहा है । कठोर वास्तविकता यह है कि अधिनियम के अंतर्गत उन पत्रकारों को कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं है जिन्हें संविदात्मक प्रणाली के अंतर्गत नियुक्त किया गया है । इस संबंध में कई वर्गों द्वारा समय-समय पर चिंता व्यक्त की गई ।

संविदात्मक रोज़गार के कारण धीरे-धीरे पत्रकारों का एक अलग वर्ग बन रहा था, एक वर्ग जिसे अधिनियम के अंतर्गत कोई लाभ नहीं हुआ था । यद्यपि, संविदात्मक रोज़गार के अंतर्गत पत्रकार अक्सर भारी वेतन (पे पैकेट) लेते हैं और उनके वेतन में पर्याप्त बढ़ोतरी भी होती है, जैसे ही उनकी संविदा में नवीनीकरण का समय पास आता है, वैसे ही उनकी स्वतंत्रता पर अनिश्चितता के बादल मँडराने लगते हैं । अक्सर यह देखा गया है कि जैसे ही संविदात्मक अवधि समाप्त होने वाली होती है पत्रकार 'परिणाम' दर्शाने के दबाव में होता है और संविदा के नवीनीकरण तक की शेष अवधि स्वतंत्रता के चयन अथवा कोई विकल्प दिये बिना 'आकस्मिक तबादले' के डर और अनिश्चितता से बँधी होती है । उप-समिति के सम्मुख कई उदाहरण उद्धृत किये गये जिन्होंने रोज़गार की संविदात्मक प्रणाली के अंतर्गत पत्रकारों के शोषण को दर्शाया क्योंकि संगठन की अत्यावश्यकताओं का कोई कारण दिये बिना उन्हें या तो प्रतिमाह नगण्य रकम दी जाती थी या उन्हें हटा दिया जाता था या उनका तबादला कर दिया जाता था ।

यद्यपि, संविदा की शर्तें अनिवार्य रूप से नियोक्ता और पत्रकार के बीच अनुबंध रहता है, यह अक्सर देखा जाता है कि समाचार एकत्रित करने, रिपोर्टिंग, प्रचार-प्रसार अथवा विश्लेषण के व्यवसाय में लगे लोगों के पास मुश्किल से ही कोई विकल्प अथवा चयन की स्वतंत्रता रहती है । ऐसी स्थिति ने पत्रकारों की कार्य स्थिति और प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में संगीन प्रश्न भी उठाये हैं । क्या पत्रकारों के साथ उद्योग के किसी खंड में किसी अन्य

कर्मचारी की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए ? क्या समाचारपत्र किसी अन्य बिजनेस अथवा उद्योग की तरह बिजनेस प्रकाशित कर रहा है ?

उप समिति ने 22 सितंबर, 2003 की भारतीय प्रेस परिषद् की पुणे में हुई बैठक का स्मरण किया जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति के. जयचन्द्र रेड्डी द्वारा की गयी थी और जिसमें दो में कुछ समाचारपत्रों द्वारा पत्रकारों की नियुक्ति की संविदात्मक प्रणाली के मामले पर विचार किया गया था ।

उस बैठक में भी परिषद् ने अनुभव किया था कि यद्यपि, मीडिया के बदलते रूप को कटु सत्य के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है, श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के अंतर्गत पत्रकारों की नियमित नियुक्ति के स्थान पर संविदा के आधार पर पत्रकारों की नियुक्ति उन दबावों पर जोकि विभिन्न वर्गों से आ सकते थे, ध्यान दिये बिना स्वतंत्रतापूर्वक स्वयं को अभिव्यक्त करने के उनके अधिकार को प्रभावित कर सकती थी । अतः यह आवश्यक था कि प्रेस की स्वतंत्रता को गोपनीय के साथ-साथ खुल्लम खुल्ला मिलने वाली धमकियों पर लगातार नज़र रखी जाये । सर्वसम्मति से परिषद् का विचार था कि जब तक कानून विद्यमान था, रोज़गार का तरीका नियोक्ता और कर्मचारी के बीच अनुबंध का मामला था, इसमें कोई संदेह नहीं था कि प्रेस की स्वतंत्रता ऐसी संविदात्मक प्रणाली में खतरे में पड़ सकती थी जहाँ सेवा को जारी रखना नियोक्ता की इच्छा पर हो सकता था ।

इन्होंने हाल ही में दिल्ली में हुए सार्क संपादक सम्मेलन में विदेश मंत्री, श्री प्रणम मुखर्जी की टिप्पणियों को उद्धृत किया अर्थात् ''कई तरह से मीडिया, लोगों से संपर्क का बेहतर पथ प्रदर्शक है । आप लोगों में से किसी एक के एक वाक्य में करोड़ों तक पहुँचने की क्षमता है। यह गलत को सही कर सकता है ''यह छवि बना सकता है'' यह समझ का बीज बो सकता है।'' श्री मुखर्जी ने सम्मेलन में बताया ''यदि लिखित शब्द की शक्ति को बार-बार सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो क्या यह उचित नहीं होगा कि वे हाथ जोकि कलम चलाते हैं, इस कार्य को स्वतंत्रता, दायित्व और बिना किसी डर के करें । मीडिया में ऐसी कार्य स्थितियाँ ही नियोक्ता और कर्मचारी के बीच बेहतर और स्वस्थ संबंध आगे बढ़ा सकती हैं ।

उप समिति ने यह निर्धारण पूर्ण प्रेस परिषद् की सामूहिक इच्छा पर छोड़ दिया कि क्या स्थिति इस समय कुछ अलग है अथवा गत तीन या चार वर्षों में इसमें कैसे विकास हुआ ।

रिपोर्ट को संपूर्ण करते हुए इसकी अंतिम सिफारिश इस प्रकार पठनीय है ''श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की परिभाषा के भीतर आने वाले एक समाचारपत्र प्रतिष्ठान के सभी कर्मचारियों को अधिनियम के उपबंध का संरक्षण दिया जाना चाहिए ।''

दिनांक 27.7.2007 को हुई बैठक में विस्तार से इस मुद्दे पर वाद-विवाद करते हुए परिषद् ने अंतिम सिफारिश को स्वीकार कर लिया ।

❐

अध्याय V

लघु और मध्यम समाचारपत्रों की समस्याओं पर रिपोर्ट

4-5 अक्टूबर, 2007

प्रस्तावना

देश का प्रिंट मीडिया भारतीय संविधान के पाँचवें भाग का निर्माण करता है और लघु एवं मध्यम समाचारपत्र, जोकि विशेष रुप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर भारतीय जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, लोगों की आवाज़ को सुदूर कोने से नीति-निर्माताओं तक ले जाकर और उन्हें ऐसी सूचना प्रदान करके जोकि कई प्रकार से उनके जीवन को प्रभावित करती है, इसे मजबूत आधार प्रदान करते हैं ।

भूमिका

स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात्, 1947 से लघु और मध्यम समाचारपत्रों ने जो भूमिका अदा की है, वह सराहनीय है । चूँकि, अधिकतर भारतीय जनसंख्या आज ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, ग्रामीण क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र में सूचना के प्रवाह की आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक है । बड़े और बेहतर-जाने, जाने वाले समाचारपत्र अधिकतर बड़े शहरों से प्रकाशित किये जाते हैं जिन्हें स्थानीय रुचि अथवा ग्रामीण या छोटे शहरों के लोगों की आवश्यकताओं और समस्याओं की पूरी जानकारी नहीं होती । इसके विपरीत, लघु समाचारपत्र इस अंतर को कम करने की क्षमता रखते हैं । यद्यपि, ये ऐसे लोगों द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं जिनके पास थोड़े से साधन होते हैं, इन पर ऊपरी व्यय भी होता है । ये स्थानीय लोगों की भाषा बोलते हैं, उनके द्वारा पढ़े और समझे जाते हैं, और इस प्रकार उनमें निम्न स्तर पर लोकमत बनाने अथवा उसे प्रभावित करने की क्षमता होती है । लोगों की पीड़ा, कठिनाइयों और आवश्यकताओं को प्राधिकारियों के नोटिस में लाने के साथ-साथ लोगों तक वह सूचना ले जाकर जोकि वे प्राधिकारियों से चाहते हैं, उनमें लोगों तथा स्थानीय प्राधिकारियों के बीच वाहक के रुप में सेवित करने की भी क्षमता होती है । तथापि,काफी समय से इन समाचारपत्रों ने बड़े समाचारपत्रों, बहु संस्करणीय समाचारपत्रों, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रतिस्प्रर्धा के खतरों,आंतरिक कठिनाइयों, अपने बने रहने के खतरों का सामना किया है । विभिन्न पत्रकारों और समाचारपत्रों संगठनों द्वारा इन समस्याओं पर परिषद का ध्यानाकृष्ट कराया गया ।

समिति का गठन

लघु और मध्यम समाचारपत्रों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर परिषद् पहले ही समुचित ध्यान दे रही थी और वर्ष 1996 में इस मामले पर रिपोर्ट तैयार की थी जिसे केन्द्रीय सरकार को भेजा गया था । परिषद् ने दिनांक 7-10-2005 को मामले पर चर्चा भी की थी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों,

विश्वविद्यालयों आदि के सभी विज्ञापन वि.दृ.प्र.नि. के माध्यम से दिये जाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि सही लघु और मध्यम समाचारपत्रों को विज्ञापनों का अपना हिस्सा मिल सके । परिषद् ने इस विषय पर गहन अध्ययन करने और सरकार द्वारा विचारार्थ ठोस सुझाव देने के पश्चात् एवं इसके कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल देने के लिए भी सूचना एवं प्रसारण मंत्री से मिलने का निर्णय किया । इन्होंने लघु और मध्यम समाचारपत्रों की समस्याओं पर अधिक चर्चा की आवश्यकता पर भी बल दिया ।

लघु और मध्यम समाचारपत्रों के अस्तित्व और उत्तरजीविता से चिंतित होकर परिषद् ने इनकी समस्याओं और भविष्य पर निम्नलिखित सदस्यों सहित विचार करने के लिए परिषद् ने 7 अक्टूबर, 2005 की अपनी बैठक में एक समिति गठित की ।

1. श्री उत्तम चन्द्र शर्मा, संयोजक
2. श्री रमेश गुप्ता, सदस्य
3. श्री राजीव कुमार अरोड़ा, सदस्य
4. श्री प्रताप टी. शाह, सदस्य
5. श्री जगजीत सिंह दर्दी, सदस्य
6. श्री कुंदन आर. व्यास, सदस्य
7. श्री के.डी. चंडोला, सदस्य
8. श्री गीतार्थ पाठक, सहयोजित सदस्य

जहाँ समिति की कई बैठकें हुईं, इसकी प्रारंभिक बैठक स्थिति का जायज़ा लेकर समस्याओं को पहचानना जैसे छत्रयुक्त संगठन की कमी, स्थान के साथ-साथ रकम के आधार पर आबंटित किया जा रहा बजट, मूल्य युद्ध के रुप में बड़े समाचारपत्रों से प्रतिस्पर्धा, नगर संस्करण और विज्ञापन अंश का विनियोजन, वेतन बोर्ड प्रवर्तन द्वारा डाला गया आर्थिक बोझ और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वि.दृ.प्र.नि. और रेलवे आदि से कम विज्ञापन सहयोग आदि अन्य कारण थे ।

समिति ने लघु और मध्यम समाचारपत्रों की समस्याओं के लिए उत्तरदायी मुख्य कारणों के रुप में वेतन बोर्ड प्रणाली और मूल्य-पृष्ठ अनुसूची का भी अभिनिर्धारण किया । इन्होंने निम्नलिखित का गहनता से परीक्षण किया :-

1. 1954 में मूल्य पृष्ठ अनुसूची के सम्बन्ध में प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशें,
2. सकाल न्यूज़पेपर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 1962, एस.सी.आर.8.42 के मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

3. 1984 में मूल्य पृष्ठ अनुसूची के सम्बन्ध में दूसरे प्रेस आयोग की सिफारिशें

4. 1983-84 का प्रेस परिषद् का निर्णय कि इसे मूल्य पृष्ठ अनुसूची पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं था ।

तदनंतर, बैठकों में, इन्होंने आर.एन.आई./वि.दृ.प्र.नि. के प्रतिनिधियों से सम्पर्क करने के साथ-साथ अधिसूचित एसोसिएशनों के विचार मँगवाने और मूल्य पृष्ठ अनुसूची एवं समाचार-विज्ञापन अनुपात से सम्बद्ध कानूनी राय लेने का निर्णय किया ।

सम्पर्क : आर.एन.आई के प्रेस रजिस्ट्रार ने समिति को सूचित किया कि उन्होंने सम्बद्ध बैल्ट (क्षेत्र) में लघु समाचारपत्रों के परिचालन के साथ-साथ परीक्षण मामले के रुप में दो बड़े बहु संस्करणों "दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर" को लेकर लघु और मध्यम समाचारपत्रों के परिचालन पर बड़े समाचारपत्रों के बहु संस्करणों के संभावित प्रभाव पर अध्ययन किया था । प्रदत्त आलेखों ने बड़े समाचारपत्रों का परिचालन ऊपर जाते हुए दर्शाया जबकि नमूने के रुप में लिये गये लघु समाचारपत्रों का आलेख लगभग अछूता रहा । जहाँ मुख्य समाचारपत्रों के साथ नगर अनुपूरक पृष्ठ प्रकाशित करने के सम्बन्ध में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, को लेकर प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 मूक है, उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व अभ्यास के अनुसार यदि नियत आवधिकता सहित नियमित संस्करणों के साथ बड़े समाचारपत्रों द्वारा भी विशिष्ट अनुपूरक समय-समय पर जारी किये जाते हैं, वे यह सुनिश्चित करने के लिए आर.एन.आई. से अलग शीर्षक लेते हैं कि ऐसे अनुपूरक जोकि क्षेत्र विशेष के हैं, को कोई कठिनाई न हो । वे आगे सुनिश्चित करते हैं कि इस प्रकार के शीर्षक उसी क्षेत्र में परिचालन में न हों जहाँ बड़े समाचारपत्र का अतिरिक्त नगर संस्करण परिचालन किया जाता है । प्रारंभ की गयी "तत्काल समाधान योजना" पर आर.एन.आई. द्वारा समिति का ध्यानाकृष्ट कराया गया जिसके अंतर्गत प्रत्येक समाचारपत्र को हर शुक्रवार को अपनी शिकायत के निपटान का अवसर प्रदान किया जाता है ।

वि.दृ.प्र.नि. वि.दृ.प्र.नि. के प्रतिनिधि ने 14 फरवरी, 2007 की बैठक में समिति के साथ सम्पर्क किया और विस्तृत चर्चा के पश्चात्, स्पष्टीकरण हेतु निम्नलिखित बिन्दु सामने आये :

1. दर ठेका जारी करने में विलम्ब जिसके कारण लघु और मध्यम समाचारपत्र सभी अन्य विज्ञापनों से वंचित रहते हैं ।

2. उन समाचारपत्रों द्वारा गणना की प्रक्रिया/स्याही की खपत की सूचना देना जिनके पास अपनी प्रिंटिग प्रेस नहीं है अर्थात् संलग्नक 12 में पुनर्विचार की आवश्यकता है ।

3. सजावटी विज्ञापन पर वि.दृ.प्र.नि. द्वारा लिया गया 15% छूट का तर्काधार जब विज्ञापन पूर्व पद्धति, जब ब्लॉक तैयार करने होते थे, के विरुद्ध नेट के माध्यम से जारी किये जाते हैं ।

4. मुद्रण की गुणवत्ता परखने में अनुसरण की गयी पद्धति

5. लघु और मध्यम प्रादेशिक भाषायी समाचारपत्रों के प्रतिनिधित्व के माप हेतु समाचारपत्रों के नामिकायन हेतु समिति का गठन

6. पी.ए.सी. में प्रेस परिषद् का नामिती हो

7. पी.ए.सी. में प्रेस के नामिती का चयन पारदर्शी होना चाहिए

8. समाचार-विज्ञापन अनुपात-कार्यान्वयन के संबंध में प्रेस आयोग सिफारिशें ए.टी.आर. के अनुसार हों

9. एक वर्ष हेतु पूर्व प्रावधान के स्थान पर एक समाचारपत्र की मान्यता तीन वर्षों के पश्चात् हो

10. समाचारपत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए सप्ताह में एक बार "तत्काल समाधान" मुक्त प्रणाली शुरु करने की आवश्यकता

11. अंग्रेजी और भाषायी समाचारपत्रों के बीच विज्ञापन अनुपात

12. लघु/मध्यम और बड़े समाचारपत्रों के बीच विज्ञापन अनुपात

13. दर ठेके को समय पर जारी करना

14. नामिकायन हेतु प्राप्त मामलों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा तुरंत अस्वीकरण

15. भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा बड़े/प्रमुख समाचारपत्रों और लघु/महत्वहीन समाचारपत्रों के बीच भेदभाव से बचने के लिए समान नीति-विज्ञापन नीति के अन्तर्गत कार्यान्वयन सुनिश्चित करना

उपरोक्त बिन्दुओं पर वि.दृ.प्र.नि. की प्रतिक्रिया माँगी गयी और इसके पश्चात् कई अनुस्मारक भेजे गये परंतु वे निरर्थक रहे । उपरोक्त मुद्दों पर वि.दृ.प्र.नि. के गैर सहयोगी रवैये के कारण अप्रसन्नता हुई और समिति ने 26 जुलाई, 2007 को हुई अपनी अंतिम बैठक में उपलब्ध सूचना के आधार पर अपनी राय बनाने का निर्णय किया ।

वकीलों से सम्पर्क

समिति ने दिनांक 5-1-2007 को नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में लघु और मध्यम समाचारपत्रों पर द्वितीय प्रेस आयोग की सिफारिशों पर मूल्य-पृष्ठ अनुसूची के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए परिषद् के अधिकार क्षेत्र पर चर्चा की । मैसर्स पी.एच. पारेख एंड कम्पनी के परामर्शदाता श्री सुमित गोयल ने स्पष्ट किया कि 1962 के निर्णय का पुनर्विलोकन न तो सही उपचार है न ही संभव है क्योंकि मामले में असामान्य विलम्ब हो चुका था और माननीय सुप्रीम कोर्ट विलम्ब और शिथिलता को लेकर स्पष्ट है क्योंकि रिव्यू दर्ज़

करने की अवधि मात्र 30 दिन है । इसके अतिरिक्त 1962 में पारित निर्णय को रदद् करने हेतु आवेदन पत्र दर्ज़ करना पुनः संभव नहीं है क्योंकि समुचित पक्ष को वकालत करनी होगी और यह दर्शाने के लिए अत्यधिक ठोस मामला बनाना होगा कि उपरोक्त निर्णय विकृत था । द्वितीय प्रेस आयोग की रिपोर्ट को देखते हुए विधान के माध्यम से उपचार के रुप में विकल्प की माँग की जा सकती थी ।

समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए उपलब्ध सूचना के अनुसार कार्य किया ।

साख्यिकीय आँकड़े

आर.एन.आई. के नवीनतम उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार आर.एन.आई. से पंजीकृत समाचारपत्रों और आवधिकों की कुल संख्या दिनांक 31-3-2006 को 62, 413 थी । इनमें से 8512 ने आर.एन.आई. के सन्मुख अपनी वार्षिक विवरणी दी है, जिनका त्रिविभाजन 350 बड़े, 1555 मध्यम और 6607 लघु समाचारपत्रों के रुप में है । सभी समाचारपत्रों और आवधिकों का कुल परिचालन 2005-2006 में 18, 07, 38, 611 था । इनमें से 6, 41, 55, 462 मध्यम समाचारपत्रों का परिचालन था और 4, 88, 84, 778 प्रतियाँ छोटे समाचारपत्रों का परिचालन था । ये आँकड़े पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते क्योंकि आर.एन.आई. के पास केवल उन समाचारपत्रों की ही सूचना है जिन्होंने इसके सम्मुख विवरणी दी है । इसके कार्यालय में भी उन समाचारपत्रों की कोई सूचना नहीं है जोकि अब बंद हो चुके हैं ।

महत्व

लघु और मध्यम समाचारपत्र प्रेस का आधारभूत और जन साधारण से संबंधित आधार बनाते हैं और सभी भाषाओं तथा क्षेत्रों में देश में प्रेस का मूल बनाते हैं । लघु समाचारपत्र लोगों के बीच एकता और साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ाने का सर्वोत्तम जरिया है और इसके द्वारा विकास की प्रक्रिया और लोकतंत्र की जड़ों को मज़बूत किया जाता है । स्थानीय प्रेस इसका लाभ उठाती है क्योंकि स्थानीय लोगों की नब्ज पर इसका हाथ होता है और स्थानीय लोगों तथा घटनाओं के प्रतिस्पर्धात्मक महत्व की उन्हें जानकारी होती है और स्थानीय रुचियों और अरुचियों से अधिक मेल खाती है । इसके अतिरिक्त यह सीमित सेवाओं और उत्पादों के स्थानीय/जिला स्तर पर विज्ञापन सामर्थ्य को देखते हुए लाभ की स्थिति में है ।

कमियाँ

लघु और मध्यम समाचारपत्र अक्सर नैतिक मूल्यों को अनदेखा करने के लिए, निजी वैर से निपटने के जरिये के रुप में समाचारपत्र का इस्तेमाल करने के लिए अपना भयादोहन के लिए आलोचनात्मक टिप्पणियों को आकृष्ट करते हैं यद्यपि सामान्यीकरण करना गलत है । उनमें से कुछ पर "राजनीतिज्ञों की कठपुतलियों" के रुप में कार्य करने अथवा "प्रबल निजी हित" हेतु चलाने के इच्छुक होने का भी आरोप लगाया गया है। उनके विरुद्ध सर्वाधिक सामान्य आरोप है - व्यावसायिकता की कमी, अनियमित प्रकाशन और सरकारी विज्ञापनों के बड़े भाग के लिए परिचालन आँकड़ों में हेर फेर करना परंतु कठिनाइयों और सीमितताओं के बावजूद वे विशेष रुप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर जनसंख्या को मुख्य रुप से समाचार और विचार प्रदान

करते हैं । यह ठीक है कि सदैव कुछ "कुलद्रोही" और "भाग जाने वाले" समाचारपत्र होते हैं परंतु अत्यधिक महत्त्वपूर्ण संचार चेन पर ध्यान न देने का कोई कारण नहीं है । परिषद् का मानना है कि लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए सूचना के स्त्रोत और मत के बाहुल्य को प्रोत्साहित करने के लिए तथा समाजवादी सोसायटी स्थापित करने की देश की वचनबद्धता के अनुरुप सही लघु और मध्यम समाचारपत्रों के संरक्षण और उन्हें बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता है ।

समस्यायें

लघु और मध्यम समाचारपत्र हाल ही में अत्यधिक गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं । उनका व्यक्तिगत परिचालन कम है और उनके बाज़ार अलग-अलग स्थानीय क्षेत्र हैं । वाजिन दोनों पर अखबारी कागज़ की कमी के अतिरिक्त उन्हें बड़े विज्ञापनदाताओं, नियमित घरानें, केन्द्रीय सरकार अथवा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से पर्याप्त विज्ञापन नहीं मिल पाते और उन्हें अपने छोटे से बजट के कारण वे प्रशिक्षित पत्रकारों की कमी का सामना करते हैं । यह अखंडनीय है कि लघु प्रेस वित्तीय कठिनाइयों के कारण सर्वोत्तम कर्मियों की अनुपलब्धता और तकनीकी प्रगति के रुप में अत्यधिक असुविधापूर्ण स्थिति में हैं । मूल्य युद्ध में यह बड़े समाचारपत्रों की बराबरी नहीं कर सकती । यह प्रतिकूल अवस्था है, जिसपर स्थानीय जनसंख्या का स्वर बनकर बेहतर सेवा प्रदान करके ही काबू पाया जा सकता है ।

नया खतरा

हाल ही में, लघु प्रेस ने बड़े समाचारपत्रों द्वारा मुख्य समाचारपत्र के साथ प्रादेशिक अनुपूरक शुरु किये जाने से गत तीन-चार वर्षों से नये खतरे का सामना किया है । ये निस्संदेह स्थानीय समाचारपत्र के परिचालन को प्रभावित करते हैं परंतु वे कम से कम इस समय स्थानीय समाचार की कवरेज में स्थानीय समाचारपत्रों का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं हैं । लघु समाचारपत्रों के लिए एकदम अनावश्यक है कि वे बड़े समाचारपत्रों के साथ परिचालन दौड़ में प्रवेश करें । दृष्टि, समस्याओं और स्थानीय भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता और अपनी अंतर्निहित गुणवत्ता के साथ लघु समाचारपत्र बड़े समाचारपत्रों से किसी खतरे के बिना साथ-साथ रह सकते हैं ।

परिणाम और सिफारिशें

परिषद् ने लघु और मध्यम समाचारपत्रों की समस्याओं पर उप समिति की रिपोर्ट को अंगीकार किया। परिणामों और सिफारिशों को निम्नानुसार रिकार्ड किया गया है :-

सिफारिशों और पुन निकाले गये परिणामों, सहित छोटे और मझोले समाचारपत्रों की समस्याओं पर उप-समिति की रिपोर्ट को परिषद् ने निम्नानुसार रिपोर्ट अंगीकार किया :

1. द्वितीय प्रेस आयोग पर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई रिपोर्ट, जोकि मूल्य पृष्ठ अनुसूची और समाचार विज्ञापन अनुपात (अनुच्छेद 63-67, अध्याय-X, खंड-I) के

निर्धारण के मुद्दे पर विचार करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने के इसके निर्णय के परिणाम को सूचित करने की मूल्य पृष्ठ अनुसूची के संबंध में है, के संदर्भ में, परिषद् भारत सरकार के सम्मुख जा सकती है ।

2. इस मुद्दे पर नया विधान लाने के लिए परिषद्, केन्द्रीय सरकार के सम्मुख जा सकती है ; और

3. यह छोटे एवं मध्यम समाचारपत्रों की ओर से एम आर टी पी (एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग) के सम्मुख जा सकती है ।

4. छोटे और मध्यम समाचारपत्रों को राज्य सरकारों द्वारा विशेष दरें दी जानी चाहिए जोकि वि.दृ.प्र.नि. की दरों से ऊपर 20% से कम न हों ।

5. जब भी कोई विज्ञापन जारी किया जाता है, प्रत्येक तीन समाचारपत्रों के लिए इसका अनुपात इस प्रकार होगा, एक-जिला, एक-प्रादेशिक और तीसरा एक बड़े समाचारपत्रों को ।

6. सजावटी विज्ञापनों पर वि.दृ.प्र.नि. द्वारा ली गयी 15% छूट हटायी जानी चाहिए; चूँकि, अब विज्ञापन इंटरनेट के जरिये जारी किये जाते हैं और ब्लॉक तैयार करने की अब आवश्यकता नहीं है ।

7. समाचारपत्रों को राहत देने के लिए वि.दृ.प्र.नि. को 'वीकली तत्काल समाधान स्कीम' जैसाकि आर.एन.आई. द्वारा शुरू की गई है, को शुरू करने जैसी तत्काल समाधान योजना को अंगीकृत करना चाहिए ।

8. समाचारपत्रों को शीर्षक/पंजीकरण देने के लिए आर.एन.आई. को समय-सीमा का पालन करना चाहिए ।

9. वि.दृ.प्र.नि. के सहयोग की कमी, नाराज़गी का एक कारण था और एक सांविधिक प्राधिकरण के प्रति इस प्रकार के रवैये पर अपने अननुमोदन को लेकर परिषद् सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जिसकी वि.दृ.प्र.नि. एक मीडिया इकाई है, का उचित निदेश हेतु ध्यानाकृष्ट करती है ।

अंतिम सिफारिश

परिषद् ने सूचना और प्रसारण मंत्री, भारत सरकार का लघु और मध्यम समाचारपत्रों की समस्याओं पर ध्यान करने और भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा भेजे जा रहे सुझावों को कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल देने का भी निर्णय किया ।

अध्याय VI

उत्तर पूर्व में प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन पर मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट

4-5 अक्टूबर, 2007

भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष ने आमतौर पर उत्तर-पूर्व राज्यों और विशेष रुप से असम में उल्फा द्वारा मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली प्रेस की स्वतंत्रता की धमकियों से चिंतित होकर घटनास्थल पर स्थिति का जायज़ा लेने के लिए मूल्यांकन समिति का गठन किया है । परिषद् ने पूर्व में इंडियन एक्सप्रेस की दिनांक 1-2-2007 की समाचार रिपोर्ट पर गौर किया था जिसका, शीर्षक था "आफ्टर एन.ई.टी.वी. आउटफिट नाओ आस्क्स टू एडीटर्स टु गिव अप जर्नलिज्म्" (एन.ई.टी.वी. के पश्चात् अब दो सम्पादकों से पत्रकारिता छोड़ने के लिए कहा गया), जिसमें गुवाहाटी के दो असमिया दैनिक समाचारपत्रों के सम्पादकों को पत्रकारिता छोड़ने के लिए उल्फा द्वारा जारी किये गये निदेशों पर गौर किया गया था ।

चूँकि, यह घटना प्रथम दृष्टि में, प्रेस की स्वतंत्रता कार्य प्रणाली को खतरे एवं इसमें हस्तक्षेप का प्रयास लगती थी, भारतीय प्रेस परिषद् ने प्रेस परिषद् (जाँच प्रक्रिया) विनियम, 1979 के विनियम (13) के अन्तर्गत स्वतः कार्रवाई की ।

समिति में भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्य सर्वश्री हिरण्यमय कारलेकर, के.एस. सच्चिदानन्द मूर्ति और गीतार्थ पाठक थे । राज्य में स्थिति का जायज़ा लेने के लिए घटनास्थल की जाँच हेतु मूल्यांकन समिति की बैठक गुवाहाटी में 26-28 मार्च, 2007 और इंफाल में 27-29 सितम्बर, 2007 को हुई । परिषद ने गोआ में दिनांक 4-5 अक्टूबर, 2007 को हुई बैठक में इस रिपोर्ट को अंगीकार किया ।

असम की स्थिति पर अंतरिम रिपोर्ट

भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जी.एन. रॉय द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने दिनांक 26-27 और 28 मार्च, 2007 को असम में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति को लेकर घटनास्थल का अध्ययन किया । समिति, जिसमें श्री हिरण्मय कारलेकर, श्री सच्चिदानन्द मूर्ति और श्री गीतार्थ पाठक थे, ने दिनांक 27 मार्च, 2007 को राज्य सरकार के सर्किट हाउस में औपचारिक जाँच की । अभिसाक्षियों में दैनिक असम के सम्पादक श्री धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती थे जिन्हें पत्रकारिता छोड़ने के लिए यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) द्वारा कहा गया है । अग्रदूत के सम्पादक श्री कनक सेन डेका के बेटे श्री प्रंजल सेन डेका, जिन्हें भी पत्रकारिता छोड़ने के लिए कहा गया था, ने भी अभिसाक्ष्य दिया जैसाकि नॉर्थ ईस्ट टेलीविज़न की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्रीमती मनोरंजना सिंह ने किया । उल्फा ने श्रीमती सिंह को जाने के लिए कहा यदि

एन.ई.टी.वी. एक माह के भीतर आरोप सिद्ध नहीं कर पाये कि उल्फा ने राज्य सरकार द्वारा रक्त दिये जाने के पश्चात् असम में 33वें राष्ट्रीय खेलों का अपना बॉयकॉट वापिस ले लिया था ।

श्री डेका और श्री चक्रवर्ती दोनों को असम सरकार द्वारा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया था । जहाँ श्री डेका के पुत्र के अनुसार, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया था, श्री चक्रवर्ती ने इंकार कर दिया । श्रीमती सिंह के लिए, उन्होंने कहा कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की गयी परंतु उनके संवाददाताओं को नहीं । इसके स्थान पर, उन्हें सरकार द्वारा इस्तीफा देने के लिए विवश किया जा रहा था । उन्होंने यह भी कहा कि असम के मुख्य मंत्री श्री तरुण गगोई उनके चैनल के प्रतिकूल थे और एक बार उन्होंने सार्वजनिक रुप से उनका संदर्भ "विदेशी" के रुप में दिया था ।

श्रीमती सिंह को उन समाचार रिपोर्टों की कतरनों के रुप में साक्ष्य देने के लिए कहा गया जिनमें मुख्यमंत्री को उन्हें विदेशी कहते हुए उद्धृत किया गया था । इस प्रश्न के लिए कि क्या वे यह स्थापित कर सकती थीं कि असम सरकार ने राष्ट्रीय खेलों के बॉयकॉट को वापिस लेने के लिए उल्फा को रकम दी थी, श्रीमती सिंह ने कहा कि उनके पास मज़बूत परिस्थितिक साक्ष्य थे । समिति ने उन्हें रेखांकित तर्कों के विश्लेषण सहित इन्हें प्रस्तुत करने के लिए कहा, कतरन में उनके द्वारा दर्शाये गये आरोप और साथ में दी गयी रिपोर्ट का कलेवर हो । उनसे यह भी कहा गया कि वे धमकियों के विरुद्ध पुलिस से उनके स्टाफ द्वारा की गयी शिकायतों और संरक्षण के लिए अनुरोध, यदि कोई हो, के साक्ष्य भी पेश करें ।

समिति लगभग एक घंटे के लिए मुख्यमंत्री से भी मिली । उन्होंने एन.ई.टी.वी. के प्रति प्रतिकूलता के सभी आरोपों का खंडन किया और कहा कि वे इसके उद्घाटन के समय उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने श्रीमती सिंह को उनकी इच्छा से अधिक सुरक्षा प्रदान की थी । उन्होंने कहा कि संरक्षण पत्रकारों को दिया गया था जहाँ कहीं भी खतरा, जिसका उन्होंने उद्धरण दिया था, को प्राधिकारियों द्वारा गंभीरता से लिये जाने के लिए आँका गया था । यह विवेचित करते हुए कि राज्य में प्रत्येक पत्रकार को जिनमें वे भी शामिल थे जोकि दूर दराज़ के इलाकों में थे, सुरक्षा कवच प्रदान करना संभव नहीं था और यह कि उनकी अपनी पार्टी, दी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्हें धमकाया जा रहा था, पर भी लागू होता था, उन्होंने कहा कि भारतीय प्रेस परिषद् जो भी निदेश जारी करेगी, वे उनका पालन करेंगे । उन्होंने यह भी विवेचित किया कि वे मीडिया और सुरक्षा तथा उनकी सरकार की प्रतिक्रिया से सम्बद्ध राज्य में सामान्य स्थिति से अवगत कराते हुए भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष को एक पत्र लिखेंगे और मुख्य सचिव को भी अनुदेश देंगे कि वे यह कार्य अलग से करें ।

मूल्यांकन समिति के सदस्य अपने दौरे के दौरान विख्यात साहित्यकार और पत्रकार श्री डी.एन. बेजबरुआ और अन्य लेखकों, पत्रकारों तथा सिविल सोसायटी के सदस्यों से मिले । संकेतों से ऐसा लगता है कि प्रेस और मीडिया चैनल ऐसे वातावरण में कार्य कर रहे थे, जिन्होंने उनके व्यावसायिक दायित्वों के निर्वाह को कठिन बना दिया था । जहाँ पर राज्य की जनसंख्या के अलग हिस्सों पर भी लागू होता था, वहीं राज्य में अब व्याप्त स्थिति में मीडिया को आलोचनात्मक भूमिका अदा करनी होगी, अतः राज्य सरकार को अपने सर्वोत्तम सामर्थ्य के अनुसार इनके सुरक्षा स्तर में बढ़ोतरी की माँग करनी चाहिए।

चूँकि, व्यापक मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण सूचना की आवश्यकता थी-मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के पत्र और श्रीमती सिंह से माँगी गयी सामग्री अभी आनी है, मूल्यांकन समिति ने उपरोक्त को अंतरिम रिपोर्ट के रुप में पेश किया । अंतिम रिपोर्ट को सभी लंबित आगतों को प्राप्त करने और उनका मूल्यांकन करने के पश्चात् दिया जाएगा ।

अंतिम रिपोर्ट असम

मूल्यांकन समिति ने असम का दौरा किया और परिषद् को अंतरिम रिपोर्ट दी । समिति ने एन.ई.टी.वी. और अन्य से उन पर डाले गये दबाव और हमलों का विस्तृत विवरण देने के लिए कहा। हालांकि, एन.ई.टी.वी. ने भारतीय प्रेस परिषद् के निदेशों का जवाब नहीं दिया । यद्यपि, असम सरकार के समझाने बुझाने और दबाव के पश्चात् जवाब दिया, ऐसा लगता है कि मीडिया की स्वतंत्रता के उल्लंघन की घटनाओं पर बाधित सीमा तक नियंत्रण नहीं रखा गया है । मीडिया कर्मियों के विरुद्ध उल्फा के हमले जारी हैं । उन्होंने कथित रुप से मीडिया कर्मियों, जोकि उनके आलोचक हैं, की हिट लिस्ट भी तैयार कर ली है । भारतीय प्रेस परिषद् को नियमित रुप से असम की स्थिति पर नज़र रखनी चाहिए ।

मणिपुर की स्थिति पर रिपोर्ट

मणिपुर का सम्पूर्ण मीडिया गंभीर खतरे में है और राज्य में वर्तमान स्थिति स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया के लिए लाभदायक नहीं है । राज्य के उग्रवादी संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों के हित को अनदेखा कर रहे हैं और राज्य के मीडिया के विरुद्ध हमले जारी हैं । प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने और मणिपुर के मीडिया कर्मियों के जीवन को सुरक्षित रखने में सरकार असफल रही है ।

मणिपुर के पत्रकारों ने बागियों द्वारा दी गयी धमकियों के विरोध में 9 अगस्त से 11 अगस्त, 2007 तक अपने समाचारपत्र प्रकाशित करने से इंकार कर दिया । एक स्थानीय समाचारपत्र के सम्पादक को हाल ही में अपनी मेल में ग्रेनेड शैल प्राप्त होने के पश्चात् विरोध सामने आया । शैल जोकि पार्सल में थे, में विस्फोट नहीं हुआ । पार्सल अलगाव वादी पीपल्स रिवेल्यूशनरी आर्मी ऑफ कंगलीपाक (प्रीपैक) के एक गुट द्वारा भेजा गया था । कंगलीपाक मणिपुर का प्राचीन नाम है ।

9 अगस्त, 2007 से अंग्रेजी या स्थानीय भाषाओं में किसी समाचारपत्र की एक भी प्रति दिखाई नहीं दी है । अंग्रेजी भाषायी संगई एक्सप्रेस समाचारपत्र के सम्पादक, जिन्होंने पार्सल प्राप्त किया था, ने कहा कि इसमें चेतावनी भी थी । "पार्सल में बागियों द्वारा दी गयी धमकी थी जिसमें हमें भीषण परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गयी थी यदि हमने प्रीपाक के प्रतिद्वंदी दल के प्रेस वक्तव्य दिये । ऐसे वातावरण में हम कैसे कार्य कर सकते हैं ?" खगेन्द्र खोमड्रम ने कहा ।

ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन और मणिपुर एडीटर्स फोरम के सदस्यों ने बागी धमकियों के विरोध में प्रदर्शन किया । उन्होंने कहा कि संगई एक्सप्रेस को बागियों द्वारा दी गई धमकी वापिस लेने तक राज्य में कोई समाचारपत्र प्रकाशित नहीं किया जाएगा । "हम मणिपुर मुख्य मंत्री ओकराम इबोबी सिंह से

मिले हैं और मीडिया जगत के लिए पर्याप्त सुरक्षा की माँग की । अन्यथा हम असुरक्षित अनुभव करते हैं।'' एस जीमंत, अध्यक्ष, ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने कहा । मणिपुर में पत्रकार पिछले कुछ वर्षों से अत्यधिक धमकियों और दबावों में कार्य कर रहे हैं । गत वर्ष अलगाववादी बागियों ने मणिपुर डेली के ब्यूरो चीफ रतन लुवांगचा को गोली मारी और उन्हें गंभीर रुप से घायल किया । वर्ष में आगे अन्य बागी गुट ने स्थानीय दैनिकों के छह सम्पादकों का अपहरण किया और इस वायदे के बाद ही उन्हें छोड़ा कि बागी बयान वैसे ही प्रकाशित किये जायेंगे, जैसे वे हैं । सम्पादकों ने अपहरणों और धमकियों के विरोध में समाचारपत्रों का प्रकाशन बंद कर दिया था । मणिपुर में स्थानीय भाषायी समाचारपत्र पुनरुजीवित संगठन मीलाल, जोकि यह चाहता है कि मणिपुर पेपर्स अपने दैनिक, प्राचीन मणिपुर पाण्डुलिपि मयक में मुद्रित करें न कि बंगाली पाण्डुलिपि से जोकि कई शताब्दियों से मणिपुर में प्रयोग की जा रही है, की धमकियों एवं दबाव में भी रह रहे हैं ।

13 अक्टूबर, 2002 को सशक्त लोगों ने इम्फाल में टेलीविज़न पत्रकार यमबेम मेघाजीत सिंह को मार दिया । सिंह, जोकि 'आडिया-बिजुअल प्रोडक्शन कम्पनी नॉर्थ ईस्ट बिजन्स वीकली प्रोगाम' में कार्यरत थे, को सशक्त कर्मियों द्वारा उत्पीड़ित करने के पश्चात् मारा गया । उनके हाथ पीछे बाँधे हुए पाये गये और उनके शरीर पर कई चोटें थीं ।

20 अगस्त, 2000 को पाउनाओजम ब्रजामणि सिंह, सम्पादक, डेली मणिपुर न्यूज़ और अध्यक्ष, मणिपुर स्टेट जर्नलिस्टस एसोसिएशन को दो अजनबियों द्वारा मारा गया । ब्रजामणि एक अन्य मीडिया कर्मचारी के साथ थे जब उन्हें प्वाइंट ब्लैंक रेंज से मारा गया । अपराधियों ने अन्य व्यक्ति को मारने या नुकसान पहुँचाने का कोई प्रयास नहीं किया । जहाँ पुलिस को हत्या का अभी तक कोई उद्देश्य पता नहीं चला है, ब्रजामणि को पहले भी मारने की अज्ञात धमकियाँ दी गई थीं । उनकी हत्या से एक दिन पूर्व उन्होंने आग्रह किया था "उन लोगों ने सम्पादकीय में जानकारी दिये जाने से रोकने के लिए उन्हें धमकियाँ दी थीं ।''

मणिपुर राज्य सरकार ने स्थानीय मीडिया विशेष रुप से राज्य में सक्रिय भूमिगत संगठनों के कार्यकलापों के समाचारों की कवरेज पर कुछ कड़े प्रतिबंध लगाये हैं ।

इस सम्बन्ध में राज्य गृह विभाग ने गत 2 अगस्त 2007 को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 95 के अन्तर्गत आदेश जारी किया था । यह समझा जाता है कि राज्य में हिंसा पर नियंत्रण रखने की सरकार की कार्रवाई योजना के अन्तर्गत उपाय किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत इन्होंने गैर सरकारी संगठनों के कार्यकलापों और मीडिया द्वारा समाचार के प्रकाशन पर कड़ी नज़र रखने का निर्णय किया है । गृह विभाग के आदेश में विवेचित किया गया है कि कोई भी मुद्रित सामग्री, जिसमें समाचारपत्र, पुस्तकें और कोई दस्तावेज़, चाहे वह मुद्रित हों या इलैक्ट्रॉनिक रुप में हों, तथा उसमें भूमिगत अथवा विध्वंसकारी दलों से सम्बद्ध सामग्री की कुछ मदें हों, तो उसे राज्य सरकार के लिए जब्त किया जाएगा।

निषिद्ध सामग्री की मदों में, वे सभी मदें आती हैं जिनपर प्रत्यक्षतया गैर सरकारी संगठनों, संगठित दलों, संगठनों, आतंकवादियों और आतंकवाद संबंधी संगठनों के होने का आरोप हो तथा जिसे विध्वंसकारी और राज्य तथा देश की एकता के लिए खतरा समझा जाये ।

आदेश किसी व्यक्ति को अथवा व्यक्तियों की श्रेणियों को ऐसे संगठनों अथवा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी प्रकार की धमकियों के प्रकाशन अथवा व्यवहार की किसी संहिता के प्रकाशन, ड्रैस कोड अथवा इन संगठनों द्वारा निर्णीत सामाजिक अभ्यास के साथ-साथ किसी संगठन द्वारा दी गयी चेतावनियों, अथवा जुर्माना लगाने, अपहरण, हमले, चोट पहुँचाने, हत्या को न्यायोचित ठहराने और ऐसे संगठनों को नकद अथवा वस्तु के रुप में भुगतान हेतु नोटिस का भी निषेध करता है ।

विवादों को निपटाने अथवा समाधान करने के लिए ऐसे संगठनों और दलों को आमंत्रण के रुप में मदों का प्रकाशन और अस्ति सांची, शवदाह अथवा दाह संस्कार या श्रृद्धा के लिए शोक सूचना यह दर्शाते हुए कि मृत व्यक्ति स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए संग्राम में शहीद है, और जिसमें विज्ञापन के प्रायोजकों के रुप में संगठित दलों अथवा गैर कानूनी संगठनों अथवा आतंकवाद संबंधी संगठनों और जाने माने आतंकवादियों के नाम हो सकते हैं, का भी निषेध किया गया है ।

उल्लेखनीय है, कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अन्तर्गत ऐसे मामले वाले किसी प्रकाशन को जब्त करने का अधिसूचना द्वारा आदेश देने का प्राधिकार है, जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता की धारा 124 क, 153 क, 153 ख, 292, 293 अथवा 295, 295 क के अन्तर्गत दंडनीय है ।

एक बार अधिसूचना जारी किये जाने पर, कोई भी पुलिस अधिकारी सम्बद्ध प्रकाशन की प्रति जब्त कर सकता है और मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारंट के अन्तर्गत इसके लिए किसी परिसर में प्रवेश कर सकता है और खोजबीन कर सकता है ।

मूल्यांकन समिति ने राज्य की मीडिया से आग्रह किया है कि गैरकानूनी उग्रवादी संगठनों और उनके हिंसात्मक कार्यकलापों की सराहना न करें । मीडिया को उग्रवादी इकाइयों की समाचार की कवरेज के लिए भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों का कड़ा पालन करना चाहिए । हालांकि, मणिपुर में जीवन और समाज के प्रत्येक क्षेत्र को विद्रोह ने आघात पहुँचाया है, भूमिगत गिरोह का समाचार पूर्ण रुप से न देना लोगों को उनके आसपास हो रही घटनाओं के बारे में अंधेरे में रखना होगा । मीडिया को भूमिगत गिरोहों के समाचार और अन्य मामलों को प्रतिबंध के साथ कवर करना चाहिए । हालांकि, उग्रवादी गिरोहों के विरुद्ध कार्रवाई के नाम पर मीडिया को दंड देने का राज्य सरकार का आदेश मीडिया की स्वतंत्रता के दमन के समान है । राज्य की ऐसी शक्तियाँ जैसे प्रकाशनों की प्रतियाँ जब्त करता मीडिया परिसरों की खोज, गिरफ्तारियाँ और उत्पीड़न स्वतंत्र मीडिया की कार्य प्रणाली को खतरे में डाल देंगी और ऐसा मीडिया जोकि उनके आदेश का पालन न करे अथवा उनके जन विरोधी कार्यकलापों की आलोचना करें, को दबाने के लिए सत्ता वर्गों द्वारा ऐसी शक्तियों के दुरुपयोग की हर संभावना है ।

उत्तर पूर्व में प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन पर भारतीय प्रेस परिषद् की मूल्यांकन समिति मणिपुर के उग्रवादी संगठनों से अपील करती है कि वे मीडिया का सम्मान करें और राज्य की मीडिया के प्रति असहिष्णुता न दर्शायें । उन्हें मीडिया पर हमला नहीं करना चाहिए । सरकार की यह प्रबल ड्यूटी है कि वह मीडिया कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करे और अशांत मणिपुर राज्य में मीडिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित करे ।

उत्तरपूर्व में प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन पर भारतीय प्रेस परिषद् की मूल्यांकन समिति राज्य सरकार से आग्रह करती है कि वह आदेश तत्काल वापिस ले और ऐसा वातावरण बनाये जहाँ मीडिया की स्वतंत्रता का सभी आदर करें । यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य मीडिया भूमिगत संगठनों से गंभीर खतरों का सामना कर रहा है और इसी समय प्राधिकरण भी राज्य में मीडिया के अधिकारों पर अंकुश रखने की कोशिश करके उनपर अत्यधिक दबाव डाल रहा है । बाद में मणिपुर सरकार ने व्यापक प्रभाव को देखते हुए अपने पूर्व आदेश में संशोधन किया । तथापि, आदेश के मूल तत्व काफी हद तक वही रहे ।

समिति के सदस्यों का मणिपुर का दौरा

उत्तरपूर्व में प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन पर भारतीय प्रेस परिषद् की मूल्यांकन समिति के सदस्य संयोजक गीतार्थ पाठक ने स्थिति का जायज़ा लेने के लिए 27 सितम्बर से 29 सितम्बर, 2007 तक इम्फाल का दौरा किया ।

उन्होंने 27 सितम्बर, 2007 को इम्फाल प्रेस क्लब में मीडिया कर्मियों के साथ सम्पर्क किया। उन सभी ने एक स्वर से सरकारी आदेश की निंदा की और आग्रह किया कि आदेश, तत्काल वापिस ले लेना चाहिए । उन्होंने यह भी कहा कि वे सरकार और भूमिगत दलों-दनों के दबाव में हैं । यमनम रुपचंद्रा, सम्पादक, आई.एस.टी.वी. स्थानीय प्रभावी केवल टी.वी. चैनल ने कहा कि मीडिया के साथ या मीडिया के बिना-वहाँ विरोध रहेगा, अत: विरोध का विद्यमान रहना राज्य में मीडिया पर दबाव का मुख्य कारण है । प्रदीप फंनुबम, सम्पादक, इम्फाल फ्री प्रेस ने कहा कि भारतीय प्रेस परिषद् जैसा निकाय विरोधी स्थिति में मीडिया की स्वतंत्रता के संरक्षण में हस्तक्षेप कैसे कर सकता है । श्री फनजुबम ने चिन्हित किया कि -यद्यपि निंदा और नैतिक सहयोग महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है- रोकथाम संबंधी उपयोग के निर्माण द्वारा निंदा से परे जाना । सुश्री अंपुलिका सैमम, इम्फाल के स्वच्छंद पत्रकार ने कहा कि पत्रकार समुदाय को स्थिति से बाहर निकालने के लिए मिलकर आगे आना चाहिए ।

ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्टस यूनियन ने राज्य में मीडिया कर्मियों की दशा को बयान करते हुए मूल्यांकन समिति को एक ज्ञापन दिया और भारतीय प्रेस परिषद् से अपील की, कि वह राज्य में मीडिया की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते हुए सरकार के आदेश को हटाने के लिए मणिपुर सरकार पर आवश्यक दबाव डाले ।

मूल्यांकन समिति ने इम्फाल प्रेस क्लब में सम्पर्क के दौरान उपस्थित मीडिया कर्मियों को उग्रवादी इकाइयों के प्रकाशन और मीडिया विज्ञप्तियों पर भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा निर्दिष्ट मार्ग निर्देश वितरित किये। चूँकि, मणिपुर में कम से कम 30 भूमिगत दल हैं जिनके अलग-अलग उद्देश्य और प्रयोजन हैं, जोकि अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, मीडिया कभी-कभी एक दूसरे के वक्तव्य अथवा समाचार प्रकाशित करने अथवा प्रकाशिन न करने के लिए धमकियों का सामना करता है । हालांकि, मीडिया की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के स्थान पर मीडिया का एक वर्ग अतिवादियों के उद्देश्य को पूरा करने का वाहन बन जाता है । एक कर्मी जोकि राज्य में सर्वोच्च पद पर हैं, ने मूल्यांकन समिति को बताया कि समाचारपत्रों में से एक विशेष रुप से

गैर कानूनी दल को बेचा जाता है । उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकतर भूमिगत दल राज्य के मीडिया घरानों में से एक का मन जीतने के लिए उन्हें रकम देते हैं । मणिपुर से प्रकाशित विभिन्न समाचारपत्रों की कतरनों द्वारा उनके आरोप की पुष्टि होती है जहाँ गैर कानूनी दलों को रॉबिन हुड की तरह दर्शाया जाता है, उग्रवादी दलों के ज़ोर जबरदस्ती के समझौतों को बैनर शीर्ष रेखा आदि देते हुए प्रकाशित किया जाता है । यह सच है कि राजनीतिज्ञों का भी कुछ भूमिगत दलों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है । एक माह पूर्व एक विधायक के सरकारी निवास पर गैर कानूनी दल के लगभग 12 भूमिगत काडर की गिरफ्तारी इसके प्रमाण हैं । मणिपुर में मीडिया कर्मियों के हमलों की बढ़ती वारदातों के कारण से यह सिद्ध होता है कि सरकार राज्य के पत्रकारों को बचाने में असफल रही है । अतः उग्रवादी संगठनों के नज़दीक होने वाले राजनीतिज्ञों द्वारा चलायी जा रही सरकार से सुरक्षा की आशा रखना कठिन है । मणिपुर से प्रकाशित स्थानीय दैनिक में एक समाचार प्रकाशित किया गया था जहाँ एक वरिष्ठ मंत्री ने एक भूमिगत दल से अपील की है कि वह कम से कम उनके विभाग में हस्तक्षेप न करे । के .वाई.के.एल.-एक खतरनाक भूमिगत दल ने हाल ही में ऑपरेशन न्यू कांगलीपाक (ओ.एन.पी.) नामक भ्रष्टाचार विरोधी ऑपरेशन शुरु किया है । के .वाई.के.एल. ने शिक्षा विभाग के एक कर्मचारी का अपहरण किया, इम्फाल के मीडिया कर्मियों सहित जंगल के अंदर अपने शिविर में उन्हें ले गये, उनके सिर पर बंदूकों की नोंक रखकर बेईमानी से हथियाने के आरोपों को मानने के लिए विवश किया । अगले दिन मणिपुर के अधिकतर अग्रणी समाचारपत्रों के मुखपृष्ठ पर प्रमुख रुप से के.वाई.के.एल. के दो बंदूकधारियों के साथ कर्मचारी का फोटो प्रकाशित किया गया ।

भारतीय प्रेस परिषद् ने संगई एक्सप्रेस के सम्पादक को दी गई धमकी पर मूल कार्रवाई की है । भारतीय प्रेस परिषद् ने धमकी का विस्तृत विवरण देने के लिए दिनांक 13-8-2007 को संगई एक्सप्रेस के सम्पादक हिजाम राजेश को एक पत्र भेजा । यह आश्चर्यजनक है कि श्री राजेश ने मूल्यांकन समिति के दौरा करने वाले सदस्य को बताया कि उन्हें इस प्रकार का कोई पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था । मूल्यांकन समिति ने पत्र की प्रति श्री राजेश को भेजी और उनसे पत्र का उत्तर भेजने के लिए कहा । उल्लेखनीय है कि भारतीय प्रेस परिषद् ने एक अवसर पर पहले भी उग्रवादी हमले के मामले में मूल कार्रवाई की थी । हालांकि, भारतीय प्रेस परिषद् को मामला छोड़ना पड़ा था क्योंकि दोनों पक्षों में से किसी ने भी भारतीय प्रेस परिषद् के पत्रों का जवाब नहीं दिया था । यह मेल डिलीवरी की समस्या है या कोई और इस पर विचार करना होगा । हालांकि, मीडिया के एक भाग का कहना है कि वे उग्रवादियों के साथ समझौता करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि मणिपुर में मीडिया कर्मियों के जीवन की कोई सुरक्षा नहीं है । हालांकि, उग्रवादियों द्वारा राज्य में पत्रकारों पर हमलों की वर्तमान घटनाओं से यह दिखाई देता है कि मीडिया की नीतियों को अनदेखा करके उग्रवादियों से समझौता करने के बावजूद भी उनकी कठिनाई कम नहीं हुई थी और उनका जीवन और जीविका अभी भी खतरे में हैं ।

मूल्यांकन समिति की प्रभारी मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव और अन्य से भेंट

कार्यकारी मुख्य मंत्री देवेन्द्र सिंह ने आज कहा कि राज्य के मीडिया पर कुछ प्रतिबंध लगाते हुए आदेश भूमिगत संगठनों की धमकियों से राज्य के पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जल्दबाज़ी में पारित किया

गया था । इन्होंने कहा कि राज्य में मीडिया की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। हालांकि, श्री सिंह ने खेद प्रकट किया कि राज्य के मीडिया का एक भाग पत्रकारिता नीति का अनुसरण करने में असफल रहा है । उन्होंने भारतीय प्रेस परिषद् का दौरा करने वाले सदस्य और मूल्यांकन समिति के सह-संयोजक गीतार्थ पाठक को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार आदेश पर पुनर्विचार करेगी ।

आज मूल्यांकन समिति ने कार्यकारी मुख्यमंत्री से उनके कार्यालय में भेंट की और राज्य में मीडिया की समस्याओं और वहाँ व्याप्त स्थिति पर विचार-विमर्श किया । भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्य ने गैर कानूनी संगठनों के प्रकाशनों, मीडिया, विज्ञप्तियों से निपटने में भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों को चिन्हित किया और तर्क दिया कि भारतीय प्रेस परिषद् के इस मुद्दे पर पहले से ही दिशानिर्देश हैं, अतः मीडिया की ओर से दिशानिर्देश का पालन करना अनिवार्य है । यदि मीडिया जानबूझकर दिशानिर्देशों का पालन नहीं करता, तब उस विशिष्ट प्रकाशन के विरुद्ध कोई भी शिकायत दर्ज़ कर सकता है और भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा दी गयी शक्तियों के भीतर, उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी । मूल्यांकन समिति ने सरकार से आदेश वापिस लेने के लिए कहा । श्री टी.एन. हाओकिप, सूचना राज्यमंत्री भी बैठक में उपस्थित थे । उन्होंने कहा कि वे राज्य की मीडिया के प्रति काफी सहानुभूतिपूर्ण हैं और उन्हें उस दबाव के बारे में जानकारी है जिसके अन्तर्गत मीडिया यहाँ कार्य कर रहा है । हालांकि, उन्होंने कहा कि वे आदेश को बेकार घोषित करने के लिए गृह विभाग की राय लेंगे । सूचना मंत्री ने इस मुद्दे पर अपनी राय देने के लिए प्रेस परिषद् से कहा ताकि सरकार समुचित कार्रवाई कर सके ।

मूल्यांकन समिति ने केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार आदि के अनुरुप राज्य में प्रेस अकादमी गठित करने के लिए सूचना मंत्री को सुझाव भी दिया ताकि राज्य के मीडियाकर्मी अपनी व्यावसायिक उत्कृष्टता को बढ़ा सकें और नैतिक रुप से अपने दायित्व का निर्वाह कर सकें। उन्होंने मीडिया संगठनों की सहायता से सूचना विभाग द्वारा राज्य में मीडिया को भूमिका और विरोध की स्थिति में संगोष्ठी करने का भी सुझाव दिया । कार्यकारी मुख्यमंत्री और सूचनामंत्री ने उनके सुझावों की सराहना की और कहा कि वे सरकार की सीमाओं के भीतर उनके सुझाव पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे ।

तत्पश्चात् मूल्यांकन समिति ने मुख्य सचिव, सूचना आयुक्त और सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशक से मुख्य सचिव के कार्यालय में भेंट की । मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में मीडिया का एक वर्ग भूमिगत दलों का मुखपत्र बना हुआ है और हिंसा का गुणगान कर रहा है, जिसका समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था । उन्होंने उग्रवादी प्रकाशनों और विज्ञप्तियों पर प्रेस परिषद् के दिशानिर्देशों की सराहना की और आशा व्यक्त की, कि अब से राज्य में मीडिया दिशानिर्देशों का अनुसरण करेगा ।

सिफारिशें

1. राज्य सरकार उग्रवाद से लड़ने के नाम पर मीडिया पर पूर्व सेंसरशिप अथवा कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी । समुचित अपीलीय प्रक्रियाओं सहित देश के सामान्य कानून समस्या का उपचार हो सकते हैं ।

2. मणिपुर मीडिया को गैर कानूनी संगठनों की प्रेस विज्ञप्तियों अथवा समाचारों को प्रकाशित करना, संयमित और सावधान रहना चाहिए । हिंसा और उग्रवाद के गुणगान का समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । गैर कानूनी कार्य करने वालों के साथ समझौते से मीडिया कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती बल्कि इसकी अपेक्षा इससे अधिक समस्यायें होती हैं ।

3. कठिन परिस्थितियों अथवा संकटपूर्ण कार्यों को करने वाले मीडियाकर्मियों को विशेष प्रोत्साहन मिलना चाहिए । उदार समूह बीमा कवर, गडबड़ी भत्ते, अतिरिक्त छुट्टियाँ और अन्य लाभ जिसके वे हकदार हों अथवा जो उचित हो, विरोधात्मक परिस्थितियों में कार्यरत मीडिया कर्मियों को प्रदान किये जाने चाहिए ।

4. मणिपुर सरकार ने राज्य के मीडिया कर्मियों के लिए कुछ सराहनीय कार्य किये हैं जैसे पत्रकारों की पेंशन, इम्फाल प्रेस क्लब को योगदान और पत्रकारों को अन्य रियायतें । निर्धारण समिति का सुझाव है कि मणिपुर सरकार निःशुल्क बीमा कवरेज के अंतर्गत पत्रकार जगत को लाने के लिए योजना बनाना भी आरंभ करे ।

5. उग्रवाद संबंधी समाचारों और वक्तव्यों की कवरेज पर भारतीय प्रेस परिषद् द्वारा निर्दिष्ट दिशा निर्देश का राज्य के मीडियाकर्मियों को कड़ाई से पालन करना चाहिए ।

6. मीडिया की स्वतंत्रता का अधिकार रखने वाले सभी लोग अपने राज्य अथवा प्रदेश में विद्यमान स्थिति से निपटने में कोई बाधा होने पर भारतीय प्रेस परिषद् के सुझाव के लिए उनसे सम्पर्क करें ।

7. उत्तर पूर्व में मीडिया की स्वतंत्रता के उल्लंघन और उग्रवाद संगठनों के विद्रोहपूर्ण कार्यकलापों में तेजी को देखते हुए भारतीय प्रेस परिषद् को उत्तर पूर्व में स्थिति पर नज़र रखनी चाहिए ।

❐

अध्याय- VII

परिषद् का वित्त वर्ष 2007-2008

वर्ष 2007-2008 के वित्त वर्ष के लिए केन्द्र सरकार ने परिषद् के बजट अनुमान हेतु 292.00 लाख रूपये स्वीकार किये थे । परिषद् के बजट में प्रमुख रूप से (1) भारतीय समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत समाचारपत्रों तथा समाचार अधिकरणों और अन्य आवतियों द्वारा तथा बैंक खाते पर ब्याज का अनुमान 55.00 लाख रूपये तथा (2) केन्द्र सरकार द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में दिये गये अनुदान का अनुमान 237.00 लाख रूपये था । वर्ष 2007-2008 हेतु प्राक्कलन का जनवरी 2008 में परिशोधन करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने बजट में 18.00 लाख रूपये की सहायता राजस्व बढ़ा दिया है । अतः कुल 255.00 लाख रूपये के अनुदान का अनुमोदन किया (अर्थात एस.बी.जी. 237.00 लाख रूपये + आर.ई. 18.00 लाख रूपये की राशि) ।

वर्ष 2007-2008 के अन्तिम अनुदान की स्थिति में, भारत सरकार ने परिषद् के 52.73 लाख रूपये की अपनी प्राप्ति को मिलाकर कुल व्यय 307.73 लाख रूपये का अनुमोदन किया । हालांकि, परिषद् 52.73 लाख रूपये के स्थान पर 70.59 लाख रूपये स्वयं एकत्र करने में सफल रही । ब्यौरा निम्नानुसार प्रस्तुत हैः-

	(लाख रूपये में)
परिषद की अपनी पावतियों सहित कुल बजट मंजूरी (255.00रूपये + 52.73 रूपये)	307.73 रूपये
राजस्व आवतियाँ	70.59 रूपये
निवल (नेट) व्यय	237.14 रूपये
गत वर्ष का अव्ययित शेष 2006-2007	00.18 रूपये
केन्द्र सरकार से अनुदानित सहायता	236.82 रूपये

तदनुसार, यद्यपि, परिषद् ने केन्द्र सरकार से वित्तीय वर्ष 2007-2008 के लिए 236.82 लाख रूपये सहायता-अनुदान के रूप में प्राप्त किये, वहीं समाचारपत्रों, पत्रिकाओं और समाचार अभिकरणों से शुल्क के रूप में 31.74 लाख रूपये एकत्रित किये गये । इसके अतिरिक्त, अन्य विविध आवतियों जैसे बैंक खातों पर ब्याज और नियतकालिक जमा पर बैंक का ब्याज आदि में 38.85 लाख रूपये कथित वर्ष के दौरान संचित हुए ।

समय पर भुगतान न करने वाले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं द्वारा यथा संभव राजस्व प्राप्त करने के लिए सक्रिय प्रयास जारी हैं । इस वर्ष के दौरान, परिषद् ने समय पर भुगतान न करने वालों से 7.40 लाख रूपये बकाया राशि के रूप में वसूल किये हैं । यह आँकड़े उपरोक्त 31.74 लाख रूपये के कुल आँकड़ों में सम्मिलित हैं । इसके अतिरिक्त, सम्बद्ध प्रकाशन की समाप्ति प्रमाणित किये जाने के पश्चात् 5.72 लाख रूपये की बकाया राशि बट्टे खाते में डाल दी गई।

प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 22 के अनुसार, भारतीय प्रेस परिषद् के खाते भारतीय नियंत्रक एवं महापरीक्षक के परामर्श के अनुसार, निर्धारित नीति से संशोधित और लेखा परीक्षित किये जायेंगे । भारतीय प्रेस परिषद् के वित्त वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखे उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, संधारित किये गये थे और लेखा परीक्षा महानिदेशक, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली के कार्यालय के लेखा परीक्षा दल द्वारा लेखा परीक्षित किये गये और उन्होंने उन्हें संतोषजनक पाया । परिषद् के वार्षिक लेखे संलग्न हैं ।

वित्त वर्ष

2007-2008

भारतीय प्रेस परिषद्
31–3–2008 तक का तुलन पत्र

देयता	तालिका	चालू वर्ष	गत वर्ष
पूँजीगत कोष	1	7,618,384	10,244,740
संचिति (रिज़र्व) और अधिशेष	2	43,328,089	42,890,242
अंशदायी भविष्य निधि	3	46,414,706	39,316,331
वर्तमान दायित्व और प्रावधान	4	558,130	279,812
कुल		**97,919,310**	**92,731,125**
परिसम्पत्ति			
नियत परिसम्पत्ति	5	5,678,148	9,142,369
निवेश-(विशेष प्रयोजन) के लिए उद्दिष्ट निधि से	6	45,975,645	39,104,971
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	7	46,265,516	44,483,785
कुल		**97,919,310**	**92,731,125**

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	14
आकस्मिक देयता और लेखा टिप्पणी	15

ह0/-
(जी.एन.रॉय)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद्

ह0/-*
(विभा भार्गव)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद्

* सचिव के स्थान पर उप-सचिव श्री कुँवर सिंह द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

भारतीय प्रेस परिषद्
31–3–2008 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

<u>आय</u>	तालिका	चालू वर्ष	गत वर्ष
लेवी शुल्क एवं अन्य से आय	8	5,274,090	5,238,454
भारत सरकार से अनुदान	9	19,921,535	18,928,014
अर्जित ब्याज	10	3,671,760	2,404,418
कुल (क)		**28,867,385**	**26,570,886**
<u>व्यय</u>			
प्रतिष्ठान व्यय	11	20,189,587	16,495,922
अन्य प्रशासनिक व्यय	12	7,409,312	8,104,945
वित्त खर्च	13	4,760	2,515
मूल्यह्रास(तालिका 5 के अनुरूप)		**837,865**	**1,102,372**
कुल (ख)		**28,441,524**	**25,705,754**
आय के व्यय से अधिक होने के कारण शेष राशि (क-ख)		425,861	865,132
-पूर्व अवधि समंजन जमा (नामे डाला गया)		(950)	28,801
-विशेष रिज़र्व में अंतरण (प्रत्येक का विशेष रूप से उल्लेख करना)			
-सामान्य रिज़र्व से/में अंतरण			
अधिशेष/(घाटा) आय व्यय खाते में ले जाया गया		**424,911**	**893,933**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	14
आकस्मिक देयता और लेखा टिप्पणी	15

ह0/-
(जी.एन.रॉय)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद्

ह0/-*
(विभा भार्गव)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद्

भारतीय प्रेस परिषद्
दिनांक 31–3–2008 को तुलन पत्र के अंश निर्माण संबंधी अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 - पूँजीगत कोष

राशि रूपये

	चालू वर्ष	*गत वर्ष*
वर्ष के आरंभ में शेष	10,244,740	9,631,707
जमाः वर्ष के दौरान पूँजीगत कोष	564,612	1,327,363
जमाः गत वर्षों में बट्टे खाते का अधिशेष अब ले लिया गया	–	10,256
	10,809,352	10,969,326
कमः गत वर्ष में अतिरंजित नियत परिसंपत्तियों की राशि	3,188,701	720,353
कमः रद्द परिसम्पत्ति पर राशि बट्टे खाते	2,267	4,233
वर्ष की समाप्ति पर शेष	**7,618,384**	**10,244,740**

अनुसूची 2 - आरक्षित और अतिरिक्त

राशि रूपये

	चालू वर्ष	*गत वर्ष*
क. आय और व्यय लेखा :		
वर्ष के आरंभ में शेष	42,872,549	41,978,616
जमा/(कटौती) : निवल आय/(व्यय)	424,911	893,933
शेष आय और व्यय से अंतरित जमा/(कटौती) : अन्य समंजन (कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें)		
गत वर्ष में बुक अधिशेष ब्याज ले लिया गया		
ख. अव्ययित अनुदान	30,629	17,693
कुल	**43,328,089**	**42,890,242**

अनुसूची-3 - अंशदायी भविष्य निधि कोष राशि रूपये

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
क) कोष का आरंभिक शेष		39,316,331		34,557,970
ख) कोष में जमा				
i) अंशदायी भविष्य निधि में परिषद का अंशदान	953,672		928,279	
ii) अंशदायी भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान	4,270,179		3,006,070	
iii) सरकार से अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज	3,183,224	8,407,075	2,776,930	6,711,279
कुल (क+ख)		47,723,406		41,269,249
ग) कोष के प्रयोजन के लिए उपयोग/व्यय				
अंशदायी भविष्य निधि आहरण	715,000		1,444,236	
पदमुक्त कर्मचारी को अंतिम भुगतान	—		—	
गत वर्ष मे अंशदायी भविष्य निधि के अधिशेष जमा का निराकरण	—		—	
भविष्य निधि अग्रिम	593,700		508,682	
अन्य	—	1,308,700	—	1,952,918
वर्ष की समाप्ति पर कोष का निवल शेष (क + ख–ग)		**46,414,706**		**39,316,331**

अनुसूची-4 - वर्तमान देयता और प्रावधान राशि रूपये

	चालू वर्ष		*गत वर्ष*	
क वर्तमान देयता				
1. अग्रिम प्राप्त				
- अग्रिम लेवी शुल्क	109,918		105,000	
- लेवी शुल्क उचंत	73,401	183,319	86,851	191,851
2. प्रतिभूति जमा		31,000		31,000
3. गोपा मित्रा के उत्तराधिकारी को देय		287,850		—
4. अन्य वर्तमान देयता		55,961		56,961
कुल (क)		**558,130**		**279,812**
ख प्रावधान		—		—
कुल (क + ख)		**558,130**		**279,812**

भारतीय प्रेस परिषद्
दिनांक 31.3.2008 को तुलन पत्र के अंश निर्माण संबंधी अनुसूचियाँ

अनुसूची-5 - नियत परिसम्पत्तियाँ

विवरण	सकल ब्लॉक				
क. नियत परिसम्पत्तियाँ :	1-4-07 को लागत	नोट 1 के अनुसार समायोजन	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष के दौरान कटौती/समायोजित लागत	31-3-08 को लागत
फर्नीचर और स्थिर वस्तुएँ	6,636,171	(2,998,758)	406,161	—	4,043,574
एयरकंडीशनर और कूलर्स	230,772	680,437	—	—	911,209
कम्प्यूटर,/पैरीफेरल्स	1,201,259	2,277,484	70,402	—	3,549,145
ई.पी.ए.बी.एक्स सिस्टम	28,080	230,720	—	—	258,800
कान्फ्रैन्स सिस्टम	97,770	(69,950)	—	—	27,820
पुस्तकालय की पुस्तकें	600,431	—	77,924	2,267	676,088
हीट कन्वैक्टर और हीटर्स	37,230	(11,591)	10,125	—	35,764
टेप-रिकार्डर्स	5,304	1,314	—	—	6,618
मोबाइल फोन्स	20,100	—	—	—	20,100
स्टैबीलाइज़र्स	26,551	41,199	—	—	67,750
कारें और साइकिल	727,962	15,275	—	—	743,237
टेलीविज़न	11,000	67,190	—	—	78,190
टाइपराइटर और डुप्लीकेटर	383,084	(250,055)	—	—	133,029
उपस्थिति रिकार्डिंग सिस्टम	82,000	—	—	—	82,000
रैफरीजरेटर	18,000	16,735	—	—	34,735
सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम	110,227	—	—	—	110,227
वाटर डिस्पैंसर	28,800	—	—	—	28,800
चालू वर्ष का कुल जमा	**10,244,741**	—	**564,612**	**2,267**	**10,807,086**
ख, पूँजी, कार्य प्रगति पर	—		—	—	—
कुल	**10,244,741**	—	**564,612**	**2,267**	**10,807,086**

नोट 1: परिषद् द्वारा स्थिर वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था और इस आधार पर यह पाया गया कि वस्तुएँ उचित शीर्षक के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं की गई थीं । इसलिए अब समायोजन प्रविष्टि स्थिर वस्तुओं के सही वर्गीकरण को प्रदर्शित करती है ।

नोट 2: डब्ल्यू डी.वी. पद्धति पर स्थिर वस्तुओं पर मूल्यह्रास (पुस्तकालय की पुस्तकों के अतिरिक्त) इसके अर्जन की तारीख से वित्तीय वर्ष के अंत तक इसकी पुनः गणना की गई है । चालू वित्त-वर्ष का मूल्यह्रास आय और व्यय खाते के नामे डाला गया और अलग से प्रदर्शित किया गया है । हालांकि, 31-3-2007 तक पुनः गिना गया मूल्यह्रास (मूल्यह्रास के आंकड़े जो कि पुस्तकों में पहले ही कम किये गये हैं उदाहरणार्थ, 11,02,372,00/-रुपये को कम करने के पश्चात्) पूँजीगत कोष के विरुद्ध समायोजित किया गया ।

भारतीय प्रेस परिषद्
दिनांक 31.3.2008 को तुलन पत्र के अंश निर्माण संबंधी अनुसूचियाँ

अनुसूची-5 - नियत परिसम्पत्तियाँ

मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक	
1-4-07 को मूल्यह्रास	**गत वर्ष में मूल्यह्रास**	**वर्ष के दौरान मूल्यह्रास**	**वर्ष के दौरान कटौती**	**31-3-08 को मूल्यह्रास**	**31-3-08 को निम्नानुसार**	**31-3-07 को निम्नानुसार**
684,766	932,095	232,028	—	1,848,889	2,194,685	5,951,405
34,616	341,844	80,212	—	456,672	454,537	196,156
63,390	1,424,933	304,841	—	1,793,164	1,755,981	1,137,869
4,212	89,029	24,834	—	118,075	140,725	23,868
14,665	11,090	310	—	26,065	1,755	83,105
86,422	—	85,831	—	172,253	503,835	514,009
5,585	3,615	3,225	—	12,425	23,339	31,645
796	1,094	813	—	2,703	3,915	4,508
1,320	—	2,817	—	4,137	15,963	18,780
3,983	19,676	6,614	—	30,273	37,477	22,568
143,504	246,520	52,982	—	443,006	300,231	584,458
1,650	31,736	6,720	—	40,106	38,084	9,350
57,463	55,942	2,943	—	116,348	16,681	325,621
—	6,150	11,377	—	17,527	64,473	82,000
—	14,550	3,028	—	17,578	17,157	18,000
—	8,267	15,294	—	23,561	86,666	110,227
—	2,160	3,996	—	6,156	22,644	28,800
1,102,372	**3,188,701**	**837,865**	**—**	**5,128,938**	**5,678,148**	**9,142,369**
—	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
1,102,372	**—**	**837,865**	**—**	**5,128,938**	**5,678,148**	**9,142,369**

ह0/-
(जी.एन.रॉय)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद्

ह0/-*
(विभा भार्गव)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद्

अनुसूची-6 - उद्दिष्ट निधि से निवेश राशि रूपये

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
1. अनुसूचित बैंकों में नियत जमा				
- अंशदायी भविष्य निधि के बदले में	43,229,999		35,876,269	
- उस पर जमा एफ.डी.आर. ब्याज	2,745,646	45,975,645	3,228,702	39,104,971
कुल		**45,975,645**		**39,104,971**

अनुसूची-7 - वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि राशि रूपये

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
क. वर्तमान परिसम्पत :				
1. विविध देनदार				
- उद्ग्रहण शुल्क खाते पर छः महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	34,151,001		32,896,397	
अन्य	2,792,612	36,943,613	2,581,875	35,478,272
2. हस्त शेष राशि				
(डाक-टिकट और अग्रदाय सहित)				
हस्त नकदी	—		90,903	
अग्रदाय खाता शेष	10,000		736	
डाक-टिकटें	11,238	21,238	8,380	100,019
3. बैंक रोकड़ :				
- अनुसूचित बैंकों सहित :				
बचत खाते				
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद-				
सामान्य खाता	2,708		(85,397)	
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद-				
उद्ग्रहण शुल्क खाता	6,683		3,071	
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद-				
परिक्रामी खाता	125,426		209,256	
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद-				
अं.भ.नि.खाता	2,994,551	3,129,368	3,476,740	3,603,670
जमा खाता				
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद-				
परिक्रामी खाता	2,454,519		2,327,286	
- स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद-				
गोपा मित्रा का खाता	287,850	2,742,369	—	2,327,286
कुल (क)		**42,836,588**		**41,509,247**

अनुसूची-7 - (जारी) राशि रूपये

	चालू वर्ष		*गत वर्ष*	
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसम्पत				
1. स्टाफ को ऋण				
- साइकिल अग्रिम	1,050		—	
- पंखा अग्रिम	—		—	
- उत्सव अग्रिम	24,900		22,800	
- गृह निर्माण अग्रिम	85,813		149,301	
- मोटर-कार अग्रिम	222,254		—	
- स्कूटर अग्रिम	400	334,417	27,574	199,675
2. रोकड़ अथवा वस्तु अथवा मूल्य के रूप में वसूल किया जाने वाला अग्रिम और अन्य राशि				
- पूँजीगत लेखे पर	—		—	
- पूर्व भुगतान				
- पुस्तकों/आवधिकों के लिए अग्रिम	9,987		8,691	
- पक्षों को अग्रिम	2,309,994		2,511,957	
- यात्रा-भत्ता अग्रिम	270,573		9,024	
- स्रोत से कर की कटौती	293,614		45,331	
- अन्य				
- वेतन वसूली	—		—	
- एम.सी.ए.उचंत खाता	—		1,000	
- स्कूटर उचंत	—		—	
- अं.भ.नि.उचंत	6,673	2,890,841	6,673	2,582,676
3. आय प्रोद्भूत				
क) परिक्रामी खाते के जमा पर (देय अप्राप्त आय सहित .....रू0)		173,162		135,856
4. विभिन्न विभागों में जमा		30,508		56,331
कुल (ख)		**3,428,928**		**2,974,538**
कुल (क + ख)		**46,265,516**		**44,483,785**

अनुसूची-8 - उद्ग्रहण शुल्क और अन्य से आय

राशि रूपये

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
1. समाचारपत्रों/आवधिकों/समाचार-अभिकरणों से प्राप्त				
उद्ग्रहण शुल्क	3,157,741		3,073,436	
जमाःगत वर्ष के लिए माँग में वृद्धि	600		650	
जमाःगत वर्षों का अग्रिम समंजित	36,023		21,900	
जमाःचालू वर्ष के लिए बकाया शुल्क	2,792,612		2,581,875	
कमःगत वर्षों के लिए प्राप्त शुल्क	739,960		618,110	
कमःअग्रिम/उचंत में प्राप्त शुल्क	42,891	5,204,125	59,876	4,999,875
2. अन्य (विशिष्ट)				
- आय कर वापसी	—		233,970	
- रद्दी कागज़ की बिक्री	1,943		3,881	
- सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना हेतु शुल्क	6,472		698	
- संगोष्ठी से आय	61,500		—	
- अन्य	50	69,965	30	238,579
कुल		**5,274,090**		**5,238,454**

अनुसूची-9 - अनुदान

राशि रूपये

	चालू वर्ष		गत वर्ष	
(अटल अनुदान और सहायता प्राप्त)				
- केन्द्र सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय)				
- वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	23,682,307		21,428,123	
- जमाःगत वर्ष के लिए अव्ययित अनुदान	17,693		1,621,877	
	23,700,000		23,050,000	
- कमःअं.भ.नि.कोष पर ब्याज के लिए उपयोग में लाया गया अनुदान	3,183,224		2,776,930	
- कमःनियत परिसम्पत के लिए उपयोग में लाया गया अनुदान	564,612		1,327,363	
- कमः चालू वर्ष के लिए अव्ययित अनुदान	30,629	19,921,535	17,693	18,928,014
कुल		**19,921,535**		**18,928,014**

अनुसूची-10 - अर्जित ब्याज राशि रूपये

	चालू वर्ष		*गत वर्ष*	
1. मियादी जमा परः				
क) अनुसूचित बैंकों सहित				
- अं.भ.नि.खाता (सामान्य कोष में अंतरण)				
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	3,553,775		1,415,623	
जमाः स्रोत से काटा गया कर	222,705		—	
कमः गत वर्षों से सम्बद्ध	3,228,702		1,174,508	
कमः गत वर्ष में अतिरिक्त ब्याज राशि लौटाई गई	—		—	
जमाः वर्ष के लिए प्रोद्भूत ब्याज	2,745,646	3,293,424	1,824,100	2,065,215
- परिक्रामी कोष खाता				
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	127,233		184,170	
जमाः स्रोत द्वारा काटा गया कर	25,578		—	
कमः गत वर्षों से सम्बद्ध	135,856		143,258	
जमाः वर्ष के लिए प्रोद्भूत ब्याज	173,162	190,117	88,426	129,338
- सामान्य कोष खाता				
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	83,220			
जमाः स्रोत द्वारा काटा गया कर	—			
कमः गत वर्षों से सम्बद्ध	—			
जमाः वर्ष के लिए प्रोद्भूत ब्याज	—	83,220		
2. बचत खातों पर :				
क) अनुसूचित बैंकों के साथ				
- सामान्य कोष खाता	13,662		73,245	
- अं.भ.नि.खाता (सामान्य कोष में अंतरण)	37,196		40,468	
- उद्ग्रहण शुल्क खाता	4,229		28,312	
- परिक्रामी कोष(ऋण और अग्रिम)	5,032	60,119	13,515	155,540
3. ऋणों पर :				
क) कर्मचारी /स्टाफ				
- गृह निर्माण अग्रिम	36,056		29,671	
- स्कूटर अग्रिम	8,824		17,955	
- साइकिल अग्रिम	—		228	
- पंखा अग्रिम	—		50	
- मोटर कार अग्रिम	—	44,880	6,421	54,325
कुल		**3,671,760**		**2,404,418**

अनुसूची-11 - प्रतिष्ठान संबंधी व्यय राशि रूपये

	चालू वर्ष	***गत वर्ष***
(क) वेतन और पारिश्रमिक	17,843,486	14,518,516
(ख) आतिथ्य भत्ता (बकाया सहित)	—	218,252
(ग) अतिकालिक समय भत्ता	21,771	24,358
(ध) शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति	11,520	52,985
(ड़) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	444,026	371,492
(च) बोनस	17,949	153,039
(छ) अवकाश यात्रा रियायत	373,992	145,888
(ज) अर्जित अवकाश भुनाने पर	3,829	2,055
(झ) भविष्य निधि में अंशदान	953,672	928,279
(ञ) प्रतिनियुक्तों कोः अवकाश का वेतन और पैंशन योगदान	(64,738)	—
(ट) आवधिक लाभ और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर व्यय	584,080	73,638
(ठ) अन्य (मानदेय पुरस्कार)	—	7,420
कुल	**20,189,587**	**16,495,922**

अनुसूची-12 - अन्य प्रशासनिक व्यय राशि रूपये

	चालू वर्ष	*गत वर्ष*
1. बिजली और पानी	945,528	455,712
2. कार्यालय व्यय	164,016	218,243
3. बीमा	—	23,111
4. मरम्मत और अनुरक्षण	802,670	777,190
5. वाहन-मरम्मत और अनुरक्षण	208,669	249,761
6. यात्रा और वाहन व्यय	1,875,832	2,318,117
7. किराया, दरें और कर	224,242	201,165
8. डाक, टेलीफोन और संचार-प्रभार	761,025	682,701
9. छपाई और लेखन सामग्री	1,122,717	1,083,123
10. समाचारपत्र और आवधिक	88,010	72,962
11. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वर्दी	26,230	2,200
12. आतिथ्य व्यय	53,656	828,225
13. अभिदान-व्यय	18,879	18,378
14. विधि और वृत्तिक खर्च	132,775	128,344
15. प्रदर्शनी और संगोष्ठी	403,997	521,592
16. विज्ञापन और प्रचार	—	289,316
17. अन्य (विशिष्ट)-विविध	6,285	—
18. अशोध्य और अनिश्चित ऋणों/अग्रिमों हेतु प्रावधान	571,561	234,805
19. हिन्दी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कार	3,220	—
कुल	**7,409,312**	**8,104,945**

नोट

1. अध्यक्ष महोदय के निवास स्थान का बिजली और पानी का खर्च भी शामिल।

अनुसूची-13- वित्तीय खर्च

राशि रूपये

	चालू वर्ष	***गत वर्ष***
क) नियत ऋण पर		
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	4,760	2,515
ग) अन्य (विशिष्ट)		
कुल	**4,760**	**2,515**

भारतीय प्रेस परिषद्
31-3-2008 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं
के अंश निर्माण संबंधी अनुसूची

अनुसूची 14- महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखा परिपाटी

वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत परिपाटी, के आधार पर तैयार किये जाते हैं जब तक कि कोई अन्यथा विवेचित न हों ।

2. लेखा प्रणाली

परिषद् प्रोद्भवन प्रणाली का पालन कर रही है- जब तक कि अन्यथा विवेचित न हो ।

3. निवेश

क. अंशदायी भविष्य निधि कोष के विरूद्ध निवेश को उद्दिष्ट निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

ख. परिक्रामी (ऋण और अग्रिम) लेखे के विरूद्ध निवेश को वर्तमान परिसम्पत्तियाँ माना गया है ।

ग. निवेश को मूलधन मूल्य पर दर्शाया गया है क्योंकि उसपर प्रोद्भूत ब्याज से वृद्धि हुई ।

4. नियत परिसम्पत्तियाँ

क. नियत परिसम्पत्तियों को, उनपर ड्यूटी तथा कर सहित अर्जन की मूल्य लागत पर विवेचित किया गया है । अर्जन से सम्बद्ध अन्य प्रत्यक्ष व्ययों को पूँजी में परिणत नहीं किया गया है ।

ख. नियत परिसम्पत्तियों के मूल्य को चिन्हित करने के लिए पूँजीगत कोष का संधारण किया गया है ।

5. मूल्यह्रास

परिषद् ने प्रारंभ से लेकर 31-03-2006 तक अपनी परिसम्पत्तियों पर कोई मूल्यह्रास नहीं दिया था । आयकर नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित दर उदाहरणार्थ फर्नीचर और स्थिर वस्तुएँ 10% की दर पर और अन्य परिसम्पत्तियाँ 15% की सामान्य दर पर

मूल्यह्रास चार्ज करने के लिए 31-3-2007 को समाप्त वित्तीय वर्ष से इस संबंध में नीति में परिवर्तन के अनुसार किया जा रहा है ।

6. सरकारी अनुदान

(क) सरकारी अनुदान का लेखा नकद आधार पर रखा जाता है ।

(ख) नियत परिसम्पत्तियों में जोड़ने के लिए प्रयुक्त अनुदान को पूँजीगत कोष में अंतरित किया गया है ।

(ग) अंशदायी भविष्य निधि कोष पर ब्याज के लिए प्रयुक्त अनुदान को अंशदायी भविष्य निधि खाते में अंतरित किया गया है ।

(घ) वर्ष हेतु अव्ययित अनुदान को अगले वर्ष उपयोग में लाने के लिए आरक्षित और अतिरिक्त राशि में अंतरित किया गया है ।

7. सेवानिवृत्ति लाभ

(क) सेवानिवृत्ति लाभ का लेखा जोखा नकद आधार पर रखा गया है । उपदान देय, छुट्टी भुनाने आदि का कोई प्रावधान नहीं है ।

(ख) परिषद् अपने अंशदायी भविष्य निधि कोष का रख-रखाव कर रही है ।

ह0/-
(कुँवर सिंह)
उप-सचिव

ह0/-
(जी.एन.रॉय)
अध्यक्ष

ह0/-*
(विभा भार्गव)
सचिव

भारतीय प्रेस परिषद्
31-3-2008 को वर्ष की समाप्ति पर लेखाओं की
अंश निर्माण संबंधी अनुसूची

अनुसूची 15 - आकस्मिक देयता और लेखाओं पर टिप्पणियाँ

क. आकस्मिक देयता

परिषद् के विरूद्ध दावों की ऋण के रूप में प्राप्ति स्वीकार नहीं की गई है शून्य रूपये (गत वर्ष शून्य)

ख. लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, कर्ज एवं अग्रिम

क. विविध देनदारों, पुस्तकों और आवधिकों के लिए अग्रिमों और पार्टियों के लिए अग्रिम में शेष की सम्बद्ध पक्षों/विभागों से पुष्टि नहीं की गई है ।

ख. परिषद्-प्रबंधन की राय में, अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियों, कर्ज़ और अग्रिम का वसूली योग्य मूल्य होता है जोकि कम से कम, साधारण व्यवसाय में तुलनपत्र में दर्शायी गयी राशि के समान है ।

2. कराधान हेतु प्रावधान

यह देखते हुए कि परिषद् की आय को कर से मुक्त रखा गया है, कराधान का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है ।

3. नियत परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास

नियत परिसम्पत्तियों पर संचित मूल्यह्रास (पुस्तकालय की पुस्तकों के अतिरिक्त) इसके अभिग्रहण की तारीख 31-3-2007 से इसकी गणना की गई है, उसे मूल-कोष के विरूद्ध समंजित किया गया है । (गत वर्ष में लेखा की पुस्तकों में मूल्यह्रास की राशि समंजित करने के पश्चात् पहले ही चार्ज की जा चुकी है।) चालू वर्ष के लिए मूल्यह्रास आय और व्यय खाते के विरूद्ध है । गत वर्ष से अग्रानीत आरंभिक अंकित मूल्य में विहित दरों पर मूल्यह्रास चार्ज किया गया है ।

4. गत वर्ष के तदनुरूप आँकड़ों का,जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनः समूहीकरण/पुनः व्यवस्थित किया गया है ।

ह0/-	ह0/-	ह0/-*
(कुँवर सिंह)	(जी.एन.रॉय)	(विभा भार्गव)
उप-सचिव	अध्यक्ष	सचिव

भारतीय प्रेस
31–3–2008 को समाप्त वर्ष

प्राप्ति	चालू वर्ष		गत वर्ष	
I. आरंभिक शेष				
क) हस्तरोकड़ (उचंत खाता)		91,639		13,250
ख) बैंक में शेष				
- सामान्य कोष	(85,397)		1,588,428	
- उद्ग्रहण शुल्क खाता	3,071		6,960	
- परिक्रामी राशि (ऋण और अग्रिम) खाता	209,256		475,433	
- अंशदायी भविष्य निधि खाता	3,476,740	3,603,670	4,424,002	6,494,823
ग) हाथ में डाक-टिकट		8,380		16,465
II. अनुदान प्राप्ति				
क) भारत सरकार से (सूचना और प्रसारण मंत्रालय)		23,682,307		21,428,123
III. ब्याज प्राप्ति				
क) बैंक जमा				
- मियादी जमा	3,764,228		1,599,793	
- बचत खाता	60,119	3,824,347	155,540	1,755,333
ख) ऋण,अग्रिम इत्यादि		44,880		54,325
IV. अन्य आय (विशेष)				
समाचारपत्रों/आवधिकों/समाचार अभिकरणों से प्राप्त		3,157,741		3,073,436
अन्य		69,965		238,579
V. परिपक्व निवेशन से प्राप्ति				
नियतकालिक जमा भुनाना				
- परिक्रामी राशि खाता	2,327,286		975,685	
- अं.भ.नि.खाता	35,876,269		7,236,664	
- अन्य	5,000,000	43,203,555	—	8,212,349
VI. कोई अन्य प्राप्तियाँ				
क) प्रतिभूति वापस				
- विभागों में जमा	27,073		—	
- रद्दी काग़ज हेतु प्राप्ति	—	27,073	500	500

परिषद्
के लिए प्राप्ति और भुगतान

भुगतान	चालू वर्ष		गत वर्ष	
I. व्यय				
क) प्रतिष्ठान पर व्यय (तत्संबंधी तालिका (11)		19,901,737		16,495,922
ख) प्रशासनिक खर्चे (तत्संबंधी तालिका (12) (गत वर्ष का निवल अग्रिम समंजित)		6,622,607		7,525,527
II. कोष के विरूद्ध किये गये भुगतान परिक्रामी राशि के बदले में (ऋण और अग्रिम)				
- ऋण का वितरण				
- उत्सव अग्रिम	48,000		46,500	
- स्कूटर अग्रिम	—		24,000	
- साइकिल अग्रिम	1,500		—	
- मोटर कार अग्रिम	237,800	287,300	—	70,500
अं.भ.नि.कोष के बदले में				
- अग्रिम/स्टॉफ द्वारा निकाला गया	2,349,051		2,283,326	
- जाने वाले कर्मचारियों का अंतिम भुगतान	—	2,349,051	255,600	2,538,926
III. निवेश और जमा किया गया				
क) चिन्हित/संदान निधि से बाहर				
- परिक्रामी कोष (ऋण और अग्रिम) के बदले में	2,454,519		1,559,855	
- अं.भ.नि.कोष के बदले में	43,229,999	45,684,518	12,952,287	14,512,142
ख) अपने कोष में से				
- श्रीमती गुप्ता मित्रा की ग्रेचुटी पर	287,850		—	
- अन्य	5,000,000	5,287,850	—	—
IV. नियत परिसम्पत और पूँजीगत कार्य प्रगति में				
क) नियत परिसम्पत की खरीद				
- पुस्तकालय की पुस्तकें	77,924		28,515	
- फर्नीचर और अन्य	486,688		1,036,768	
- टेलाफोन उपकरण	—	564,612	—	1,065,283

प्राप्ति	चालू वर्ष		गत वर्ष	
ख) अग्रिम की वसूली				
- गृह निर्माण अग्रिम	63,488		30,336	
- उत्सव अग्रिम	45,900		52,050	
- स्कूटर अग्रिम	27,174		34,968	
- मोटर कार अग्रिम	15,546		—	
- साइकिल अग्रिम	450		3,750	
- टेबल फैन अग्रिम	—	152,558	200	121,304
ग) कर्मचारी से वसूली	—		9,538	
अं.भ.नि.में अंशदान और ऋण वापिस	5,310,530	5,310,530	3,644,344	3,653,882
घ) सामान्य कोष से अं.भ.नि. कोष में राशि				
- भविष्य निधि में परिषद् का योगदान	953,672		928,279	
- कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज	2,109,253		1,841,204	
- परिषद् के अंशदान पर ब्याज	1,073,971		935,726	
- अन्य	—	4,136,896	10,000	3,715,209
कुल		**87,313,541**		**48,777,578**

प्राप्ति	चालू वर्ष		गत वर्ष	
ख) पूँजी पर व्यय				
कार्य प्रगति पर				
V. फालतू धन/ऋण प्रतिभूति की वापसी				
क) भारत सरकार को (टी.डी.एस.)	—		30,449	
ख) प्रतिभूति वापसी	—	—	5,000	35,449
VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)		4,760		2,515
VII. अन्य भुगतान (विशेष)				
क) सामान्य कोष से अं.भ.नि. खाते में हस्तांतरितः				
- कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज	2,109,253		1,841,204	
- परिषद् के अंशदान पर ब्याज	1,073,971		935,726	
- अन्य	—	3,183,224	10,000	2,786,930
ख) अग्रिम				
- पुस्तकों और आवधिकों पर	6,677		8,567	
- पूँजीगत परिसम्पत्तियों पर	—		—	
- अन्य पर	269,349	276,026	28,902	37,469
ग) स्टॉफ को अतिरेक वेतन का भुगतान		—		3,226
घ) अं.भ.नि.से सामान्य कोष में अतिरेक राशि		1,250		—
ङ) प्रतिभूति जमा				
VIII. अंतिम शेष				
क) हस्त रोकड़ (अग्रदाय खाता)		10,000		91,639
ख) बैंक शेष				
- सामान्य कोष	2,708		(85,397)	
- उदग्रहण शुल्क खाता	6,683		3,071	
- परिक्रामी कोष (ऋण और अग्रिम)	125,426		209,256	
- अं.भ.नि.खाता	2,994,551	3,129,368	3,476,740	3,603,670
ग) डाक टिकट शेष		11,238		8,380
कुल		**87,313,541**		**48,777,578**

ह0/-
(जी.एन.रॉय)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद्

ह0/-*
(विभा भार्गव)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद्

❐

संलग्नक-क

मामलों का विवरण

1 अप्रैल, 2007 - 31 मार्च, 2008

क्रम सं.	विवरण	धारा-13	धारा-14	कुल
1.	31-3-2007 को लंबित मामले	164	501	665
2.	1-4-2007 से 31-3-2008 के बीच दाखिल मामले	120	530+28* (558)	678
3.	1-4-2007 से 31-3-2008 के बीच निर्णीत मामले	30	99	129
4.	1-4-2007 से 31-3-2008 के बीच जाँच विनियम 1979 के विनियम 5(1) के प्रावधान के अन्तर्गत निर्णीत मामले	128	327	455
5.	31-3-2008 को विचाराधीन मामले	126	633	759

❐

* वर्ष 2006-2007 की 28 शिकायतें (दक्षिण से सम्बद्ध)

संलग्नक-ख

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग III –खण्ड 4

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. **158** **नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 2, 2007/श्रावण 11, 1929**

भारतीय प्रेस परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2007

सं. **19/6/2007-पी.** सी. आई. (पार्ट-II)— भारतीय प्रेस परिषद्, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (4) के अनुसरण में उक्त धारा की उप-धारा (3) के खंड (क) एवं खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रवर्गों के निम्नलिखित व्यक्ति संगमों और खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित समाचार अभिकरणों को परिषद् के दसवें तीन वर्षीय सत्र के प्रयोजनों के लिए एतद् द्वारा अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

(I) धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रवर्गों के व्यक्ति संगम :-

(1) एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, नई दिल्ली (2) ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडीटर्स कान्फ्रेन्स, नई दिल्ली (3) हिन्दी समाचारपत्र सम्मेलन, लखनऊ	श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधि निकायों के रूप में, जोकि संपादक हैं।
(4) नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया), नई दिल्ली (5) इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन, नई दिल्ली (6) दी प्रैस एसोसिएशन, नई दिल्ली (7) वर्किंग न्यूज़ कैमरामैन्स एसोसिएशन, दिल्ली	संपादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधि निकायों के रूप में

(II) धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रवर्णों के व्यक्ति संगम :-

(1) दी इंडियन न्यूज़पेपर सोसायटी, नई दिल्ली (2) इंडियन लैंगवेजिज़ न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन, मुंबई	बड़े, मध्यम और छोटे समाचार-पत्रों के स्वामियों और प्रबंधकों के प्रतिनिधि निकायों के रूप में

(3) इंडियन फैडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स, नई दिल्ली — छोटे समाचारपत्रों के स्वामियों के प्रतिनिधि निकायों के रूप में

(III) धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (ग) में से किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करने के प्रयोजन के लिए समाचारपत्र अभिकरण :-

(1) प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली

विभा भार्गव, सचिव
[**विज्ञापन** III/IV/असा/149/2007]

p

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II–खण्ड 3–उप–खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. **27** **नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 7, 2008/पौष 17, 1929**

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 **जनवरी,** 2008

का.आ. 39(अ)–**केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद् (सदस्यों के नामनिर्देशन के लिए प्रक्रिया) नियम,** 1978 **के नियम** 3 **और नियम** 4 **के साथ पठित प्रेस परिषद्** अधिनियम, 1978 **(**1978 **का** 37**) की धारा** 5 **की उप–धारा (**5**) के अनुसरण में भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात्:–**

श्रमजीवी पत्रकार–संपादक [धारा 5 की उप–धारा (3) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

1.	**श्री विष्णु नागर** **कार्यकारी संपादक, कादम्बिनी** **हिन्दुस्तान टाइम्स बिल्डिंग** 18–20, **कस्तूरबा गांधी मार्ग** **नई दिल्ली**–110001 **निवास:** ए–34, **नवभारत टाइम्स** **अपार्टमेंट्स, मयूर विहार, फेज**–1 **दिल्ली**–110091	**भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के संपादक।**
2.	**श्री उत्तम चन्द्र शर्मा** **संपादक, मुजफ्फरनगर बुलेटिन** 224, **सिविल लाइन्स साउथ,** **मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश**–251002 **निवास:** 224, **सिविल लाइन्स** **साउथ, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश**–251002	

3.	**श्री विजय कुमार चोपड़ा** **संपादक, फिल्मी दुनिया** **फिल्मी दुनिया, बी**-10 **शिव** अपार्टमेंट, 7, **राज नारायण मार्ग** सिविल **लाइन्स, दिल्ली**-110054 **निवास**: ए-7, सेक्टर 33 **नोएडा**-201301, उत्तर **प्रदेश**	
4.	**श्री शीतला सिंह** **संपादक, जनमोर्चा** **जनमोर्चा इंडस्ट्रियल** एस्टेट **गोडोपुर, फैजाबाद,** उत्तर **प्रदेश**-224001 **निवास**: 9*8*97, **बेगम गंज** **मकबरा, फैजाबाद,** उत्तर **प्रदेश**-2240001	**भारतीय भाषाओं के** समाचार **पत्रों के** संपादक।
5.	सु**श्री** सुमन **गुप्ता** **संपादक,** सरयू **तट** से ए-604, **लाल बाग, गवर्नमेंट कॉलोनी** **लखनऊ,** उत्तर **प्रदेश** **निवास**: एल-30, **नील विहार कॉलोनी** **राम नगर, फैजाबाद,** उत्तर **प्रदेश**	
6.	**श्री योगेश चन्द्र हलन** **संपादक,** एशियन **डिफेंस न्यूज** 116-**बी,** एमआईजी फ्लैट्स **राजौरी गार्डन, नई दिल्ली**-110027 **निवास**: 116-**बी,** एमआईजी फ्लैट्स **राजौरी गार्डन, नई दिल्ली**-110027	**भारतीय भाषाओं के** समाचार **पत्रों** से **भिन्न** समाचार **पत्रों** **के** संपादक।

श्रमजीवी पत्रकार संपादकों से **भिन्न [धारा 5 की** उप-धारा **(3) के खंड (क) के** अधीन **नामनिर्दिष्ट]**

7.	**श्री के.** सिरीनिवास **रेड्डी** **विशाल**आन्ध्रा **डेली,** मकधूम **भवन** **हिमायतनगर, हैदराबाद**-500029 **निवास**: फ्लैट **नं.** ए-6, **बी**एन रेड्डी **टावर्स, स्काईलाइन थियेटर के** सामने **डोमुलगुडा, हैदराबाद**-500029	

8. **श्री मिहिर गंगोपाध्याय (गांगुली)**
बर्तमान के नियमित स्वतंत्र
सहयोगी पत्रकार
6, **जे.बी.**एस. हल्डेन एवेन्यू, **कोलकाता**-700105
निवास: 24, **जीटी रोड (पश्चिम)**
डाकघर-कोननगर
जिला-हुगली-712235, **पश्चिमी बंगाल**

श्रमजीवी पत्रकार जो भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के संपादक न रहे हों।

9. **श्री** एम.के. अजीत कुमार
मुख्य संवाद्दाता, मातृभूमि
मातृभूमि, 1/6, आईएनएस **बिल्डिंग**
रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
निवास: 224, समाचार अपार्टमेंट्स
मयूर विहार फेज-I, **दिल्ली**-110091

10. **श्री जोगिन्दर चावला**
स्वतंत्र पत्रकार
डी-105, मानसरोवर **गार्डन, नई दिल्ली**-110015
निवास: **डी**-105, मानसरोवर **गार्डन**
नई दिल्ली-110015

11. **श्री जी. प्रभाकरण**
दि हिन्दू
दि हिन्दू, एफ 5, वेंकटेशपुरम **कॉलोनी**
पुथूर, पालक्कड़-678001, **केरल**
निवास: **श्री लक्ष्मी**, एफ-5
वेंकटेशपुरम कॉलोनी, पुथूर
पालक्कड़-678001, **केरल**

12. **श्री कल्याण बरुआ**
पत्रकार, असम **ट्रिब्यून**
3/14, आईएनएस **बिल्डिंग**
रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
ट्रिब्यून बिल्डिंग, जीएनबी रोड
गुवाहाटी-781003, असम
निवास: 92, **कला विहार**, मयूर विहार
फेज-I (एक्सटेंशन), **दिल्ली**-110091

श्रमजीवी पत्रकार जो भारतीय भाषाओं के समाचार **पत्रों** से **भिन्न** समाचार **पत्रों के** संपादक न रहे हों।

13. श्री एस.एन. सिन्हा
स्वतंत्र पत्रकार
7/102, ईस्ट एंड अपार्टमेंट्स
मयूर विहार, फेज-I (एक्सटेंशन)
दिल्ली-110096

निवास: 7/102, ईस्ट एंड अपार्टमेंट्स
मयूर विहार, फेज-I, (एक्सटेंशन)
दिल्ली-110096

व्यक्ति, जो समाचार पत्रों के स्वामी हों या समाचार पत्रों के कारोबार का प्रबंध करते हों [धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

14. श्री होरमुसजी नुस्सेरवांजी कामा
दि बाम्बे समाचार प्राइवेट लिमिटेड
रेड हाउस, एस. ए. ब्रेलवी रोड
होरनीमन सर्किल, फोर्ट, मुम्बई-400001

निवास: 1ई, नवरोजी अपार्टमेंट्स
35, भूलाभाई देसाई रोड, मुम्बई-400026

बड़े समाचार पत्रों के प्रवर्ग से

15. श्री टी. वेंकटराम रेड्डी
आन्ध्र भूमि
डक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड
36, सरोजनी देवी रोड, सिकन्द्राबाद-500003

निवास: प्लाट सं. 54, रोड सं. 12,
बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034

16. श्री अनिल जुगल किशोर अग्रवाल
अमरावती मंडल
डेली अमरावती मंडल, खापर्डे बगीचा, अमरावती

निवास: संपादक, अमरावती मंडल
मछलीसाथ, साथखिरादी, युकुभावंड
के पास, अमरावती-444601

मध्यम समाचार पत्रों के प्रवर्ग से

17. श्री कुंदन रमन लाल व्यास
जन्मभूमि प्रवासी वीकली
जन्मभूमि भवन, जन्मभूमि मार्ग, फोर्ट,
मुम्बई-400001

निवास: 402, भगवान भुवन, महालक्ष्मी
मंदिर लेन, बी. देसाई रोड, मुम्बई-400026

18. श्री रमेश गुप्ता
तेज वीकली
6-बी, बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110002

निवास: सी-40, गुलमोहर पार्क
नई दिल्ली-110049

छोटे समाचार पत्रों के प्रवर्ग से

19. श्री सुशील झलानी
अरुण प्रभा
19, विकास पथ, अलवर-301001, राजस्थान

निवास: 19, विकास पथ
अलवर-301001, राजस्थान

व्यक्ति, जो समाचार एजेंसियों का प्रबंध करते हों [धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

20. श्री वी.एस. चन्द्रशेखर
कार्यकारी संपादक, प्रेस ट्रस्ट
ऑफ इंडिया, दि प्रेस ट्रस्ट
ऑफ इंडिया लि. पीटीआई
बिल्डिंग, 4, पार्लियामेंट स्ट्रीट
नई दिल्ली-110001

निवास: सी-114, टेलीकॉम सिटी
बी-9⁄6, सेक्टर-62, नोएडा-201307

व्यक्ति, जिन्हें शिक्षा और विज्ञान, विधि और साहित्य तथा संस्कृति के बारे में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो [धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

21. डा. प्रांजय गुहा ठाकुर्ता
के-33, साउथ सिटी-1, गुडगाँव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट

22. श्री मिलन कुमार डे
अधिवक्ता, सदस्य, भारतीय विधिज्ञ
परिषद्, अप्सरा होटल के पीछे
डाकघर लालपुर, रांची-834001, झारखंड

भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट

23.	**डा. ललित मंगोत्रा** सदस्य, साहित्य अकादमी कार्यकारी बोर्ड, 18-ए, स्टॉफ क्वार्टर्स न्यू यूनिवर्सिटी कैम्पस जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू-180006	विधि साहित्य अकादमी द्वारा नामनिर्दिष्ट

संसद-सदस्य [धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

24.	**डा. सेबेस्टियन पाल** वर्तमान पता-20, डा. आर.पी. रोड नई दिल्ली-110001 स्थायी पता: मंजूपिल्ली कोची-682018, केरल	लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट
25.	**श्री भरतसिंह माधव सिंह सोलंकी** वर्तमान पता-5, तालकटोरा रोड नई दिल्ली-110001 स्थायी पता: डेडारादा, तालुकर-बोरसाद जिला-आनंद, गुजरात-220258	लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट
26.	**श्री एम.ए. खाराबेला स्वेन** वर्तमान पता-166, नार्थ एवेन्यू नई दिल्ली-110001 स्थायी पता: अंगारगडिया, बालासोर, उड़ीसा-756001	
27.	**श्री यशंवत सिन्हा** वर्तमान पता: 6, कुशक रोड नई दिल्ली स्थायी पता: ग्राम हुपाड़ डाकघर मोरंगी जिला हजारी बाग, झारखंड	राज्य सभा के सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट
28.	**डा. प्रभा ठाकुर** वर्तमान पता: 36, मीना बाग, नई दिल्ली-110001 स्थायी पता: ए-137, कृष्णा मार्ग श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान	

फा. सं. 4/8/2007-प्रेस
स्तुति कक्कड़, संयुक्त सचिव

p

2007-2008 के निर्णयों की सारिणी

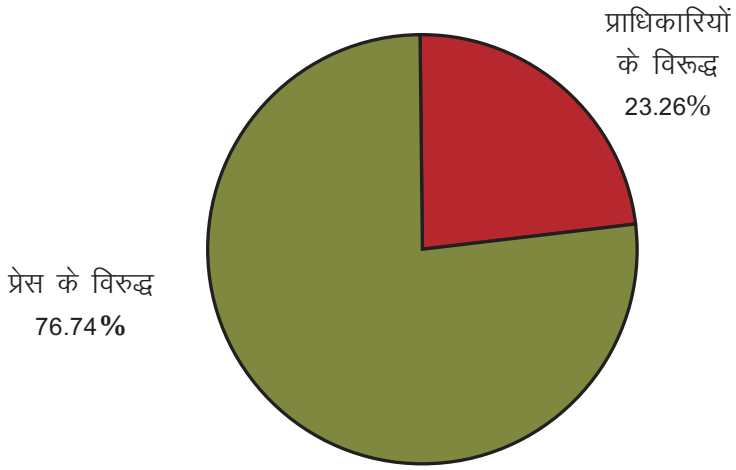

प्राधिकारियों के विरुद्ध

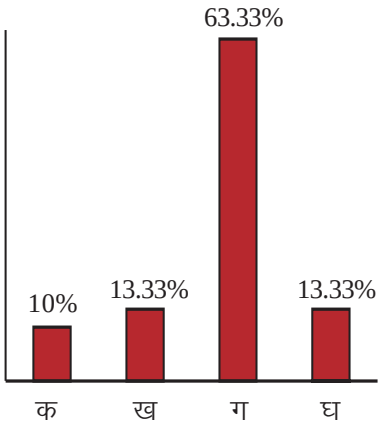

प्रेस के विरुद्ध

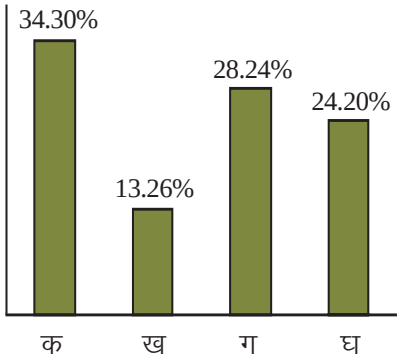

पाद टिप्पणः

क. अनुमोदित

ख. अस्वीकृत

ग. आश्वासन/समर्थित/संशोधित

घ. अनिष्पादन/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/सारहीनत होने पर कार्रवाई रोक दी गई

p

संलग्नक-ङ

नौंवे सत्र के लिए मामलों का विवरण

1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2007

	प्रेस द्वारा	प्रेस के विरुद्ध	कुल
दाखिल मामले			
1 अप्रैल 2004-31मार्च 2005	169	660	829
1 अप्रैल 2005-31मार्च 2006	150	576	726
1 अप्रैल 2006-31मार्च 2007	200	555+28*	755+28*
कुल	519	1819	2338
निर्णय			
1 अप्रैल 2004-31मार्च 2005	04	55	59
1 अप्रैल 2005-31मार्च 2006	40	153	193
1 अप्रैल 2006-31मार्च 2007	32	174	206
कुल	76	382	458
नीचे दी गई अवधि में प्रारंभिक स्तर पर खारिज मामले			
1 अप्रैल 2004-31मार्च 2005	107	275	382
1 अप्रैल 2005-31मार्च 2006	198	550	748
1 अप्रैल 2006-31मार्च 2007	98	546	644
कुल	403	1371	1774

p

*28 शिकायतें (दक्षिण से सम्बद्ध)

संलग्नक-च

नौंवे सत्र के लिए मामलों के विवरण की सारिणी

1 अप्रैल, 2004 - 31 मार्च, 2007

क. दाखिल किये गये मामलों की संख्या	2338
ख. निर्णीत मामलों की संख्या	458
ग. प्रारंभिक स्तर पर खारिज मामलों की संख्या	1774

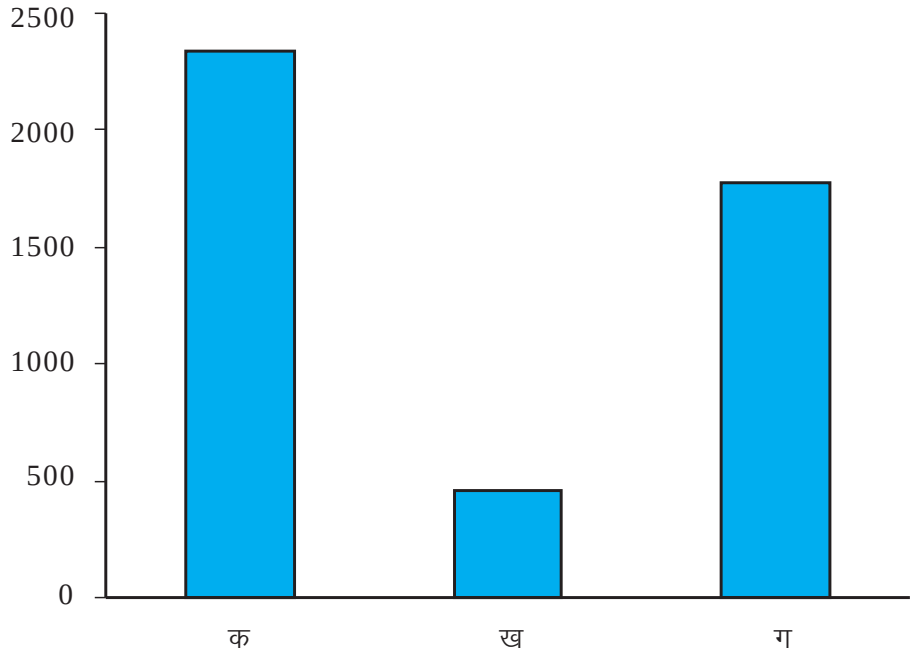

p

संलग्नक-छ

परिषद् की बैठकों में उपस्थिति-विवरण

नौंवां सत्र (12.10.2004-11.10.2007)

क्र. सं.	सदस्यों के नाम	बैठकों की कुल संख्या	कुल कितनी बैठकों में भाग लिया	बैठक की तारीख
1.	श्री के.एस. सच्चिदानन्द मूर्ति	11	10	16-11-2004
2.	श्री कुन्दन आर. व्यास	11	9	28-03-2005
3.	श्री जगजीत सिंह दर्दी	11	10	28-06-2005
4.	श्री उत्तम चन्द्र शर्मा	11	11	7-10-2005
5.	श्री राजीव कुमार अरोड़ा	11	10	9-2-2006
6.	श्री हिरनमय कार्लेकर	11	7	12-7-2006
7.	श्री के. श्रीनिवास रेड्डी	11	10	16-10-2006
8.	श्री गीतार्थ पाठक	11	11	15-11-2006
9.	श्री अनन्त बागेटकर	11	11	30-3-2007
10.	श्री जोगिन्दर चावला	11	9	27-7-2007
11.	श्री देवेन्द्र चिन्तन	11	6	4/5-10-2007
12.	श्री विनय कुमार	11	10	
13.	श्री एस.एन. सिन्हा	11	10	
14.	श्री अभय छजलानी	11	8	
15.	श्री होरमुसजी नुस्सेरवांजी कामा	11	10	
16.	श्री विजय कुमार चोपड़ा	11	7	
17.	श्री प्रताप टी. शाह	11	11	
18.	श्री रमेश गुप्ता	11	6	
19.	श्री केशव दत्त चन्दोला	11	10	
20.	श्री एम.के. लाल	11	4	

क्र. सं.	सदस्यों के नाम	बैठकों की कुल संख्या	कुल कितनी बैठकों में भाग लिया	बैठक की तारीख
21.	श्री प्रताप पवार	11	1	
22.	श्री के.के. थामस	11	7	
23.	डा. ललित मंगोत्रा	11	7	
24.	श्री पवन कुमार बंसल, सं.स.	5	1	
25.	श्री गुरुदास कामत, सं.स.	6	0	
26.	श्री सेबेस्टियन पाल, सं.स.	11	8	
27.	श्री लक्ष्मण सिंह, सं.स.	11	3	
28.	श्री बलबीर के. पुंज, सं.स.	5	2	
29.	श्री यशवन्त सिन्हा, सं.स.	5	2	
30.	डा. प्रभा ठाकुर, सं.स.	11	4	

p

संलग्नक-ज

जाँच समिति की बैठकों में उपस्थिति-विवरण

नौंवां सत्र (12.10.2004-11.10.2007)

क्र. सं.	सदस्यों के नाम	बैठकों की कुल संख्या	कुल कितनी बैठकों में भाग लिया
1.	श्री के.एस. सच्चिदानन्द मूर्ति	13	10
2.	श्री कुन्दन आर. व्यास	13	9
3.	श्री जगजीत सिंह दर्दी	13	5
4.	श्री उत्तम चन्द्र शर्मा	13	12
5.	श्री राजीव कुमार अरोड़ा	13	13
6.	श्री हिरनमय कार्लेकर	13	10
7.	श्री के. श्रीनिवास रेड्डी	13	10
8.	श्री गीतार्थ पाठक	13	13
9.	श्री अनन्त बागेटकर	13	10
10.	श्री जोगिन्दर चावला	13	11
11.	श्री देवेन्द्र चिन्तन	13	11
12.	श्री विनय कुमार	13	9
13.	श्री एस.एन. सिन्हा	13	12
14.	श्री अभय छजलानी	13	7
15.	श्री होरमुसजी नुस्सेरवांजी कामा	13	8
16.	श्री विजय कुमार चोपड़ा	13	7
17.	श्री प्रताप टी. शाह	13	12
18.	श्री रमेश गुप्ता	13	6
19.	श्री केशव दत्त चन्दोला	13	12
20.	श्री एम.के. लाल	13	2

क्र. सं.	सदस्यों के नाम	बैठकों की कुल संख्या	कुल कितनी बैठकों में भाग लिया
21.	श्री प्रताप पवार	13	1
22.	श्री के.के. थामस	13	10
23.	डा. ललित मंगोत्रा	13	9
24.	श्री पवन कुमार बंसल, सं.स.	6	2
25.	श्री गुरुदास कामत, सं.स.	6	0
26.	श्री सेबेस्टियन पाल, सं.स.	13	5
27.	श्री लक्ष्मण सिंह, सं.स.	13	2
28.	श्री बलबीर के. पुंज, सं.स.	5	0
29.	श्री यशवन्त सिन्हा, सं.स.	6	0
30.	डा. प्रभा ठाकुर, सं.स.	13	1

p

प्रेस की स्वतंत्रता पर धमकी संबंधी शिकायतों में निर्णयों की विषयगत सारिणी (2007-2008)

क्र0 सं0	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
	समाचारकर्मियों का उत्पीड़न		
1.	नखीरन तमिल द्वि-साप्ताहिक चेन्नई के सम्पादक की ए.डी.एम.के., के कुछ लोगों द्वारा उनके रिपोर्टर श्री डी. प्रकाश पर शारीरिक हमले के विरुद्ध शिकायत ।	27 जुलाई, 2007	कार्रवाई रोक दी गई
2.	श्री कोमल सिंह सेंगर, सम्पादक, दैनिक शोषण मुक्त, हाथरस, उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत ।	”	प्रेक्षणों पर निबटान
3.	आई.जी.आई. हवाई अड्डे पर ए.सी.पी. दिल्ली पुलिस पी.टी.आई. के फोटोग्राफर श्री कमल सिंह पर हमले/दुर्व्यवहार जिसकी विभिन्न राष्ट्रीय समाचारपत्रों आज तक और स्टार न्यूज़ द्वारा रिपोर्ट की गई, के सम्बन्ध में स्वतः कार्रवाई ।	”	समर्थित
4.	पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग के सम्मुख आई.जी.पी. सुमेध सैनी के विरुद्ध दाखिल शिकायत पर उनकी समाचार रिपोर्ट को कथित रुप से इंडियन एक्सप्रेस के चंडीगढ स्थित प्रमुख संवाद्दाता की गिरफ्तारी के बारे में पंजाब सरकार के विरुद्ध स्वतः कार्रवाई ।	”	प्रेक्षणों पर समाप्त

विः निर्णयों का विलय

क्र0 सं0	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
5.	श्री संजय तिवारी उजाला,पत्रकार, दिल्ली की पुलिस प्राधिकारी, दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।		27 जुलाई, 2007	निदेश
6.	श्री अवनीश कुमार मिश्रा, संवाद्दाता, स्वतंत्र भारत, शाहजहाँपुर, उ.प्र. की श्रीमती रजविन्दर कौर, ए.एन.एम. और श्री देवेन्द्र कुमार तिवारी, शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।		,,	न्यायाधीन
7.	सुश्री प्रियदर्शिनी मट्टू के बलात्कार/हत्या के मामले में अपराधी श्री संतोष कुमार सिंह के साथियों द्वारा प्रेस फोटोग्राफरों पर हमले के सम्बन्ध में स्वतः कार्रवाई ।		4-5 अक्टूबर, 2007	समाप्त
8.	श्री संजय कुमार मिश्र, संवाद्दाता, रांची एक्सप्रेस, बोकारो की पुलिस प्राधिकारियों के विरुद्ध शिकायत ।		,,	निदेशों पर निपटान
9.	श्री विनोद मलिक, सम्पादक, विश्व परिक्रमा टाइम्स, मेरठ, उ.प्र. की सुभारती मैडीकल डैंटल कालेज, मेरठ, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।		,,	समाप्त
10.	श्री त्रिलोक प्रसाद शर्मा, स्वामी/सम्पादक/प्रकाशक, साप्ताहिक भक्त हनुमान, बुलन्दशहर, उ.प्र. की श्री मनोज, ग्राम पिपाला, बुलन्दशहर और बुलन्दशहर के पुलिस प्राधिकारियों के विरुद्ध शिकायत ।		,,	प्रेक्षणों पर समाप्त
11.	श्री राम किशोर पवार, प्रकाशक/सम्पादक अंकल फोर टवैंटी, बेतूल, म.प्र. की म.प्र. के पुलिस प्राधिकारियों के विरुद्ध शिकायत ।		,,	मामला समाप्त करने की अनुमति
12.	श्री राम किशोर पवार, प्रकाशक/सम्पादक अंकलफोर टवैंटी, बेतूल, म.प्र. की म.प्र. के पुलिस प्राधिकारियों के विरुद्ध शिकायत ।	वि0	,,	मामला समाप्त करने की अनुमति

क्र0 सं0	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
13.	श्री विनोद मलिक, सम्पादक,विश्व परिक्रमा टाइम्स, मेरठ (उ.प्र.) की 'उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन' मेरठ, (उ.प्र.) के विरुद्ध शिकायत ।	4-5 अक्टूबर, 2007	गुणहीन होने पर समाप्त
14.	श्री मदन मोहन पांडे, संवाद्दाता, आज (आजमगढ़) उ.प्र. की पुलिस प्राधिकारियों, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायत ।	,,	मामला समाप्त करने की अनुमति
	प्रेस को सुविधायें		
15.	सुश्री कौसर जहाँ, सम्पादक, टुडेज़ वायस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की सूचना और जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के विरुद्ध शिकायत ।	27 जुलाई, 2007	अस्वीकृत
16.	श्री समीर भटनागर, संवाद्दाता, शाह टाइम्स, मिर्जापुर, उ.प्र. की उप-निदेशक, सूचना और जनसम्पर्क विभाग, मिर्जापुर, उ.प्र. के विरुद्ध शिकायत ।	,,	निदेशों पर निबटान
17.	श्री दिलीप गुप्ता, पत्रकार दैनिक दिन-रात, ओरय्या की जिलाधीश इटावा/ओरय्या के विरुद्ध शिकायत ।	,,	निदेशों पर निबटान
18.	श्री अंजन उपाध्याय, प्रकाशक/सम्पादक हमरो प्रजाशक्ति, नेपाली न्यूज़ डेली, सिक्किम की सिक्किम राज्य सरकार के विरुद्ध शिकायत ।	,,	मामला समाप्त-समझौता हो गया
19.	डा. प्रवीन गुप्ता, मुख्य सम्पादक, पब्लिक न्यूज़, नई दिल्ली की अपर जिला सूचना अधिकारी, जमुई, बिहार के विरुद्ध शिकायत ।	,,	समाप्त
20.	श्री नारायण दास मौर्य, मुख्य सम्पादक सामंत, पिपरिया, मध्य प्रदेश की विज्ञापन दृश्य प्रचार निदेशालय के विरुद्ध शिकायत ।	,,	अनुमोदित

क्र0 सं0	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
21.	श्री के.डी. चंदोला, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत के लघु समाचारपत्र संघ, कानपुर की उत्तराखंड-सरकार, देहरादून के विरुद्ध शिकायत ।	27 जुलाई, 2007	निदेश
22.	श्री एम.वी. आर्य, राज्याध्यक्ष, भारत का लघु समाचारपत्र संघ और मुख्य सम्पादक, राजपूत मर्यादा, कानपुर, उ.प्र. की सूचना और जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. सरकार के विरुद्ध शिकायत ।	,,	निदेशों पर निबटान
23.	श्री मोनी कमल दत्ता, प्रकाशक/मुद्रक/सम्पादक, मुक्ता कृपाण, बीरभूम, पश्चिम बंगाल की जिला सूचना और सांस्कृतिक अधिकारी, बीरभूम, पश्चिम बंगाल के विरुद्ध शिकायत ।	,,	समर्थित
24.	श्री मोनी कमल दत्ता, प्रकाशक/मुद्रक/सम्पादक, कृषि कल्याण, बीरभूम पश्चिम बंगाल की जिला सूचना और सांस्कृतिक अधिकारी, बीरभूम, पश्चिम बंगाल के विरुद्ध शिकायत ।	,,	समर्थित
25.	श्री ज्ञान चन्द्र वार्ष्णेय, स्वामी/प्रकाशक, उद्योग व्यापार टाइम्स, अलीगढ़ की अपर जिला सूचना अधिकारी, सूचना और जनसम्पर्क विभाग, अलीगढ, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	,,	समाप्त
26.	वतन प्रेमी, अमरावती (महाराष्ट्र) की निदेशक, सूचना और जनसम्पर्क विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई के विरुद्ध शिकायत ।	4-5 अक्टूबर, 2007	निदेशों पर निबटान
27.	श्री प्रबीर कुमार सरकार, मुख्य सम्पादक, कोलफील्ड टाइम्स, कोलकाता की सूचना और सांस्कृतिक मामले, पश्चिम बंगाल सरकार के विरुद्ध शिकायत ।	,,	समाप्त
28.	श्री राघवेन्द्र सिंह, सुनहरा संसार के सम्पादक, इन्द्रानगर (उ.प्र.) की वि.दृ.प्र.नि. और भा.स.पं. के विरुद्ध शिकायत ।	,,	प्रेक्षणों पर समाप्त

क्र0 सं0	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
	प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती		
29.	कोलकाता में दिनांक 13-10-2005 को हुई घटना के सम्बन्ध में स्वत: कार्रवाई जिसमें सी.आई.टी.यू से सम्बद्ध हॉकर्स ने दी स्टेट्समैन हाउस का घेराव किया और दी स्टेट्समैन और दैनिक स्टेट्समैन (बंगाली) की प्रतियों की आपूर्ति में बाधा डाली ।	27 जुलाई, 2007	आश्वासन
30.	मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री के कथित निदेश पर डी.आई.जी. सागर रेंज द्वारा राज्य के पत्रकारों की गिरफ्तारी पर स्वत:-कार्रवाई ।	,,	न्यायाधीन

❐

प्रेस के विरूद्ध शिकायतों में दिए गए निर्णयों की विषयगत सारिणी (2007-2008)

क्र0 सं0	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
	सिद्धांत और प्रकाशन		
1.	त्रिपुरा सरकार, गृह विभाग, अगरतला की स्यान्दन पत्रिका, बंगाली दैनिक, अगरतला के विरुद्ध शिकायत ।	27 जुलाई, 2007	चेतावनी
2.	डा. एस.पी.थीरुमाला रॉव, महासचिव, कर्नाटक स्टेट फैडरेशन ऑफ कन्ज्यूमर्स आर्गेनाइजेशन की स्टार ऑफ मैसूर के विरुद्ध शिकायत ।	,,	निदेश
3.	श्री हाजी सैय्यद अतीक मियाँ चिश्ती, दरगाह शरीफ, अजमेर, राजस्थान की दैनिक भास्कर, अजमेर, राजस्थान के सम्पादक के विरुद्ध शिकायत ।	,,	समर्थित
4.	पुलिस अधीक्षक और समाहर्ता, भिंड, मध्य प्रदेश की दैनिक नवभारत, ग्वालियर के विरुद्ध शिकायत ।	,,	खारिज आगे नहीं बढाया गया
5.	पुलिस अधीक्षक और समाहर्ता, भिंड, मध्य प्रदेश की दैनिक नवभारत, ग्वालियर के विरुद्ध शिकायत ।	वि0 ,,	खारिज आगे नहीं बढाया गया
6.	अध्यक्ष जमाते इस्लामे हिंद, गोवाहाटी, की डेली प्रतिदिन, गोवाहाटी के सम्पादक के विरुद्ध शिकायत ।	,,	अनुमोदित

वि: निर्णयों का विलय

क्र0 सं0	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
7.	श्री प्रसन्न कुमार, स्वामी ए.जी.पी., फोटो बैंक, मालवीय नगर, नई दिल्ली की इन्क्रैडीबल इंडिया, दुर्गा दास पब्लिकेशनस, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।		27 जुलाई, 2007	न्यायाधीन
8.	गृह मंत्रालय/सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के विरुद्ध शिकायत ।	वि0	,,	समाप्त
9.	गृह मंत्रालय/सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली की दी ट्रिब्यून, चंदीगढ के विरुद्ध शिकायत ।		,,	समाप्त
10.	गृह मंत्रालय/सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की राष्ट्रीय सहारा, नोयडा के विरुद्ध शिकायत ।		,,	समाप्त
11.	श्री जगविन्दर सिंह, मैडीकल आफिसर, पी.सी. एम.एस.आई., लुधियाना, पंजाब की डेली अजीत, लुधियाना पंजाब के विरुद्ध शिकायत ।		4-5 अक्टूबर, 2007	समाप्त
12.	श्री रमेश लालवानी, पूर्व सलाहकार, डी.ओ.टी., नई दिल्ली की दी हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।		,,	निदेश
13.	श्री संजय भाटिया, निदेशक, सूचना और जनसम्पर्क विभाग लखनऊ की हिन्दुस्तान टाइम्स, लखनऊ के विरुद्ध शिकायत ।		,,	निदेशों पर निबटान
14.	श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता, बेगूसराय बिहार की दैनिक जागरण, पटना के विरुद्ध शिकायत ।	वि0	,,	गुणहीन होने पर खारिज
15.	श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता, बेगूसराय बिहार की दैनिक आज, पटना के विरुद्ध शिकायत ।		,,	गुणहीन होने पर खारिज

क्र0 सं0	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
16.	प्रो. के. एल. भाटिया, प्रांत संघ चालक, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जम्मू की दैनिक जागरण, नोयडा, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।		4-5 अक्टूबर, 2007	निदेश
17.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जम्मू की स्टेट टाइम्स, जम्मू के विरुद्ध शिकायत ।		’’	परिनिंदित
18.	श्रीमती अतुल शर्मा, सचिव, संकल्प शिक्षा प्रसार समिति, मेरठ की पंजाब केसरी, दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।		’’	परिनिंदित
	प्रेस और मानहानि			
19.	श्री पी.एन. ठक्कर, अहमदाबाद की संदेश, अहमदाबाद के विरुद्ध शिकायत ।		27 जुलाई, 2007	कार्रवाई समाप्त
20.	श्री पी.एन. ठक्कर, अहमदाबाद की संदेश, अहमदाबाद के विरुद्ध शिकायत ।	वि0	’’	कार्रवाई समाप्त
21.	श्री पी.एन. ठक्कर, अहमदाबाद की संदेश, अहमदाबाद के विरुद्ध शिकायत ।		’’	कार्रवाई समाप्त
22.	श्री पी.एन. ठक्कर, अहमदाबाद की संदेश, अहमदाबाद के विरुद्ध शिकायत ।		’’	कार्रवाई समाप्त
23.	श्री अरुण अग्रवाल, मैसर्स विकास ट्रेडिंग कम्पनी, मेरठ की अमर उजाला, मेरठ के विरुद्ध शिकायत ।		’’	अनुमोदित
24.	विकास ट्रेडिंग कम्पनी, मेरठ की दैनिक जागरण, मेरठ के विरुद्ध शिकायत ।		’’	प्रेक्षणों सहित मामला समाप्त
25.	श्री विकार अहमद, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, बिजनौर, उत्तर प्रदेश की चिंगारी, सांध्य दैनिक, बिजनौर के विरुद्ध शिकायत ।		’’	मामला आगे न बढाये जाने के कारण समाप्त

क्र0 सं0	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
26.	श्री सांतनु दास, निदेशक, सूचना और सांस्कृतिक मामलों तथा पर्यटन, त्रिपुरा सरकार, अगरतला की स्यान्दन पत्रिका, अगरतला के सम्पादक के विरुद्ध शिकायत ।		27 जुलाई, 2007	भर्त्सना
27.	श्रीमती मधुरिमा बरुआ, गोवाहाटी, असम की अजीर असोम, गोवाहाटी, असम के विरुद्ध शिकायत ।		”	मामला गुणहीन होने पर समाप्त
28.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की मुख्यमंत्री, श्रीमती शीला दीक्षित की अमर उजाला, मेरठ के विरुद्ध शिकायत ।	वि0	”	चेतावनी
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित की टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।		”	चेतावनी
30.	श्री अभिशेख सिंह, आई.ए.एस., जिलाधीश, हरदोई, उत्तर प्रदेश की दैनिक अमर उजाला, कानपुर के विरुद्ध शिकायत ।		”	निदेशों पर निबटान
31.	श्री बी.के. नारायण, महा प्रबंधक, गिल्टैक अंतर्राष्ट्रीय (प्रा.) लिमिटेड, मंगलौर की संयुक्त प्रभा, मंगलौर के विरुद्ध शिकायत ।		”	चेतावनी
32.	श्री पी.बी. सत्यन, राज्य महासचिव, भा.ज.द. किसान मोर्चा, अलूवा (केरल) की फ्लैश, मलयालम मिड डे डेली, थीरुवननथपुरम के विरुद्ध शिकायत ।		”	भर्त्सना
33.	श्री लाल सिंह, सम्पादक, हाथरस समाचार, हाथरस, उत्तर प्रदेश की ग्राम्य नेत्र वीकली, हाथरस, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।		”	परिनिंदित
34.	श्री एस.एस. सदानन्द, ए.सी.डी. पोस्ट आफिस श्रीनगिरी, जिला कर्नाटक की नम्मा लोक, कन्नड साप्ताहिक के विरुद्ध शिकायत ।		”	अनुमोदित

क्र0 सं0	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
35.	श्री जुगल किशोर गुप्ता, छतरपुर की दैनिक विंध्य शक्ति, छतरपुर, मध्यप्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।		27 जुलाई, 2007	भर्त्सना
36.	श्रीमती भारती अग्रवाल, अध्यक्ष, ग्राम भारती महिला मंडल, जिला बेतूल, मध्य प्रदेश की विज्ञापन की दुनिया, नागपुर के विरुद्ध शिकायत ।	वि0	,,	परिनिंदित
37.	श्रीमती भारती अग्रवाल, अध्यक्ष, ग्राम भारती महिला मंडल, जिला बेतूल, मध्य प्रदेश की विदर्भ चंडिका, नागपुर के विरुद्ध शिकायत ।		,,	परिनिंदित
38.	समाहर्ता और जिलाधीश, सिहोरे, मध्य प्रदेश की दैनिक नई दुनिया, भोपाल के विरुद्ध शिकायत ।		,,	खारिज-आगे नहीं बढाया गया
39.	डा. जे.जी. नेगी, तत्कालीन महानिदेशक, म.प्र. विज्ञान और तकनीकी परिषद, भोपाल की हिन्दुस्तान टाइम्स भोपाल के विरुद्ध शिकायत ।		,,	आगे कोई कार्रवाई नहीं
40.	जे.के. इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, बनमोर, मध्य प्रदेश की दैनिक चम्बल वाणी, ग्वालियर के विरुद्ध शिकायत ।		,,	फटकार
41.	अवैतनिक सचिव, दी शिलंग क्लब लिमिटेड, शिलंग की दी टैलीग्राफ, गोवाहाटी के सम्पादक, के विरुद्ध शिकायत ।		,,	निदेश
42.	श्री रिपुन बोरा, माननीय पंचायत मंत्री, ग्रामीण विकास और प्राथमिक शिक्षा, असम सरकार, गोवाहाटी की दैनिक अग्रदूत, गोवाहाटी के सम्पादक के विरुद्ध शिकायत ।		,,	समर्थित
43.	श्री रंजीत गोगोई, सम्पर्क अधिकारी, मुख्य मंत्री का जनसम्पर्क सैल, असम सरकार, दिसपुर, गोवाहाटी की असोमिया प्रतिदिन, असम के सम्पादक, के विरुद्ध शिकायत ।		,,	अनुमोदित

क्र0 सं0	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
44.	डा. भगवान लहकर, मुख्यमंत्री के सलाहकार (सूचना और जनसम्पर्क) असम, गोवाहाटी की अजी, असमिया दैनिक, गोवाहाटी के सम्पादक के विरुद्ध शिकायत ।	27 जुलाई, 2007	समाप्त-आगे नहीं बढाया गया
45.	श्री गजराज सिंह यादव, महेन्द्र गढ, हरियाणा की पंजाब केसरी, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।	,,	मामला वापिस लिया गया
46.	श्री आर.पी. बलवान, आई.एफ.एस., वन संरक्षक, गुडगाँव, हरियाणा की दैनिक जागरण, हिसार, हरियाणा के विरुद्ध शिकायत ।	,,	भर्त्सना
47.	श्री रवीन्द्र द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी समिति, थाणे, महाराष्ट्र की पंजाब केसरी, नई दिल्ली के सम्पादक, के विरुद्ध शिकायत ।	,,	कार्रवाई रोक दी गई
48.	भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई की मिड-डे, मुम्बई के सम्पादक केविरुद्ध शिकायत ।	,,	चेतावनी
49.	दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, हरिद्वार, उत्तराखंड की संडे पोस्ट, नोयडा के विरुद्ध शिकायत ।	,,	न्यायाधीन
50.	श्री अनिल कुमार शर्मा, मेरठ, उत्तर प्रदेश की दैनिक जागरण, मेरठ के विरुद्ध शिकायत ।	,,	खारिज
51.	श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ, उ.प्र. की अमर उजाला, इलाहाबाद के विरुद्ध शिकायत ।	,,	मामला समाप्त
52.	श्री जे.डी. अहिरवार, वाणिज्य निरीक्षक, कानपुर देहात, उ.प्र. की स्वतंत्र भारत, लखनऊ के विरुद्ध शिकायत ।	,,	समाप्त
53.	श्री उमा शंकर सिंह, हैडमास्टर, लाल बहादुर शास्त्री जूनियर हाई स्कूल, गोरखपुर की जनसत्ता एक्सप्रेस, लखनऊ के विरुद्ध शिकायत ।	,,	निदेशों पर निबटान

क्र0 सं0	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
54.	श्री रामजी लाल श्रीवास्तव, पत्रकार, झांसी की दैनिक जागरण, झांसी के विरुद्ध शिकायत ।		27 जुलाई, 2007	सारहीनता पर समाप्त
55.	मौहम्मद फसीउद्दीन, अधिवक्ता, मुरादाबाद की अमर उजाला, मुरादाबाद के विरुद्ध शिकायत ।		,,	समर्थित
56.	पंडित जी.एल. चौरसिया, अधिवक्ता, आगरा की अमर उजाला, आगरा के विरुद्ध शिकायत ।		,,	निदेश
57.	श्री कैलाश, एस.डी.ई. लीगल, बी.एस.एन.एल., मथुरा, उ.प्र. की डाटा संदेश, आगरा के विरुद्ध शिकायत ।		,,	न्यायाधीन
58.	कार्यकारी अधिकारी, श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट (शिरडी), महाराष्ट्र की लोक बोल, महाराष्ट्र के सम्पादक के विरुद्ध शिकायत ।		,,	निदेश
59.	श्री डी.एस.म ूर्थी, आई.ए.एस., वाणिज्य के पूर्व-आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद की इनाडु के विरुद्ध शिकायत ।		4-5 अक्टूबर, 2007	प्रेक्षणों पर समाप्त
60.	श्री राघव चन्द्र, प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, भोपाल की नवभारत के विरुद्ध शिकायत ।	वि0	,,	परिनिंदित
61.	श्री राघव चन्द्र, प्रबंध निदेशक, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, भोपाल की सैंट्रल क्रॉनिकल के विरुद्ध शिकायत ।		,,	परिनिंदित
62.	श्री गीतार्थ दर्शन बरुआ, आस्था एडीटोरियल बोर्ड, जोरहाट की दैनिक जन्मभूमि, जोरहाट, असम के विरुद्ध शिकायत ।		,,	निदेश
63.	श्री राजिन्दर सिंह, आई.पी.एस., पुलिस महानिरीक्षक, फिरोजपुर अंचल, भटिंडा, पंजाब की अमर उजाला जालंधर और हिन्दुस्तान टाइम्स, चंदीगढ के विरुद्ध शिकायत ।	वि0	,,	निदेश

क्र0 सं0	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
64.	श्री राजिन्दर सिंह, आई.पी.एस., पुलिस महानिरीक्षक, फिरोजपुर अंचल, भटिंडा, पंजाब की अमर उजाला जालंधर और हिन्दुस्तान टाइम्स, चंदीगढ के विरुद्ध शिकायत ।	4-5 अक्टूबर, 2007	निदेश
65.	डा. बलसिंह, प्राध्यापक, डी.ए.वी. कालेज, पेहोवा, कुरुक्षेत्र की पंजाब केसरी, करनाल के सम्पादक के विरुद्ध शिकायत ।	,,	निदेशों पर निबटान
66.	डा. एस.पी. गुप्ता, निदेशक, आशीर्वाद अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र, वाराणसी की सीनियर इंडिया, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।	,,	चेतावनी
67.	श्री सुनील जी. गोडबोले, मुम्बई की टाइम्स ऑफ इंडिया, मुम्बई के विरुद्ध शिकायत ।	,,	खारिज
68.	श्रीमती रेणुका पटगिरी, प्राध्यापक (सेवानिवृत्त) बालाजी कालेज, असम की असोमिया प्रतिदिन, गोवाहाटी, असम के विरुद्ध शिकायत ।	,,	भर्त्सना
69.	श्री प्रेमाधर हंडीक, गोवाहाटी की असोमिया प्रतिदिन, गोवाहाटी के विरुद्ध शिकायत ।	,,	परिनिंदित
70.	कुमारी रुलि शर्मा, नवगाँव, असम की जनसाधारण, गोवाहाटी के विरुद्ध शिकायत ।	,,	परिनिंदित
71.	सुश्री रजनी मालानी, फैन्सी बाजार, गोवाहाटी की पूर्वांचल प्रहरी, गोवाहाटी के विरुद्ध शिकायत ।	,,	परिनिंदित
72.	एस.डी.ई. (लीगल) बी.एस.एन.एल. की अलीगढ नगरी, अलीगढ, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	,,	न्यायाधीन
73.	श्री विजय कुमार गुप्ता, मौरानी पुरा, झांसी, उत्तर प्रदेश की साप्ताहिक परख, झांसी कैंट (उ.प्र.) के विरुद्ध शिकायत ।	,,	चेतावनी

क्र0 सं0	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
74.	श्री जगदीश कुमार, मुख्य (जनसम्पर्क अधिकारी) बिलासपुर, छत्तीसगढ की दैनिक प्रजाशक्ति, बिलासपुर, छत्तीसगढ के विरुद्ध शिकायत ।		4-5 अक्टूबर, 2007	परिनिंदित
75.	श्री अजीत गुलानीकर, परामर्शदाता, कोलाबा, मुम्बई की मिड-डे, मुम्बई के विरुद्ध शिकायत ।		,,	भर्त्सना
76.	श्री महंत देवेन्द्र दास, झांडा मौहल्ला, देहरादून, उत्तराखंड की उत्तरांचल साया, उत्तराखंड के विरुद्ध शिकायत ।		,,	निदेशों पर निपटान
77.	श्री अमर कुमार मंडल, संयुक्त सचिव, श्रमिक यूनियन, हिन्दुस्तान कैबल्स लिमिटेड, रुपनारायणपुर यूनिट, बुर्दवान, पश्चिम बंगाल की ग्रामांचल शिल्पानचालेर खबर, बुर्दवान, पश्चिम बंगाल के विरुद्ध शिकायत ।		,,	भर्त्सना
78.	श्री अशोक चौहान, डी.एस.पी., हरियाणा पुलिस, जिला करनाल की पंजाब केसरी के विरुद्ध शिकायत ।		,,	शिकायत प्रमाणित नहीं
79.	श्रीमती निशा त्रिवेदी, उन्नाव की दैनिक हिन्दुस्तान, लखनऊ के विरुद्ध शिकायत ।		,,	समाप्त
80.	श्रीमती निशा त्रिवेदी, उन्नाव की दैनिक जागरण, कानपुर के विरुद्ध शिकायत ।	वि0	,,	समाप्त
81.	श्रीमती निशा त्रिवेदी, उन्नाव की दी अज, कानपुर, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।		,,	समाप्त
82.	श्री विष्णु कुमार गुप्ता, चंदौसी, उत्तर प्रदेश की दैनिक जागरण, मुरादाबाद के विरुद्ध शिकायत ।		,,	सारहीन होने पर समाप्त
83.	श्री विष्णु कुमार गुप्ता, चंदौसी, उत्तर प्रदेश की अमर उजाला, मुरादाबाद के विरुद्ध शिकायत ।	वि0	,,	सारहीन होने पर समाप्त
84.	श्री लालचंद पांडे, उप-पंजीयक-1, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की हमारा युवा, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध शिकायत ।		,,	खारिज-आगे नहीं बढाया गया

क्र0 सं0	पक्ष	निर्णय की तिथि	श्रेणी
85.	मौहम्मद यूसुफ कुरैशी, महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल (उ.प्र.) मेरठ की दैनिक जागरण, मेरठ के विरुद्ध शिकायत ।	4-5 अक्टूबर, 2007	समाप्त
86.	श्रीमती कमला रानी, ब्लॉक अध्यक्ष, भोजपुर, मोदीनगर की दैनिक जागरण, नोयडा, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत ।	,,	मामला समाप्त करने की अनुमति
87.	सिस्टर शालिनी, एच.सी. प्राध्यापिका, सैंट टैरेसा गर्ल्स हाई स्कूल, बेतिया, पश्चिमी चम्पारण, बिहार की दैनिक जागरण, मुजफ्फरपुर, बिहार के विरुद्ध शिकायत ।	,,	निदेशों पर निबटान
88.	सिस्टर शालिनी, एच.सी. प्राध्यापिका, सैंट टैरेसा गर्ल्स हाई स्कूल, बेतिया, पश्चिमी चम्पारण, बिहार की हिन्दुस्तान, हिन्दी दैनिक, मुजफ्फरपुर, बिहार के विरुद्ध शिकायत ।	,,	निदेशों पर निबटान
89.	श्री वी.एच. डालमिया, विश्व हिन्दु परिषद्, नई दिल्ली की टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के सम्पादक के विरुद्ध शिकायत ।	,,	समाप्त
90.	श्रीमती हेमाम्बिका आर. प्रिया, सरकारी प्रवक्ता, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली की दी पायनियर, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।	,,	निदेश
91.	श्री गोविन्द बिहारी निगम, उपाध्यक्ष, कालीचरण निगम इंस्टीटयूट ऑफ टैक्नालॉजी, बांदा की 'पंजाब केसरी' दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।	,,	न्यायाधीन
92.	श्री डी.पी. सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता/उपाध्यक्ष, जनहित जागरण, मेरठ की "अमर उजाला" मेरठ के विरुद्ध शिकायत ।	,,	न्यायाधीन

क्र0 सं0	पक्ष		निर्णय की तिथि	श्रेणी
	प्रेस और नैतिकता			
93.	श्री संजय कुमार बंसल, अधिवक्ता/अध्यक्ष, देश कल्याण समिति, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय सहारा, नोयडा के विरुद्ध शिकायत ।		27 जुलाई, 2007	खेद व्यक्त
94.	श्री बी.के. सिन्हा, आय कर अधिकारी, हजारीबाग, झारखंड की सम्पादक, दैनिक जागरण, रांची के विरुद्ध शिकायत ।	वि0	,,	समाप्त
95.	श्री बी.के.सिन्हा, आय कर अधिकारी, हजारीबाग, झारखंड की सम्पादक, विचार सारांश, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत ।		,,	समाप्त
96.	श्री अशोक बासप्पा उदयावर और अन्य तथा श्रीमती शीतल विवेक मेहता, वसाई और अन्य,थाणे, महाराष्ट्र की महाराष्ट्र बुलंद टाइम्स, थाणे, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत ।		4-5 अक्टूबर 2007	परिनिंदित
97.	डेबोनेयर, मुम्बई के विरुद्ध स्वतः कार्रवाई ।		,,	परिनिंदित
	साम्प्रदायिक और जातिगत लेखन			
98.	श्री नरेश ठक्कर,निदेशक,चित्तौड दर्शन, (टी.वी.न्यूज.चैनल)चित्तौड़, राजस्थान की सम्पादक,समाचार जगत,जयपुर,राजस्थान के विरुद्ध शिकायत ।		27 जुलाई, 2007	समाप्त
99.	डा.के.वी. संगमेश्वरम, परामर्शदाता रेडियोलॉजिस्ट, पुणे की सम्पादक, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, पुणे के विरुद्ध शिकायत ।		,,	कार्रवाई रोक दी गई

q

संलग्नक-ट

प्रेस की स्वतंत्रता पर धमकी संबंधी शिकायतों में निर्णयों में रिकार्ड किये गये सिद्धांतों की सारिणी

प्रेस को सुविधायें

सरकारी विज्ञापन जारी करना किसी की व्यक्तिगत उदारता या उपहार वितरण नहीं है और इसका उपयोग स्पष्टतया निर्दिष्ट नीतियों की रूपरेखा के भीतर न्यायिक प्रकार से सुनिश्चित किया जाना चाहिए । **(सम्पादक वतन प्रेमी, अमरावती, महाराष्ट्र बनाम निदेशक, सूचना और जनसम्पर्क विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई, शिकायत सं0 8 प्रेस परिषद् समीक्षा, अक्टूबर 2007) ।**

q

प्रेस के विरूद्ध शिकायतों के निर्णयों में दर्ज़ किए गये सिद्धांतों की सारिणी

प्रेस और मानहानि

समाचारपत्र को प्रामाणिक सूत्रों से रिपोर्ट की तथ्यात्मक सटीकता की समुचित सावधानी के साथ जाँच करनी चाहिए और सम्बद्ध व्यक्ति का वर्तन, टिप्पणी या प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उनसे सम्पर्क करना चाहिए और समाचार रिपोर्ट सहित उसे प्रकाशित करना चाहिए । **(श्री अरूण अग्रवाल, स्वामी, विकास ट्रेडिंग कम्पनी, मेरठ बनाम दी एडीटर, अमर उजाला, मेरठ, शिकायत सं0 44 प्रेस परिषद् समीक्षा, जुलाई, 2007) ।**

एक समाचारपत्र को यह स्मरण रहना चाहिए कि प्रेस की स्वतंत्रता दायित्व सहित होती है और उस स्वतंत्रता का निर्वाह समुचित सावधानी के साथ करना चाहिए और यहाँ तक कि जब समाचारपत्र को राजनैतिक घटनाओं की रिपोर्ट करने की स्वायतता अथवा ड्यूटी है तथापि, वह रिपोर्टिंग अशिष्ट न हो । **(श्री शांतनु दास, निदेशक, सूचना, सांस्कृतिक मामले और पर्यावरण, त्रिपुरा सरकार, अगरतला बनाम दी एडीटर, स्यान्दन पत्रिका, बंगाली दैनिक, अगरतला, शिकायत संख्या 26 प्रेस परिषद् समीक्षा, जुलाई 2007) ।**

किसी अन्य समाचारपत्र में ऐसी ही रिपोर्ट का प्रकाशन आरोपों को सही प्रमाणित नहीं कर देता । (**श्री बी.के.नारायण, महाप्रबंधक, गिलटैक अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेट लिमिटेड, मंगलौर, कर्नाटक बनाम दी सम्पादक, संयुक्त प्रभा, मंगलौर, कर्नाटक, शिकायत संख्या 31 प्रेस परिषद् समीक्षा, जुलाई 2007) ।**

जबकि, प्रेस को लोक सेवकों की कार्रवाई का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का पूर्ण अधिकार अथवा ड्यूटी थी, वहीं ऐसे मूल्यांकन में सत्यपरकता होनी चाहिए । **(श्री एस.एस.सदानन्द ए.सी.डी, पो.आ. शारदा नगर, श्रींगरेरी, चिकमंगलूर, कर्नाटक बनाम दी एडीटर नामा लोक, कन्नड साप्ताहिक, चिकमंगलूर शिकायत संख्या 35 प्रेस परिषद् समीक्षा, जुलाई 2007) ।**

मीडिया घराने को मीडिया घराने के रूप में कार्य करते हुए अपनी निष्पक्षता को बनाये रखना चाहिए और ऐसी निष्पक्षता को अन्य व्यावसायिक हितों, जोकि मीडिया घराने के स्वामी के हो सकते हैं, में सहायक होने की अनुमति नहीं दी जा सकती । **(श्री राघव चन्द्र, आईएएस, प्रबंध निदेशक, म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, भोपाल बनाम दी एडीटर्स, नवभारत और सैंट्रल क्रॉनिकल, भोपाल शिकायत सं0 13 प्रेस परिषद् समीक्षा, अक्टूबर 2007) ।**

महिलाओं की गरिमा, सम्मान और निजता का बचाव किया जाना चाहिए और कोई भी प्रतिकूल रिपोर्ट जिससे महिलाओं के कलंकित होने की संभावना हो, को तब तक समाचारपत्र में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, जब तक कि वह सही जनहित द्वारा सत्यापित न हो । **(सुश्री रजनी मालानी, फंसी बाजार, गोवाहाटी, असम बनाम दी एडीटर, पूर्वांचल प्रहरी, गोवाहाटी, असम, शिकायत सं0 25 प्रेस परिषद् समीक्षा, अक्टूबर 2007) ।**

लोकहित के अभिरक्षक और लोकाधिकारों के संरक्षक के रूप में प्रेस से भी आशा की जाती है कि वह सही सूचना पर इसका ध्यानाकृष्ट करें ताकि यह उन्हें सही तरीके से परख सके जिन्हें इन्होंने देश को चलाने का दायित्व सौंपा है । **(श्रीमती हेमाम्बिका आर. प्रिया, सरकारी प्रवक्ता, केन्द्रीय आबकारी एवं सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली बनाम दी सम्पादक दी पायनियर, नई दिल्ली शिकायत संख्या 46 प्रेस परिषद् समीक्षा, अक्टूबर 2007) ।**

प्रेस को यह याद रखना होगा कि यह किसी भी जाँच पड़ताल में अभियोजक नहीं है और एक व्यक्ति की निरपराधता के परम सिद्धांत द्वारा इसका मार्गदर्शन होना चाहिए जब तक कि कथित अपराध निःसंदेह स्वतंत्र विश्वस्त साक्ष्य द्वारा सिद्ध न हो और इसी कारण स्थान की कमी होने पर भी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रत्युत्तर में स्थान मिलना चाहिए ताकि किसी भी मामले के अंतिम न्यायाधीश के रूप में लोगों की राय बनाने में उनका मार्गदर्शन पूर्ण और सही तथ्यों द्वारा हो । लोकमहत्व के किसी भी मामले के सभी पत्रों को जानने का पाठकों का अधिकार, एक लोकतंत्र में प्रेस को दी गई स्वतंत्रता का नैसर्गिक परिणाम है । **(श्रीमती हेमाम्बिका आर. प्रिया, सरकारी प्रवक्ता, केन्द्रीय आबकारी एवं सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली बनाम सम्पादक, दी पायनियर, नई दिल्ली शिकायत संख्या 46 प्रेस परिषद् समीक्षा, अक्टूबर 2007) ।**

प्रेस और नैतिकता

समाचारपत्र अपने लेखों के माध्यम से साइबर कैफे में व्याप्त अनैतिकता का रहस्योदघाटन कर सकता था और वह भी समाचार के सयंमित प्रस्तुतीकरण की समुचित सावधानी के साथ । **(श्री अशोक बासप्पा उदयावर एवं अन्य, श्रीमती शीतल बनाम मेहता और अन्य, थाणे, महाराष्ट्र बनाम दी एडीटर, महाराष्ट्र बुलन्द टाइम्स, थाणे, महाराष्ट्र , शिकायत सं0 47 प्रेस परिषद् समीक्षा, अक्टूबर 2007) ।**

q

संलग्नक-ड

प्रेस पंजीकरण अपील बोर्ड द्वारा पारित आदेशों की विषयगत सारिणी

क्र0 सं0	पक्षों के नाम	आदेशों की तिथि	पारित आदेश
1.	श्री रमेश शर्मा, सम्पादक और मुद्रक मधुर गाथाएँ, हिन्दी मासिक की समाचारपत्रों और पुलिस उपायुक्त (लाइसैंसिंग) द्वारा पारित दिनांक 1-9-2006 और 12-9-2006 के आदेश के विरुद्ध अपील ।	7-9-2007	आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, में हस्तक्षेप करने और उसका समर्थन करने का कोई कारण नहीं ।
2.	श्री हितेन्द्र प्रसाद, मुद्रक और प्रकाशक हाय मथुरा, कन्नड पत्रिका (पाक्षिक) उडुपी, कर्नाटक बनाम उपायुक्त/जिलाधीश, उडुपी दिनांक 25-3-2004 का आदेश ।	7-9-2007	अपील विफल हो गई इसलिए कार्रवाई रोक दी गई ।
3.	'मसल एंड फिटनैस' शीर्षक के पंजीकरण के कापीराइट के मामले और ट्रेड मार्क वायलेशनस के लिए "हैल्थ इज वैल्थ" मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री राजीव मखीजा से प्राप्त पत्र ।	7-9-2007	यह अपील प्रेस और पंजीकरण पुस्तक अधिनियम की मीडिया 8(ग) की परिधि में नहीं आती और अपील रोक दी गई ।
4.	श्री सैय्यद हाशमी अली और श्रीमती जमाल अफसान, स्वामी और प्रकाशक, पुलिस के द्वारा, हिन्दी पत्रिका, नई दिल्ली की पुलिस उपायुक्त (लाइसैंसिंग) दिल्ली द्वारा दिनांक15-2-2007 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील ।	9-10-2007	दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 146 के अन्तर्गत प्रयोग में लाने के सम्बन्ध में, बोर्ड को कुछ नहीं कहना ।

क्र0 सं0	पक्षों के नाम	आदेशों की तिथि	पारित आदेश
5.	श्री घनश्याम गुप्ता सम्पादक और मुद्रक, नौहर टाइम्स, हिन्दी साप्ताहिक, नौहर जिला हनुमानगढ, राजस्थान की अपील पर उप क्षेत्रीय अधीक्षक, नौहर, जिला हनुमानगढ, राजस्थान द्वारा पारित दिनांक 27-11-2006 का आदेश ।	12-3-2008	आक्षेपित आदेश एक ओर रख दिया गया ।
6.	श्री मुकुंद बलबीर सिंह ठाकुर, सम्पादक, शिवानी समाचार साप्ताहिक, जलगाँव, महाराष्ट्र की अपील पर उप क्षेत्रीय जिलाधीश, जलगाँव, महाराष्ट्र द्वारा पारित दिनांक 22-2-2007 का आदेश ।	12-3-2008	आक्षेपित आदेश एक ओर रख दिया गया ।
7.	श्री विलास चौहान, सम्पादक, जय राजसिंहासन मराठी साप्ताहिक, यवतमाल, महाराष्ट्र की अपील पर उप-क्षेत्रीय जिलाधीश, पुसाड, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र द्वारा पारित दिनांक 23-9-2005 का आदेश ।	12-3-2008	खारिज कर दिया गया ।
8.	मैसर्स थेनाली दरबार, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु की अपील पर जिलाधीश जिला राजस्व अधिकारी, कोयम्बटूर, तमिलनाडु द्वारा दिनांक 4-7-2007 को पारित आदेश ।	12-3-2008	आक्षेपित आदेश एक ओर रख दिया गया ।
9.	श्री केशवदत्त चंदोला, प्रकाशक राजपूत मर्यादा, हिन्दी साप्ताहिक, कानपुर का भारतीय समाचारपत्र पंजीयक से प्राप्त पत्र ।	12-3-2008	अपील प्रे.पं. पुस्तक अधिनियम के क्षेत्र से बाहर ।

p